खण्ड-403, अंक-3
बृहस्पतिवार, 24 माघ, शक संवत् 1913
(13 फरवरी, 1992 ई0)

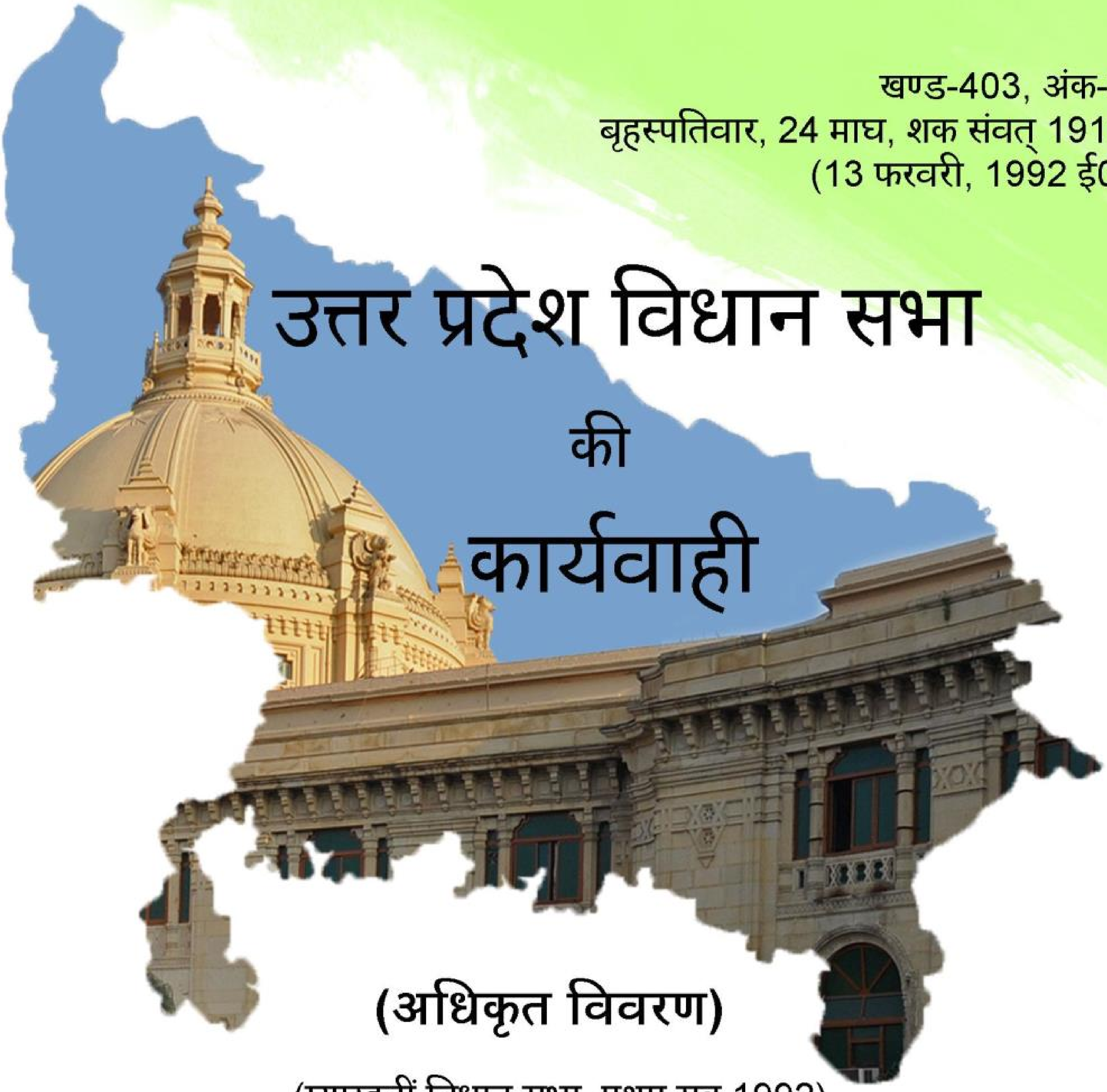

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 403 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य . . | क |
| विधान सभा की कार्यसूची प्राप्त न होने पर आपत्ति . . | 1 |
| प्रश्नोत्तर (जारी) . . | 1 |
| विधान सभा की कार्यसूची प्राप्त न होने पर आपत्ति (क्रमागत) . . | 14 |
| प्रश्नोत्तर (क्रमागत) . . | 14 |
| विधान सभा उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन का स्थगन . . | 138 |
| विधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद आजम खां के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी (जारी) . . | 144 |
| मंत्रि-परिषद् के सदस्यों से परिचय कराने का अनुरोध . . | 145 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं . . | 145 |
| गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुखपुरा में भूमिहीन परिवारों के घरों को उजाड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . | 146 |
| आदिवासियों को वन्य जीव बिहारों एवं राष्ट्रीय पार्कों में वन उपज के विदोहन एवं सदुपयोग के प्रतिबंध से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . | 147 |
| आजमगढ़ के विकास खण्ड कोयलसा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 132 के0वी0 सब स्टेशन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . | 147 |
| फैजाबाद जनपद के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं में दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . | 147 |
| प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . | 148 |


विधान सभा

फैजाबाद जनपद में कीट नाशक दवाओं के अभाव से खरीफ एवं आलू की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 148

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना . . 149

बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विज्ञापित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन में आरक्षित कोटे तथा महिलाओं की आयु सीमा में छूट न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . 149

दि0 30 जनवरी, 1992 के महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . 150

टेलीफोन की खराबी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . 151

विधान सभा का सत्र आहूत होने के बाद अध्यादेशों को जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . 151

सूचना विभाग द्वारा मुद्रित डायरी में त्रुटियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न . . 154

विधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद आजम खाँ के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी . . 154

प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगो के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) . . 155

नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य अव्यवस्था उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न . . 156

प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगो के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना . . 157

नियम 311 की सूचनाओं की ग्रह्यता पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा शासन पक्ष को भी सुनने का अनुरोध . . 173

प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना . . 182

विधान सभा

कु0 मुन्नी शर्मा के साथ लखनऊ सदर थाने के दरोगा द्वारा बलात्कार किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना . . 184

उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित नवीन ध्वनि-नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण एवं उसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु गठित समिति (दशम विधान सभा) का प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया) . . 185

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का दशम् प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया) . . 185

श्री रमाकान्त यादव तथा श्री कृष्ण किंकर सिंह सदस्य विधान सभा के गिरफ्तारी की सूचना . . 186

कार्य-मत्रंणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) . . 186

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित) . . 188

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 (पुरःस्थापित) . . 188

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) . . 189

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं . . 201

नत्थियां . . 202

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 फरवरी, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

| | |
|---|---|
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद |
| अरविन्द कुमार, डा0 | ललितपुर |
| अवध पाल सिंह, श्री | एटा |
| अशोक कुमार सिंह, श्री | रायबरेली |
| उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर |
| ओम प्रकाश, श्री | गोरखपुर |
| कुंवर पाल मास्टर, श्री | सहारनपुर |
| कृष्ण किंकर सिंह, श्री | बस्ती |
| गन्धर्व सिंह, श्री | मैनपुरी |
| चन्द्र भान मौर्य, श्री | आगरा |
| तेज नारायन त्रिवेदी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल |
| पति राज, श्री | आजमगढ़ |
| पृथ्वी सिंह, श्री | हरिद्वार |
| मदन भैया, श्री | मेरठ |
| मनव्वर हसन, श्री | मुजफ्फरनगर |
| मन्नू लाल कुरील, श्री | बांदा |
| मयंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| मोहम्मद वसीम हाजी, श्री | रायबरेली |
| रमाकान्त यादव, श्री | आजमगढ़ |
| राम गोविन्द चौधरी, श्री | बलिया |
| राम सरन वर्मा, श्री | पीलीभीत |
| राम सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| रामसेवक, श्री | सुल्तानपुर |
| लालचन्द्र पाण्डेय, श्री | वाराणसी |
| विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री | बलिया |
| विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| विजय सिंह राणा, श्री | आगरा |
| सत्यदेव पचौरी, श्री | कानपुर नगर |
| समीउल्ला, श्री | गोण्डा |
| हरनारायण सिंह, श्री | रायबरेली |
| हरिशंकर तिवारी, श्री | गोरखपुर |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा

**विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिनांक 13 फरवरी, 1992 को दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।**

**विधान सभा की कार्य सूची प्राप्त न होने पर आपत्ति**

श्री ऊदल-

मान्यवर, आज कुछ माननीय सदस्यों को एजेन्डा प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ व्यवस्था हो सके, तो करा दें, मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

एजेन्डा मुद्रण में थोड़ा विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन प्राप्त हो गया है।

## प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 फरवरी, 1992

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### महंगाई को नियन्त्रित करने हेतु ऐक्शन प्लान की जानकारी

**1-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को नियंत्रित करने का कोई ऐक्शन प्लान सरकार ने बनाया है? यदि हां, तो उसके प्रमुख बिन्दु और नीति निर्देश क्या है?

खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

गत कुछ माहों में भारत सरकार द्वारा अनेक ऐसी घोषणाएं की गयी हैं जिनका सीधा परिणाम खाद्यान्नों व आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पैदा करना रहा है। इस श्रृंखला की शुरुआत रुपये के अवमूल्यन से होकर रेल भाड़े में वृद्धि, ब्याज की दरों में वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि, कोयले की रायलटी में वृद्धि, लोहे पर से नियंत्रण हटाया जाना तथा उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि इत्यादि ऐसे निर्णय रहे हैं। जिनसे मूल्य स्फूर्ति की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। इस श्रृंखला में अंतिम कड़ी भारत सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों से वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं व खाद्यान्नों के मूल्यों में की गयी वृद्धि है। प्रदेश सरकार की नीति व प्रयास यह है कि यथासंभव उपरोक्त कारणों से उत्पन्न महंगाई का कुप्रभाव आम नागरिकों पर कम किया जाय। ऐसा करने के लिए एक ओर तो जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत इन वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यक है दूसरी ओर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाना है। इन वस्तुओं की उपलब्धता भारत सरकार द्वारा दिए गए आवंटन पर निर्भर रहती है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा बराबर भारत सरकार से प्रदेश के लिए इन सभी वस्तुओं का आवंटन पर्याप्त मात्रा में करने का अनुरोध किया जाता रहा है और उसके साथ-साथ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर सीधा-सीधा नहीं दिया है। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया था कि बेतहाशा बढ़ रही महँगाई को नियंत्रित करने का कोई ऐक्शन प्लान सरकार ने बनाया है या नहीं? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में केन्द्र सरकार को बेजा आरोपित करने के लिये पूरा-पूरा जवाब पढ़ दिया। श्रीमन् कारण नहीं पूछे गये थे कि महँगाई क्यों बढ़ी ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा जो खाद, गेहूँ और अन्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये गये हैं, उन निर्धारित मूल्यों पर उत्तर प्रदेश में वितरण क्यों नहीं हो रहा है ? मैं बड़े अदब के साथ आरोप लगाना चाहता हूँ कि जमाखोरों से मिलकर उन्हें खुल्लमखुल्ला कीमतें बढ़ाने का अवसर दिया गया है, ऐसे व्यापारियों, जमाखोरों और आपकी पार्टी के कुछ नेताओं, जिनकी ऐसे लोगों से साठगाँठ है ...

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न को संक्षिप्त करके पूछें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं वही पूछ रहा हूँ, मंत्री जी इतना बता दें कि क्या बढ़ती महँगाई को रोकने के लिये कोई ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है अथवा नहीं ?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, अभी जैसा पूर्व में मैंने अपने उत्तर में बताया कि महँगाई के बढ़ने का कारण मूल रूप से केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से है।

श्री अध्यक्ष-

ऐक्शन प्लान के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में बतायें।

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, हमारी सरकार यह कर रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जितना खाद्यान्न प्राप्त होता है, उसका समुचित वितरण सुनिश्चित हो। हम केन्द्र की सरकार से बराबर यह प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से भी यह प्रयास किया गया है कि केन्द्र की सरकार द्वारा जितना खाद्यान्न हमें दिया जाता है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर आप स्वयं पूरे उत्तर को देखें। प्रश्न के अनुरूप एक भी लाइन उत्तर में नहीं है। प्रश्न में पूछा गया था कि महँगाई को रोकने के लिए क्या कोई ऐक्शन प्लान बनाया गया है? जो उत्तर दिया गया है, उसमें पूरा केन्द्र सरकार के ऊपर दोषारोपण किया गया है। केन्द्र सरकार के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं, हो सकता है, वे सही हो परन्तु साथ ही हमारा यह भी कहना है कि महँगाई को रोकने के लिए कुछ जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की भी होती है। अब जैसे गेहूँ के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डालडा के दाम बढ़ रहे हैं, आये दिन बाजार में हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जो दाम तय किये गये हैं, उसके अतिरिक्त दाम यहाँ पर लिये जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, इसका उत्तर आप दिलवाने की कृपा करें?

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, बढ़ती महँगाई को रोकने के लिए दो बिन्दु हमारे सामने आ सकते हैं। एक तो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हमारी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसको हम चुस्त करें। हमें जो कोटा केन्द्र सरकार से मिलता है, हमारी जो आवश्यकता है, उस हिसाब से बहुत कम कोटा हमें मिलता है। अब जैसे गेहूँ को हमें जो कोटा मिला वह केवल 50 हजार टन का मिला, जबकि हमारी आवश्यकता तीन लाख टन की है। फिर भी हम इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। दूसरा काम सरकार का है कि सामान की होर्डिंग्स न होने पाये, कालाबाजार में सामान न जाने पाये। मान्यवर; हमारी सरकार ने जून, 1991 से 2 फरवरी, 1992 तक ग्यारह हजार, सात सौ उन्तीस छापे मारे...

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी प्रश्न यह है कि क्या शासन ने कोई ऐक्शन प्लान बनाया है। उत्तर के अन्त में कहा गया है कि इसके साथ ही साथ सार्वजनिक वितरण को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐक्शन प्लान क्या है और जो प्रयास किये जा रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, ऐक्शन प्लान यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना, ऐक्शन प्लान का दूसरा बिन्दु है चोर बाजारी व कालाबाजारी को रोक कर बढ़ते हुए भावों पर अंकुश लगाना। इसी प्रयास के अन्तर्गत

हमने कई छापे मारे, कई लोगों को गिरफ्तार किया और कई मामलों को निरस्त किया। तीसरा काम हमने यह किया है कि उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बने थे, इसमें सुधार लाने हेतु हमने एक अभियान चलाया और दो लाख राशन कार्डस को निरस्त किया। यही हमारा ऐक्शन प्लान है।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं। ...

श्री अध्यक्ष-

आप केवल अनुपूरक प्रश्न ही पूछें।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जवाब से तो आप भी संतुष्ट नहीं होगें। व्यापारियों के यहां पर छापे पड़े और माननीय खाद्य मंत्री जी ने व्यापारियों की एक बैठक की, खुला दरबार लगाकर बैठक की और उसमें जो बिन्दु तय किये गये वह यह हैं कि भविष्य में व्यापारियों के यहां छापे नहीं डाले जायेंगे और उस बैठक में व्यापारियों के कितने मूल्य तक महंगाई गिराने की बात तय हुई थी?

श्री अध्यक्ष-

बाद वाला प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नरेश-

माननीय मंत्री जी यही बता दें कि क्या भविष्य में छापे डाले जायेंगे या नहीं डाले जायेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

उन व्यापारियों की बैठक में नरेश अग्रवाल जी रहे होंगे, तभी तो उनको यह सारी जानकारी मिल सकी। मान्यवर, सरकार की नीति साफ है। हम किसी भी कीमत पर कालाबाजारी और होर्डिंग को बढ़ावा देने का अवसर नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पूरा उत्तर तो आ जाने दीजिये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

डा0 बृजभान यादव-

उत्तर की लीपा पोती की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

हम मंत्री हैं और समाज के सभी वर्गों के लिये हैं, और उनमें से कोई अगर हमारे पास मिलने आता है, तो हम उसे मना नहीं कर सकते हैं।। व्यापारी मंत्री जी से मिलने के लिये, लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया कि व्यापारियों के यहां पर छापे नहीं डाले जायेंगे।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा कि इतने छापे व्यापारियों के यहां पर डाले गये, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन छापों में कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया, कितने व्यापारी दोषी पाये गये और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? एक ओर आप छापे डाल रहे हैं और दूसरी और आटे का भाव 6 रुपये तक पहुंच गया है और गरीब आदमी भूखों मरने लगा है।

श्री एजाज रिजवी-

पिछले दिनों जून से 12 फरवरी तक 14094 छापे मारे गये हैं, जिसमे से 804 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं। 479 लोगो को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 1287 लोगों के लाइसेंस निलम्बित किये गये हैं, 1585 लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं और जो धनराशि उनकी जमानत जब्त की गयी है वह रु0 2,77,272 है और इन छापों में जो खाद्यान्न पकड़ा गया ...

श्री अध्यक्ष-

यह पूछा नहीं गया है।

श्री ऊदल-

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महंगाई रोकने के लिये जो ऐक्शन प्लान बनाने की बात हो रही है, क्या ऐक्शन प्लान बनाने का कोई फैसला किया गया है, क्या सरकार ने कोई निर्देश अपने अधिकारियों को दिये हैं, क्या कोई उसकी रूप रेखा तैयार की गयी है और अगर कोई रूप रेखा तैयार की गयी है, तो उसको बताने की कृपा करें?

श्री एजाज रिजवी-

हमारे प्रदेश की आबादी के हिसाब से केन्द्र सरकार खाद्यान्न नही दे

रही है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

यह बार-बार केन्द्र सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। यह व्यापारियों से मिले हुय हैं (व्यवधान)

श्री एजाज रिजवी-

हमने खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाने की मांग की है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल जी आप बैठ जांय।

श्री ऊदल-

माननीय खाद्यमंत्री जी कृपया सुन लें।. (व्यवधान) कोई ऐक्शन प्लांन कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये तैयार किया जा रहा है?

श्री एजाज रिजवी-

हमने फर्जी राशन कार्ड निरस्त किये हैं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि कितने यूनिट निरस्त किये है(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय खाद्य मंत्री जी कुछ मेरी भी सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मेरा एक निवेदन है ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी आप स्थान ग्रहण करें। मेरा एक निवेदन है कि माननीय ऊदल जी ने एक प्रश्न संक्षेप में किया था कि आपके ऐक्शन प्लान की रूपरेखा क्या है? उस पर अगर विस्तार में जायेंगे तो सारा समय उसी में निकल जायेगा। संक्षेप में रूपरेखा बता दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात बताई कि कोई योजना बनाई है उसकी रूपरेखा संक्षेप में बता दें।

श्री एजाज रिजवी-

राशन की दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये जो कार्यवाही की

जा रही है उसमें हमने केन्द्र से कोटा बढ़ाने की मांग की है(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

इस प्रश्न को माननीय अध्यक्ष जी स्थगित कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पहले उत्तर सुन लीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं।(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल-

इसे स्थगित कर दें । महंगाई चरम सीमा पर है।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

ऐक्शन प्लान के बारे में 6 बिन्दु हैं। (व्यवधान) उनको मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल-

इसको स्थगित कर दें या फिर प्रश्न संदर्भ समिति को भेज दें।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे माननीय सदस्यगण संतुष्ट नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि इस सवाल को या तो स्थगित कर दें या फिर प्रश्न संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें क्योंकि यह आपका भी दायित्व है कि जिन प्रश्नों का जवाब ठीक से न आये, आप माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण देने के लिये हैं इसलिये आवश्यक है कि समुचित उत्तर आये। जो मैंने सुझाव दिया है उसके संदर्भ में कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, ऐक्शन प्लान के 6 बिन्दु हैं। सबसे पहले हमारा प्रयास है कि केन्द्र सरकार से जो आवंटन मिलता है उसको बढ़ायें। दूसरी बात है कि जो आवंटन मिला है उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ईमानदारी

से, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए, वितरण सुनिश्चित करें। तीसरी बात यह है कि जो फर्जी राशन कार्ड बने थे या बने हैं उनको निरस्त करें और इस दिशा में काम किया गया है और अब तक पौने तीन करोड़ फर्जी यूनिट निरस्त किया है। चौथी बात यह है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध करायें। पांचवा काम यह है कि सब जगह निगरानी समितियां गठित किया है जो निगरानी करेंगी कि सही तरीके से वितरण हो रहा है कि नही और जो भ्रष्टाचार है उसका कैसे उन्मूलन किया जाये ? और आखिरी काम यह किया है कि जो कालाबाजारी और चोरबाजारी यदि कहीं हो रही है तो वहां छापे डाले जायेंगे और चैकिंग करेंगे तथा जो लोग उसमे लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी, यह हमारा प्रयास है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति के तहत मार्च महीने तक सस्ते गल्ले की दुकानों का नवीनीकरण नहीं करवा रही है, तो सरकार की आगे की इस संबंध में क्या नीति है इसे स्पष्ट कर दें ?

श्री अध्यक्ष-

सरकार की ओर से इस नीति की घोषणा नहीं हुई है आपका कहना है कि मार्च के बाद दुकानों का नवीनीकरण सरकार नहीं करेगी, यह आपका प्रश्न अनुमान पर आधारित है, इसलिये इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी जब अलीगढ़ गये थे तो वहां एक व्यापारी के यहां छापा डलवाया था तो गगन के एक किलो के पैकेट में 800 ग्राम घी निकला था, तो मैं जानना चाहती हूं कि उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? जिलाधिकारी को मौखिक आदेश दिये गये थे जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, अलीगढ़ में अपने प्रवास के दौरान एक दुकान से गगन वनस्पति में एक किलो घी की जगह पर तौल में 815 ग्राम घी निकला था, जिसके आधार पर जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया था और वहां का जो डिस्ट्रीब्यूटर गगन वनस्पति का है उसके यहां रात में छापा मारा गया, उसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महंगाई रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। केन्द्र सरकार से इस ऐक्शन प्लान के तहत क्या-क्या मांग की गई और केन्द्र सरकार ने किस-किस की पूर्ति की है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी केन्द्र सरकार से आपने ऐक्शन प्लान के तहत क्या-क्या मांग की और आपको क्या-क्या मिला इसका उत्तर दें?

श्री एजाज रिजवी-

केन्द्र सरकार से प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार हमने जो यहाँ का मानक पहले से तय किया गया था उसके आधार पर प्रति नागरिक एक यूनिट के ऊपर 8 किलो गेंहूँ, 6 किलो चावल, एक किलो चीनी इसके अनुसार जो जरूरत है सवा गयारह लाख मीट्रिक टन गेहूँ और साढ़े आठ लाख मीट्रिक टन चावल के लिये केन्द्र सरकार को लिखा और मैंने केन्द्र सरकार के खाद्य मंत्री से स्वंय बात की। पचास हजार मीट्रिक टन हमको दिया जा रहा है। 20 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का अतिरिक्त आवंटन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार से फरवरी माह के आवंटन के साथ प्राप्त हुआ है। इसी तरह से खुले बाजार में चालीस हजार मीट्रिक टन गेहूँ में से बीस हजार मीट्रिक टन आटा व बीस हजार मीट्रिक टन गेहूँ इसी महीने दिया जा रहा है।

(घोर व्यवधान)

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए आज गेहूँ का आटा 6.50 रुपये में बिक रहा है। मान्यवर कोई भी जो सस्ते गल्ले की दुकाने हैं, लखनऊ शहर में कहीं राशन उपलब्ध नहीं है। सुदूर गांवों की क्या बात कही जाय। आज किसान हो, मजदूर हो, साधारण कर्मचारी हो या मध्यम वर्ग के लोग हों दो जून का भोजन जुटाने में किसी भी तरह से वह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण सवाल और क्या हो सकता है? अभी माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि केन्द्र सरकार से इतना मिला या नहीं इसका लेखा-जोखा केन्द्र सरकार जाने या फिर मंत्री जी जाने। आज उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा की जा रही है। उसका समुचित उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, आप आगे नत्थी "ख" देखें उसमे यह प्रश्न आ रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा यह आग्रह था कि माननीय मंत्री जी ने इसका समुचित उत्तर दिया है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह था कि सरकार ने महँगाई रोकने के लिये कोई ऐक्शन प्लान बनाया है कि नहीं। माननीय मंत्री जी ने ऐक्शन प्लान के 6 प्रमुख बिन्दु आपके सामने रख दिये। इससे कुछ पूरक प्रश्न उत्पन्न हुये जिनको मैंने अनुमन्य कर लिया है, तो यह तो पूरक प्रश्नों के माध्यम से सदन की सूचना दी जा रही है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, आप सदन के संरक्षक हैं। सदन में माननीय सदस्यों की क्या भावना है इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। जवाब आया, जवाब से विरोधी पक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हैं। अगर वह संतुष्ट होते तो यह बात ही न उठती। यह जनता से जुड़े हुए लोग हैं और जनता से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है इसकी इस तरह से अवहेलना नहीं होनी चाहिए। आज इस महंगाई में दो समय का भोजन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिए आप चर्चा की मांग करेंगे तो चर्चा स्वीकार हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियम 49 के अन्तर्गत सम्पूर्ण विपक्ष की तरफ से मैं चर्चा की मांग करता हूँ मौखिक रूप से। लिखित बाद में दे देंगे। इस पर आधे घंटे

चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चर्चा के लिए अलग समय निर्धारित कर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम 49 में चर्चा की मांग की है इसे स्वीकार करें या न करें यह आपके विवेक के ऊपर है। नियम-49 में आप चर्चा करायेंगे इसको स्वीकार करेंगे इसमें हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी सरकार की नीति पूरी तरह से महंगाई पर नियंत्रण करने की है।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

यह बता दें महंगाई दूर करने के लिए क्या ऐक्शन लिया है? यह सरकार पूँजीपतियों से मिली हुई है इसलिए महंगाई बढ़ रही है।

(व्यवधान)

मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा उनके दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

श्री प्रमोद तिवारी-

यह सरकार पूँजीपतियों की सरकार है। यह उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को राहत देने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। यह भ्रष्ट सरकार है। इसलिए मैं इसके विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री प्रमोद तिवारी ने अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

(पूँजीपतियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारों की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इस पर चर्चा करायें।

(व्यवधान)

**भविष्य निधि योजना के तहत पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने की मांग**

** 2- श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या सरकार पत्रकारों के लिए भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, न्याय तथा न्याय मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा एक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना वर्ष 1991 से लागू की गयी है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, बड़ा विरोधाभास हो गया है, या तो मेरे सुनने में गलती हुई है, मंत्री जी ने पहला उत्तर " जी हाँ " में दिया है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मैंने " जी नहीं " कहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का पहला भाग है " क्या सरकार पत्रकारों के लिये भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है।" इसका उत्तर आया है " जी नहीं"।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि पत्रकारों को अपने कार्य को अंजाम देना काफी जोखिम भरा होता है और परिश्रम भी अधिक होता है। इसको देखते हुये जो पत्रकार हैं, जिनकी कलम से जन्मी वाणी एक प्रकार से समाज का आइना होती है तो मैंने यह प्रश्न किया था कि क्या भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रहें हैं, इसका उत्तर मंत्री जी ने दिया कि विचार नहीं कर रहे हैं। यह जो शासन द्वारा एक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना वर्ष 1991 से लागू की गयी है तो मैं जानना चाहूँगा कि वह योजना क्या है और उसके अंतर्गत कौन-कोन पत्रकार कवर्ड,

आच्छादित होंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं समझता हूँ कि जो उनकी भावना है उस भावना का आदर करते हुये शासन ने 24 सितंबर, 1991 को श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण हेतु एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू किया है। आपने जो पहला प्रश्न किया था कि क्या सरकार पत्रकारों के लिये भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन योजना लागू करने जा रही है तो ऐसी कोई योजना नहीं है। शासन ने एक अलग योजना लागू किया है। इस योजना से श्रमजीवी पत्रकार बंधुओं को लाभ मिलेगा। 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद जो इस योजना से आच्छादित पत्रकार होंगे उन्हें 1 (एक) हजार रुपया प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। असामयिक प्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर 50 हजार रुपये तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की धनराशि उनके परिवार को प्रदान की जायेगी। इस योजना से 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के और 55 वर्ष की आयु तक के श्रमजीवी पत्रकारों को लाभ मिलेगा। बीमें की किश्त के अनुसार इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। 25 से 35 वर्ष, 36 से 45 वर्ष एवं 46 से 55 वर्ष तक। कितने लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकेंगे उनके बारे में निम्नलिखित नियम हैं :-

ऐसे श्रमजीवी पत्रकार जो उत्तर प्रदेश में स्थित समाचार पत्रों/एजेंसियों में नियमित रूप से कम से कम 5 वर्ष से कार्यरत हों। ऐसे समाचार पत्रों की प्रसार संख्या कम से कम 10 हजार हो।

वे श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा से आच्छादित हों तथा पूर्णकालिक सेवा में हो।

इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये उन पत्रकारों की पी0 एफ0 की नियमित कटौती हो रही हो।

पेंशन योजना के लिये आयु सीमा 25 से 55 वर्ष के बीच होगी।

यदि कोई पत्रकार 10 वर्ष तक लगातार उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना के अंतर्गत देय किश्त की अदायगी करने के उपरांत अन्य प्रदेशों में स्थानान्तरित हो जाता है तो वह स्वेच्छा से इस योजना को आगे अंगीकार करते हुये किश्त की अदायगी कर सकता है और इस अवधि में उसे शत प्रतिशत किश्त अदा करनी होगी। यदि पुनः उत्तर प्रदेश में वापस आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में वापस आने की तिथि से पुनः 50 प्रतिशत का अंशदान शासन से प्राप्त कर सकता है .....

इस योजना में ऐसे पत्रकार जो प्रदेश के बाहर स्थित पत्रों के लिये कार्य करते हों, उनके लिये यह किया गया है कि अर्हता पूरी करते हों और प्रदेश

में ही कार्य करते हों, वे भी पात्र होंगे। ये इस योजना के मुख्य बिन्दु हैं जिससे कि पत्रकार लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उनको 60 वर्ष की आयु के बाद 15 वर्ष तक पेंशन मिलेगी, लेकिन पेंशन प्राप्त करते हुए बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेंशन प्राप्त करने की 15 वर्ष की अवधि में से शेष अवधि के लिये उनके परिवार के आश्रितों को 1 हजार रुपया पेंशन मिलेगी।

## विधान सभा की कार्यसूची प्राप्त न होने पर आपत्ति (क्रमागत)

श्री इस्लाम साबिर-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि मेरे यहां एजेंडा नहीं आता है। इसको मैंने पहले भी उठाया था

(* * *) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह आरोप है, आक्षेप (घोर व्यवधान) पहले आप प्रक्रिया की पुस्तक पढ़ लें, फिर बोलें (घोर व्यवधान) मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि आज विलम्ब हुआ। आरम्भ में पता नहीं आप सदन में थे या नहीं। मैंने कहा था कि आप छपने में विलम्ब होने के कारण एजेंडा पहुंच नहीं पाया।

श्री इस्लाम साबिर-

मेरे यहां कभी नहीं आता...(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप मुझसे मेरे कक्ष में मिलें।

## प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

डा0 दिनेश जौहरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो पेंशन योजना पत्रकारों के लिये घोषित की है, पहले भी घोषित हो चुकी है। बधाई देता हूँ। मैं इतना जानना चाहता हूँ

---

नोट:- ( * * * ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि पत्रकारों के हित में कोई इंश्योरेंस योजना भी चालू करने जा रहे हैं?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी कार्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

यह जो योजना है, इसमें यह बीमा कम्पनी के सहयोग से चल रही है और जो आयु वर्ग हमने बताया है, इसमें वार्षिक किश्तें निर्धारित की गयी हैं, बीमा कम्पनी से विचार विमर्श के बाद और यह आंका गया कि इस योजना में अगर एक हजार पत्रकार सदस्य बनते हैं तो उसकी किश्तें 25 से 35 वर्ष के लिये 436 रुपये, 36 वर्ष से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिये 1072 रुपये और 46 से 55 वर्ष आयु वर्ग के लिये 3350 रुपये की होंगे। यह जो राशि मिलेगी, इसमें बीमा कम्पनी का भी योगदान है। ये किश्तें बीमा कम्पनी के पास जमा होंगी और उसी में से अगर बीच में सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जैसा कि मैंने बताया 50 हजार या 1 लाख रुपया एकमुश्त मिलेगा और अगर वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो 15 वर्ष तक एक हजार रुपया प्रतिवर्ष कम्पनी से बीमा योजना के अन्तर्गत जो व्यवस्था की गयी है, उसके अन्तर्गत मिलेगा। बीमा कम्पनी से जैसा कि मौजूदा बोनस है उसके अनुसार नहीं मिलेगा, लेकिन एक हजार रुपया 15 वर्ष तक प्रति वर्ष श्रमजीवी पत्रकारों को मिलेगा। इस बीच में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो शेष अवधि के लिये उसके आश्रितों को एक हजार रुपया मिलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि महंगाई की स्थिति को देखते हुए एक हजार रुपया प्रतिमाह कम है तो क्या माननीय मंत्री जी इस राशि को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ धनराशि मिलाकर बढ़ाने पर विचार करेंगे?

दूसरा मान्यवर, जो यात्रा के लिए कूपन मिला है, वह अब सभी जगह चाहे बस हो, चाहे रेल हो, उसमें किराया बढ़ गया है, तो मान्यवर, क्या बढ़े हुए किराये के अनुसार पत्रकारों को वह धनराशि देने पर विचार करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जहां तक बस और रेलवे के भाड़े का सवाल है, यह योजना अभी 24 सितम्बर, 1991 से लागू की गयी है, लेकिन जो उन्होंने पहला प्रश्न किया कि एक हजार की राशि बढ़ा दी जाय, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह योजना 24 सितम्बर, 1991 से लागू की गयी है, यह योजना लागू करके इसके परिणाम देखेंगे, तब इस पर विचार करेंगे। यह योजना पहली बार इस प्रदेश में लागू की गयी है। इस योजना की जगह-जगह पर सराहना हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

क्या अब तक किसी पत्रकार संगठन ने एक लाख रुपये से अधिक की वृद्धि करने की मांग की है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अभी तो शायद नहीं मांग की गयी है।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पत्रकारों की सुविधाओं के लिए जो घोषणा की है, क्या वह लागू हो चुकी है या लागू की जानी है और यदि लागू की जानी है, तो वह कब से लागू की जानी है?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस सरकार के सत्ता में आने के तुरन्त बाद 24 सितम्बर, 1991 को इसे लागू किया गया और उसके आवेदन-पत्र की तिथि 29 फरवरी, 1992 रखी गयी है। ये सब आवेदन-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से आयेंगे। इसको लागू करने के बाद इसका क्या परिणाम होता है, सभी परिस्थितियों पर विचार करेंगे। शासन की नीति पत्रकार बंधुओं को अधिक से अधिक सुविधा, भविष्य की सुरक्षा देने की योजना है, उसी नीयत से हम काम कर रहे हैं।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जैसा माननीय प्रमोद तिवारी ने प्रश्न किया कि इस मंहगाई में एक हजार रुपये की सीमा कम है, क्या माननीय मंत्री जी इसे कम समझते हैं या नहीं? इसको भी जरा स्पष्ट कर दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं बनता।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि हमारे प्रदेश में कितने पत्रकार हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है।

**( उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)**

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति एवं सुधारों पर शासन का विचार**

*1.-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वर्तमान नीति क्या है और उनमें किन-किन सुधारों पर शासन विचार कर रहा है?

खाद्य एवं रसद, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)-

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की नीति उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर अंकित यूनिट की संख्या के आधार पर खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का यथा सम्भव वितरण किया जाना है। गेहूँ, चावल, चीनी एवं मिट्टी का तेल का वितरण की निर्धारित दरें निम्नलिखित है :-

| **मैदानी क्षेत्र** | **पर्वतीय क्षेत्र** |
|---|---|
| गेहूँ 8 किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह | 10 किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह |
| चावल 6 किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह | 8 किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह |
| **चीनी-** शहरों में एक किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह। | एक किग्रा0 प्रति यूनिट प्रतिमाह। |
| गांव में 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह। | |
| **शहरी क्षेत्र** | **ग्रामीण क्षेत्र** |
| **मिट्टी का तेल-** 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह। | 5 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह। |

जन वितरण व्यवस्था को और सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए ग्राम सभा स्तर पर ग्राम प्रधान के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति बनाने के आदेश दे दिये गये हैं। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के वितरण पर दृष्टि रखने व ऐसे वितरण को प्रमाणित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है।

2. इसी प्रकार ब्लाक एवं जिला स्तर पर भी सतर्कता समितियां बनायी गयी हैं जो जन वितरण व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखेंगी।

3. राशन के दुकानदारों को उनके दुकान पर ही राशन उपलब्ध हो जाय और इसके लिए उन्हें विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े इस हेतु

प्रदेश के 19 नगरों में डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू की गयी है जो राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है ।

4. प्रत्येक जनपद में खाद्यान्नों एवं चीनी के साथ-साथ उठान एवं वितरण तथा दुकानदारों द्वारा खाद्यान्नों की उठान की अन्तिम तिथि प्रत्येक माह की 21 तारीख निर्धारित कर दी गयी है जिससे माह के अन्तिम दिनों में अनावश्यक रूप से उपभोक्ताओं को भागदौड़ न करना पड़े एवं उनके राशन कार्ड पर अनुमन्य सामग्री उन्हें निश्चित रूप से मिल जाय ।

जन वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ना प्रारम्भ करने पर)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, इसका उत्तर बड़ा लम्बा है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी को उत्तर पढ़ने दें, इससे माननीय सदस्यों को जानकारी हो जायेगी क्योंकि कुछ लोगों को एजेन्डा नहीं मिला है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है?

(व्यवधान)

(लिखित उत्तर पढ़ा गया)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वितरण प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए जो संगठनिक ढांचा प्रस्तुत किया है ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर, और जिला स्तर का तो मैं यह जानना चाहूँगा कि यह संगठनिक ढांचे सदस्यों के मनोनयन की कौन सी नीति तय की गयी है?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, हर गाँव में ग्राम प्रधान के अलावा 2 उसी ग्राम सभा के नागरिकों को उसमें मनोनीत करने के लिए जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है । इसी प्रकार ब्लाक लेबिल के ऊपर सतर्कता समिति गठित करने के लिए उसी क्षेत्र के, उसी ब्लाक के 7 नागरिकों को जिलाध्यक्ष द्वारा (शोर) मैं क्षमा चाहता हूँ जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा । इसी प्रकार हर जिले में

एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है ।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जब अभी उत्तर दे रहे थे तो उसमें जो समितियां बनायी जानी हैं उनके सदस्यों के मनोनयन की सच बात कह दी, वह जिला अध्यक्ष उनकी पार्टी के हैं ।

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया जिलाधिकारी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि शहरों में जो चीनी दी जानी है वह एक किलोग्राम प्रति यूनिट ...

श्री जागेश्वर प्रसाद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, जागेश्वर जी जो कहेगें, नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, शहरों के बारे में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूँ कि शहरों के लिये इस सरकार की यह नीति है कि एक कि0ग्रा0 प्रति यूनिट प्रति माह शक्कर की और गांव के लिये 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह । इसी तरह से मिट्टी के तेल के संबंध में नीति है शहरों में 10 लीटर प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्र में 5 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रति माह । मान्यवर, आप भी सहमत होंगे कि देहाती क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं है वहां मिट्टी के तेल की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है । तो क्या यह जो शक्कर और मिट्टी के तेल के वितरण के संबंध में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विभेद है, क्या उसे सरकार दूर करने का विचार करेगी?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, यह जो मानक अभी मैंने सदन के सामने रखे यह मानक सन् 1982 से चले आ रहे हैं ...

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार इस विभेद को दूर करेगी?

श्री एजाज रिजवी-

1982 से बराबर यही मानक चले आ रहे हैं। केन्द्र सरकार से हमें आवंटन कम है, केन्द्र सरकार से हमने आग्रह किया है कि आवंटन बढ़ा दें। अगर आवंटन बढ़ जाय तो कुछ विचार करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

जो विभेद है उसको दूर करने की बात पूछ रहा हूँ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया कि आपूर्ति कम है, केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया है कि आपूर्ति बढ़ा दें।

डा0 जी0 एस0 विनोद-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि यह मानक काफी समय से चला आ रहा है। रोटी का नारा देकर जो यह सरकार बनी है, क्या वर्तमान सरकार उसमें संशोधन करेगी?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जिस तरह से आप उठा रहे हैं, उस तरह से प्रश्न बनता नहीं।

श्री ऊदल-

जो जिला स्तर पर खाद्य सलाहकार समिति या निगरानी समिति बनायी जा रही हैं या बना दी गयी हैं, उनके सदस्य क्या एम0 एल0 ए0, एम0एल0सी0, एम0पी, जिला परिषद् के अध्यक्ष होंगे या कौन होंगे, सरकार ने उसके लिये क्राइटेरिया निश्चित किया है?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, खाद्य परामर्श समिति और सतर्कता समिति के लिये समाज के सभी वर्गों से लोगों को लिये जाने के लिये हिदायत दी गयी है और यह काम जिले के अधिकारी को सौंपा गया है। वहां गांव सभा के दो और ब्लाक के 7 इस तरह से आदमियों को लिया जा रहा है।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मानक निर्धारित किया गया है मिट्टी का तेल और चीनी के वितरण के सम्बन्ध में क्या उन मानकों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी का तेल और चीनी की आपूर्ति की जा रही है । मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्र महराजगंज की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । मेरे क्षेत्र महराजगंज में ग्रामीण क्षेत्रों में मानकों के अनुसार मिट्टी का तेल और चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है, तो यह क्यों नही किया जा रहा है?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, हम इस मानक के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में चीजों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न का उत्तर नहीं है । मेरा प्रश्न दूसरा है यह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं । मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में क्यों नहीं मानक के आधार पर चीजों का वितरण किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जहां पर कुकिंग गैस की स्थापना है वहां पर 10 लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है परन्तु जहां पर कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर भी 10 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जा रहा है । वहां पर 20 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न क्या है यह स्पष्ट करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि शहरी क्षेत्रों में जहां कुकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर मिट्टी का तेल 10 लीटर प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है परन्तु जहां पर इस तरह की सुविधा नहीं है वहां पर भी 10 लीटर प्रति राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि वहां पर 20 लीटर

प्रति कार्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष-

यह सुझाव है प्रश्न नहीं है ।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो परामर्शदात्री समिति बनी है उसमें बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिये जिलाधिकारियों द्वारा मनोनयन करना उचित होगा और क्या इससे हमारे नागरिक अधिकारों की हत्या नहीं होगी । मान्यवर, यह जो तरीका अपनाया जा रहा है इससे बड़ी अव्यवस्था पैदा होगी । यह एक बड़ा ही जटिल प्रश्न है । यह प्रश्न महंगाई से जुड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न से कुल मिलाकर इतनी बात निकलती है कि क्या यह जो समितियां बनाई जा रही हैं, उसमें जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, इन सभी सलाहकार समितियों में क्षेत्रीय विधायक एवं क्षेत्रीय सांसद भी शामिल रहेगें ।

श्री श्याम नारायण-

मान्यवर, इस पर आप चर्चा करा दें । माननीय मंत्री जी अपनी घोषणा को भी वापस ले लें, जो इन्होनें कहा है कि मनोनयन होगा । अगर ऐसा नहीं होगा, तो मैं सदन का त्याग करता हूँ ।

(श्री श्याम नारायण ने सदन का त्याग किया)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो यह सलाहकार समितियां बनाई जा रही हैं, इसमें जो व्यक्तियों को नामित करने की बात कही गयी हैं, उनको क्या बी0डी0सी0 द्वारा चुना जायेगा या विधायक नामित करेगा अथवा जिलाधिकारी किस आधार पर करेगा, इसका मापदंड क्या है । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट पर राशन की दुकानों से कितना-कितना राशन

देने की मात्रा निर्धारित की गयी है?

श्री अध्यक्ष-

आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले आ चुका है, पहले प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, प्रश्न दोहरवा दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मनोनयन किये जाने वाले व्यक्तियों को चुनने का मापदंड क्या होगा?

श्री एजाज रिजवी-

यह जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ दिया गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप जिलाधिकारी को इस बात का निर्देश देगें कि मनोनयन करते समय वह विधायक और सांसद की भी राय जान लें।

श्री एजाज रिजवी-

मान्यवर, जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि वह उनसे परामर्श करेंगे।

(श्री श्याम नारायण, श्री सुरेन्द्र नाथ आदि माननीय विधायकों के हाऊस के वेल में आने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है। इसलिए आप लोग कृपापूर्वक अपने-अपने आसन पर चले जायें।

(श्री श्याम नारायण व श्री सुरेन्द्र नाथ जी के साथ आये हुए सभी विधायक अपने-अपने आसन पर वापस चले गये)

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, मैं इस संबंध में शासन की नीति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। यह शासन पूरी तरह से पारदर्शी है। कोई भी चीज हम छिपाकर नहीं करना

चाहते हैं । लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का अपना एक स्थान है, उनका अपना एक सम्मान है । इस प्रकार की निगरानी समितियों में जन प्रतिनिधियों से परामर्श करके ही मनोनयन किया जायेगा । यह मैं आज आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ । सार्वजनिक वितरण प्रणाली चुस्त-दुरुस्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, लोगों को सही मात्रा में, सही समय पर और सही मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं । निगरानी की दृष्टि से हम चाहते हैं कि कहीं उस वितरण प्रणाली में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है, सभी पक्षों को चैक करने का अधिकार हो । हम जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भेज देंगे कि जन प्रतिनिधियों से परामर्श करके ही निगरानी समितियों का गठन करें । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान चूँकि निर्वाचित प्रतिनिधि है, इसलिए उसे रखा गया है । गांव सभाओं में भी जो शेष सदस्य होंगे निर्वाचित , उनमें से ही रखा जाय । आवश्यकता पड़ी तो हम एक-दो और जोड़ देंगे । इस नाते जन प्रतिनिधियों का सम्मान भी रहेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी एक बात और स्पष्ट कर दें । वैसे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है । मैं यह चाहता हूँ कि जो यहां पर जन प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, उनके क्षेत्र में चाहे वह खाद्यान्न समिति हो, चाहे साधन सहकारी या सलाहकार समिति हो, चाहे कोई भी समिति हो, उन समितियों में मनोनयन के लिए निर्वाचित जन प्रतिनिधि के सुझाव को अन्तिम माना जायेगा, इसका आश्वासन माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कह रहा था कि ऐसे नियम बनाये जांय कि जिस क्षेत्र का विधायक हो, उसके अपने क्षेत्र में जो भी समिति बने, उसमें उस विधायक के सुझाव को अन्तिम माना जाय और उसकी एक प्रति जिलाधिकारी से मंगवाकर हम और आपको भी दी जाय । दूसरी चीज, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और माननीय खाद्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं सम्पूर्ण विपक्ष की ओर से खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज वह लोग सच

बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह पारदर्शी हैं, ट्रान्सपैरेन्ट हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री जी में आर0एस0एस0 और विश्व हिन्दू परिषद् का ट्रान्सपैरेन्ट दिखाई देता है।

श्री अध्यक्ष-

नत्थी 'ग' माननीय राम आसरे वर्मा।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक स्पष्टीकरण इस सदन को दिया। प्रमोद तिवारी जी ने कुछ सुझाव दिये। जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने कहा, यह सभी सम्मानित सदस्यों की गरिमा और परम्परा की बात है, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों और चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, जिस क्षेत्र से वह चुनकर आते हैं उनकी राय ली जाये, जैसे विकास कार्यों में उनकी सहमति अनिवार्य रूप से ली जाती है और जब जनता दल का शासन था तो यह किया गया था कि जहां पर हैंड पाइप लगाये जायेंगे, वहां पर जन प्रतिनिधियों से पूछ कर लगाये जायेंगे।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, जो माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, वह उस जी0 ओ0 को देख लें, तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी। मेरा केवल यह कहना है कि जो आशंका है, वह इस बात से है कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जो अखबारों में छपा था, कि जो राशन की दुकाने हैं, उनका जब नवीनीकरण किया जायेगा जो आर0 एस0 एस0 के लोगों को ही कोटा दिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री एजाज रिजवी-

यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें। माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं। यह शालीनता की बात नहीं है। व्यवधान न करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं और यह आप लोगों के लिये भी है, केवल एक पक्ष की बात नहीं है, मैं पूरे विधान सभा के

सत्ता पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों की बात कह रहा हूं। यह अनिवार्य रूप से होना चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कह दी कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जायेंगे कि वह विधायकों से परामर्श कर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के निर्देश दिये जाने चाहिये कि विधायकों के जो सुझाव हों, उनको अनिवार्य रूप से माना जायेगा। यही माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा कर दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ इसमें कहना चाहेंगे।

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, दो बातें सामने आई हैं। एक तो यह कि पुराने लाइसेंसेज को निरस्त करके नये लाइसेंस देने वाली बात है। तो आप सब सहमत होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करेंगे तो जो कुछ कोटा मिल रहा हैं वह भी लोगों तक नहीं जाने पायेगा। उस पर मैं कुछ कहूँगा तो फिर श्री प्रमोद तिवारी जी कुछ कहेंगे। तो जो कुछ मिल रहा है उसके वितरण की दृष्टि से वितरण प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा और उसे भ्रष्टाचार से मुक्त भी करना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राजनीतिक कारणों से कोटा निरस्त नहीं करेंगे बल्कि गलत आदमी को कोटा नहीं दिया जायेगा। हम देखेंगे कि पिछली पृष्ठभूमि क्या है और आगे वितरण प्रणाली में कितना अच्छा योगदान कर सकते हैं ताकि एक-एक दाना सही ढंग से बट जाय।

दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिये जायेंगे कि जन प्रतिनिधियों से परामर्श करके निगरानी समितियों का गठन करें। मैं कहना चाहता हूं पूरा-पूरा न कहियेगा ब्लौक स्तर पर आपके क्षेत्र में जो ब्लौक आता हो 5 हमारे विवेक पर और दो आप जिसको कहियेगा।

(व्यवधान)

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

हम इसके विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

---

नोट-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है इसमें दो बातें विचारणीय हैं पहली बात यह है कि

श्री अध्यक्ष-

माननीय कैलाशनाथ सिंह जी इस पर अब स्पष्टीकरण न करें प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मैं दो तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं । 31 मार्च सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाईसेंस के लिये रखा है उसके बाद क्या होगा कैसे कार्य होगा उसका संज्ञान इससे नहीं होता है। यह आशंका बलवती है कि 31 मार्च के बाद किन लोगों को लाइसेंस दिया जायेगा।

दूसरी बात जल निगम द्वारा जो ब्लाक्स पर हैंडपम्प लगाने की व्यवस्था है उसमें ब्लाक से लिख कर आता हैं कि यहां पर हैंडपम्प लगाने की व्यवस्था हो गयी है उसमें चौहदी लगाने के लिये विधायक से पूछा जाता है मेरे पास, मेरे अपने ब्लाक से आया है जगह तक तय हो गया है। जब तय हो गया कि कहां पर लगाना है फिर चौहदी के लिये विधायक से पूछा जायेगा। तो यह तो झगड़ें में डालने वाली बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर लेंगे।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बात कही कि 5 हमारी तरफ से और 2 आपकी तरफ से । तो मैं कहूंगा कि इसे रिवर्स कर लें 5 हम लोगों की तरफ से और 2 आपकी तरफ से उन समितियों में हो।

(व्यवधान)

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् जो बात यहां पर कही गयी नेता विरोधी दल ने भी कही उसी पर कहना चाहता हूं (व्यवधान)

---

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी अब आप बैठें, अब आप लोग शांत रहे, मैंने मद संख्या-3 पुकार लिया है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जनप्रतिनिधियों के परामर्श से समितियों का गठन किया जायेगा तो मुझे उसी से संतुष्टि है । लेकिन आश्चर्य है कि वह एक ऐसी पार्टी में चले गये हैं जिससे कह रहे हैं कि 5 हमारे लिये छोड़ दें और 2 उनको दे रहे हैं ।

**जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच प्रवाहित गंगा नदी पर प्रशासनिक नियंत्रण**

*2-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच गंगा नदी पर हरदोई सीमान्तर्गत होते हुए भी, फर्रुखाबाद से प्रशासनिक नियंत्रण सम्पन्न कराये जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)-

जिलाधिकारी, हरदोई, द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार जनपद हरदोई और फर्रुखाबाद के बीच प्रवाहित गंगा नदी वर्तमान समय में हरदोई जनपद की सीमा के अन्तर्गत है और इस सीमा अन्तर्गत क्षेत्र में सामान्य प्रशासकीय नियंत्रण हरदोई जनपद से हो रहा है ।

एक मामला गंगा नदी पर निर्मित मेंहदीघाट पुल का है । यह पुल हरदोई जनपद के ग्राम कटरी तेरवा कुल्ली में स्थित है, व पुल का कुछ अंश फर्रुखाबाद की सीमा में भी आता है । इसका प्रशासनिक नियंत्रण लोक निर्माण विभाग फर्रुखाबाद द्वारा किया जाता है ।

जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से प्राप्त सूचनानुसार उक्त पुल ग्राम कटरी मेंहदीपुर तहसील कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में स्थित है । यह ग्राम फर्रुखाबाद का राजस्व ग्राम है । जिसके कारण इसका निर्माण/रख-रखाव जनपद फर्रुखाबाद के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है ।

**ग्राम ढाका, ब्लाक-पलिया, तहसील निघासन जनपद खीरी में कथित 'आर्य फार्म' के पास फर्जी नामों से हजारों एकड़ भूमि को सीलिंग एक्ट में लिए जाने की मांग**

*3-श्री निर्वेन्द कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में " आर्य फार्म" ग्राम ढाका, ब्लौक पलिया, तहसील निघासन, जनपद खीरी के पास फर्जी नामों से हजारों एकड़ भूमि हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फार्म की सीमा से अधिक भूमि को सीलिंग ऐक्ट में लेकर भूमिहीनों में वितरित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

राजस्व अभिलेखों में आर्य फार्म के नाम से कोई इन्द्राज नहीं था और न ही इस समय है। अतः " आर्य फार्म" के पास फर्जी नामों से हजारों एकड़ भूमि उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**(गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)**

**अक्टूबर, 1991 में भूकम्प से प्रभावित पर्वतीय क्षेत्र के जिले एवं दी गई राहत सामग्री**

*1-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम ललित चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 1991 के भीषण भूकम्प से पर्वतीय क्षेत्र के कौन-कौन जिले प्रभावित हुए और उनमें जन-धन की कितनी हानि हुई तथा राहत के रूप में नकद अथवा सामान के रूप में राहत हेतु कितनी धनराशि वितरित की गई ?

श्री ब्रह्मदत्त-

दिनांक 19/20 अक्टूबर, 1991 को आये भूकम्प से पर्वतीय क्षेत्र के जनपद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, चमोली, देहरादून, पौड़ीगढ़वाल व नैनीताल प्रभावित हुए। भूकम्प से 768 व्यक्तियों व 3095 पशुओं की मृत्यु हुई तथा 5066 व्यक्ति घायल हुए। पूर्णरूप से 20184 व आंशिक रूप से 79211 मकान क्षतिग्रस्त हुए। भूकम्प प्रभावित व्यक्तियों को 49.76 करोड़ रुपये की धनराशि नकद अथवा सामान के रूप में अब तक वितरित की जा चुकी है। क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न विभागों को अब तक 29 करोड़ रु0 दिये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा इस मद में 153.44 करोड़ रुपये व्यय किये जाने की प्रतिबद्धता है।

## उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ से कानपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग को विकसित करने की मांग

*2-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 की राजधानी लखनऊ से कानपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर बढ़े वाहन दबाव/रोजमरा की दुर्घटनाओं से होने वाली जनधन की क्षति से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए बनी सहरावाँ मिरीकला-पुरवा अचलगंज मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग के बाई पास के रूप में विकसित करने की योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो बनी सहरावाँ मिरीकला-पुरवा अचलगंज-कानपुर रोड को बाई पास के रूप में विकसित करने पर कुल कितना खर्च आयेगा और राष्ट्रीय राज मार्ग का वाहन दबाव कम करने के लिए इतनी धनराशि खर्च करने में सरकार को क्या दिक्कतें हैं?

लोक निर्माण मंत्री (डा0 सरजीत सिंह डंग)-

जी नहीं।

यदि इस मार्ग को बाईपास के रूप में 3 मी0 लेपन स्तर पर विकसित किया जाए तो अनुमानित लागत रु0 130 लाख होगी और यदि इसे राष्ट्रीय मार्ग के यातायात योग्य दो लेन चौड़ा बनाया जाए तो लगभग रु0 400 लाख लागत आएगी। सीमित संसाधनों के कारण वर्तमान में यह कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

## उत्तर काशी में आये भूकम्प से हुई जन-धन की क्षति का विवरण एवं विकास कार्यों का पुनरावलोकन करने की मांग

*3-श्री भारत सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर, 1991 को आये भूकम्प से हुई जन-धन की क्षति का विवरण क्या है? भूकम्प पीड़ितों को तत्काल सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा राहत कार्य कब प्रारम्भ किये गए? क्या सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के भूकम्पीय रेखा में होने वाले क्षति को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र के विकास कार्यों का पुनरावलोकन करायेगी? यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब तक?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

दिनांक 20 अक्टूबर, 1991 को आये भूकम्प से जनपद उत्तरकाशी में 703 मनुष्य व 3000 पशुओं की मृत्यु हुई, 4678 व्यक्ति घायल हुए। 14544-मकान पूर्णरूप से तथा 24812 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। राहत

कार्य तत्काल आरम्भ कर दिया गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का पुनरावलोकन किया जाना शासन के विचाराधीन नहीं है।

*4-श्री उदय प्रताप सिंह-

(मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।)

*5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त)

**वाराणसी महानगर में निर्धारित दर की दुकानों पर मिट्टी के तेल की किल्लत एवं लघु उद्योग इकाइयों हेतु मिट्टी के तेल का कोटा जारी किया जाना**

*6-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को यह जानकारी है कि वाराणसी महानगर में निर्धारित दर की दुकानों पर मिट्टी के तेल की भयंकर किल्लत है? क्या लघु उद्योग इकाइयों को आपूर्ति विभाग द्वारा मिट्टी के तेल का कार्ड जारी न करने से भी कालाबाजारी को प्रोत्साहन अधिक मिल रहा है? यदि हां, तो क्या लोगों को निर्धारित दर पर मिट्टी के तेल उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कदम अविलम्ब उठाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

वाराणसी महानगर में निर्धारित दर की दुकानों पर मिट्टी के तेल की किल्लत नहीं है। लघु उद्योग इकाइयों को आपूर्ति विभाग द्वारा महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति के आधार पर आवश्यक जांचोपरान्त मिट्टी के तेल का कोटा कार्ड जारी किया गया है।

**ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की भांति उपभोक्ता वस्तुयें वितरित किये जाने की मांग**

*7-श्री सुरेश प्रताप गांधी तथा श्री दलवीर सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत क्या शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को एक कि0ग्रा0 चीनी प्रति यूनिट तथा 10 लीटर मिट्टी का तेल एक राशन कार्ड पर एक माह में दिया जाता है? क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को मात्र चौथाई कि0 ग्रा0 चीनी प्रति यूनिट/प्रति माह तथा 5 लीटर मिट्टी का तेल प्रत्येक राशन कार्ड पर एक माह में देने से उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है और उन्हें बाजार से महंगे मूल्य की चीनी खरीदनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के गरीब उपभोक्ताओं को भी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बराबर-

मात्रा में उपभोक्ता वस्तुयें वितरित किये जाने की व्यवस्था करायेंगे?

**श्री एजाज रिजवी**

जी हाँ। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को एक कि0 ग्रा0 चीनी प्रति यूनिट प्रति माह तथा दस लीटर मिट्टी तेल प्रति राशन कार्ड सामान्य श्रेणी एवं पांच लीटर प्रति राशन कार्ड जिनके पास एल0पी0जी0 के कनैक्शन हैं कि दर निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 250 ग्राम चीनी और 5 ली0 मिट्टी तेल की दर निर्धारित है।

भारत सरकार द्वारा लेवी चीनी तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति प्रदेश की आवश्यकता से काफी कम होने के कारण इस अन्तर को समाप्त किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कोटे में वृद्धि न किये जाने के कारण इन दोनों वस्तुओं का वर्तमान कोटा प्रदेश की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है।

**कार्यालय निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार के अन्तर्गत जीप चालकों की नियुक्ति एवं वेतन दिये जाने की मांग**

*8-श्री दौलत राम-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के पत्र संख्या-1133 सी0 बाल वि0 परि0 91-92 दिनांक 1 जुलाई, 1991 द्वारा मंत्री जी के आदेशानुसार लगभग 140 जीप-चालकों की नियुक्तियां प्रदेश भर में की गई थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपर्युक्त आदेशानुसार नियुक्त जीप चालकों को उनका वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? उक्त कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के आदेश दिनांक- 18.6.91 द्वारा 140 जीप चालकों के तदर्थ नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

नियुक्तियां नियमानुसार न होने के कारण टेलेक्स दिनांक- 22.6.91 के द्वारा योगदान न कराने के आदेश दिये गये थे इसलिये वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्तियां नियमानुसार न किये जाने के कारण तत्कालीन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का विभाग से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया तथा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

जिन चालकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से वेतन भुगतान करने व सेवा में बने रहने के आदेश प्राप्त किये गये, उनके विषय में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद जालौन में हुए अग्निकांड में मृतकों के आश्रितों एवं दुकानदारों को दी गई आर्थिक सहायता**

*9-श्री श्रीराम (जालौन)-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के नगर जालौन में दिनांक 11-10-91 को घटित भीषण अग्निकाण्ड में 9 व्यक्तियों की जल कर मृत्यु हुई तथा 29 दुकानों की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी? यदि हां, तो क्या सरकार मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायतार्थ मुख्यमंत्री कोष से आर्थिक सहायता राशि दिलायेगी ? यदि हां, तो प्रति मृतक कितनी-कितनी तथा जिन 29 दुकानदारों की दुकानें मय समान जलकर भस्म हो गयी हैं उनको किसी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता या अनुदान दिया जायेगा? यदि हां, तो प्रत्येक दुकानदार को कितना-कितना? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या मृत व्यक्तियों की विधवाओं को शासकीय नौकरी में जीविकोपार्जन हेतु लिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। जनपद जालौन के जालौन नगर में दिनांक 11.10.91 को हुए अग्निकांड में 9 व्यक्तियों की जलकर मृत्यु हुई थी तथा 32 दुकानों का सामान जल गया था।

जी हाँ। अग्निकांड से मृत 9 व्यक्तियों के आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा रुपये 10,000/- प्रत्येक की दर से अनुग्रह अनुदान का वितरण किया गया तथा मा0 मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष से स्वीकृत अनुदान रुपया 87,000/- में से प्रत्येक मृतक के आश्रित को रु0 2000 की अतिरिक्त सहायता धनराशि वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त इस स्वीकृत अनुदान में से निम्नानुसार वितरण किये जाने की व्यवस्था की गई है :-

(1) अग्निकांड में एक लाख रु0 के ऊपर क्षति से प्रभावित 5 व्यक्तियों को रु0 5000/- प्रति की दर से कुल रु0 25,000/-

(2) रु0 50,000/-एवं एक लाख रु0 के मध्य क्षति वाले चौदह व्यक्तियों को रु0 2500/- प्रति की दर से रु0 कुल 35,000/-

(3) रु0 5000/- से कम परन्तु न्यूनतम रु0 10,000/- की क्षति वाले 9 व्यक्तियों को रु0 1000/- प्रति की दर से कुल रु0 9000/-

ऐसे मामलों में शासन द्वारा नौकरी दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

**बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत मुख्य सेविका हेतु ली गयी परीक्षा का परिणाम**

*10-श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा श्री राम औतार शाक्य-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत 25 दिसम्बर, 1990 को मुख्य सेविका हेतु ली गयी परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है? विलम्ब के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? परीक्षा परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

नियुक्ति/भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध के कारण परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-बीस/1/91-कार्मिक-2-91, दिनांक 26 सितम्बर, 1991 के प्राविधानों के अनुसार चयन की उक्त की गई कार्यवाही निरस्त की गई है। प्रश्न नही उठता।

**समाज कल्याण अधिकारी जनपद देवरिया द्वारा कथित फर्जी विधवा पेंशन की धनराशि हड़पने की शिकायत एवं कार्यवाही**

*11-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया के विकास खण्ड पत्थरदेवा के कण्ठीपट्टी विशुनपुरा बाजार, शाहपुरशुक्ल, महुआरी, बघड़ा, देवघाट आदि दर्जनों ग्रामों की सधवा औरतों को भी समाज कल्याण अधिकारी देवरिया द्वारा विधवा पेंशन दिये जाने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों के फर्जी मुहर एवं दस्तखत द्वारा संस्तुति प्राप्त करके विधवा पेंशन स्वीकृत करके उक्त धन को स्वयं हड़प लेने की भी शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इन शिकायतों की स्थानीय जांच करायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

जांच प्रगति पर है।

**प्रदेश सरकार द्वारा सभी गांवों को कच्ची सड़कों द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ने की मांग**

*12-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रदेश के हर गांव को कच्ची सड़क द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो कब तक सरकार प्रदेश के सभी गांवों को कच्ची सड़कों द्वारा पक्की सड़कों से जोड़ देगी?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद शाहजहाँपुर में मार्केटिंग विभाग द्वारा चावल की खरीद एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसे उठाने से मना किया जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

*13-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1990-91 में कितना चावल मार्केटिंग विभाग द्वारा खरीदा गया? क्या यह सही है कि उक्त चावल निम्न कोटि का खरीदा गया जो कि एफ0 सी0 आई0 ने उठाने से मना कर दिया? यदि हां, तो सरकार द्वारा लगाये करोड़ो रुपयों के व्यय के लिये कौन जिम्मेदार हैं? क्या इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1990-91 में मार्केटिंग विभाग द्वारा कुल 1,41,307 मी0 टन लेवी चावल खरीदा गया था।

जी नहीं। कुल खरीदे गये 1,41,307 मी0 टन चावल में से 1,36,150 मी0 टन चावल एफ0 सी0 आई0 द्वारा उठा लिया गया था और शेष 5,157 मी0 टन चावल भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा उठाने से मना नहीं किया गया बल्कि पर्याप्त संभरण व्यवस्था के अभाव में उनके द्वारा उठाया नहीं जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद हमीरपुर में यमुना नदी पर बने इन्द्रा सेतु एवं बेतवा नदी पर बने संजय सेतु पर विभागीय पथकर वसूली से राजस्व की हानि की जानकारी**

*14-श्री शिव चरन प्रजापति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में यमुना नदी पर इन्द्रा सेतु एवं बेतवा नदी पर बने संजय सेतु पर पथकर वसूली के लिये विभाग द्वारा नीलामी के लिये कोई प्रयास किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि विभागीय वसूली से शासन को राजस्व की हानि हो रही है? यदि हां, तो किन कारणों से?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां। विभाग द्वारा उक्त दोनों ही पुलों की नीलामी के प्रयास किये गये परन्तु इन दोनों मामलों के मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण ठेका देने की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

ठेकेदारी प्रथा की तुलना में विभागीय वसूली में व्यवस्थापन व्यय आदि के कारण राजस्व में कमी होना स्वाभाविक है।

**जनपद मेरठ के ग्राम गाँगनौली तथा असारा के पास कृष्णा नदी पर तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा घोषित पुल को न बनाने के कारण**

*15-श्री कटार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ बरनावा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम गांगनौली तथा असारा के पास कृष्णा नदी पर, रमाला शुगर फैक्टरी को जोड़ने हेतु एक पुल बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 1990 में की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोषित पुल को शीघ्र बनवाने हेतु कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण अपूर्ण पुलों के निर्माण को वरीयता दी जा रही है। अतः प्रश्नगत पुल को बनवाना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण।

**लोक निर्माण विभाग में समूह "ग" तृतीय श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रोन्नति करने की मांग**

*16-श्री राम चरित्तर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 39 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग में शासनादेश संख्या-37/1/1969-कार्मिक-2, दिनांक 31-8-82 के अन्तर्गत पात्रता के अन्तर्गत आने वाले समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) के पद कर्मचारियों की प्रोन्नति समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) के पद पर कब से नहीं की गयी हैं? इस समय कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो उक्त पद प्रोन्नति हेतु पात्र हैं? इनकी प्रोन्नति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1983 के पश्चात से प्रश्नगत प्रोन्नतियां नहीं की गई।

तीन।

समूह "ग" (तृतीय श्रेणी) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कोटा पूर्ण है। अतः इनकी प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत रिक्त उपलब्ध होने तथा इनके द्वारा अन्य शर्तें पूर्ण करने पर निर्भर करती है।

**हलर चावल मिलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवं उपयोग**

*17-श्री सत्य देव पचौरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1984-85 में प्रदेश की हलर चावल मिलों के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग द्वारा एक सब्सिडी योजना स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो इस मद में वर्ष (1990-91) तक केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा स्वीकृत धनराशि के सम्मुख कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया? शेष धनराशि के उपयोग हेतु शासन ने क्या योजना तैयार की है?

श्री एजाज रिजवी-

हलर मिलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 तक कुल 14,95,000 रुपये की धनराशि निम्न प्रयोगार्थ स्वीकृत की गयी:-

| | धनराशि |
|---|---|
| 1. प्रदर्शन ईकाइयों की स्थापना हेतु | 1,50,000-00 |
| 2. गोष्ठियों के आयोजन हेतु | 50,000-00 |
| 3. आधुनिकीकृत हलरों को अनुदान के भुगतान हेतु | 12,95,000-00 |

इसमें से कुल 5,52,500 रुपये का उपयोग किया जा चुका है । शेष 9,42,500 रुपये की धनराशि जो आधुनिकीकृत हलरों के अनुदान से सम्बन्धित है उपयोग के लिये अवशेष है ।

हलरों के आधुनिकीकरण में एक बाधा आधुनिकीकरण के बाद उनके द्वारा चावल पर लेवी देय हो जाना पाया गया । अतः शासन द्वारा आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि आधुनिकीकृत हलरों से आधुनिकीकरण के पांच वर्ष तक कोई लेवी देय नहीं होगी ।

**महोबा कस्बे को जिला बनाये जाने की मांग**

*18-श्री बादशाह सिंह-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हमीरपुर जिले के महोबा कस्बे को पृथक जिला बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो महोबा में जिला मुख्यालय में होने वाले सभी प्रमुख कार्यालय पहले से ही होने के बाद भी महोबा को जिला बनाये जाने में विलम्ब होने का क्या कारण है? क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में महोबा को जिला बनाये जाने की घोषणा करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**कानपुर-उन्नाव के मध्य जाजमऊ के समीप गंगा नदी पर पुल निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी एवं आने जाने वालों से एकत्रित शुल्क का विवरण**

***19-श्री भगवती सिंह विशारद-**

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर-उन्नाव के मध्य जाजमऊ के समीप गंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब पूरा हो गया था और कब से आगमन हेतु खोला गया? इस पुल के निर्माण में कुल कितनी लागत लगी है? अब तक इस पुल के पार जाने-आने का कुल कितना शुल्क एकत्र हुआ है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

कानपुर-उन्नाव के मध्य जाजमऊ के समीप गंगा नदी पर स्थित सेतु दिनांक 22-1-77 को तैयार हुआ था एवं उसी दिनांक को आवागमन हेतु खोला गया था ।

प्रश्नगत सेतु रु0 445.98 लाख की लागत से बना है ।

उक्त पुल से आने-जाने वालों से रु0 537.78 लाख की वसूली हो चुकी है।

**पिछली विधान सभा के चुनावों के आस-पास पिछली सरकार द्वारा पेरोल पर छोड़े गये अपराधियों की संख्या**

*20-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली विधान सभा के चुनावों के आस-पास तत्कालीन सरकार ने कितने अपराधियों को पैरोल पर छोड़ा? क्या यह सत्य है कि पैरोल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी यह अपराधी अभी तक जेल वापस नहीं आये हैं तथा प्रदेश में अपराध कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें पकड़ने की क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री उमानाथ सिंह)-

अप्रैल 91 से जून 91 की अवधि में उत्तर प्रदेश की कारागारों से कुल 113 बन्दियों को पैरोल पर छोड़ा गया था।

पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद 71 बंदी समय से वापस कारागार में आ गये थे तथा 36 बंदी पैराल अवधि समाप्ति के पश्चात बिलम्ब से कारागार में हाजिर हुए हैं। 6 बंदी अभी पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद भी कारागार में उपस्थित नहीं हुए हैं। इनके अपराधों में लिप्त होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इन बन्दियों को जेल में हाजिर कराने के लिये संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधीक्षकों को लिखा गया है।

**अतारांकित प्रश्न**

**जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर, ग्राम खरकामाफ में हरिजनों की भूमि को श्री रक्षपाल सिंह से वापस दिलाये जाने की मांग**

1-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम खरकामाफ, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी में श्रीमती गिरजारानी पत्नी श्री प्रभुदयाल जाति कोरी (हरिजन) की भूमि नं0 55 ख व 56 ख व 54 3.10 .10 1,06 व श्री भगवान दास पुत्र श्री श्याम सुन्दर कोरी (हरिजन) की भूमि नं0 69 व-67-ग जो कि 1.17 .43 लगभग चार साल से श्री रक्षपाल पुत्र श्री परम सिंह उर्फ प्यारे राजा को इसी गांव के सवर्ण अपने आतंक से बन्दूक की नोंक पर जोतने नहीं देते? क्या इन हरिजनों की जमीन श्री रक्षपाल सिंह से वापस दिलायी जायेगी? यदि

हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद झांसी के तहसील मऊरानीपुर, ग्राम खरकामाफ में प्रश्नगत भूमि पर सम्बन्धित खातेदार अध्यासीन हैं। श्री रक्षपाल सिंह पुत्र श्री गरम सिंह उर्फ प्यारे राजा, सवर्ण का प्रश्नगत भूमि पर न कोई अनाधिकृत अध्यासन है और न उनका कोई हस्तक्षेप है। अतः प्रश्नगत आराजी से सम्बन्धित हरिजनों की जमीन से श्री रक्षपाल सिंह से वापस दिलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**जनपद फैजाबाद ग्रामसभा पलई कल्यानुपर विकास खण्ड अकबरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित मकानों के स्वामित्व का फैसला राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज न किये जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

2- श्री राम लखन-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पलई कल्यानपुर विकास खण्ड अकबरपुर जनपद-फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर कुछ भूमिहीनों द्वारा निर्मित मकानों के स्वामित्व का फैसला मुंसिफ मजिस्ट्रेट, अकबरपुर द्वारा किये जाने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों? लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

मुंसिफ मजिस्ट्रेट अकबरपुर के निर्णय दिनांक- 2-8-89 में लाभान्वित व्यक्तियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में आदेश नहीं पारित किया गया है बल्कि उनके द्वारा कब्जा किये गये स्थलों पर उनके कब्जा व दखल में किसी प्रकार का विघ्न न डालने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

**इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आरक्षण नियमों के विरुद्ध कार्यकत्रियों की नियुक्ति**

3-श्री राम सेवक सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के यमुनापार क्षेत्र में संचालित बाल विकास परियोजनाओं शंकरगढ़, जसरा, वाका में शासनादेश के बावजूद भी हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कार्यकत्रियों का नियमानुसार आरक्षण

द्वारा चयन नहीं हुआ और न ही आरक्षण कोटे को पूर्ण किया गया है? क्या इन परियोजनाओं में परियोजना क्षेत्र के बाहर की कार्यकत्रियां फर्जी प्रमाण-पत्रों पर नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्तियां निरस्त कर स्थानीय परियोजना क्षेत्र की कार्यकत्रियां रखी जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जिला वाराणसी, गांवसभा खरगपुर परगना कोलअसला तहसील व जिला वाराणसी के डोलन पुत्र जगनन्दन का कथित भूमि पर जबरदस्ती कब्जा एवं मुकदमें में बेदखल होना**

4- श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवसभा खरगपुर, प0 कोलअसला, त0 व जिला-वाराणसी की आराजी नं0-97 रकबा 1/1/2 डि0 जो गांवसभा की है उस पर डोलन पुत्र जगनन्दन ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, जिसके कारण 122 बी के मुकदमें में 3-7-86 को तहसीलदार ने 60 रु0 जुर्माना करके कब्जे से बेदखल करने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या जमीन को उसके द्वारा छोड़ा गया? यदि नहीं, तो क्या दुबारा 122 बी का मुकदमा चलाकर 17-1-90 को 70 रु0 जुर्माना तथा बेदखल करने का आदेश दिया है? यदि हां, तो क्या डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी न तो दोनों बार का जुर्माना वसूल किया गया और न ही जमीन से बेदखल किया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं? क्या इस संबंध में मात्र मंत्री को सभी कागजात फैसले की नकल के साथ ता0 16-7-91 को प्रश्नकर्ता का पत्र इस संबध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

दि0 17-1-90 को पुनः तहसीलदार वाराणसी द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया जिसमें 60 रु0 क्षतिपूर्ति व 5 रु0 निष्पादन व्यय लगाकर बेदखली का आदेश दिया गया है ।

तहसील, सदर ने दिनांक 6-8-91 को स्थल का निरीक्षण किया और खसरा नं0 -97 रकबा 1/1/2 डि0 पर से अतिक्रमण हटवा दिया और डोलन

को बेदखल कर दिया गया। डोलन पुत्र जगनन्दन से क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु नायब तहसीलदार को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

सम्प्रति उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसकी सघन छानवीन कराई जा रही है।

**स्व0 श्री हुबलाल निवासी ग्राम-वाजिदपुर तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली की पुत्रियों व पुत्रियों के लड़कों के नाम जायदाद दर्ज करने की मांग**

5-श्री हरेन्द्र सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि स्व0 श्री हुबलाल निवासी ग्राम-वाजिदपुर, तहसील महराजगंज, थाना-शिवगढ़ जनपद-रायबरेली की मृत्यु हो चुकी है? यदि हां, तो उनकी मृत्यु के पश्चात् उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 171 के खण्ड (छ) के अनुसार उनकी विवाहिता पुत्रियों श्रीमती कृष्णावती, मालेश्वरी, सुखराना तथा स्व0 श्रीमती जनाका के नाम कृषि योग्य भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने का क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी पिता की मृत्यु के पश्चात सम्पूर्ण जायदाद पर उनकी विवाहिता पुत्रियों के नाम सरकारी अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश संबंधित अधिकारी को देंगे? यदि हां, तो कब तक? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अधिनियम की धारा-171 के खण्ड (ज) के अनुसार स्व0 श्री हुबलाल की मृतक विवाहिता पुत्री श्रीमती जनाका के दोनों पुत्रों (मृतक के नवासों) के नाम वरासत करने का आदेश भी जारी करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

प्राप्त सूचनानुसार पहले स्व0 श्री हुबलाल की भूमि सम्बन्धी अभिलेखों में श्री दशन, मैकू पुत्रगण श्री किशन, (मृतक के भतीजों) का नाम वरासतन दर्ज होने का आदेश हुआ था। बाद में चकबन्दी प्रक्रिया के समय मृतक की पुत्रियों तथा स्व0 श्रीमती जनाका के दोनों पुत्रों ने सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपने पक्ष में वरासत का दावा प्रस्तुत किया जिसके फलस्वरूप चकबन्दी अधिकारी शिवगढ़ के न्यायालय में धारा 9 क (2) जोत चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत वाद न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही हेतु विचाराधीन है।

न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाएगी।

**श्री राम खेलावन प्रधान, ग्राम-सभा बरावां, जनपद बाराबंकी को तालाब के लगान को ग्राम-सभा के खाते में स्थानान्तरित करने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

6-श्री राम देव आचार्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई तालाब के लगान की धनराशि को ग्रामसभा बरावां के खाते में ट्रान्सफर करने के संबंध में श्री राम खेलावन प्रधान ग्राम सभा बरावां, तहसील रूदौली जनपद बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र दिनांक-25-4-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिला अधिकारी, बाराबंकी को प्रापत हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या वसूल की गई धनराशि ग्रामसभा के खाते में ट्रान्सफर कर दी गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ, वसूल की गई कुल धनराशि 10,739/-रु0 में से 6,874/-रु0 नकद कैश के रूप में रु0 865/- चेक संख्या-25/21789 द्वारा दिनांक 22-1-92 को ग्राम प्रधान को प्राप्त करा दी गई है। शेष 3,000/- रु0 को अविलम्ब जमा कराने एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश जिलाधिकारी बाराबंकी को निर्गत कर दिये गये हैं।

**उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के श्री के0 वी0 श्रीवास्तव उप परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध कतिपय मन्त्रियों एवं विधायकों के पत्र पर कार्यवाही**

7-श्री श्याम नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको श्री शिव प्रताप शुक्ल शिक्षा राज्यमंत्री के पत्र दिनांक 9, 18, 24-7-91, 5-9-91 व श्री रमापति शास्त्री मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण का पत्र दिनांक 4-9-91 तथा श्री महाबीर सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 30-6-91 व 25-7-91 उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के श्री के0 बी0 श्रीवास्तव उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई लखनऊ के विरुद्ध बाराबंकी में उनके अधीनस्थ निर्माणधीन पुलों के सम्बन्ध में प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

**उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार श्री रमाशंकर त्रिपाठी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही**

8-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कार्यरत नायब तहसीलदार श्री रमाशंकर त्रिपाठी द्वारा जिले में ही ग्राम गौरी में स्थायी निवास एक लम्बे अर्से से बनाये रखने के परिप्रेक्ष्य में अन्य शिकायतों सहित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दि0 9 अक्टूबर, 91 आयुक्त लखनऊ मण्डल व जिलाधिकारी उन्नाव को मिला है? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र दिनांक 20-10-91 पत्रांक 200/91 आयुक्त लखनऊ मण्डल तथा जिलाधिकारी उन्नाव को पत्रांक 206/91 व सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन को पत्रांक 208/91 पुरवा के वकीलों के शिकायती पत्र सहित मिला है? यदि हां, तो क्या उक्त नायब तहसीलदार को उन्नाव जिले के बाहर स्थानान्तरित करने हेतु श्री श्रीकृष्ण जिलाधिकारी ने उच्च अधिकारियों को लिखा भी था? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पूरे प्रकरण व सभी शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी हाँ।

शिकायत पर जिलाधिकारी उन्नाव से जांच कराई गई। परिणामस्वरूप सम्बन्धित नायब तहसीलदार को दिनांक 26-11-91 द्वारा जनपद हरदोई स्थानान्तरित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्नकर्ता के साथ संलग्न श्री स्वामीदीन पुत्र मंगल, ग्राम-सभा बरावां तहसील रूदौली जनपद बाराबंकी का जिलाधिकारी बाराबंकी को सम्बोधित गाटा संख्या-239 को ठीक करने विषयक पत्र एवं कार्यवाही**

9-श्री रामदेव आचार्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां तहसील रूदौली जनपद बारांबकी का गाटा संख्या-239 का रकबा दुरुस्त करने विषयक प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ श्री स्वामीदीन पुत्र मंगल निवासी उपरोक्त व अन्य का पत्र दिनांक 2-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त जमीन के उक्त गाटे की संख्या 239 के स्थान पर 359 हो गई है, जिसका रकबा अभिलेखों में 4 बीघा अंकित है किन्तु भूखण्ड का नक्शा छोटा है। अतः उसे दुरुस्त करने हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा प्रार्थी को सूचित करा दिया गया है।

**श्री सी0 एन0 बाजपेयी प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम, कलेक्ट्रेट डिपो, उन्नाव के विरुद्ध मुकदमें एवं जांच की कार्यवाही**

10-श्री श्रीराम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी0 एन0 बाजपेयी प्रबन्धक प्रबन्धक उ0प्र0 रा0 क0 कल्याण निगम, कलेक्ट्रेट डिपो, उन्नाव के विरुद्ध कितने अपराधिक मुकदमें चल रहे हैं तथा कितनी वैभागिक जांचे उनके विरुद्ध विचाराधीन हैं?

**श्री एजाज रिजवी-**

श्री सी0 एन0 बाजपेई, प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम कलेक्ट्रेट डिपो, उन्नाव के विरुद्ध कोई भी अपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। उनके विरुद्ध एक विभागीय जांच विचाराधीन है।

**लखनऊ सदर क्षेत्र के अन्तर्गत फर्जी आंगनबाड़ी केन्द्र के आकस्मिक निरीक्षण विषयक श्री हरेन्द्र सिंह स0 वि0 सभा का पत्र एवं कार्यवाही**

11-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सदर (कैन्ट) क्षेत्र के अन्तर्गत फर्जी आंगनबाड़ी केन्द्र के आकस्मिक स्थल निरीक्षण कराने एवं जांच कराने विषयक, श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1991 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त फर्जी आंगनबाड़ी का स्थल निरीक्षण किस स्तर के अधिकारी द्वारा कराया गया है और क्या शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

सहायक निदेशक से जांच करायी गयी। जी हाँ।

जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत केन्द्र बन्द पाया गया तथा अभिलेख फर्जी पाए गये। आंगनबाड़ी कार्यकत्री को मानदेय से हटाकर सेवा समाप्त कर दी गई है। तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को अन्य व्यवस्था किये जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

## प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बांदा को मदवार आवंटित धनराशि एवं व्यय का विवरण

12-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 90 से जून, 91 तक प्रान्तीय खण्ड, लो0 नि0 वि0 बांदा को किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी? इस धनराशि में से कितना धन विभागीय (टी0 आई0)द्वारा किन-किन कार्यों में व्यय किया गया?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

फरवरी, 90 से जून 91 तक प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बांदा को निम्नलिखित मदों में आवंटित धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-

(1) 5054 राज्य योजना-रु0 113.78 लाख

(2) 5054 जिला योजना-रु0 258.36 लाख

(3) 3054 अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत रु0 262.34 लाख

(4) 2245 दैवी आपदा-रु0 66.50 लाख

कुल योग-रु0 700.98 लाख

उक्त आवंटित धनराशि में से विभागीय टी0 आई0 द्वारा मदवार किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नवत् है-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 5054 राज्य योजना | रु0 | 21.68 | लाख |
| (2) 5054 जिला योजना | रु0 | 89.90 | लाख |
| (3) 3054 अनुरक्षण एवं विशेष मरम्मत | रु0 | 72.10 | लाख |
| (4) 2245 दैवी आपदा | रु0 | 28.40 | लाख |
| कुल योग | रु0 | 212.08 | लाख |

जिन-जिन कार्यों पर उक्त व्यय किया गया उनकी सूची संलग्न है। +

+ छापी नहीं गई।

**जनपद फैजाबाद के जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को स्वीकृत छात्रवृत्ति का विवरण**

13-श्री राम लखन-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की जलालपुर विधान सभा क्षेत्र के किन-किन हायर सेकेन्डरी तथा इन्टर कालेजों में वर्ष 88-89, 89-90, 90-91, तथा 91-92 में कितने अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली? क्या इसकी जांच कर ली गयी है? कि जिनको छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी, उन्हें मिल गयी है कि नहीं? कितने छात्रों को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पायी है? कब तक उसका भुगतान सुनिश्चित करा दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**ग्राम सभा बारा, परगना भगवंत नगर, तहसील पुरवा, जिला-उन्नाव में सार्वजनिक मार्ग पर से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी पत्रों पर कार्यवाही**

14-श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बारा-परगना भगवंत नगर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव में, सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण हटाने संबंधी ग्राम प्रधान का विधायकों मा0 ठाकुरपाल सिंह आदि द्वारा अग्रसारित दिनांक 11-10-91 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत मार्ग से अतिक्रमण हटा दिया गया है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जांचोपरान्त शिकायत निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर में मगई नदी के छपरी घाट पर हंसराजपुर से जलालाबाद मार्ग पर स्वीकृत पुल का विवरण**

15-श्री गिरधारी लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मगई नदी जनपद गाजीपुर में छपरी घाट पर हंसराजपुर से जलालाबाद मार्ग पर पक्के पुल बनाने की स्वीकृति वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में की गयी है? यदि हां, तो इसका

सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा इसका निर्माण कार्य कब से शुरू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजीपुर के बेसव नदी पर चौजाह घाट पर जखनिया झोटना-रायपुर मार्ग पर पक्के पुल बनाने का प्रस्ताव**

16-श्री गिरधारी लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के बेसव नदी पर चौजाह घाट पर जखनिया झोटना-रायपुर मार्ग पर पक्के पुल के निर्माण का वर्तमान अवधि में शासन का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या सदन के पटल पर रखेंगे? इस पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संप्रति इस पुल का निर्माण संभव नहीं है।

17-श्री भगवती प्रसाद शुक्ला-

(पहले शुक्र0 में अता0प्र0सं0 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**निर्वाचन क्षेत्र कावर जिला बरेली में सिधौली-सहोड़ा मार्ग पर प्रस्तावित भाखड़ा नदी पर पुल बनाये जाने की मांग**

18-कुंवर सुरेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र 55 कावर, बरेली स्थित सिधौली सहोड़ा मार्ग पर प्रस्तावित भाखड़ा नदी का सेतु निर्माण शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक सम्भव है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संप्रति सेतु निर्माण संभव नहीं है ।

**जिला कानपुर देहात में बिल्हौर सिकन्दरा मार्ग पर मंगलपुर व जैतापुर के बीच सड़क निर्माण में कृषकों की भूमि का मुआवजा देने की मांग**

19-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर देहात में बिल्हौर सिकन्दरा मार्ग पर मंगलपुर व जैतापुर के बीच सड़क निर्माण में जो कृषि भूमि लोक निर्माण उ0प्र0 द्वारा अधिग्रहीत की गई है, उसका मुआवजा अब तक किसानों को न दिये जाने का कारण क्या है? क्या उक्त सड़क को बने लगभग 15 वर्ष से अधिक हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे किसानों को जिनकी जमीन उक्त सड़क बनने में ली गई है, अविलम्ब मुआवजा देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग के झीझक सिकन्दरा मार्ग जिस पर मंगलपुर व जैतापुर गाँव पड़ते हैं, 25 वर्ष से अधिक अवधि से लोक निर्माण विभाग का मार्ग है । यह मार्ग पहले कच्चा था जिसको बाद में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लेपित किया गया है । इस मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की पर्याप्त भूमि पहले से उपलब्ध थी । अतः मार्ग को पक्का करने के दौरान कृषि भूमि के अध्याप्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी और न ही पिछले 15 वर्षों में किसी किसान द्वारा मार्ग निर्माण में किसी भूमि के उपयोग के कारण मुआवजा का दावा प्रस्तुत किया गया है । अतः मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

**राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोकुल मथुरा में कतिपय स्वीकृत मार्ग एवं उनके निर्माण की स्थिति**

20-श्री बनवारी सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री की जानकारी में है कि राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 व 1990-91 में कुछ मार्ग विधान सभा क्षेत्र गोकुल जिला मथुरा में स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो वह कौन-कौन से मार्ग है तथा उनकी लम्बाई चौड़ाई क्या है तथा कितनी लम्बाई तक मार्ग डामर (पेटेन्ट) हो चुके हैं? उक्त मार्गों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ, संलग्न तालिका में अपेक्षित सूचना अंकित है ।

कार्यों को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

( देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 202-203 पर)

**श्री हरपाल सिंह तथा अन्य ग्रामवासी, ग्राम टिकरा, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का तत्कालीन राजस्व राज्य मंत्री को दिये गये चकबन्दी कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

21-श्री संतबख्श रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरपाल सिंह तथा अन्य ग्रामवासी, ग्राम टिकरा, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ का प्रार्थना-पत्र गांव में चकबन्दी कराने हेतु दिनांक 17-1-91 को तत्कालीन राज्य मंत्री राजस्व को प्राप्त हुआ था? क्या उक्त पत्र की प्राप्ति पत्र सं0-429/एस0 एम0 (आर0)/91, दिनांक 24-1-91 के द्वारा राजस्व सचिव, को प्रकरण भेजने की अभ्युक्ति के साथ स्वीकार की गई? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर चकबन्दी कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? सरकार कब तक उक्त गांव मे चकबन्दी करा देगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी गयी। जांच में पाया गया है कि ग्राम की अधिकांश भूमि चकबन्दी योग्य नहीं है तथा ग्राम में पाटीबन्दी है। अनेक कृषक चकबन्दी के पक्ष में भी नहीं है। उक्त ग्राम को चकबंदी योजना से पृथक किये जाने की विज्ञप्ति धारा-6(1) के अन्तर्गत दि0 28-1-91 को जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में कई ग्राम सभाओं में चकबन्दी का कार्य पूर्ण होने पर भी फार्म 35, 45 न दिया जाना**

22-श्री सन्त बख्श रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में कई ग्राम सभाओं में चकबन्दी का कार्य पूर्ण हो चुका है और धारा 52 का प्रकाशन भी हो गया है? यदि हां, तो क्या गांवों के कृषकों को फार्म 35, 45 अब तक वितरित न किये जाने के कारण अनेक चकों में विवाद उत्पन्न हो गया है? ऐसे कौन-कौन से गांव बकाया हैं और उनमें फार्म 35, 45 सरकार कब तक बटवा देगी? उक्त कार्य में विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

आकार-पत्र 45 सभी ग्रामों में वितरित किये गये हैं। आकार पत्र 35-क केवल 3 ग्रामों फतेहपुर, सिठौली खुर्द तथा हबुबापुर में कृषकों को वितरित नहीं किया गया है। आकार-पत्र-35-क ग्राम में स्थल पर चकों की पैमाइश के समय ही तैयार किया जा सकता है और ग्राम में चकों की पैमाइश काफी समय पूर्व हो चुकी है, कृषकगण अपने-अपने चकों पर काबिज हैं तथा धारा-52 का प्रकाशन भी हो चुका है। अब विधिक रूप से आकार-पत्र 35-क बनना व बटना संभव नहीं है।

आकार-पत्र 35 (क) कब्जा परिवर्तन के समय वितरित न करने हेतु दो सहायक चकबंदी अधिकारी, दो चकबंदी कर्ता, तथा तीन चकबंदी लेखपाल दोषी पाये गये। श्री फतेह बहादुर, सहायक चकबंदी अधिकारी तथा श्री छोटे लाल, चकबन्दी लेखपाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा श्री त्रिभुवन नाथ सिंह व बाबू राम, चकबंदी कर्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अतः उनके विरूद्ध अब कार्यवाही सम्भव नहीं है। शेष कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**उप निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का वाराणसी मण्डल में सेवा निवृत्ति के पूर्व तैनाती का औचित्य**

23-श्री घनश्याम शुक्ल तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले गुरूवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त के दो साल या इससे कम अवधि रह जाने की दशा में किस स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनपद या मण्डल में तैनात किये जाने की सुविधा उपलब्ध है? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नगत उपनिदेशक की सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इनको बनारस मण्डल में तैनाती का विचार अक्टूबर, 1991 के बाद होना चाहिए था? यदि हां, तो इससे पूर्व उन्हें अपने मण्डल में तैनात किये जाने का क्या औचित्य है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त नियम ऐसी ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मामले में लागू होता है जिनका कार्य-व्यवहार एवं सत्यनिष्ठा सही है? यदि हां, तो क्या उक्त उपनिदेशक को वर्ष 1989 में कार्य में लापरवाही, सरकारी धन का दुरुपयोग तथा हेराफेरी जैसे मामलें में सेन्सर इंट्री हो चुकी है? यदि हां, तो क्या इस अधिकारी का स्थानान्तरण निरस्त करके मुख्यालय में पूर्व की भांति पुनः सम्बद्ध करने पर सरकार विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

समूह "ग" तथा "घ" के कार्मिकों को उनके गृह जनपद में तथा समूह "क" व "ख" के कार्मिकों को यथासंभव समीपस्थ जनपदों में तैनात किए जाने का नियमों में प्राविधान है।

इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**सिद्धार्थनगर स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में संगमरमर टाइल्स लगाये जाने पर धन व्यय का विवरण**

24-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह के एक कक्ष में जिलाधिकारी ने संगमरमर टाइल्स लगवाया है एवं निरीक्षण गृह का आधुनिकीकरण कराया है? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय किया गया और किस मद से?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ। निरीक्षण गृह के केवल एक कक्ष के पुराने एवं अत्यन्त जर्जर फर्श के स्थान पर संगमरमर टाइल्स लगाए गए हैं। अन्य कोई आधुनिकीकरण का कार्य नहीं हुआ है।

उक्त कार्य पर रुपये 21,665-00 का व्यय हुआ और उसे सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत मद से किया गया है।

**जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी निवास पर लगे कम्प्यूटर एवं साज-सज्जा पर हुआ व्यय**

25-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि नवसृजित जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी निवास पर कम्प्यूटर लगा है? मंत्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के जिलाधिकारी आवास की साज-सज्जा पर कितना धन व्यय किया गया? और किस मद से? क्या उक्त भवन को वातानुकूलित किया गया है? यदि हां, तो वातानुकूलित करने में कितना धन व्यय हुआ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण

कराकर कम्प्यूटर माह मार्च 1991 में लगाया गया है और कम्प्यूटर कक्ष को वातानुकूलित भी किया गया है जिसके रु0 64,975-45 (चौंसठ हजार नौ सौ पचहत्तर रुपये एवं पैसे पैंतालिस मात्र ) अभिकरण द्वारा अपने श्रोत से व्यय किया गया है ।

जिलाधिकारी आवास एवं आवास पर स्थित कैम्प कार्यालय के साज-सज्जा पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

भवन को वातानुकूलित नहीं किया गया है ।

26-श्री रामेश्वर नाथ चौबे-

(3रे गुरुवार के लिए स्थगित)

**जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली को मदवार आवंटित धनराशि एवं व्यय का विवरण**

27-श्री रामेश्वर नाथ चौबे-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, बरेली को वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक कितनी धनराशि किस-किस मद में आवंटित की गई ? तथा कितना धन उपयोग हुआ है? उक्त धनराशि किन-किन मदों में कितने लाभार्थियों को दी गई हैं?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी, बरेली को मदवार आवंटित तथा उनके द्वारा व्यय की गई धनराशि तथा लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 204 से 210 पर)

**जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली के कार्यालय में गबन एवं कार्यवाही की मांग**

28-श्री रामेश्वर नाथ चौबे-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में 3-11-90 से 18-12-90 के बीच उनके कार्यालय में कितना गबन हुआ? क्या जिस अधिकारी के समय गबन हुआ उसके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली कार्यालय में माह अक्टूबर, 1990 में विधवा/विकलांग अनुदान मद में रु0 31,920.00 के फर्जी भुगतान का मामला

पकड़ा गया।

गबन की घटना के बारे में दिनांक 27-12-90 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है एवं उक्त कार्यालय के दो कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है तथा एक लिपिक तथा तीन अन्य व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो जमानत पर है। पुलिस विवेचना के बाद उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रधान सरकारी वाहन चालक संघ, जवाहर भवन, लखनऊ का भ्रष्टाचार एवं जांच सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही**

29-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी है कि उन्हें प्रधान सरकारी वाहन चालक संघ, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा एक शिकायती पत्र दिनांक 15 मई, 91 को श्री अकरामुल बारी, संयुक्त सचिव, विधि व अति0 वक्फ आयुक्त द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच सी0आई0डी0 से कराये जाने तथा इनके स्थान पर किसी अन्य (विभाग के किसी कनिष्ठ कर्मचारी) की नियुक्ति किये जाने विषयक प्राप्त हुआ था, जिसे मा0 मंत्री ने 25-7-91 को अपने पत्रांक-369 (सी)/91 द्वारा सचिव, मुस्लिम वक्फ को भेजा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा जांच कराई गई। सभी शिकायतें निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

**श्री केदार नाथ पाण्डेय, हजरतगंज, लखनऊ का श्री अकरामुल बारी अपर वक्फ आयुक्त द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध भेजे गये शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

30-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री केदारनाथ पाण्डेय, हजरतगंज, लखनऊ ने श्री अकरामुल बारी, अपर वक्फ आयुक्त द्वारा सरकारी गाड़ी को निजी तथा गलत कार्यों में प्रयोग किये जाने, वक्फ कार्यालय के कर्मचारियों को मनमानें ढंग से स्थानान्तरित किये जाने आदि अन्य अनियमितताओं से संबंधित एक प्रार्थना-पत्र 4-8-91 को सचिव, मुस्लिम वक्फ को दिया था? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-8-91 के आधार पर जिलाधिकारी, लखनऊ से जांच कराई गई। सभी शिकायतें निराधार पाई गयीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में प्रोबेशन संवर्ग के कार्यरत अधिकारी श्री विनीत कुमार टण्डन का स्थानान्तरण नीति के अनुसार न किये जाने की शिकायत**

31-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री हरिशंकर तिवारी-

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संबंध में क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विनीत कुमार टण्डन, प्रोबेशन अधिकारी जो वर्ष 1983 से यहां है, को वर्ष 1990 में या उसके बाद क्यों स्थानान्तरित नहीं किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि उनको बाराबंकी का स्थानान्तरण 1990 किस आधार पर रोका गया? क्या श्री विनीत कुमार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया था? यदि हां, तो क्या उसके सत्यता की जांच करायी गयी? क्या उनका स्थानान्तरण मण्डल से बाहर करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

श्री विनीत कुमार टण्डन प्रोबेशन अधिकारी (मु0) जिनका स्थानान्तरण वर्ष 1989-90 में बाराबंकी किया गया था, ने दिनांक 14-3-90 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया था कि उनकी माता जी का देहान्त 6 माह पूर्व हो गया है। दिनांक 2 मई 1990 को उन्होंने पुनः यह प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पिताजी का देहान्त 1 मई, 1990 को दिल का दौरा पड़ जाने के कारण हो गया है। अतः उनके स्वयं के अनुरोध पर उनकी पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुए स्थानान्तरण रोक दिया गया।

जहां तक उनके स्थानान्तरण मण्डल से बाहर करने पर विचार करने का प्रश्न है, सैद्धान्तिक रूप से वार्षिक स्थानान्तरण सत्र के समय ही अधिकारियों के स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है।

**जनपद बांदा के प्रान्तीय खण्ड को एस0 आर0 एम0 डी0 द्वारा आंवटित धन एवं कृत कार्यों का विवरण**

32-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के प्रान्तीय खण्ड को एस0आर0एम0डी0 में कितना धन आवंटित किया गया? क्या शासन एवं अधीक्षण अभियन्ता, 19वां वृत्त, झांसी, द्वारा उक्त धनराशि से किए गए कार्यों का विवरण क्रमशः अ0शा0पत्र सं0-4/44सी/23-लो0नि0अनु0-1

दिनांक 18-12-90 एवं 11740/436 सी0 दिनांक 29-12-90 द्वारा अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड बांदा से मांगा गया है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो व्यय विवरण न देने का क्या कारण है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वित्तीय वर्ष 1990-91 में बांदा जनपद के प्रान्तीय खण्ड को एस0आर0एम0डी0 में रु0 66.50 लाख आवंटित हुआ।

जी हाँ।

विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 210-211 पर)

**जनपद जालौन और इटावा के मध्य जमुना नदी पर निर्मित शेरगढ़ पुल को शीघ्र बनाये जाने की मांग**

33-श्री श्रीराम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन और इटावा जिले के मध्य स्थित जमुना नदी पर निर्मित किए जा रहे शेरगढ़ पुल का क्या निर्माण कार्य पूरा हो चुका है? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य अभी कितना शेष है तथा उक्त पुल का निर्माण धीमी गति से क्यों कराया जा रहा है? क्या उक्त पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जायेगा? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

लगभग 3% कार्य शेष है।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद देवरिया के तहसील सलेमपुर के गांवों से निकली सीलिंग की भूमि का विवरण**

34-श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री हरिवंश सहाय-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत सलेमपुर तहसील में सीलिंग से किन-किन गांवों में कितनी भूमि निकली है? कितनी भूमि पर सरकार का कब्जा है तथा किन-किन गांवों के जमीन पर सरकार कब्जा नहीं कर पायी है? उस पर सरकार द्वारा कब तक कब्जा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

प्रश्नगत तहसील में संशोधित सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कुल 44 ग्रामों (सूची संलग्न) में 690.22 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई है जिसमें

से 578.77 एकड़ भूमि पर राज्य सरकार द्वारा कब्जा ले लिया गया है। शेष 111.45 एकड़ भूमि ग्राम कसिली, पिपरा, बरठा बाबूनारायनपुर तिवारी, बड़का गांव, छोटका गांव, धनोती बनकटा मिश्र, मलहनी, पैना वागर, पैना खादर, नवापार, गोरखुवा रामपुरचकलाल, परसिया-देवार, फुलवरिया, बहीखारी बधेल परड़ीउमन, मझौली तथा खामपार में अतिरिक्त घोषित है जिस पर विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण कब्जा नही लिया जा सका है। न्यायालय के अन्तिम निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 212 पर)

**जनपद लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन, ग्राम सभा धोला में कुछ चकदारों का चकों का कब्जा न देने की शिकायत पर दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

35-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा घोला, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में धारा 45 का प्रकाशन हो चुका है और कुछ बड़े चकदारों के चकों की पैमाइश कर अन्य चकदारों की पैमाइश नहीं की गयी है जिस कारण सबको मौके पर कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं। ग्राम घोला तहसील निघासन जनपद खीरी में चकों की नाप करके कब्जा परिवर्तन कराने का कार्य प्रारम्भ किया गया था और लगभग 1/3 भाग के चकों की नाप का कार्य पूर्ण हो गया था। इसमें छोटे व बड़े दोनों प्रकार के खातेदार सम्मिलित हैं, परन्तु एक याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के कारण चकों की नाप का शेष कार्य रोक दिया गया।

इस मामले में कोई अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं है, अतः दण्ड का प्रश्न नहीं उठता।

**जिला कानपुर देहात, परगना घाटमपुर ग्राम बेहटा में हो रही चकबन्दी में धारा-24 के प्रकाशन में विलम्ब एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही**

36-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि ग्राम बेहटा, परगना-घाटमपुर, जिला-कानपुर देहात में हो रही चकबन्दी में चकबन्दी ऐक्ट की धारा-23 का प्रकाशन 5 जून, 1988 को कर दिया गया था किन्तु धारा 24 का प्रकाशन 7 सितम्बर, 1991 तक नहीं किया गया था? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और सरकार ने इस विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति अथवा

व्यक्तियों को क्या सजा दी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

ग्राम बेहटा परगना घाटमपुर जिला कानपुर देहात में हो रही चकबन्दी में चकबंदी ऐक्ट की धारा 23 के अंतर्गत प्रकाशन 30 जून, 1988 को हुआ किन्तु धारा 24 का प्रकाशन 7 सितम्बर, 1991 तक नहीं किया गया था।

इस ग्राम में धारा 24 का प्रकाशन न किये जाने का मुख्य कारण कृषकगण का सहयोग प्राप्त न होना है। इसके लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः किसी कर्मचारी को दंड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**जिला योजना की सड़क अकोहरी पत्योलादासी मार्ग के स्थान पर अन्तर्जनपदीय सड़क मौरावां-गुलरिहा-गुरुबख्श गंज मार्ग के अवशेष को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी का प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव सहित पत्र पर कार्यवाही**

37-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-4397ई/23 लोक नि0 अ0-11-110ई/90, दिनांक 7-11-90 के अधीन स्वीकृत जिला योजना की सड़क अकोहरी पत्योलादासी मार्ग के स्थान पर इसी धन से अन्तर्जनपदीय महत्व को सड़क मौरावां-गुलरिहा-गुरुबख्शगंज मार्ग के अवशेष को पूरा कराये जाने संबंधी जिलाधिकारी उन्नाव का पत्र प्रश्नकर्ता के प्रस्ताव सहित माह जनवरी, 91 में सचिव लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी एवं प्रश्नकर्ता के इस प्रस्ताव पर मुख्य मंत्री जी ने भी उसी माह या उसके एक माह के भीतर संशोधन स्वीकृति के आदेश जारी किए थे? क्या सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रश्नकर्ता का इसी प्रकरण पर पत्र दिनांक 4-7-91 पत्रांक-37/9 मिला है? यदि हां, तो मिट्टी के काम से सीधे एक छोटे से गांव के लिए सड़क बनाने के प्रस्ताव को निरस्त कर अन्तर्जनपदीय महत्व की मौरावां गुलरिहा, गुरुबख्शगंज मार्ग के बनाने के प्रस्ताव का संशोधित शासनादेश जारी करने में क्या परेशानी है? शासनादेश कब तक जारी होगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

श्री सरजू प्रसाद "सरोज", सदस्य लोक सभा, उन्नाव क्षेत्र के प्रतिनिधि के प्रस्ताव पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त अकोहरी पत्योलादासी मार्ग निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इसीलिए इस मार्ग के स्थान पर प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत नहीं किया गया। इसकी सूचना अ0शा0सं-577 जे0पी0ई/23-11-44(14)ई/89, दिनांक 18-11-91 के द्वारा

प्रश्नकर्ता को दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**समाज कल्याण मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप एवं सी0 आई0 डी0 जांच का विवरण**

38-श्री सन्त बख्श रावत-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण मुख्यालय पर कार्यरत किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध किन गम्भीर आरोपों के लिए किस आधार पर सी0आई0डी0 जांच अथवा अन्य जांच कब से चल रही है? उक्त जांच कब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण है तथा उन्हें कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

समाज कल्याण मुख्यालय पर वर्तमान समय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध गम्भीर आरोपों के आधार पर सी0आई0डी0 जांच नहीं चल रही है।

अन्य जांच निम्न कर्मचारियों के विरूद्ध चल रही है:-

1- श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा वरिष्ठ लिपिक पर (निलम्बित)-आरोप है कि शासन के महत्वपूर्ण पत्रों पर कार्यवाही न करना, पेंडिंग रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की कार्यवाही न करना। यह जांच दिनांक 30.9.89 से चल रही है।

2- श्री शिव सहाय, वरिष्ठ सहायक पर आरोप है कि एल0डी0ए0 के संबंधित अधिकारियों से आपराधिक षड़यंत्र करके धोखा देकर अनियमित रूप से अपने नाम भूमि आवंटित कराना, फिर पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाना तथा सरकारी कर्मचारी होते हुए संस्थायें चलाना । यह जांच दिनांक 22-2-90 से चल रही है।

3- श्री रघुनन्दन यादव, वरिष्ठ सहायक पर आरोप है-मनमाने ढंग से अभिलेखों में परिवर्तन करके पदोन्नति, दक्षतारोक एवं गलत आदेश पारित करा देना। यह जांच दिनांक 25-7-90 से चल रही हे।

4- श्री नसीमुल हसन, वरिष्ठ लिपिक (निलंबित) पर आरोप है- सरकारी अभिलेखों में आपराधिक षड़यंत्र करके श्री फहीम अहमद को समाज कल्याण सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त कराना तथा पत्रावली में गलत नोटिंग करके श्री फहीम को रु0 34997.85 पैसा का भुगतान करके शासन को वित्तीय क्षति पहुँचाना। यह जांच दिनांक 13.11.90 से चल रही है।

5- श्री एम0 के0 मुदगल, विशेष कार्याधिकारी पर आरोप हैं :-

नियम विरूद्ध कार्यवाही करने, अनियमित नियुक्तियां करने, अनियमित रूप से सामान क्रय करने एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं में अनियमिततायें बरतना। ये जांच दिनांक 11.3.86 से चल रही है।

उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा समय से आरोप पत्रों का उत्तर न दिया जाना।

जांच प्रगति पर है।

**समाज कल्याण मुख्यालय पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों पर पदोन्नति हेतु अपनाई गई प्रक्रिया**

**39-श्री सन्त बख्श रावत-**

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण मुख्यालय पर वर्ष 1978-79 से मार्च, 1989 तक मिनिस्ट्रीरियल संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों पर पदोन्नति में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती रही है और कितने वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियां देखी जाती रही है? क्या पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को मार्च, 1989 में पदोन्नति के समय बदलकर कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई? क्या पदोन्नति में कुछ कर्मचारियों को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा प्रत्यावेदन दिये गए है? यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

अनुपयुक्त को छोड़ते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई। शासनादेश संख्या-2908-का0-1-83 दिनांक 22.3.87 के अनुसार सम्पूर्ण सेवा काल की प्रविष्टियां, विशेषकर 10 वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियां देखी जाती रही है।

जी नहीं।

जी हाँ। केवल श्री रघुनन्दन यादव वरिष्ठ सहायक (मु0) का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही प्रगति पर है।

**इटवा तहसील, जनपद सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धन एवं भवन निर्माण में प्रगति की जानकारी**

40-श्री मो0 मुकीम-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटवा तहसील, जनपद-सिद्धार्थनगर के भवन निर्माण हेतु शासन से धन स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो कितना धन तहसील को अब तक भवन निर्माण के लिए दिया जा चुका है और उसकी

निर्माण प्रगति क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील इटवा के अनावासीय भवन निर्माण हेतु रु0 30.00 लाख एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रु0 25.00 लाख कुल रु0 55.00 लाख की धनराशि अब तक स्वीकृत की गई है। तहसील के मुख्य अनावासीय भवन का निर्माण लिन्टल स्तर तक पूर्ण है और आवासीय भवनों की प्रगति भू-तल के छत लेबिल पर है। बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण है और इस प्रकार अब तक अनावासीय निर्माण कार्य 30 प्रतिशत तथा आवासीय निर्माण कार्य 45 प्रतिशत प्रगति पर है।

**जनपद सिद्धार्थनगर तहसील इटवा, ग्राम गौरीडीह में एस0डी0एम0 इटवा द्वारा शासनादेश के विरूद्ध चीनी मिट्टी तेल का वितरण करने हेतु लाइसेन्स दिया जाना एवं एस0डी0एम0 के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

41-श्री मो0 मुकीम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर तहसील-इटवा, ग्राम गौरीडीह के चीनी, मिट्टी का तेल का लाइसेन्स एस0डी0एम0, इटवा द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसका शासनादेश के अनुसार उस सभा द्वारा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है? क्या लाइसेंसी के विरूद्ध गांव वालों एवं प्रधान ने चीनी, मिट्टी का तेल का वितरण न करने का प्रार्थना पत्र एस0डी0एम0 इटवा को कई बार दिया? यदि हां, तो एस0डी0एम0 इटवा द्वारा उसी लाइसेन्सी को बराबर चीनी तथा मिट्टी का तेल का लाइसेन्स किस आधार पर दिया जा रहा है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में एस0डी0एम0 के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

क्योकि जनपद सिद्धार्थनगर तहसील इटवा के ग्राम गौरीडीह की ग्राम सभा एक संवेदनशील ग्राम सभा है जिसमें इससे पूर्व एक साथ तीन अधिकारियों की हत्या कर दी गयी थी। प्रधान द्वारा उचित दर की दुकान के संबधं में प्रस्ताव पारित न करवा पाने की दशा में तत्कालीन एस0डी0एम0 इटवा द्वारा श्री घनश्याम पुत्र बुझारत जिनको दुकान देने के लिये ग्राम वासियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था को लाइसेंस दिनांक 30-8-90 को निर्गत कर दिया गया।

जी हाँ।

प्राप्त शिकायती पत्रों में लगाये गये आरोप जांच से गलत निराधार एवं तथ्यहीन पाये गये। इसलिये लाइसेंसी को मासिक कोटा निर्गत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री जय प्रताप सिंह-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

**जनपद लखनऊ में सरोजनी नगर के ग्रामसभा किशुनपुर कौडिया जहानाबाद की सर्विस रोड को पक्का किये जाने विषयक कार्यवाही की जानकारी**

43-श्री गिरधारी लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन राज्य मंत्री श्री अंचल के पत्रांक-1085, दिनांक 24 जनवरी, 1991 जो जनपद लखनऊ में सरोजनीनगर के ग्राम सभा किशुनपुर कौडिया जहानाबाद की सर्विस रोड को पक्का किये जाने के संबंध में था और जो सचिव लोक निर्माण विभाग को भेजा गया था, उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या निर्माण कार्य अभी शेष है? यदि हां, तो कब तक इसे पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

मोहनलालगंज मार्ग से किशुनपुर कौडिया ग्राम तक 0.40 कि0मी0 लम्बी सड़क जिला योजना में स्वीकृत थी जो लेपन स्तर तक पूर्ण हो गई है। किशुनपुर कोडिया से जहानाबाद की लम्बाई लगभग 3.50 कि0मी0 है, जो जिला योजना की परिधि में आता है इसकी स्वीकृति धन की उपलब्धता एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

**पूर्व उपमंत्री श्री शैलेन्द्र कुमार का लखनऊ के ग्राम जहानाबाद, पोस्ट बन्थरा के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

44-श्री गिरधारी लाल-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन उप मंत्री श्री शैलेन्द्र कुमार के पत्रांक-78वी आई पी/डी एम एच एस वी/89, दिनांक 16-3-1989 जो जनपद लखनऊ के ग्राम जहानाबाद पोस्ट बन्थरा के अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को गृह निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में था, प्रबन्ध निदेशक हरिजन निर्बल आवास निगम को भेजा गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है? क्या कार्यवाही शेष है तथा इसे कब तक पूरा किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद गाजीपुर में गंगी नदी पर पहाड़पुर घाट पर, पहाड़पुर वासुचक रामपुर मार्ग पर पक्का पुल बनाये जाने के प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग**

45-श्री गामाराम शास्त्री-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में गंगी नदी पर पहाड़पुर घाट पर, पहाड़पुर वासुचक रामपुर मार्ग पर वर्तमान समय में पक्का पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

**सर्वश्री ऊदल, विश्वनाथ एवं चन्द्र भान मौर्य सदस्यगण विधान सभा के पत्र तथा श्री हर्षवर्धन सदस्य विधान सभा के प्रश्न के उत्तर की छाया प्रति के साथ प्रेषित श्री बाबूराम, श्री राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, तहसील करनैलगंज, गोण्डा के पत्र पर कार्यवाही**

46-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ऊदल, श्री विश्वनाथ व श्री चन्द्रभान मौर्य, सदस्यगण विधान सभा का पत्र दिनांक 28-8-90, 31-3-90 व 21-8-91 के साथ संलग्न विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे शुक्रवार के लिए श्री हर्षवर्धन, विधायक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-76 के उत्तर की छाया प्रति एवं श्री बाबूराम, राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, परगना-पहाड़ापुर, तहसील-करनैलगंज, जनपद-गोण्डा का पत्र जिसमें गाटा संख्या-417 ग्राम सभा की जमीन व आम रास्ते के अमल दरामद व पैमाइश के संबंध में शिकायत की गई है, उन्हे प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शासन द्वारा उल्लिखित शिकायतों के निराकरण व नक्शा तथा रिकार्ड में अमल दरामद हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? आम रास्ते के पैमाइश के समय स्थानीय पुलिस के समक्ष विवादित भूमि से सरहद अलग कर गांव वालों को कब्जा दिलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद मिर्जापुर/सोनभद्र स्थित मद्धूपुर करमा वाया सिरसियों ठकुराई मार्ग को पूर्ण किये जाने की मांग**

47-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर/सोनभद्र स्थित मद्धूपुर करमा वाया सिरसियों ठकुराई मार्ग अभी तक पूरा

नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग में पड़ने वाली लगभग आधा किलोमीटर जमीन अभी तक अधिग्रहीत (अध्याप्ति) नहीं की गयी है? यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूरा करा लिया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग सेक्टोरल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था उक्त योजना में मार्ग में पड़ने वाली भूमि काश्तकारों से स्वेच्छा से प्राप्त की जानी थी। मार्ग के कि0मी0 5 में भूमि स्वेच्छा से न उपलब्ध हो पाने एवं प्रतिकर को लेकर काश्तकार द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण लगभग 100 मीटर की लम्बाई मे कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका।

जी नहीं। केवल 100 मी0 भूमि अनुपलब्ध है।

कोई नहीं।

चूँकि जिस योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत हुआ था, वह अब समाप्त हो चुकी है, अतः उक्त भाग की पुनः स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता एवं माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के समाप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

**जनपद सोनभद्र का मुख्यालय निर्धारित किये जाने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट की जानकारी**

48-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवगठित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय निर्धारित किये जाने हेतु राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गयी थी? क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

नवगठित जनपद सोनभद्र का मुख्यालय निर्धारित किये जाने हेतु अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां शासन को प्रस्तुत की गयी। चूंकि समिति की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त भी सोनभद्र जनपद के मुख्यालय के सम्बन्ध में अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए, अतः उन प्रतिवेदनों को भी दृष्टिगत करते हुए व सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार कर आख्या/संस्तुति देने हेतु समिति को लिखा गया है। अभी समिति की आख्या/संस्तुति अप्राप्त है।

**अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) इलाहाबाद को प्रेषित पत्रों के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराया जाना**

49-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण), इलाहाबाद को प्रेषित पत्रांक-5 (हरि0 वि0 अ0)91 दिनांक 1-8-91 एवं स्मरण पत्र संख्या-41(अ0 जि0 वि0-अ0 हरि0 कल्याण) इला0/91, दिनांक 24-8-91 द्वारा जो जानकारी मांगी गयी थी, वह दे दी गयी है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त पत्रों द्वारा मांगी गई सूचना देने में उदासीनता बरतने हेतु दोषी लोगों के विरूद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अपर जिला विकास अधिकारी (स0क0) के पत्र संख्या-1886/अ0जि0वि0अ0/91-92 दिनांक 20-1-92 के द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**गौरया घाट छोटी गण्डक नदी, देवरिया पर सेतु निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

50-श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गौरया घाट छोटी गण्डक नदी, देवरिया पर सेतु के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-7-91 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सोनूघाट कंचनपुर मार्ग स्थित गौरया घाट पर सेतु निर्माण कार्य की क्या प्रगति है तथा यह सेतु का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य स्वीकृत नहीं है।

अतः निर्माण की प्रगति का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फैजाबाद में कार्यरत कलेक्शन अमीन श्री राम मिलन सिंह की राजस्व परिषद् द्वारा अनियमित ढंग से नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति**

51-श्री मथुरा प्रसाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में कार्यरत कलेक्शन अमीन (वर्तमान नायब तहसीलदार) श्री राम मिलन सिंह, राजस्व परिषद् द्वारा वर्ष 1990 में प्रकाशित कलेक्शन अमीनों की वरिष्ठता सूची में उनका कोटि क्रम

संख्या 2018 है? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त सूची के अनुसार श्री सिंह से वरिष्ठ 40 कलेक्शन अमीन जनपद फैजाबाद में कार्यरत है परन्तु जूनियर होते हुए भी श्री सिंह की प्रोन्नति नायब तहसीलदार के पद पर स्थानीय व्यवस्था में विगत दो वर्ष पूर्व ही कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या उक्त श्री सिंह, कलेक्शन अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके कारण उक्त अनियमित प्रोन्नति की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्पूर्ण अनियमितता की जांच राजस्व परिषद् उ0प्र0 के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाकर अनियमित प्रोन्नति समाप्त करेगी? क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ, कोटिक्रम संख्या 2017 है।

वरिष्ठता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

**जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों पर लेपन कार्य कराये जाने की मांग**

52-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के अन्तर्गत कितने मार्ग है, जो क्षतिग्रस्त है और जिनके खडन्जा टूट गये हैं? क्या सरकार इन महत्वपूर्ण मार्गों पर लेपन कार्य कराने के लिए निर्देश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के खड़न्जा स्तर तक (ईट एवं पत्थर) निर्मित मार्गों में से निम्नवत् 4 मार्गों पर खड़जा क्षतिग्रस्त है:-

1- खरगूपुर लोनहवा दरगाह मार्ग

2- इटियाथोक रूपइडीह मार्ग

3- पारासराय देवरिया अलावल मार्ग

4- अगया बनकसिया शिवरतन सिंह, दुदाव

उपरोक्त मार्गों जो जिला योजना की परिधि में आते हैं, पर लेपन का कार्य जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद सिद्धार्थनगर, तहसील इटवा ग्राम-बेलवा के काश्तकार श्री शिवनाथ राय शर्मा की जमीन को चक से बाहर करने विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

53-श्री मो0 मुकीम-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री पाण्डेय द्वारा वर्ष 1989-90 के दौरान ग्राम-बेलवा, तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर के काश्तकार शिवनाथ राय शर्मा के 2 फसली जमीन को जो लगभग 100 बीघा थी, को चक से बाहर करने के कारण कोई शिकायती पत्र चकबन्दी आयुक्त को वर्ष 1989 में दिया गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है? क्या यह सच है कि उक्त काश्तकार की बंजर पड़ी जमीन को इसी दौरान 2 फसली दिखाकर मालियत लगायी गयी है? क्या सरकार इसकी भी जांच करायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ, किन्तु प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 5-3-90 का है।

शिकायती पत्र की जांच करायी गयी, जिसमें पाया गया कि गाटा संख्या 576, 577 व 578 का अधिकांश क्षेत्रफल चकबंदी क्रियाओं के योग्य था, परन्तु श्री गणेश पाण्डेय, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा उक्त गाटों को अनियमित रूप से चक बाहर किया गया। इस अनियमित कार्य के लिए उन्हें निन्दनीय प्रविष्टि दे दी गई है। संबंधित गाटों से संबंधित आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

जी नहीं। शिकायती पत्र में इसका उल्लेख नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**चकबन्दी कार्यालय उन्नाव में मृतक आश्रित श्री राम बचन प्रसाद को चकबन्दी कर्ता पद पर नियुक्ति की मांग**

54-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी कार्यालय, उन्नाव में चकबन्दी कर्ता श्री कुंवर राम की मृत्यु दिनांक 10-2-88 को उनकी सेवा काल में हो जाने के उपरान्त उनके आश्रित श्री राम बचन प्रसाद को मृतक आश्रित शासनादेश के विपरीत चकबन्दी कर्ता के पद पर नियुक्त न करके लिपिक पद पर नियुक्ति की गई है? यदि हां, तो क्यों? इनकी नियुक्ति चकबन्दी कर्ता के पद पर न किये जाने के क्या कारण है? इनकी नियुक्ति चकबन्दीकर्ता के पद पर कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

श्री राम बचन प्रसाद पुत्र स्व0 श्री कुंवर राम ने अपने प्रार्थना पत्र में मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये

जाने का अनुरोध किया था। तद्नुसार ही उनकी नियुक्ति लिपिक के पद पर उनकी योग्यतानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**अस्थाई अनुरक्षण खण्ड (वि0) नं0-1, लोक निर्माण वि0 लखनऊ में कार्यरत हेल्पर कर्मचारी को अनियमित रूप से हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कार्यवाही**

55-श्री राम चन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवपाल सिंह, विधायक का दिनांक 14-8-91 का पत्र मंत्री जी को तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री का पत्र सं0-672/वी0आई0पी0/91, दिनांक 26-10-91 एवं श्री सुन्दर लाल लोधी, सदस्य कार्यकारिणी, भा0ज0पा0, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-10-91 सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुए है जो अस्थाई अनुरक्षण खण्ड (वि0) नं0-1, लो0नि0 वि0, लखनऊ में कार्यरत हेल्पर कर्मचारी को अनियमित रूप से हटाये जाने का उन्हें पुनः सेवा में रखे जाने के संबंध में थे? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री ने भी दिनांक 14-2-91 तथा 16-2-91 को अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री रवि प्रकाश को यथावत सेवा में बनाये रखने के आदेश दिये? यदि हां, तो आदेशों का पालन न किये जाने के लिए कौन दोषी है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? श्री रवि प्रकाश की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-6732, दिनांक 12-2-90 द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों की दिनांक 1-1-90 की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था। श्री रवि प्रकाश की अस्थायी मस्टररोल में प्रथम नियुक्ति 26-3-90 को हुई थी। कार्य की आवश्यकता न होने के कारण तथा दिनांक 1-1-90 के पश्चात् नियुक्त अस्थाई मस्टररोल के कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के नीति विषयक निर्णय के अनुपालन में श्री रवि प्रकाश की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था।

इसके लिए कोई दोषी नहीं है, अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

नीति में परिवर्तन तथा कार्य की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**निर्वाचन क्षेत्र पुरवा (उन्नाव )में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु जारी शासनादेश के बावजूद निर्माण कार्य न कराया जाना**

56-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा (उन्नाव) की हिलौली-लउवा व एम0एम0यू0 से पारा लिंक रोड पर दो वर्ष पूर्व राज्य सेक्टर से स्वीकृति होने व आधा निर्माण होने के बावजूद काम ठप्प है? नवम्बर, 90 में पी0 एम0 एस0 रोड के चिरैया नाले के पुल के निर्माण के शासनादेश के बावजूद काम न होने के क्या कारण है? क्या सरकार बतायेगी कि हिलौली लउवा रोड पर धन देने हेतु मा0 राज्य मंत्री लो0 नि0 वि0 को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 4-7-91 पत्रांक 39/91, सचिव लो0 नि0 वि0 को प्रेषित पत्र दिनांक 3-7-91 व मा0 मुख्य मंत्री जी को इसी आशय के प्रेषित पत्र दि0 17-7-91 व दि0 5-8-91, प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 वि0 को प्रेषित पत्र दि0 22-9-91 सचिव, लोक नि0 वि0 को प्रेषित पत्र दि0 30-9-91 पर क्या कार्यवाही की गई है? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हिलौली लउवा रोड पर अद्यतन कितना धन स्वीकृत है और कितना खर्च हो चुका है? अवशेष कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 24-3-1990 द्वारा हिलौली लउवा मार्ग 21.00 लाख रु0 की लागत से तथा एम0एम0यू0 (मोहनलालगंज, मौरावां-उन्नाव मार्ग) से पारा लिंक रोड 11.34 लाख रु0 की लागत से स्वीकृत हुये थे। सीमित संसाधनों के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं।

शासनादेश दिनांक 7 नवम्बर, 1990 द्वारा चिरैया नाले पर लघु सेतु संबंधी कार्य 14.00 लाख रु0 की लागत से स्वीकृत किया गया था। राज्य सेक्टर में संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रश्नकर्ता के द्वारा सन्दर्भित पत्र दिनांक 17-7-91, 30-9-91 (इसी पत्र पर दिनांक 22-9-91 भी टंकित है जिसकी प्रति प्रमुख अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग को भी पृष्ठांकित दिखायी गयी है। ) ही उपलब्ध हो पाये हैं। इन पत्रों में प्रश्नकर्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। सीमित संसाधनों के कारण यथा सम्भव धनराशि उपलबध करा दी गयी है।

हिलौली लउवा मार्ग की स्वीकृत लागत 21.00 लाख रु0 की धनराशि के समक्ष दिसम्बर, 1991 तक 3.54 लाख रु0 व्यय किया जा चुका है। शेष कार्य को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**श्री राम आश्रय, संग्रह चपरासी बस्ती की सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी तथा जी0पी0एफ0 आदि का भुगतान**

57-श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि श्री राम आश्रय, संग्रह चपरासी, बस्ती 30 अप्रैल, 91 को सेवा निवृत्त हो गये? यदि हां, तो क्या श्री राम आश्रय को ग्रेच्युटी तथा जी0पी0एफ0 का भुगतान किया गया? क्या जीवन बीमा और पेंशन के कागजात संबंधित अधिकारियों को भुगतान हेतु भेजे गये? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी हाँ। ग्रेच्युटी का 90 प्रतिशत तथा जी0पी0एफ0 का शत प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

श्री राम आश्रय, सेवा निवृत्त संग्रह चपरासी के जीवन बीमा से संबंधित समस्त कागजात बीमा निदेशालय को दिनांक 7-2-92 को भेजे जा चुके हैं। इनके पेन्शन से संबंधित कागजात मुख्य राजस्व लेखाकार कार्यालय से दिनांक 7-1-92 को राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश के पेंशन सेल को भेजे गये थे तथा राजस्व परिषद् द्वारा इनका पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण प्राधिकार पत्र दिनांक 5-2-92 को भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा में तुर्रा नाले पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में रुकावट का कारण एवं इसे पूरा किये जाने की मांग**

58-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में तुर्रा नाले पर पुल निर्माण का कार्य क्या रुका है? क्या युद्ध स्तर पर एक वर्ष के अंदर उक्त पुल तैयार कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण।

पुल को पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**गांव बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी के मोतीलाल भू0 पू0 प्रधान की सम्पत्ति पर मौजूदा प्रधान द्वारा कब्जा किये जाने विषयक प्रश्न-कर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

59-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरही नेवादा, परगना पन्द्रह, त0 व जिला वाराणसी के मोतीलाल भू0 पूर्व प्रधान वगैरह की मय साबूत

गांव सभा की सम्पत्ति को मौजूदा प्रधान तथा मौजूदा प्रधान के पिता, पूर्व प्रधान द्वारा स्वयं तथा अपने लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने, उस पर स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा अवैध मकान बनाने, अपने चकों में मिला लेने के बारे में प्रार्थना पत्र को श्रीमान कमिश्नर, वाराणसी को 26 सितम्बर, 91 तथा राजस्व मंत्री को 26 सितम्बर, 91 को अपने पत्रों के साथ प्रश्नकर्ता ने दिया है? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी और किन-किन अधिकारियों द्वारा मौके पर जांच की गई? क्या यह सही है कि उक्त प्रार्थना पत्र में गांव सभा की सम्पत्ति का मय नम्बर व रकबे के साथ फोटो स्टेट की कापी भी संलग्न की गयी है? यदि हां, तो अब तक उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

अतिक्रमणाधीन भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 122 बी, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है । अपर जिलाधिकारी प्रशासन (वाराणसी) द्वारा तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भूलेख निरीक्षक के साथ जांच की गयी।

जी हाँ।

उपरोक्त कार्यवाही की गयी है।

**जिला वाराणसी में कतिपय नदियों पर पुल तथा मार्ग बनाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

60-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी के कठिरांव-नेवादा-अनेई मार्ग व वरूणा नदी में कुंडी सत्तनपुर में पुल तथा पिंडरा ओदार गरथमा मार्ग, देवराई बरवां मार्ग तथा नाद नदी में पुल ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता ने दि0 26 सितम्बर, 91 को उन्हें व सचिव, लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा था, जिसमें राज्य सेक्टर में उक्त निर्माण कार्यों को लेने हेतु लिखा था तथा एक पत्र में मंत्री जी से अगस्त व सितम्बर, 91 के प्रथम सप्ताह में अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि इन मार्गों एवं दोनों पुलों का इस्टीमेट बनाकर राज्य सेक्टर में लेने हेतु लोक निर्माण विभाग वाराणसी ने 90-91 के वित्तीय वर्ष में सरकार को भेजा था? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त कार्यों को राज्य सेक्टर में रखने की स्वीकृति प्रदान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

जी हाँ, अगस्त, 1991 का पत्र प्राप्त हुआ है।

सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या मांगी गई है।

शासन को कोई इस्टीमेट नहीं भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**हरदोई की तहसील संडीला से सेवा निवृत्त लेखपाल श्री रामेश्वर प्रसाद की पेंशन, निर्धारण बीमा, जी0पी0एफ0 आदि भुगतान न करने का कारण**

61-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सन्डीला से 31 जनवरी, 1988 को सेवा निवृत्त लेखपाल श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी सैलापुर, तहसील बिलग्राम, जनपद-हरदोई की पेंशन निर्धारण तथा बीमा, जी0पी0फण्ड का भुगतान न किये जाने के क्या कारण है? क्या पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी कें विरूद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद हरदोई की तहसील संडीला से 31 जनवरी, 1988 को सेवा निवृत्त श्री रामेश्वर प्रसाद, निवासी सैलापुर, तहसील बिलग्राम के पेंशन/ग्रेच्युटी/बीमा प्रपत्रों पर हस्ताक्षर न होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ।

श्री रामेश्वर प्रसाद सेवानिवृत्त लेखपाल को अनन्तिम पेशंन/ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। जी0पी0 फण्ड की 90 प्रतिशत धनराशि का भी भुगतान किया जा चुका है। शेष 10 प्रतिशत के लिये महालेखाकार उ0प्र0 को लिख दिया गया है। सामूहिक बीमा के भुगतान हेतु बीमा निदेशालय को दावा पेश किया जा चुका है। अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी/बीमा आदि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी, हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**स्व0 श्री रमेश प्रसाद शर्मा, लेखपाल तहसील किरावली, आगरा मृतक के आश्रित श्री राकेश कुमार शर्मा को नौकरी न देने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही**

62-श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राम लखन-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश प्रसाद शर्मा, लेखपाल, तहसील-किरावली, जनपद-आगरा की मृत्यु दिनांक 8-9-74 को सेवा अवधि में हुई थी? यदि हां, तो क्या श्री राकेश कुमार शर्मा, मृतक आश्रित श्री रमेश प्रसाद शर्मा ने 12/87 में नियुक्ति के लिए प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो मृत

कर्मचारी के आश्रित को नौकरी न मिलने के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उसे सेवा में कब तक ले लिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

प्राप्त सूचनानुसार श्री रमेश प्रसाद शर्मा, लेखपाल तहसील किरावली, जनपद आगरा की मृत्यु दिनांक 8-9-74 को नहीं वरन् दिनांक 8-11-74 को सेवाअवधि में हुई थी। मृतक के आश्रित श्री राकेश कुमार शर्मा, का प्रार्थना पत्र दिनांक दिसम्बर, 1987 जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया। उनका दूसरा प्रार्थना-पत्र दिनांक 15-7-90 जिलाधिकारी आगरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर श्री राकेश कुमार शर्मा की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (मिर्दा) चैनमैन के पद पर दिनांक 9-1-92 को तहसील बाह जनपद आगरा में की जा चुकी है।

**जनपद लखीमपुर की तहसील निघासन में गत वर्ष आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त झोपड़ियों तथा घरों के निर्माण हेतु अनुदान**

63-श्री निरवेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर की तहसील-निघासन में गत वर्ष आयी बाढ़ से कितने झोपड़ियां एवं घर गिर गये थे? कितनों को अनुदान दिया गया एवं कितनों को देना शेष है? उनको उक्त अनुदान कब तक दे दिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद लखीमपुर की तहसील निघासन में वर्ष 1990 में आई बाढ़ में 702 व्यक्तियों की झोपड़ियाँ गिर गई थी, जिन्हें 1,40,400/-रु0 की सहायता गृह अनुदान के रूप में नकद वितरित की गई। किसी को अनुदान दिया जाना शेष नहीं है।

**लखीमपुर खीरी में तहसील निघासन के परगना पलिया में चकबन्दी के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग**

64-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील निघासन के परगना पलिया व तहसील निघासन के सभी ग्रामों में चकबन्दी का कार्य सम्पन्न करा दिया गया है? यदि नहीं, तो लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ की गई चकबन्दी का कार्य पूरा न कराये जाने के क्या कारण है? इस कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा? उक्त चकबन्दी में इतना विलम्ब होने का उत्तरदायित्व किस पर है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? कितने ग्राम चकबन्दी कार्य से वंचित रह गये हैं?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं। तहसील निघासन के कुल 203 ग्रामों में से 156 ग्रामों को चकबंदी योजना में शामिल किया गया जिसमें से 115 ग्रामों में चकबंदी का कार्य

पूरा हो चुका है।

20 ग्राम ऐसे हैं जिसमें चकबंदी कार्य को चलते 10 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इन ग्रामों में अधिकतम जोत सीमा आरोपण के अन्तर्गत खातेदारों पर कार्यवाही करने और अतिरिक्त घोषित भूमि के आवंटियों को चक प्रदिष्ट करने के कारण नये सिरे से अभिलेख तैयार करने व कतिपय ग्रामों में मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण, चकबंदी कार्य लम्बित है।

अवशेष ग्रामों का सभी कार्य अनुमानतः जून, 1992 तक पूरा हो जायेगा। इस विलम्ब के लिए कोई अधिकारी व कर्मचारी दोषी नहीं है अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

47 ग्रामों को चकबंदी हेतु उपयुक्त न होने के कारण चकबंदी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

**जनपद आगरा व फिरोजाबाद की सीमापर स्थित यमुना नदी के नौरंगी घाट के अपूर्ण पुल को शीघ्र बनाये जाने की मांग**

65-श्री झाऊ लाल यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी के नौरंगी घाट जो जनपद फिरोजाबाद तथा आगरा की सीमा पर है, पर पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कार्य अवरूद्ध है।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नही उठता।

**राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश के रख-रखाव और कार्यरत अधिकारियों व कर्मचरियों के वेतन भत्ते आदि पर हुए वार्षिक व्यय का विवरण**

**66-श्री बृजराज त्रिपाठी-**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं? राजस्व परिषद् के रख-रखाव तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि पर वार्षिक व्यय कितना है? क्या राजस्व परिषद् को जनहित में समाप्त करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा इलाहाबाद कार्यालय में 79 अधिकारी तथा 575 कर्मचारी कार्यरत हैं।

राजस्व परिषद् के रख-रखाव तथा अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि कर वर्ष 1991-92 में रु0 2,33,26,000/- (दो करोड़ तैंतीस लाख छब्बीस हजार रुपये मात्र) का बजट प्राविधान है।

राजस्व परिषद् को बनाए रखने अथवा समाप्त किये जाने के प्रकरण पर शासन स्तर पर गठित कमेटियों द्वारा कई बार विचार किया जा चुका है। शासन की राजस्व नीतियों एवं कार्यक्रमों को राजस्व परिषद् द्वारा मण्डल स्तर से ग्रामीणांचल तक सफलतापूर्वक क्रियान्वित कराया जा रहा है। राजस्व परिषद् राजस्व वादों के लिए सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय भी है। राजस्व प्रशासन की शीर्ष संस्था एवं अपीलीय न्यायालय के रूप में सम्प्रति राजस्व परिषद् को बनाये रखने का पूर्ण औचित्य है।

**सरकार द्वारा कृषकों के लिए चीनी का कोटा बढ़ाये जाने की मांग**

67-सुरेन्द्र प्रताप कुं0-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने से बनाने वाली चीनी किसानों को मात्र 250 ग्राम प्रति यूनिट दी जाती है जबकि फैक्ट्री कर्मचारियों को अधिक चीनी राशन कार्डों पर उपलबध रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण कृषकों के हितों को देखते हुये उन्हें चीनी का कोटा बढ़ाने जा रही है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ, प्रदेश में राशन कार्ड पर चीनी दर निम्नवत है:-

1- पर्वतीय जनपदों तथा मैदानी जनपदों के शहरी क्षेत्रों में एक किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह।

2- मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह।

3- फैक्ट्ररी कर्मचारियों के वितरण की अन्य कोई दर निर्धारित नहीं है।

वितरण दर के अन्तर को समाप्त किये जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के कोटे में वृद्धि न किये जाने के कारण वर्तमान कोटा प्रदेश की आवश्यकता के लिये पहले ही अपर्याप्त है।

**चकबन्दी विभाग के सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त मिलने वाले लाभों को दिलाने की मांग**

68-सुरेन्द्र प्रताप कुंवर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग में ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, जो जुलाई, 1984 में सेवा निवृत्ति हो गये हैं,

किन्तु उनको पेंशन अभी तक नहीं मिली? क्या सेवा निवृत्ति के उपरान्त मिलने वाले अन्य लाभों से भी उनको पेंशन तथा अन्य लाभों को दिलाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये हैं?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री पी0 सी0 यादव के खिलाफ जांच के निष्कर्षों से सदन को अवगत कराने की मांग**

69-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि देवरिया जनपद के वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री पी0 सी0 यादव के खिलाफ शासन के निर्देश पर सितम्बर, 1990 में उप निदेशक समाज कल्याण, फैजाबाद मण्डल ने कोई जांच की थी? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या जांच के निष्कर्षों से सदन को अवगत करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

उक्त अवाध में जांच चल रही थी।

जी हॉ।

जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को वित्तीय घोटाले के आरोप में निदेशक समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल की रिपोर्ट पर कार्यवाही**

70-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल ने अक्टूबर/नवम्बर 1990 में शासन को प्रेषित जांच रिपोर्ट में देवरिया जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन अनुदान भुगतान में लगभग बीस लाख रुपये घोटाले का उल्लेख किया है? क्या उक्त घोटाले में जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को जिम्मेदार ठहराया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को वित्तीय घोटाले के आरोप में निलम्बित करेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। अपितु जनपद देवरिया में विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के आवर्तक अनुदान के भुगतान के संबंध में उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल की माह नवम्बर 1990 में की गयी जॉच आख्या शासन को प्राप्त हुई है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

71-श्री शिवचरण प्रजापति-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

**जिला जालौन के कालपी परगना में ग्राम सभाओं की उपलब्ध बंजर परती भूमि को पात्र व्यक्तियों में कृषि तथा आवास हेतु आवंटन की मांग**

72-श्री श्रीराम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-जालौन के कालपी परगना के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की उपलब्ध बंजर/परती तथा आवास हेतु सुरक्षित भूमि को ग्राम सभा के पात्र व्यक्तियों में कृषि तथा आवास हेतु आवंटन हो चुका है? यदि नहीं, तो ऐसे कितने ग्राम है, जिनमें चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो चुकी है या चकबन्दी क्रियाओं से बाहर है और उनमें अभी तक कृषि आवास हेतु भूमि का आवंटन नहीं हुआ है? क्या सरकार ऐसे ग्रामों में अविलम्ब आवंटन कार्यवाही करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

प्रश्नगत 215 ग्रामों में से 178 ग्रामों में आवंटन की कार्यवाही दिनांक 30-11-91 तक पूर्ण हो चुकी है। इन 215 ग्रामों में से 162 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो चुकी हैं तथा 53 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें लागू नहीं हुई हैं। शेष 37 ग्रामों में आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

**ग्राम लोरिया पट्टी तहसील व जिला मथुरा में हुई चकबन्दी के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र पर चकबन्दी आयुक्त द्वारा जांच एवं कार्यवाही**

73-श्री राम शरण सिंह (अलीगढ़)-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के जनवरी 91 के ग्राम लोरिया पट्टी तहसील व जिला मथुरा के चकबन्दी के शिकायती पत्र पर चकबन्दी आयुक्त ने कोई जांच आदेश 24-1-91 को दिए थे? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? क्या उस आख्या के आधार पर कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जांच के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न अनियमितताएं प्रकाश में आयीं

1- सेक्टर का निर्माण निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया।

2- चक निर्माण आयतीकरण आधार पर नहीं किया गया।

3- कुछ चकों की आकृति चौकोर नहीं बनायी गई है।

4- बहुत से चकदारों को उड़ान चक प्रदिष्ट किये गये हैं।

5- कुछ चकदारों को चकरोड, नाली नहीं दी गई है।

6- ग्राम सोख रसूलपुर मार्ग पर कीमत लगी हुई है। किन्तु चक में प्रदिष्ट नहीं किया गया है और न सड़क नक्शें में दर्शायी गई है।

उक्त अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये चकबंदी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई तथा अनियमिताओं का निराकरण नियमानुसार करा दिया गया है तथ कृषकगण संतुष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील रूदौली, जनपद बाराबंकी के मालगुजारी की वसूली विषयक श्री राम खेलावन मौर्य के पत्र पर कार्यवाही**

74-श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील रुदौली, जनपद-बाराबंकी स्थित तालाब सं0 70, 8, 65 एवं 209 की बकाया मालगुजारी को रूप-पत्र 3-क जारी करके वसूल करने हेतु उपरोक्त गांव सभा के ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य का अनुरोध पत्र दिनांक 26-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। तालाब संख्या-8 की वार्षिक मालगुजारी रु0 550/- तालाब संख्या 65 की वार्षिक मालगुजारी रु0 315 एवं तालाब संख्या 70 की वार्षिक मालगुजारी रु0 672/- वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व ग्राम प्रधान बरावां द्वारा स्वयं वसूल करके गांव सभा के खाते में जमा किया जा चुका है। तालाब संख्या 209 की वसूली हेतु अध्यक्ष/चेयरमैन भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा रूप-पत्र 3-क प्रस्तुत न करने से इसकी वसूली नहीं करायी जा सकी है।

75-श्री राम गोविन्द चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां परगना व तहसील रुदौली, जनपद बाराबंकी स्थित तालाब सं0 8 की बकाया मालगुजारी में तहसील राम सनेही घाट के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा वसूल की गई है, को ग्राम सभा के खाते में जमा करने के सम्बन्ध में उपरोक्त गांव सभा के ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य का प्रार्थना पत्र दिनांक 28-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

श्री राम खेलावन मौर्य, ग्राम प्रधान का पत्र दिनांक 26-8-91 प्राप्त हुआ। प्रश्नगत तालाब की बकाया मालगुजारी 6800/- रु0 की वसूली की गयी।

इस धनराशि में से 3,800/- रु0 दिनांक 22-1-92 को ग्राम प्रधान को हस्तगत करायी गयी। शेष 3,000/-रु0 की धनराशि शीघ्र हस्तान्तरित कराने एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जिला अधिकारी बाराबंकी को निर्गत कर दिये गये हैं।

**उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के राजस्व अनुभाग-2 द्वारा वरिष्ठता सूची का उल्लंघन करके संग्रह अमीनों की वरिष्ठता सूची में कलेक्शन अमीन, कोटिक्रम सं0 2017 को नायब तहसीलदार पद पर अनियमित प्रोन्नति की जांच की मांग**

76-श्री जी0 एस0 विनोद, श्री कृष्ण वीर सिंह तथा श्री शिव चरण प्रजापति-

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के राजस्व अनुभाग-2 द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर, 1990 में नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति हेतु जारी की गयी संग्रह अमीनों की वरिष्ठता सूची में उल्लिखित जनपद फैजाबाद में कार्यरत कलेक्शन अमीन (वर्तमान नायब तहसीलदार) जिसका कोटिक्रम सं0 2017 है, को दो वर्ष पूर्व ही स्थानीय व्यवस्था में नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है? क्या उक्त जनपद में ही कार्यरत उक्त कलेक्शन अमीन से वरिष्ठ 40 कर्मचारियों को अभी तक प्रोन्नति नहीं दी गयी है? क्या सरकार इस अनियमित प्रोन्नति की जांच राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाकर प्रोन्नति देने वाले अधिकारी को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

स्थानीय व्यवस्था में दिनांक 6-5-90 को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति दी गई है।

वरिष्ठता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**वक्फ तकइया बेगम, मेंहदी बेगम तथा 'वक्फ अमजद अली खान' लखनऊ के गठन के प्रारम्भ में सम्पत्ति का विवरण एवं आय-व्यय**

77-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वक्फ तकइया बेगम मेंहदी बेगम तथा "वक्फ अमजद अली खान" लखनऊ के गठन के प्रारम्भ में सम्पत्ति का विवरण क्या था? अब तक वक्फ की कितनी सम्पत्ति किस-किस को, कितने-कितने रुपयों में बेची जा चुकी हैं? बेची गई सम्पत्ति से प्राप्त धनराशि

के आय-व्यय का विवरण क्या है?

श्री एजाज रिजवी-

प्रश्नगत अवकाफ के गठन के प्रारम्भ में सम्पत्ति का विवरण निम्नवत् था:-

**वक्फ तकैया बेगम व मेंहदी बेगम-**

(अ) सम्पूर्ण मौजा शाहपुर गोवारी, परगना देवाँ, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी।

(ब) मौजा धौरहरा मोहाल नवाब तकैया बेगम, परगना-देवाँ, तहसील-नवाबगंज, जिला बाराबंकी।

(स) आराजियात उफ्तादा दुकान नं0-776 लगायत 790, मकान नं0-760, मोहल्ला-बेगमगंज, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी।

**वक्फ अमजद अली खाँ-**

(अ) आवासीय मकान श्री गुफरान के उत्तर में खड़ंजा, पूरब में इमामबाड़ा नवाब अमजद अली खाँ, पश्चिम में सड़क खड़ंजा स्थित मोहल्ला-रस्सी बटान, लखनऊ।

(ब) सम्पूर्ण मौजा जरेरा, जिला-बाराबंकी में दो आने आठ पाई वक्फ हुआ है।

(स) मौजा उनामीपुर व सुकलाई बवारा कुन्दा, परगना-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी में दो आने आठ पाई वक्फ हुआ है।

वक्फ तकैया बेगम व मेंहदी बेगम की वक्फ सम्पत्ति में से प्लाट नं0-732, मौजा शाहपुर गोवारी, जिला-बाराबंकी में रु0 1000/- की कीमत लेकर श्री केदारनाथ पुत्र श्री प्रभुदयाल, निवासी शाहपुर गोवारी, जिला-बाराबंकी को बोर्ड के आदेशों के अन्तर्गत बेची गई थी।

इसी प्रकार मौजा धौरहरा, तहसील-नवाबगंज, जिला-बाराबंकी निवासी-श्री रामदास व श्री सन्तराम जैसवाल पुत्रगण श्री छेदा के पक्ष में रु0 2900/- की कीमत लेकर बोर्ड के आदेशों के अन्तर्गत बेची गई थी।

वक्फ अमजद अली खाँ की कोई सम्पत्ति विक्रय नहीं की गई है।

विक्रय की गयी सम्पत्ति से प्राप्त मुबलिग 2100/- रुपये की धनराशि को वक्फ से सम्बन्धित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वक्फ के प्रशासक श्री ताहिर अली खाँ को बोर्ड द्वारा दे दी गयी थी और शेष धनराशि मुबलिग रु0 1800/- बोर्ड के बचत खाते में जमा कर दी गयी है।

**उ0प्र0 राजस्व परिषद् द्वारा नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति हेतु संग्रह अमीनों की वरिष्ठता सूची में कोटिक्रम सं0 2017 के कर्मचारी को कोटिक्रम सं0 1085 संबंधित कर्मचारी से पहले प्रोन्नति दिये जाने पर आपत्ति**

78-श्री जी0 एस0 विनोद, श्री कृष्णधार सिंह तथा श्री शिव चरण प्रजापति-

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के राजस्व अनुभाग-2 द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर, 1990 के मध्य नायब तहसीलदार के

अनुभाग-2 द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर, 1990 के मध्य नायब तहसीलदार के पदों पर प्रोन्नति हेतु जारी की गयी संग्रह अमीनों की वरिष्ठता सूची में जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारी जिसका कोटि क्रम सं0 2017 है, को कोटि क्रम संख्या 1085 के कर्मचारी से एक वर्ष पूर्व ही स्थानीय व्यवस्था में नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति दे दी गयी है? यदि हां, तो इस विषमता का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच राजस्व परिषद् के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी और अनियमित प्रोन्नति को समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

कोटिक्रम 2017 वाले कर्मचारी को कोटिक्रम 1085 वाले कर्मचारी से केवल 4 माह पूर्व स्थानीय व्यवस्था में नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति दी गई।

वरिष्ठता के सम्बन्ध में मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जी नहीं, प्रश्न नही उठता।

**जनपद मैनपुरी में अनुसूचित जाति के परिवारों के लक्ष्य को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग**

79-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनुपरी जनपद में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वित्त निगम के निर्धारित 900 लक्ष्य पूरे हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। प्रश्नगत योजना भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता से संचालित है। वर्ष 1990-91 में वांछित सहायता प्राप्त न हो पाने के कारण जनपद मैनपुरी के लिए निर्धारित 900 परिवारों के लक्ष्य के विपरीत 812 परिवारों को ही लाभान्वित किया जा सका।

**विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जिला मैनुपरी मे इसिन नदी या काली नदी पर स्वीकृत पुल एवं सांकिसा से भोगांव को सड़क द्वारा जोड़े जाने की मांग**

80-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव मैनपुरी में इसिन नदी या काली नदी पर कोई पुल स्वीकृत हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या हुमायूँपुर राजघाट काली नदी पर बौद्ध जगत के तीर्थ स्थल संकिसा से भोगांव को जोड़े जाने के लिए सड़क का निर्माण कराया जाना शासन के

विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रदेश के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में अपूर्ण सेतुओं को संसाधन आवंटन में वरीयता दी जा रही है।

जी नहीं।

यह मार्ग जिला योजना की परिधि में आता है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में ग्राम सभाओं के पात्र व्यक्तियों को साधारण आवास/हरिजन आवास का पट्टा दिया जाना**

81-श्री बाला प्रसाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में 1 जनवरी, 1991 से अक्टूबर, 91 तक किस-किस ग्राम सभा में किन-किन व्यक्तियों को साधारण आवास/हरिजन आवास का पट्टा प्रदान किया गया है? क्या पट्टा प्रदान करने के पूर्व परगना अधिकारी किसी ग्राम सभा में खुली बैठक कराने गये थे और पात्र व्यक्तियों का चयन कराया था? यदि हां, तो कितनी ग्राम सभायें है जहां पर पट्टा दे दिया गया लेकिन अभी तक आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया? क्या सरकार कब्जा दिलाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में 1 जनवरी, 1991 से अक्टूबर, 1991 तक ग्राम सभा डाबर, रामलोक महेवा, धुन्धकलां, मितौला, चकनाथपुर, शेखपुर, चिकनाजती, और देवीपुरवा में 698 व्यक्तियों को आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित की गयी है।

जी नहीं। परगनाधिकारी किसी भी ग्राम सभा में खुली बैठक में भाग लेने कार्य अधिकता के कारण नहीं गए थे।

उल्लिखित सभी ग्राम सभाओं में पट्टा तथा कब्जा आवंटियों को दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवंटित व्यक्तियों को सूची + सदन के पटल कार्यालय पर रख दी गई है।

**जनपद हरदोई तहसील बिलग्राम में बाढ़ का मुकाबला करने के लिए किराये पर ली गई नावों तथा कतिपय केवटों की मजदूरी का भुगतान किये जाने की मांग**

82-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में 1988-89 में आई बाढ़ का मुकाबला करने के लिये तहसील बिलग्राम के सर्वश्री जयराम,

---

+ पटल पर रखी गई।

परसादी निवासीगण दनई पुरवा मजरा कटरी छिबरामऊ तथा सर्वश्री रूप लाल एवं महंगे निवासीगण चिरंजू पुरवा मजरा कटरी बछोहिया की नावें किराये पर लेकर सर्वश्री राम औतार श्याम लाल मेवा लाल, राम रतन, राम पाल, जयराम, रामकुमार, जैपाल, गंगादयाल, माधों एवं कालिका नामक केवटों (मल्लाहों) का इस्तेमाल किया गया था? यदि हां, तो नावों के किराये तथा केवटों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने के क्या कारण है और भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। वर्ष 1988-89 में आई बाढ़ का मुकाबला करने के लिए तहसील बिलग्राम के श्री परसादी निवासी दनई पुरवा मजरा कटरी बछोहिया तथा सर्वश्री रूप लाल एवं मंहगे निवासी चिरंजूपुरवा व मजरा कटरी बछोहिया की नावें किराये पर लेकर सर्वश्री राम औतार, श्याम लाल, मेवा लाल, राम रतन, राम पाल, जयराम, राम कुमार, जैपाल, गंगादयाल एवं कालिका नामक केवटों (मल्लाहों) को लगाया गया था।

जयराम पुत्र छेदन नाव मालिक न होकर केवट के रूप में लगाया गया था। माधो पुत्र नरायन केवट न होकर नाव मालिक थे, जिनकी नाव भी किराये पर ली गई थी।

इस प्रकरण में उदासीनता/लापरवाही के लिए उत्तरदायी तत्कालीन तहसीलदार बिलग्राम के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसके बावजूद नावों के किराये के मद में जिला प्रशासन को वांछित धनराशि का आवंटन किया जा चुका है।

**बांदा के तिन्दवारी क्षेत्र में उसरा नाला पर पुल के स्थल चयन एवं सर्वेक्षण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्रांक संख्या 1027/वी0आई0पी0/91 दिनांक 28-8-91 जो तिन्दवारी क्षेत्र जनपद बांदा में उसरा नाला पर पुल का स्थल सर्वेक्षण व चयन के सम्बन्ध में हैं? उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या इस वर्ष उसे प्लान में शमिल कर पुल का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

पुल के स्थल चयन एवं सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थल चयन एवं सर्वेक्षण के बाद तुलनात्मक आवश्यकता,क्षेत्रीय संतुलन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

**कानपुर-देहात के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं को धनराशि का भुगतान करने की मांग**

84-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र-राजपुर, जिला कानपुर देहात के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विधवा पेंशन पाने वाली विधवाओं को गत कई महीनों से पेंशन प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो इनको महीनेवार पेंशन न दिये जाने के क्या कारण है और क्या सरकार कोई ऐसा प्रबंध करने की सोच रही है कि ऐसी पेंशन पाने वाली विधवाओं का खाता नजदीक की बैंक में खोल दिया जाये और उसमें हर महीने सरकार पेंशन का रुपया भुगतान कर दे? यदि हां, तो ऐसा कब तक होगा?

श्री रमापति शास्त्री-

विधान सभा क्षेत्र राजपुर जिला कानपुर देहात के आने वाले गांवों की विधवा भरण पोषण अनुदान प्राप्त करने वाली विधवाओं को पूरे वित्तीय वर्ष 1991-92 की अनुदान की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

विधवा भरण पोषण अनुदान की धनराशि त्रैमासिक भुगतान करने की व्यवस्था है। महीनेवार भुगतान की व्यवस्था नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार पाने में मदद कर रही प्रशिक्षण योजनाओं को बन्द किये जाने का कारण**

85-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार पाने में मदद देने हेतु चलाई जा रही टंकण आशुलिपिक, घड़ी मैकेनिक, रेडियो मैकेनिक आदि के प्रशिक्षण की योजनायें बन्द कर दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के युवकों को किन किन योजनाओं के निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति सहित जारी थे? उनमें से कौन प्रशिक्षण बंद हो चुके हैं? कि न प्रशिक्षणों के बन्द करने के प्रस्ताव विचाराधीन है एवं कौन प्रशिक्षण सरकारी जारी रखना चाहती है?

श्री रमापति शास्त्री-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा टंकण/आशुलिपि तथा बढ़ईगीरी/हथकरघा प्रशिक्षण योजना को बन्द करके इन्हें क्रमशः श्रम विभाग तथा उद्योग विभाग के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव [illegible] है, जो शासन के विचाराधीन है। वर्तमान में उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त मोटर आरमेचर बाइन्डिंग, प्लम्बिंग एवं पाइप फिटिंग,

इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत, पम्पिंग सेट मरम्मत, फाइवर ग्लास मोल्डिंग प्रशिक्षण योजनायें संचालित की जा रही हैं जिन्हें बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1991-92 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फोटो लैमिनेशन तथा पं0 दीन दयाल स्वालम्बन योजना आदि नये प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए गये हैं। उपर्युक्त प्रशिक्षण योजनाओं में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण तथा रु0 200/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति की सुविधा भी अनुमन्य है।

**लखनऊ विश्व विद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यनरत विकलांगो को छात्रवृत्ति दिये जाने की मांग**

86-श्री लीला राम शर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यनरत विकलांग छात्रों की वर्ष 1990-91 के छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो वह भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

श्री रमापति शास्त्री-

लखनऊ विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यनरत 122 पात्र विकलांगों को वर्ष 90-91 की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी गयी है एवं उनमें से 112 छात्रों के छात्रवृत्ति की धनराशि संबंधित विश्वविद्यालय महाविद्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अवशेष 10 छात्रों की छात्रवृत्ति भुगतान की कार्यवाही फरवरी 92 तक हो जायेगी।

**श्री भाष्कर दत्त कापड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाइन्स नैनीताल का स्थानान्तरण आदेश तथा देय यात्रा भत्ता का निरस्तीकरण**

87-श्री लीला राम शर्मा-

समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि श्री भाष्कर दत्त कापड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्थानान्तरण माह जुलाई, 1991 को उनके स्वयं के अनुरोध पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र पाइन्स नैनीताल से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय पिथौरागढ़ को हुआ था तथा श्री भाष्कर दत्त कापड़ी ने दिनांक 9-8-91 को अपना कार्यभार जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय पिथौरागढ़ में ग्रहण कर लिया तथा माह अगस्त का वेतन भी जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय पिथौरागढ़ से प्राप्त किया है? क्या इसके पश्चात माह सितम्बर के अंतिम सप्ताह में इनका स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया तथा इनको वापस पाइन्स नैनीताल जाने को कहा गया? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उनका स्थानान्तरण

आदेश किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया तथा इस स्थानान्तरण के फलस्वरूप इनको जो यात्रा-भत्ता देय होगा उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी श्री रघुनाथ प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा पारिवारिक परिस्थितियों के कारण किये गये अनुरोध पर निदेशक समाज कल्याण के आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 1991 के द्वारा श्री भाष्कर दत्त कापड़ी एवं श्री रघुनाथ प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण निरस्त किया गया। श्री कापड़ी ने पिथौरागढ़ से नैनीताल की यात्रा हेतु स्थानान्तरण यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया है, अतः किसी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता।

**बाराबंकी, तहसील फतेहपुर, ग्राम प्रधान ग्राम-सभा-ज्योली द्वारा स्व0 नरायन हरिजन की ग्राम समाज की भूमि को अपने पुत्र के नाम वरासत करवाना तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

88-श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम सभा-ज्योली, तहसील-फतेहपुर, जिला बाराबंकी द्वारा स्व0 नरायन हरिजन की ग्राम समाज की भूमि को अपने ही पुत्र सुनील वर्मा के नाम वरासत करवा लेने के सम्बन्ध में दोषी लेखपाल/भूलेख निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है? यदि हां, तो इस धोखाधड़ी के लिये ग्राम प्रधान के विरूद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा न चलाये जाने का क्या औचित्य है? क्या ग्राम प्रधान को कोई आर्थिक दण्ड दिया गया है?यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि ग्राम प्रधान से वसूल कर ली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद बाराबंकी के प्रश्नगत ग्राम में मृतक खातेदार को गलत वरासत आदेश कराने वाले लेखपाल श्री हरभजन को परगनाधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है किन्तु उक्त वरासत आदेश पारित करने वाले भूलेख निरीक्षक श्री मनोहर लाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रधान के विरूद्ध धोखाधड़ी की कार्यवाही का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत समुचित कार्यवाही की जावेगी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड कोट द्वारा गढ़वाल को श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज का मार्ग/पुल बनाने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

89-श्री कृष्ण चन्द्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड कोटद्वार गढ़वाल को श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज ने पत्रांक

124/पी0सी0/दि0 जून 29, 1991 के एक पत्र देवी मंदिर से कौड़िया मोटर मार्ग के सतह लेपन एवं देवी रोड पर एक पुलिया के टूट जाने के संबंध में दिया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**ग्राम बालासौड़, विकास खण्ड दुगड्डा, जनपद पौड़ी में एक सस्ते गल्ले की दुकान में की गयी अनियमितताओं की जांच तथा दोषी को सजा देने की मांग**

90-श्री कृष्ण चन्द्र-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बालासौड़ विकास क्षेत्र दुगड्डा जनपद पौड़ी में एक सस्ते गल्ले की दुकान है? यदि हां, तो इसमें कुल कितने कार्ड धारक हैं? क्या यह सत्य है कि इस दुकान से चावल और गेंहू अपने रजिस्टर में फर्जी ढंग से चढ़ाकर कार्ड धारकों के बजाये बाजार में बेचा जाता है? क्या यह भी सही है कि चीनी की बोरी गोदाम से सीधी बाजार में चली जाती है तथा मिट्टी का तेल भी दुकान के बजाये बाजार में बेंचा रहा है? क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी कि सस्ते गल्ले की दुकान के साथ-साथ निजी परचून की दुकान एक साथ किस आधार पर की जा रही है? क्या सरकार सतर्कता अथवा सी0 आई0 डी0 द्वारा मामले की जांच करायेगी और दोषी को सजा दिलायेगी?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

इसमें 385 कार्ड धारक है।

दुकान की आकस्मिक जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा कराई गई। जिसमें यह आरोप सत्य नहीं पाया गया।

जी नहीं।

सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान में परचून की दुकान कार्यरत नहीं है।

उक्त जांच से अब इसकी आवश्यकता नही प्रतीत होती है।

**गढ़वाल के तहसील कोट्दवार में कार्यरत श्री तुलाराम भारद्वाज की मृत्यु तथा उनकी पत्नी को परिवारिक पेंशन न दिये जाने के कारण**

91-श्री कृष्ण चन्द्र-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील-कोट्दार के ग्राम-बालासौड़ के श्री तुलाराम भारद्वाज पुत्र बुथाराम भारद्वाज खाम भावर तहसील (तहसील-कोटद्वार) में चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवारत थे? क्या सेवाकाल के दौरान दि0 20 मई, 1966 ई0 को तुलाराम भारद्वाज की मृत्यु हो गई थी ? क्या मृतक की विधवा श्रीमती मनोरथी देवी ने वर्ष 1985-86 से लगातार पारिवारिक पेन्शन के लिए आवेदन किया था? यदि हां, तो आज तक पूरी जांच कार्यवाही होने के बाद भी पेंशन का भुगतान न

किये जाने का क्या कारण है? इसके लिए दोषी कौन है और दोषी अधिकारी के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

अगस्त, 1986 से पूर्व नियमानुसार श्रीमती मनोरथी देवी को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं थी। अगस्त, 1986 के नवीन शासनादेश के अधीन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होने पर तथा जिलाधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त पेंशन स्वीकृति हेतु आवश्यक आदेश जिलाधिकारी गढ़वाल को दे दिये गये हैं। उन्हें यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि किसी कर्मचारी को महालेखाकार कार्यालय भेजकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी करा लें जिससे पारिवारिक पेंशन का भुगतान शीघ्र हो सके।

**जनपद जालौन के परगना कालपी में स्थित ग्राम मुसमरिया में चकबन्दी क्रियाओं में हुई अनियमितताएं एवं ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की मांग**

92-श्री श्रीराम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के परगना कालपी में स्थित ग्राम-मुसमरिया में चकबन्दी क्रियाओं के बाद खलिहान, मरघट, खाद के गड्ढे व कुम्हारी मिट्टी, हडवार, हरिजन आबादी, व सामान्य आबादी हेतु भूमि छोड़ी गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि उपरोक्त सभी प्रकार की जनहित में सुरक्षित ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम के लोगों ने अवैध कब्जा करके फसल बो दी है? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रकार की सुरक्षित ग्राम सभा की भूमि से अवलिम्ब अनाधिकार कब्जा हटवाने हेतु कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी नहीं। ग्राम के किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा करके फसल नहीं बोई है।

प्रश्न नहीं उठता?

**जनपद जालौन की तहसील कालपी में जनगणना कार्य में नियुक्त पदों की समाप्ति के बाद श्री बृजलाल की नियुक्ति न किये जाने के कारण**

93-श्री श्रीराम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन की प्रत्येक तहसील में राष्ट्रीय जनगणना कार्य में नियुक्त सभी कर्मचारियों की उनके पदों की समाप्ति के बाद जिलाधिकारी जालौन द्वारा पुनः रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय

जनगणना कार्य में तहसील कालपी में वर्ष 1990 में कार्यरत रहे अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री बृजलाल पुत्र नत्थू की पुनः जनपद में रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु माननीय मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र और उनके द्वारा जिलाधिकारी जालौन को निर्देशित कराये जाने के बावजूद भी अब तक उसकी नियुक्ति नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सच है कि जिला अधिकारी जालौन उक्त श्री बृजलाल की नियुक्ति के आदेश जनपद राजस्व अधिष्ठान में लिपिक के रिक्त पद होने पर भी नहीं कर रहे हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

राष्ट्रीय जनगणना कार्य की समाप्ति के पश्चात जनगणना में नियुक्त 5 लिपिकों में से 4 लिपिक सर्वश्री विश्वनाथ शरण गुप्त, मानिक चन्द्र (अनुसूचित जाति) वीरेन्द्र कुमार तिवारी तथा राज बहादुर (पिछड़ी जाति) को कलेक्ट्रेट अधिष्ठान में उपलब्ध रिक्त पदों पर समायोजित कर लिया गया था। उपरोक्त 4 के अतिरिक्त एक कर्मचारी श्री बृजलाल का कार्य एवं आचरण खराब पाया गया था इसलिये उसे कलेक्ट्रेट में समायोजित नहीं किया गया था। श्री बृजलाल पुत्र नत्थू (अनुसूचित जाति), निवासी-फरहानपुर तहसील-कालपी के प्रार्थना-पत्र. दि0 19-7-91 के साथ श्री श्रीराम, विधायक कालपी क्षेत्र का पत्र दिनांक 19-7-91 प्राप्त हुआ था। मा0 सदस्य के उक्त पत्र पर संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री जी के द्वारा मात्र "जिलाधिकारी जालौन" लिखा गया था। चूंकि श्री बृजलाल का जनगणना कार्य अच्छा नहीं रहा था इसलिये उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया। जनगणना के कार्य हेतु चयन किये गये कर्मचारियों को जनगणना के कार्य के समाप्ति पर उन्हें सेवायोजन में वरीयता दिये जाने हेतु शासन के कोई पूर्व आदेश नहीं है तथा इसे शासनादेश सं0-41/2/67-कार्मिक-2/1991, दिनांक 12 नवम्बर, 1991 में स्पष्ट भी कर दिया गया है कि जनगणना से छटंनीशुदा कर्मचारियों को सेवायोजन में कोई वरीयता न दी जाय। चूंकि श्री बृजलाल जनगणना कार्य में ही सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सके, इसलिये उन्हें पुनः सेवायोजित किया जाना उचित नहीं पाया गया।

**संयोजक जिला जनता दल बाराबंकी का मुजफ्फरनगर के कैराना स्थित सेतु पर टोल एकत्रीकरण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र के विषय में कार्यवाही**

94-श्री राम शरण (खीरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयोजक जिला जनता दल बाराबंकी के शिकायती पत्र दिनांक 14-9-90 में जनपद मुज्जफरनगर के कैराना स्थित सेतु पर वर्ष 1982-83 में टोल एकत्रीकरण के संबंध में तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा जांच कराने के आदेश पत्रांक-2787/बी0/90, दिनांक 17-9-90 द्वारा दिए गए थे? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण करा ली गयी? यदि हां, तो जांच के

क्या परिणाम रहे? यदि नहीं, तो जांच कब तक पूर्ण करा ली जायेगी?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

प्रकरण में कोई तकनीकी बिन्दु निहित न होने के कारण तकनीकी प्रकोष्ठ से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

**उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा स्पेशल कम्पोनेंट योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में दुकानों का निर्माण एवं उनकी कीमतों की वसूली**

95-श्री राम शरण (खीरी)-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत योजना में दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में बनायी जा सकती है? यदि नहीं, तो अप्रैल 1990 में जनपद मुजफ्फरनगर में विकास खण्ड चरथावल, पुरकाजी, थाना भवन सामली में किस नियम एवं बजट से दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में बनायी गयी हैं? क्या उक्त योजना पर खर्च की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत ब्याज रहित धन लाभार्थी से वसूल किया गया? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से सरकारी धन की वसूली की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-1419/स्पे0कम्पो0/26-3-88-11(25/85 दिनांक 29 मार्च, 1988 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायिक स्थलों पर भी दुकानों का निर्माण अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार वसूली माह दिसम्बर, 1991 से अनुमन्य हुई है और तद्नुसार उक्त माह से वसूली प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखीमपुर खीरी में जी0 टी0 रोड से जलालपुर-भुखारा मार्ग को बनाने की स्वीकृत एवं सामग्री का क्रय तथा अधूरे पड़े कार्य सम्बन्धी प्रकरण की जांच कराये जाने की मांग**

96-श्री राम शरण (खीरी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में जी0 टी0 रोड से जलालपुर-भुखारा मार्ग लगभग तीन कि0 मी0 वर्ष 1977 में स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग के दोनों मोड़ों पर कार्य कराया गया? यदि नहीं, तो बीच में कार्य न पूर्ण कराने का क्या औचित्य था? क्या विभाग द्वारा मार्ग निर्माण हेतु समुचित सामग्री [illegible] की जा चुकी है? यदि हां,

तो कितनी-कितनी सामग्री किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी लागत की क्रय की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मार्ग निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर, जिम्मेदारी निर्धारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग 3.30 कि0मी0 की लम्बाई में अगस्त, 1984 में एक कोट सोलिंग हेतु स्वीकृत हुआ था।

स्वीकृति के अनुसार कार्य पूर्ण किया गया। मोड़ों पर भी कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये वर्षवार निम्नलिखित सामग्री क्रय की गयी।

| वर्ष | सामग्री | सामग्री के क्रय का मूल्य |
|---|---|---|
| | (40-90 एम एम गेज के पत्थर की रोड़ी) | (लाख रु0 में) |
| 1986-87 | 918.64 घनमीटर | 1,23,181.00 |
| 1987-88 | 398.48 घनमीटर | 52,537.00 |

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गढ़वाल (पौड़ी) में तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानूनगों के स्थाई व अस्थाई पद एवं उपयुक्त अभ्यर्थी होते हुए स्थाई पदों को न भरे जाने के कारण**

97-श्री भारत सिंह रावत-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल (पौड़ी) में तहसीलदार, रजिस्ट्रार, कानूनगों के कितने पद है? इन पदों में से कितने पद अस्थायी तथा स्थायी है? स्थायी पद किस-किस तिथि से उपलब्ध हैं तथा इन पदों पर किन-किन कर्मचारियों को किस-किस तिथि से स्थायी किया गया है? क्या यह सही है कि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध होते हुए भी स्थायी पदों को पद उपलब्ध होने की तिथि से भरा नहीं गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा कब तक इस विसंगति का निराकरण कर दिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

1- जनपद गढ़वाल (पौड़ी) में तहसीलदार के 5 पद हैं।

2- (अ)- तहसीलदार के 5 पद स्थाई हैं और इन पदों पर स्थाईकरण राजस्व परिषद् द्वारा प्रदेश स्तर पर संहित उपलब्ध पदों के अनुसार किया जाता है।

(ब)- जनपद में सृजित रजिस्ट्रार कानूनगों के 5 पदों में से 2 स्थाई तथा 3 अस्थाई है।

3- रजिस्ट्रार कानूनगों के 2 स्थाई पद दिनांक 1-1-74 से उपलब्ध हैं। नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगों के स्थाई पदों पर जनपद में कार्यरत स्थाई वरिष्ठ एवं उपयुक्त सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों की पदोन्नति का प्राविधान है और एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पश्चात् उनको स्थाई किये जाने का नियम है। अतः रजिस्ट्रार कानूनगों के स्वीकृत 2 स्थाई पदों पर निम्नलिखित वरिष्ठ एवं स्थाई सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों को उनके नाम के सम्मुख तिथि से स्थाई किया गया था।

(1) श्री जगदीश चौहान 2-1-75

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट 25-2-75

उपरोक्त दोनों स्थाई रजिस्ट्रार कानूनगो क्रमशः दिनांक 5-2-88 तथा 31-1-91 को सेवा निवृत्त हुये थे। अतः इन स्थानों पर नियमानुसार निम्न कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों से स्थाई किया गया है।

(1) श्री चन्द्र मोहन नौटियाल 6-2-88

(2) श्री मदन लाल नौटियाल 1-2-91

4- जनपद में इस समय रजिस्ट्रार कानूनगों का कोई स्थाई पद रिक्त नहीं है। स्वीकृत दोनों स्थाई पदों को उक्त प्रकार भरा गया है। स्थाई पदों को भरने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

रजिस्ट्रार कानूनगो के शेष अस्थाई पदों पर स्थाई एवं वरिष्ठ सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों अस्थाई रूप से कार्यरत है।

**जनपद सिद्धार्थ नगर के जिला मुख्यालय भवन निर्माण हेतु धन की स्वीकृति एवं उसके निर्माण के प्रगति की जानकारी**

98-श्री मुहम्मद मुकीम-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थ नगर के जिला मुख्यालय भवन निर्माण का धन स्वीकृत हो गया है? यदि हां, तो कितना और उसकी निर्माण प्रगति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। अनावासीय भवन के निर्माणार्थ एक करोड़ तथा आवासीय भवनों के निर्माणार्थ पचास लाख रुपया स्वीकृत है। जनहित एवं शासकीय हित में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। अनावासीय भवन का निर्माण कार्य लिन्टल स्तर तक पूर्ण हो चुका है और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ले-आउट के अनुसार चिन्हित करके नींव के खोदाई का कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है।

**जिला आगरा के अन्तर्गत फतेहाबाद टाउन में बाईपास का निर्माण एवं मुआवजा किसानों को आवंटित धनराशि**

99-श्री विजय पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र फतेहाबाद जिला आगरा के अंतर्गत फतेहाबाद टाउन का बाईपास कुछ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ था? यदि हां, तो उन किसानों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी, जिनके खेतों में बाईपास निर्माण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ। फतेहाबाद बाईपास का निर्माण वर्ष 1983 में कराया गया था।

विभाग द्वारा रु0 7.55 लाख किसानों के प्रतिकर भुगतान हेतु माह जून, 1985 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा को उपलबध करा दिया गया था।

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी धारा-4 (1) की अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27-8-83 को हो गया था किन्तु धारा-6 की अधिसूचना निर्धारित समय से प्रकाशित न होने से धारा-4 की अधिसूचना कालवाधित होने के कारण स्वतः निष्प्रभावी हो गयी। फलतः किसानों को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका।

**जनपद आगरा में शमशाबाद-राजा खेड़ा रोड मार्ग पर स्थित उटंगन नदी, और शमशाबाद इरादतनगर मार्ग पर पुल का निर्माण एवं पथकर वसूली**

100-श्री विजय पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र-फतेहाबाद, जनपद-आगरा के एक पुल उटंगन नदी शमशाबाद-राजा खेड़ा रोड मार्ग तथा दूसरा पुल शमशाबाद-इरादत नगर मार्ग पर एक साथ निर्मित होकर साथ-साथ पथकर भी लगना शुरू हो गया है? यदि हां, तो उन दोनों पुलों के निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है? अब तक कितना-कितना पथकर वसूल किया जा चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऊटंगन नदी पर बने पुलों पर अब तक पथकर समाप्त न किये जाने के क्या कारण है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग पर स्थित उटंगन नदी सेतु का निर्माण वर्ष 1963-64 में पूर्ण हुआ था और पथकर वसूली फरवरी, 1964 से प्रारम्भ की गयी थी जबकि शमशाबाद-इरादतनगर मार्ग पर स्थित खारी नदी सेतु का निर्माण वर्ष 1967-68 में पूर्ण हुआ था और पथकर वसूली 1-7-67 से प्रारम्भ हुई थी।

उक्त दोनों ही सेतुओं की प्रत्येक की निर्माण लागत रु0-9.42 लाख थी।

शमशाबाद-राजाखेड़ा मार्ग तथा इरादतनगर शमशाबाद मार्ग पर बने उक्त सेतुओं में से प्रत्येक सेतु की निर्माण लागत में ब्याज, व्यवस्थापन व्यय तथा उसके रख-रखाव पर हुये व्यय को जोड़ कर दिनांक 31-12-91 तक क्रमशः रु0 70, 23, 154.00 तथा रु0 71, 52, 205.00 की वसूली की जानी थी जिसमें से क्रमशः रु0-28, 23, 862.80 तथा रु0-14, 50, 29 7.00 की वसूली हुई है। अभी भी उक्त दोनों पुलों पर क्रमशः रु0 41, 99, 292.00 तथा रु0-57, 01, 908.00 की वसूली अवशेष है। अतः नियमानुसार पथकर उस समय तक जब तक कि उसके निर्माण की कुल लागत, जिसके अन्तर्गत पुल पर किये गये कुल, व्यय पर ब्याज भी है, पथकर की वसूली में और उसके रख-रखाव पर हुआ व्यय, पूर्ण रूप से वसूल न हो जाय, या उस पुल पर पथकर लगाने के प्रथम दिनांक से 50 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, लिया जायेगा।

**फिरोजाबाद जनपद के फिरोजाबाद विकास खण्ड में दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत मानसिंह से भटसेना व जलालपुर के किले तक स्वीकृत मार्गों की बनाये जाने की मांग**

101-श्री राम किशन ददाजू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद के फिरोजाबाद विकास खण्ड में दस्यु उन्मूलन योजना के अन्तर्गत दो सड़कों का निर्माण विजयपुर मान सिंह से भटसेना व जलालपुर के किले तक स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो उक्त सड़कें कब तक बनेगी तथा सड़कों की पेटिंग कब तक होगी?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उक्त सड़कों को पेटिंग स्तर तक बनाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

**ग्राम सभा बरावां, तहसील रुदौली, बाराबंकी में स्थित तालाब सं0 70 का रकबा कम किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य के प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही**

102-श्री तेज भान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां, तहसील रुदौली, जनपद-बाराबंकी में स्थित तालाब सं0 70 का रकबा अभिलेखों में चकबन्दी से पूर्व कितना दर्ज था और अब चकबन्दी के बाद कितना दर्ज किया गया है? क्या यह सही है कि विगत चकबन्दी में तैयार किये गये अभिलेखों में उक्त तालाब का रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कम करके अकिंत किया गया है और

जो रकबा उक्त तालाब से कम किया गया है उसे बंजर दर्ज कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त तालाब का रकबा दुरुस्त करने के सम्बन्ध में उपरोक्त ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, श्री राम खेलावन मौर्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिला अधिकारी, बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

प्रश्नगत ग्राम के भूखण्ड संख्या-70 का रकबा चकबन्दी के पूर्व 12-18-15 बीघा तालाब अंकित था। चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत नया नम्बर 89 क रकबा 1-3-16 बीघा तालाब व 89ख रकबा 6-8-15 बीघा बंजर व 89 ग रकबा 5-6-4 बीघा तालाब अंकित किया गया है।

वर्तमान समय में जलमग्न तालाब के रूप में कुल 6-10-0 बीघा तथा बंजर के रूप में 6-8-15 बीघा अंकित है। उपरोक्त कार्यवाही चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

जी हाँ, पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु गाँव सभा नामिका वकील को निर्देशित कर दिया गया है।

**गाँव सुअरगढ़ा, जिला बांदा में कतिपय बनवासी कोलों की जमीन पर मानिकपुर जिला बांदा के कथित सेठ द्वारा कब्जे की सी0बी0आई0 से जांच कराने की मांग**

103-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि गांव सुअरगढ़ा, जिला-बांदा में बनवासी कोलों के 24 परिवार रहते हैं? यदि हां, तो क्या वहां भागीरथी कोल, मुरली कोल, सेवक कोल की क्रमशः 45 बीघा 12 बीघा व 12 बीघा जमीन को मानिकपुर जिला बांदा के किसी सेठ ने पटवारी को मिलाकर अपने लड़के के नाम करा लिया है? क्या यह सही है कि महावीर कोल की आठ बीघा जमीन भी उक्त सेठ ने ले ली और उसके लड़के भोला को भगा दिया? क्या यह सही है कि भोला बहिल पुरवा में रह रहा है और वंशी कोल, जगन्था कोल, हिरई कोल, सजीवन कोल, चंद भवन, रमचंदी कोल उक्त सेठ से तंग आकर गांव छोड़कर भाग गये है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में सी0बी0आई0 से या उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश देगी और सुअरगढ़ा के सामंत (दादू) तथा मानिकपुर के सेठ का पता लगायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

श्री भागीरथी की मृत्यु के पश्चात उसकी 46 बीघा 6 बिस्वा भूमि उसकी पत्नी दुनिया एवं पुत्र कलुवा के नाम दर्ज थी अब यह भूमि श्री गुनगाई उर्फ श्री हीरालाल पुत्र बल्देव प्रसाद के नाम दर्ज है। यही स्थिति सेवक कोल की भूमि की भी है। श्री मुरली कोल के नाम कोई भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित

नहीं पायी गई । जी नही । श्री महावीर कोल के नाम कोई भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं हे । उसका पुत्र भोला अपने पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष पूर्व बहिलपुरवा चला गया था अब ग्राम मारकुंडी में रहता है । इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उसे सेठ ने भगाया था ।

श्री बंशी कोल और श्री हिरई कोल की मृत्यु हो चुकी है । श्री जगन्था कोल नाम के किसी व्यक्ति को सुअरगढ़ा निवासी नही बताया गया ।

श्री सजीवन, चंद भवन एवं रमचंदी कोल ग्राम पटा के निवासी थे । सजीवन की भी मृत्यु हो चुकी है । शेष दो व्यक्ति अब ठीकापुरवा में रहते है । उक्त व्यक्ति सुअरगढ़ा के निवासी नही थे अतः सेठ से तंग आकर गाँव छोड़ने का प्रश्न नही उठता ।

प्रथम दृष्टया उक्त मामले में गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं । अतः इस संदर्भ में जिलाधिकारी को जाँच के आदेश दिये गये हैं ।

**जनपद गोण्डा में जरवा कोइरी के अन्तर्गत भांभर नाले व कतरनियां नालों से निकले पत्थरों के भुगतान की दरों में विषमता पाया जाना**

श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में जरवा कोइरी के अन्तर्गत भांभर नाले में कतरनियां नाले के टाइप का पत्थर निकलता है? यदि हां, तो क्या इसकी आपूर्ति प्रान्तीय खण्ड विभागीय निर्माण इकाई खण्ड लो0नि0वि0 गोण्डा आपूर्ति कराता है और भुगतान भाभर नाले के निर्धारित दर को न देकर कतरनियां नाले का पत्थर दिखाकर कराता है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं । जरवा कोइरी के अन्तर्गत भांभर नाले से जो पत्थर निकलता है उसका रंग व दृढ़ता कतरनियां नाले के पत्थर से पूर्णतया भिन्न होता है । जरवा और कतरनियां दोनों ही सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित खदान हैं जिनसे पत्थर की आपूर्ति ली जाती है । वर्तमान में कतरनियां नाले के पत्थर की आपूर्ति बन्द है । भांभर नाले का पत्थर लेकर कतरनियां नाले के पत्थर का भुगतान करने का प्रश्न नही उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**फिरोजाबाद और फतेहाबाद के बीच यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर विचाराधीन पुल का निर्माण कराये जाने की मांग**

105-श्री राम किशन ददाजू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजबाद और फतेहाबाद के बीच यमुना नदी के शंकरपुर घाट पर पुल बनाने की योजना शासन

के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

**जनपद बांदा की तहसील बांदा में किये गये पट्टों की भूमि पर पैमाइश करके मौके पर कब्जा पट्टेदारों को दिया जाना**

106-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से जनपद बांदा की तहसील बांदा में अब तक किये गये कृषि एवं आवासीय भूमि पर पटटेदारों को पैमाइश करके मौके पर कब्जा दिला दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद बांदा की तहसील बांदा में वर्ष 1985 से अब तक किये गये पट्टों की कृषि एवं आवासीय भूमि पर पट्टेदारों को पैमाइश कराकर मौके पर कब्जा दिला दिया गया है। शेष के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा में मटौंध मार्ग के बांयीं तरफ बनाये गये मार्गों की लागत का विवरण**

107-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में बांदा से मटौध मार्ग के बायें तरफ फरवरी, 89 से अब तक कौन-कौन से मार्ग बने है? क्या लागत सहित कार्यपूर्ति का विवरण उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बांदा में बांदा में मटौध मार्ग के बायीं तरफ फरवरी 89 से नवम्बर, 1991 तक टुरेडी सम्पर्क मार्ग एवं टुरेडी मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण का कार्य किया गया। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् है:-

| मार्ग का नाम | स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में) | स्वीकृत लागत (लाख रु0 में) | कार्य पर नवम्बर 1991 तक अनुमानित व्यय (लाख रु0 में) | प्रगति |
|---|---|---|---|---|
| 1- टुरेडी सम्पर्क मार्ग (सोलिंग स्तर तक) | 6 | 9.50 | 9.10 | 5 कि0मी0 लम्बाई में सोलिंग स्तर तक पूर्ण |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2- | टुरेडी मिसिंग लिंग मार्ग (डामरी करण तक) | 2.5 | 11.50 | 1.60 | 1.50 कि0 मी0 लम्बाई में मिट्टी स्तर तक का कार्य पूर्ण। |

108-कुँवर रेवती रमण सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील-रुदौली, जनपद बाराबंकी में किये गये भूमि के फर्जी आवंटन के संबंध में गांव सभा के निवासी श्री तिलक राम पासी के जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही**

109-श्री तेज भान सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां, परगना व तहसील-रुदौली, जनपद बाराबंकी में वर्ष 1988 में किये गये भूमि के फर्जी आवंटन की जांच एवं उनके निरस्तीकरण के संबंध में उपरोक्त गांव सभा के निवासी श्री तिलक राम पुत्र भगौती पासी का शिकायती पत्र दिनांक 26-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा जिला अधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो बिन्दुवार शिकायतें क्या है? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या जांचोपरान्त फर्जी आवंटन के निरस्त करने की कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ। पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत ग्राम सभा की भूमि आवंटन की शिकायतें बिन्दुवार निम्न हैं:-

1- प्रश्नगत ग्राम समाज की भूमि को अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया है।

2- आवंटन प्रस्ताव गलत असंवैधानिक व फर्जी है।

3- ऐसे व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है जो न तो कभी ग्राम सभा में निवास करते थे और न इस समय ही निवास कर रहे हैं।

4- बड़े काश्तकार के लड़कों/लड़की, नाती, पोता व औरतों को भूमिहीन या खेतिहर मजदूर बना कर ग्राम समाज की भूमि का आवंटन किया गया है।

5- हरिजनों की संख्या व रकबा कम रखा गया है।

6- इच्छुक भूमिहीन हरिजन व सवर्णों को नहीं दी गई।

7- किसी को कम किसी को ज्यादा भूमि दी गई।

8- जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 के गाटा नम्बरों से बिना बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के परमीशन से आवंटन किया गया है।

9- ग्राम प्रधान के भाइयों, रिश्तेदारों तथा समिति के सदस्यों के लड़के को आवंटित किया गया है।

10- वृक्ष लगे हुए घर बने हुए तथा कब्र बने हुए एवं बारहों मास जल भरे अकृषिक भू-नम्बरों को आवंटित किया गया है।

11- समिति के सदस्यों को सूचना नहीं दी गई है।

12- रिटायर्ड लेखपाल बृजनाथ श्रीवास्तव के हस्ताक्षर फर्जी बनाये गये।

13- जिन व्यक्तियों के नाम पट्टा किया गया है उनका नाम पात्र सूची में नहीं है।

14- आवंटित भूमि को समिति ने 21-4-88 को वन विभाग रुदौली को हस्तांतरित करके कब्जा दे दिया गया था।

15- बृजनाथ श्रीवास्तव, लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर से पात्र सूची बनायी गई है।

सम्प्रति जांच की कार्यवाही की जा रही है। जांचोपरान्त यदि आवंटन की कार्यवाही में अनियमितता पाई गयी तो उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही, तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

**ग्राम अटवा व तहसील व विकास खण्ड सण्डीला जिला हरदोई के ग्राम सभा के तालाब गाटा सं0 439 को श्रीपाल को पुनः न दिये जाने पर ग्राम समाज की हुई हानि के लिए कार्यवाही की मांग**

110-श्री बलराम यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अटवा व तहसील व विकास खण्ड सण्डीला जिला हरदोई के ग्राम सभा के तालाब गाटा संख्या 439 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा 10 विश्वान्सी का पट्टा एक हजार रुपये में श्री श्रीपाल पुत्र छोटानी को 10 वर्ष के लिये किया गया था जिसे बाद में न्यायालय अपर कलेक्टर हरदोई द्वारा खारिज कर उक्त गाटा को ग्राम सभा के नाम अंकित करने का आदेश दि0 20-12-89 को किया गया था? यदि हां, तो ग्राम प्रधान द्वारा दुबारा उक्त गाटा संख्या 439 का आवंटन उक्त श्रीपाल को न किये जाने का क्या कारण है? ग्राम समाज को इस अवधि में जो हानि हुई है उसके लिये कौन जिम्मेदार है? उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं। श्री मुरली पुत्र श्रीपाल को प्रश्नगत तालाब का पट्टा 10 वर्ष हेतु सर्वाधिक बोली के आधार पर परगनाधिकारी, सण्डीला द्वारा दिनांक 16-12-87 को स्वीकृत किया गया जिसे बाद में अपर कलेक्टर, हरदोई के न्यायालय के आदेश दिनांक 20-12-89 द्वारा उक्त भूमि को गांव सभा में अंकित करने के आदेश हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मामला न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है । अतः सम्प्रति प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा द्वारा अवमुक्त धनराशि के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता को लिखित पत्र पर कार्यवाही**

111-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को जिला योजना में सम्मिलित सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अवमुक्त धनराशि के संबंध में दिनांक 31-3-91 को आलोक रंजन जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा द्वारा पत्र लिखकर व्यय की गयी धनराशि को शासन को तत्काल वापस करने हेतु लिखा गया था? यदि हां, तो क्या धनराशि वापस की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि होगी, तो कब तक?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 31-3-91 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बांदा द्वारा लिखित पत्र जनपद बांदा के संबंधित अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा में सातंवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बांदा को विभिन्न मदों को प्राप्त धनराशि का विवरण**

112-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय, खण्ड की सातंवी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण के अन्तर्गत, आर0एल0इ0जी0पी0एन0आर0ई0पी, राज्य सेक्टर के अन्तर्गत, जिला योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय निधि के अन्तर्गत, दस्यु प्रभावित योजना एवं जवाहर योजना की मदों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का विवरण क्या है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बांदा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग बांदा को प्रश्नगत मदों में प्राप्त धनराशि का

विवरण इस प्रकार है:-

| मद | आवंटित धनराशि (लाख रुपये में) |
|---|---|
| (1) आर एल ई जी पी | 184.16 |
| (2) एन आर ई पी | 25.01 |
| (3) राज्य योजना | 295.00 |
| (4) जिला योजना | 306.34 |
| (5) क्षेत्रीय निधि | शून्य |
| (6) दस्यु प्रभावित योजना | शून्य |
| (7) जवाहर योजना | शून्य |

**जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलाल गंज के तहसीलदार श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा ऋण वसूली का प्रमाण-पत्र वापस न किया जाना**

113-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, मोहनलालगंज जनपद लखनऊ (श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह) ने जनवरी, 91 से अब तक ऋण वसूली के कितने रिकवरी सर्टीफिकेट वापस लिये हैं? क्या इनको आर0 सी0 वापस लिये जाने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच कराकर मंत्री जी इनके विरूद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के तहसीलदार श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह, द्वारा जनवरी, 91 से अब तक ऋण वसूली का कोई वसूली प्रमाण पत्र वापस नहीं किया गया है।

वसूली प्रमाण-पत्र वापस करने का इन्हें अधिकार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

114-श्री घनश्याम शुक्ल-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

**जनपद कानपुर देहात में लहुरी मऊ से चांदपुर, जनपद फतेहपुर पक्की सड़क बनाने की स्वीकृति एवं जवाहर नाला पर पुल न बनने के कारण**

115-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर देहात में लहुरी मऊ से चांदपुर, जनपद फतेहपुर पक्की सड़क शासन से कब स्वीकृत हुई थी? इस सड़क पर जवाहर नाला पर पुल अब तक न बनने का क्या कारण है? क्या इस सड़क पर जनपद फतेहपुर में नौन नदी पर पुल बनाने का सामान आया था? यदि हां, तो वह उठकर दूसरी जगह भेज देने का क्या कारण है? अब इस

पुल का काम पुनः कब से चालू हो जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 23-5-81 द्वारा प्रदान की गई थी।

पुल की स्वीकृति न होने के कारण पुल निर्माण नहीं हुआ।

जी हाँ।

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण निर्माण न होने की स्थिति में सामान दूसरे पुलों पर उपयोग हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद इलाहाबाद में टाऊन एरिया कोरांव में नयी तहसील विषयक प्रस्ताव पर कार्यवाही**

116-श्री विश्राम दास-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत टाउन एरिया कोरांव में नयी तहसील कायम करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त नयी तहसील कब तक खुल जायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जनपद इलाहाबाद में टाउन एरिया कोरांव में नयी तहसील कायम करने के प्रस्ताव पर अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की है। समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन स्तर से नयी तहसील सृजन पर आने वाले वित्तीय भार की सूचना राजस्व परिषद् से मांगी गयी है। चूंकि अभी राजस्व परिषद् से वांछित आख्या/सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अभी नयी तहसील स्थापना का प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के अन्तर्गत कोटदार टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने की मांग**

117-श्री विश्राम दास-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील मेजा के अंतर्गत कोटदार टोंस नदी पर पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

118-श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**लखनऊ नगरांव मार्ग के शेष मार्ग को खडंजा स्तर और लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग**

119-श्री सन्त बख्श रावत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरांव मार्ग जिसकी लम्बाई 26 किलोमीटर है जिसमें करीब 12 कि0मी0 मार्ग पर सतह लेपन का कार्य सम्पन्न हो चुका है और शेष मार्ग केवल खड़ंजा स्तर पर है, के न बनने से नगरांव तथा निकटवर्ती गांवों के लोगों को 47 कि0मी0 दूरी तय करके लखनऊ आना-जाना पड़ता है? सरकार इस अधूरे मार्ग को कब तक निर्माण कर देगी? विलम्ब का क्या कारण है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

इस मार्ग की कुल लम्बाई 26.5 कि0मी0 में कि0मी0 0.000 से कि0मी0 11.670 तक लेपन स्तर तक तथा शेष खड़न्जा स्तर तक निर्मित है।

प्रश्नगत मार्ग के शेष भाग को खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक बनाया जाना प्रदेश के सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति संभव नहीं है।

**पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा जनपद शाहजहाँपुर में तहसील जलालाबाद के कोलाघाट के पुल का शिलान्यास एवं आवंटित धन द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र करवाये जाने की मांग**

120-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा रामगंगा तहसील जलालाबाद जनपद शाहजहांपुर में कोलाघाट के पुल का शिलान्यास वर्ष 1991 में किया गया था? यदि हां, तो कितना धन उक्त पुल के निर्माण हेतु आवंटित किया गया? कितना धन अब तक उक्त के निर्माण हेतु भेजा गया? यदि नहीं, तो क्या उक्त का निर्माण कार्य शीघ्र करवाये जाने हेतु सरकार कोई आदेश करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

इस योजना की वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। अतः धन आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधनों के कारण पुल का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

**जनपद मैनपुरी में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सड़कों के बनाये जाने का विवरण**

121-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में कितने-कितने कि0मी0 सड़कें राज्य सेक्टर से

बनवाई जा रही है और भोगांव विधान सभा क्षेत्र में कौन सी सड़क बनवाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद मैनुपरी के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सड़कों के बनाए जाने की स्थिति निम्नवत् है:-

| विधान सभा क्षेत्र का नाम | सड़कों की लम्बाई (कि0मी0 में) |
|---|---|
| (1) भोगांव | 25.20 |
| (2) मैनुपरी | 18.30 |
| (3) घिरोर | 5.50 |
| (4) करहल | 51.98 |
| (5) किशनी | 32.00 |

भोगांव विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले जी0 टी0 मार्ग के विभिन्न किलोमीटरों में सुधार कार्य एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तथा लिपुलेक भिण्ड मार्ग राजमार्ग सं0-29 के कुछ किलोमीटरों में एक ओर के चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे है।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनुपरी में सलेमपुर पढीना घाट में ईसन नदी पर पुल बनाये जाने की योजना**

122-श्री राम औतार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में सलेमपुर पढीना घाट में ईसन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो पुल निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं का चयन तुलनात्मक आवश्यकता, क्षेत्रीय संतुलन व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। कथित परियोजना का अभी चयन नहीं किया गया है।

**जिला वाराणसी में अनेई-कुवार-कठिरावं मार्ग, टेटुआ से वचेउरा मार्ग तथा मंगारी से सिधोरा अपूर्ण मार्ग को पूरा किये जाने की मांग**

123-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेई-कुवार-कठिरांव मार्ग जिला वाराणसी में टेंटुआ से वचेउरा तक दो किलोमीटर तक तथा मंगारी से

सिधोरा मार्ग में तीन किलोमीटर सड़क पर अभी तक लेपन स्तर तक का कार्य नहीं हो पाया है? यदि हां, तो किस कारण से? क्या सरकार धन उपलब्ध कराकर इस बचे हुए कार्य को वित्तीय वर्ष 1991-92 मे पूरा करा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण।

जी नहीं।

शेष कार्य को पूरा किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**वाराणसी में अनेई बाजार के पास बाई पास बनाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

124-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव, अनेई-कछवा मार्ग, जिला-वाराणसी में अनेई बाजार के पास बाईपास बनाने का कार्य अर्सा 10 वर्ष से किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक बाईपास न बनने का क्या कारण है? क्या मिट्टी का कार्य कर दिया गया है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने लोक निर्माण मंत्री को 27 सितम्बर, 91 को बाईपास को पूर्ण कराने हेतु पत्र भी लिखा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? बाई पास कब तक बन जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

मार्ग में प्रयुक्त होने वाली भूमि का उपलब्ध न होना।

जी नहीं।

जी हाँ।

बिना भूमि अधिग्रहीत हुये मार्ग निर्माण की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाना संभव होगा।

**ग्राम तरसड़ा, परगना पन्द्रह, तह0 व जिला वाराणसी में कतिपय लोगों को फर्जी भूमिहीन बनाकर ग्राम प्रधान द्वारा पट्टा दिये जाने सम्बन्धी भूतपूर्व प्रधान द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

125-श्री ऊदल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तरसड़ा, परगना पन्द्रह, त0 जिला-वाराणसी में 1-रामसूरत, 2-दीनानाथ, 3-जुगनू, 4- जगलाल, 5-छब्बू, 6-सम्पत्ति, 7-भगवानी, 8-हिरावती, 9-भगभरी, 10-जुगनू, 11-रामलखन,

12-शिवकरन, 13-रुप्पन, 14-सीताराम, 15- सुदामा को फर्जी भूमिहीन बनाकर ग्राम प्रधान ने जमीन का पट्टा कर दिया है जबकि इन लोगों के नाम व इनके पति तथा पिता के नाम पहले से ही काश्तकारी हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान राजाराम यादव के शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ ता0 26 अगस्त, 91 को परगनाधीश-उत्तरी वाराणसी को तथा 28 अगस्त, 91 को राजस्व मंत्री को दिया है? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? किस अधिकारी को मौके पर भेज कर जांच कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है? क्या जांच में उपरोक्त तथ्य सही पाये गये हैं?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

यह सही है कि ग्राम सभा तरसड़ा में क्रमांक 1 से 13 व 15 में अंकित व्यक्तियों को कृषि हेतु भूमि का आवंटन किया गया है। जिसमें से क्रमांक-6 के व्यक्ति, सम्पत्ति को वरीयता क्रम 198 (1)ग, तथा क्रमांक-7, 8 के व्यक्ति, भगवानी व हिरावती को वरीयता क्रम 198 (1) घ का व्यक्ति माना गयाहै। जबकि यह लोग 198(1) ड. के व्यक्ति हैं। इस दृष्टि से इनके पक्ष में किया गया आवंटन अनियमित है। शेष 1 से 5 व 9 से 13 तथा 15 के व्यक्ति वरीयता क्रम 198(1) ड. के व्यक्ति हैं। इन सबके पक्ष में किया गया आवंटन सही है। जहाँ तक क्रमांक-14 के व्यक्ति सीताराम का प्रश्न है इन्हें ग्राम सभा ने कृषि हेतु कोई भूमि का आवंटन नहीं किया है। इन्हें वृक्षारोपण हेतु भूमि दिये जाने का इन्द्राज खतौनी हे, जो अनियमित है।

जी हाँ।

ग्राम सभा तरसड़ा में भूमि आवंटन की जाँच करायी गयी।

प्रश्नगत आवंटन की जांच नायब तहसीलदार, पन्द्रह द्वारा की गई। क्रमांक 1 से 5, 9 से 13 व 15 में प्रस्तावित व्यक्तियों के पक्ष में किया गया आवंटन सही पाया गया है। क्रमांक 6 से 8 तक के व्यक्तियों के पट्टे अनियमित होने के कारण उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। क्रांक 14 के व्यक्ति सीताराम को वृक्षारोपण हेतु भूमि दर्ज कागजात है जो अनियमित है तथा जिसके खारिज किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

ग्राम तरसड़ा में 14 व्यक्तियों के पक्ष में भूमि आवंटन की कार्यवाही की गयी थी इनमें से क्रमांक 1 से 5, 9 से 13 तथा 15 के व्यक्तियों को सही वरीयता क्रम दिखाकर आवंटन किया गया था। क्रमांक 6 के व्यक्ति सम्पत्ति को 198(1) ग का तथा क्रमांक 7,8 के व्यक्ति भगवानी व हिरावती को 198 (1) घ का व्यक्ति दिखाकर गलत वरीयता क्रम दिखाकार भूमिहीन बताते हुए उन्हें आवंटन किया गया था, जो गलत पाया गया था क्योंकि यह लोग पहले से ही अपने नाम व पति के नाम भूमि रखते थे। इस दृष्टि से किया

गया पूरा आवंटन अंशतः सही पाया गया है।

**विकास खण्ड नरायनपुर एवं राजगढ़ जनपद मिर्जापुर में स्थित पौनी से कुदारन तथा अहरौरा से सरिया मार्गों को अविलम्ब पूर्ण किये जाने की मांग**

126-श्री राजेन्द्र सिंह (मिर्जापुर)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड नारायनपुर एवं राजगढ़ जनपद मिर्जापुर स्थित पौनी से कुदारन मार्ग तथा अहरौरा से सरियामार्ग विगत कई वर्षों से निर्माणधीन है? यदि हां, तो उन्हें पूरा न किये जाने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त मार्गों को अविलम्ब पूरा करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

विकास खण्ड नरायनपुर एवं राजगढ़ जनपद मिर्जापुर स्थित पौनी से कुदारन मार्ग मार्च 1990 में जिला योजना में स्वीकृत हुआ था। मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया का कार्य पूर्ण हो गया है, मार्ग के कि0मी0 1 व 3 में मध्य सतह स्तर तक कार्य पूर्ण है, कि0मी0 2 सोलिंग कार्य हेतु सामग्री एकत्रित हो चुकी है तथा कि0मी0-4 में एकत्रीकरण किया जा रहा है। स्वीकृति के अनुसार अवशेष कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अहरौरा से सरिया मार्ग (वास्तविक नाम महुली से सरिया) स्वीकृत खण्ड़जा स्तर तक पूर्ण हो चुका है।

127-श्री राजेन्द्र सिंह-

(1ले मंगल में अता0 प्र0 संख्या 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में मार्गों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग**

128-श्री निर्वेन्द कुमार-

ग्यारहवी विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न सं0-16 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील-निघासन क्षेत्र के ग्राम जैसे-बधुआ ग्राम सभा एवं उसके मजरे, मूढ़ा बुजुर्ग ग्राम सभा के मजरे, सरपतहा ग्राम सभा एवं उसके मजरे, ग्राम सभा गोलिवोझी, ग्राम सभा मदनापुर, धर्मापुर, ग्राम सभा के मजरे ग्राम सभा-बोधियाकला का मजरा रमुआपुर ग्राम सभा-सिसया (उद्धौनगर) ग्राम सभा-बैलटा के मजरे तथा मोहबतिया ग्राम सभा के मजरे इत्यादि को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी अतिरिक्त धन आवंटित कर उक्त ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जुड़वाये जाने की व्यवस्था करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मजरों को सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने की स्थिति निम्नवत् है:-

बधुआ ग्राम सभा नहीं जुड़ी है।

मूड़ा बुजुर्ग ग्राम सभा जुड़ी है।
सरपतहा ग्राम सभा जुड़ी है।
ग्राम सभा गोलबोझी नहीं जुड़ी है।
ग्राम सभा मदनापुर नहीं जुड़ी है।
ग्राम सभा धर्मापुर जुड़ी है।
ग्राम सभा बोधिया कला जुड़ी है।
ग्राम सभा सिसैया नहीं जुड़ी है।
ग्राम सभा मोहबतिया जुड़ी है।
ग्राम सभा वेल्टा जुड़ी है।

कार्य जिला योजना की परिधि में आते हैं जिनकी स्वीकृति धन की उपलब्धता तथा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा में जसबुरा-झंझरी पुरवा मार्ग के लिए स्वीकृत धनराशि एवं मस्टर रोल की छाया प्रति उपलब्ध कराने की मांग**

129-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जसबुरा-झंझरीपुरवा सम्पर्क मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0 में फरवरी, 90 से अब तक कितनी धनराशि स्वीकृति हुई है? क्या उक्त कि0मी0 में प्रयोग की गई बालू गिट्टी, सोलिंग के अनुपात सहित कार्य पूर्ति की मस्टर रोल की छाया प्रति एवं पुलियों की संख्या गिट्टी बालू के अनुपात सहित उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

फरवरी 1990 से अब तक कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई और न ही कोई कार्य हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बाराबंकी में कार्यरत स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री को कोटे से अतिरिक्त चीनी के आवंटन को निरस्त किये जाने की मांग**

130-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में कार्यरत स्वास्तिक बिस्कुट फैक्ट्री का शासन द्वारा निर्धारित कोटे से अतिरिक्त लगभग 500 कुन्तल चीनी वर्ष 1990-91 में आवंटन जिला अधिकारी बाराबंकी द्वारा किया गया था? यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त चीनी के आवंटन को शासन द्वारा निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

**वाराणसी लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय मार्ग संख्या-1 व 2 के लिए बल्क बिटुमिन मंगाने, एवं व्यय किये जाने का विवरण डुप्लीकेट फर्जी रसीदों की जांच तथा ठेकेदारों द्वारा की गयी बिटुमन आपूर्ति में वजन की जांच**

131-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय मार्ग नं0 1 व नं0 2 के लिए सन् 1990-91 में कितने टन बल्क बिटुमन कहां-कहां से मंगाया गया? उसमें से कितना बिटुमन खर्चा किया गया? सबसे ज्यादा बल्क बिटुमन कहां से और किस ऐजेन्सी से प्राप्त किया गया उसका पता क्या है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लोक निर्माण विभाग, वाराणसी एवं राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0 1 व 2 के लिये वर्ष 1990-91 में क्रमशः 1029.469 मी0 टन व 4042.735 मी0 टन बल्क बिटुमिन भारत सरकार के तीन प्रतिष्ठानों (इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0) के माध्यम से मथुरा रिफाइनरी से, तथा स्थानान्तरण द्वारा अन्य खण्डों से मंगाया गया।

उक्त में से लोक निर्माण विभाग वाराणसी में 1029,469 मी0 टन तथा राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं0 1 व 2 में 3906.915 मी0टन बिटुमिन खर्च किया गया।

सबसे अधिक बल्क बिटुमिन मथुरा रिफाइनरी से, इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मंगाया गया जिसका पता-"आयल इण्डिया कारपोरेशन लि0, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, बाराखम्भा लेन, नई दिल्ली" है।

132-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1990-91 में मथुरा से कितने टैंकर बल्क बिटुमन मंगाकरं राष्ट्रीय मार्ग नं0 1 व राष्ट्रीय मार्ग नं0 2 पर इस्तेमाल किया गया और उसमें से लोक निर्माण विभाग वाराणसी को कितना दिया गया? बिटुमन को किस धर्म कोटे पर वजन कराया गया? क्या यह सही है कि लोडिंग व अनलोडिंग की फर्जी सर्टिफिकेट देकर अस्सी टैंकर बल्क बिटुमन को बेच दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार सभी रसीदों, लोडिंग अनलोडिंग की रसीद तथा जिस धर्म कांटे पर वजन कराया गया है उसका पता व नाम तथा उसकी रसीद आदि मंगाकर इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने का आदेश करेंगे? क्या डुप्लीकेट फर्जी रसीदों तथा विभाग की रसीदों की जांच व मिलान भी कराया जायेगा? क्या यह सही है कि 80 टैंकर बिटुमन बेच कर उसको फर्जी

रसीदों से समायोजित किया गया है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

वर्ष 1990-91 में मथुरा से कुल 1057 टैंकर बल्क बिटुमिन मंगाया गया उसमें से 223 टैंकर बल्क बिटुमिन लोक निर्माण विभाग वाराणसी को दिया गया जिसका प्रयोग उनके द्वारा राष्ट्रीय मार्ग नं0-2 पर किया गया। राष्ट्रीय मार्ग नं0-1 उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। लोक निर्माण विभाग वाराणसी को दिये गये उपरोक्त बिटुमिन को निम्नलिखित धर्मकांटों पर वजन कराया गया:-

(1) विनीत धर्मकांटा, चांदपुर, वाराणसी।
(2) रावरी धर्मकांटा, मडुवाडीह, वाराणसी।
(3) मातेश्वरी धर्मकांटा, पड़ाव वाराणसी।
(4) जनता धर्मकांटा, वाराणसी।
(5) ईश्वरी धर्मकांटा जी0टी0 रोड पड़ाव, वाराणसी।
(6) गुलाब सिंह धर्मकांटा, अन्दावा, इलाहाबाद।
(7) पापुलर धर्मकांटा, रामबाग, इलाहाबाद।
(8) राम जी धर्मकांटा, धूमनगंज, इलाहाबाद।

ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त स्थिति में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

133-श्री ऊदल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बिटुमन (मैक्सफाल) की कहां-कहां दुकानें या लाइसेंसी है? क्या यह सही है कि बिटुमनं का कान्ट्रेक्ट ठेकेदारों से होता है? यदि हां, तो क्या सन् 1990-91 में ठेकेदारों को कान्ट्रेक्ट देकर बिटुमन (मैक्सफाल) मंगाया गया? क्या उत्तर प्रदेश में कोई एजेन्सी या होलसेल विक्रेता नहीं है? यदि हां, तो उसका कान्ट्रेक्ट न देकर ठेकेदारों ने कहां से लाकर नेशनल हाइवे नं0 1 व दो पर तथा लोक निर्माण विभाग वाराणसी को बिटुमन की आपूर्ति किया है? क्या सरकार बिटुमन के वजन की जांच करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

उत्तर प्रदेश में बिटुमन की दुकाने या लाइसेंसी नहीं नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एजेन्सी या होल सेल विक्रेताओं से बिटुमिन का क्रय विभाग नहीं करता है। विभाग में बिटुमिन का क्रय भारत सरकार के तीन प्रतिष्ठानों (इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0 एवं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0) से डी. जी. एस.

एण्ड डी. के दर अनुबन्ध कर किया जाता है।

बिटुमिन मथुरा रिफाइनरी से ही लिया गया है।

आवश्यकता नहीं है।

बल्क बिटुमिन माप के आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। ड्रमों में पैक्ड बिटुमिन भी मानक माप में आता है। यदि किसी कारण पाने वाले को कमी मालूम पड़ती है तो उसे आपत्ति करने का पूर्ण अधिकार है।

**जनपद लखनऊ में तहसीलदार मोहनलाल गंज के पास लम्बित भूदान समिति के जमीन की पत्रावली को निस्तारित करने हेतु संयुक्त सचिव राजस्व विभाग के पत्र पर कार्यवाही**

134-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि धनुवासाड के भूदान समिति की 55 सीधे जमीन को पत्रावली तहसीलदार, मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के पास वर्ष 1990 से लम्बित पड़ी हैं जिसे निस्तारित किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग ने माह जनवरी, 1991 से जून, 1991 तक कई पत्र भेजे हैं? यदि हां, तो पत्रों का विवरण क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

भूदान की जमीन को गलत प्रविष्टि के आधार पर संक्रमणीय भूमिधारी दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर पट्टेदारों द्वारा 29 बीघे का बैनामा किया गया है जिसके सम्बन्ध में नामांतरण वाद तहसीलदार मोहनलालगंज के न्यायालय में विचाराधीन है। श्री शारदा प्रसाद शुक्ला, विधायक, लखनऊ से ग्राम प्रधान धनुआंसाड़ के विरूद्ध प्राप्त एक शिकायती पत्र के आधार पर जांच कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने के आदेश दिये गये थे न कि वाद निस्तारण के सम्बन्ध में। शेष का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि संयुक्त सचिव स्तर से तहसीलदार मोहनलालगंज के पास लम्बित पत्रावली के निस्तारण का आदेश नहीं दिया गया था।

**तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत श्री गंगा प्रसाद लेखपाल का वेतन निकाला जाना**

135-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार मोहनलालगंज जिला-लखनऊ (श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह) हाइकोर्ट के आदेश के विपरीत श्री गंगा प्रसाद लेखपाल का वेतन वर्ष 1984 से निकाल रहे हैं? यदि हां, तो किस आधार पर जबकि इसको आडिट आपत्तियां भी की गयी है? तथा सरकार इसकी जांच

कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं।

प्राप्त सूचनानुसार श्री गंगा प्रसाद लेखपाल तहसील मोहनलालगंज जनपद लखनऊ को उनकी सेवा समाप्ति के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के स्थगन आदेश दिनांक 5-1-93 के अनुपालन में वर्ष 1984 से वेतन भुगतान किया गया। श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह को अगस्त 1990 से तहसीलदार, मोहनलालगंज के पद पर तैनात किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर वर्ष 1984 से श्री गंगा प्रसाद का वेतन निकाला गया था। इनके सम्बन्ध में जो आडिट आपत्तियां उठाई गई उनका उत्तर दिया जा चुका है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**वर्तमान तहसीलदार, श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह मोहनलालगंज, लखनऊ के जनपद शाहजहाँपुर में तैनाती के दौरान सीलिंग पट्टों में कथित रूप से की गई अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही**

136-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि तहसीलदार, मोहनलालगंज जनपद लखनऊ (श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह) इसके पूर्व जब जनपद शाहजहांपुर में कार्यरत थे तो क्या इनके द्वारा सीलिंग पट्टों में अनियमिततायें की गयी थी जिसकी जांच जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से की जा रही है? यदि हां, तो पूरा प्रकरण क्या है? क्या जांच पुरी हो गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी नहीं। जांच परिषद् द्वारा विशेष कार्याधिकारी से कराई गई।

श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह वर्तमान तहसीलदार मोहनलालगंज जब जनपद शाहजहाँपुर की तहसील पुवायां में कार्यरत थे उसी समय विश्वनाथ मंत्री मजदूर मोर्चा द्वारा माननीय राम रतन सिंह तत्कालीन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 24-5-85 की शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर परिषद् द्वारा विशेष कार्याधिकारी से जांच कराई गई। जांच में ग्राम नवाजपुर व पुरैना में ग्राम समाज व सीलिंग भूमि के अवैध पट्टों के लिये अन्य के अतिरिक्त श्री सिंह भी दोषी पाये गये।

जांच पूर्ण हो गई है। जिसके आधार पर प्रकरण में दोषी तत्कालीन भू-लेख निरीक्षक, तहसीलदार, परगनाधिकारी पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सम्बन्धित लेखपाल को निलम्बित कर दण्डित किया जा चुका है तथा पट्टे निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह का स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**तहसीलदार मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा तहसील के माल बाबू का रजिस्टर फाड़ा जाना तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

137-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री बच्चा पाठक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, मोहनलालगंज जनपद लखनऊ ने दिनांक 13-10-91 को तहसील के मालबाबू का रजिस्टर फाड़ दिया तथा जिसके विरोध में अध्यक्ष, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ ने दिनांक 15-10-91 को तहसील मोहनलालगंज पर प्रदर्शन किया तथा मांग पत्र दिया है? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य मांगे क्या है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फतेहपुर में स्थित ग्राम लंहगी कोटिया गलाथा के राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद रायबरेली से जनपद फतेहपुर में स्थानान्तरित किये जाने की मांग**

138-श्री अभिमन्यु सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर में स्थित ग्राम लंहगी से ग्राम कोटिया से ग्राम गलाथा तक तटवती गंगा नदी के डेल्लाई मैदान के फतेहपुर जनपद में स्थित है, उसका राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद-रायबरेली में है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या निकट भविष्य में उक्त डेलाटाई राजस्व भूमि का लेखा-जोखा जनपद-फतेहपुर से ही किया जायेगा? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत अमौली फतेहपुर मार्ग से जाफरगंज तक बनाये जाने वाले मार्ग की लम्बाई एवं अधूरे मार्ग को बनाये जाने की मांग**

139-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के अंतर्गत अमौली फतेहपुर मार्ग से जाफरगंज मार्ग कितने कि0मी0 बनना स्वीकृत हुआ है? उक्त अधूरे मार्ग का कब तक निर्माण होगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी योजना-प्रथम चरण के अन्तर्गत 6.5 कि0मी0 लम्बाई में खड़ण्जा स्तर तक स्वीकृत हुआ था एवं तद्नुसार कार्य पूर्ण है। कार्य स्वीकृति अनुसार पूर्ण है।

**जनपद फतेहपुर में मुगल रोड से आलमगंज मार्ग तक स्वीकृत बनने वाले मार्ग की लम्बाई एवं बन चुके मार्ग की लम्बाई की जानकारी**

140-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में मुगल रोड से आलमगंज मार्ग कितने कि0मी0 बनना स्वीकृत हुआ है? कितने कि0मी0 मार्ग अब तक बन चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृत न होने के कारण।

**जनपद जालौन की तहसील जालौन में प्रस्तावित पृथक नवीन तहसील माधोगढ़ की स्थापना के विषय में कार्यवाही**

141-श्री श्रीराम-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन की तहसील जालौन जिसमें करीब 440 ग्राम तथा लगभग 3 लाख एकड़ आराजी का रकबा होने के आधार पर अब तक पृथक तहसील-माधोगढ़ की स्थापना कराये जाने की कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जालौन में नवीन तहसील माधोगढ़ की स्थापना हेतु पिछली सरकारों द्वारा की गयी कार्यवाही धन उपलब्धता न होने से वित्त मंत्रालय में रुकी है? यदि हां तो वर्तमान सरकार द्वारा उक्त नवीन तहसील की स्थापना कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ, जनपद जालौन में नई तहसील (मुख्यालय माधोगढ़) बनाने की कार्यवाही के अन्तर्गत मंडल/जिला एवं तहसील के सृजन एवं पुर्नगठन हेतु गठित समिति ने अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की है। समिति द्वारा प्रस्तावित तहसील में जालौन तहसील के 17। गांव सम्मिलित करना प्रस्तावित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन स्तर से नई तहसील सृजन पर आने वाले वित्तीय भार की सूचना राजस्व परिषद् से मांगी गई है। जिलाधिकारी, जालौन द्वारा तहसील जालौन के 220 गांव सम्मिलित करने का संशोधित प्रस्ताव राजस्व परिषद् को भेजा गया गया है। अतः इस संशोधित प्रस्ताव पर भी समिति से पुनः आख्या मांगी गई है। चूंकि अभी वांछित आख्या/सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः अभी नई तहसील स्थापना का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के सीयर व नगरा विकास खण्ड में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की वितरण व्यवस्था को पुनः चालू करवाने तथा कतिपय शिकायत प्राप्त दुकानों के विरूद्ध कार्यवाही**

142-श्री रमाकान्त यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली नीति व निर्देश के विरूद्ध बलिया जनपद के सीयर व नगरा विकास खण्ड में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की वितरण व्यवस्था न होकर, संबंधित वस्तुओं को अधिकाधिक मात्रा में सुनियोजित तरीके से गिरोहबन्द होकर बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या शासन के निर्देश पर निरस्त उक्त क्षेत्र की 17 दुकानों के संदर्भित स्थगन आदेश को समाप्त करने तथा सरकारी सस्ते मूल्य की दुकानें पुनः चालू करवाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दुकानों के स्थगन आदेशों की भी जांच करायी जायेगी?

श्री एजाज रिजवी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-5561/29-खाद्य-6-12/88 टी0सी0 (डी) दिनांक 20 दिसम्बर, 1991 द्वारा मण्डलायुक्तों द्वारा राशन की दुकानों के संबंध में दिये गये समस्त स्थगन आदेश इस शासनादेश के क्रम में निष्प्रभावी मान लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर के भाग-2 को देखते हुए कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

143-श्री रमाकान्त यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर व नगरा में प्रत्येक न्याय पंचायत में कितनी-कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान व सरकारी मिट्टी के तेल की दुकानें कार्यरत है? उनमें से कितनी-कितनी दुकानों के विरूद्ध शिकायतें शासन स्तर पर विचाराधीन हैं तथा उनकी जांच प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी?

श्री एजाज रिजवी-

बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर में सरकारी सस्ते गल्ले, चीनी की 128 तथा सरकारी मिट्टी तेल की 11 फुटकर दुकानें एवं नगरा में सरकारी सस्ते गल्ले, चीनी की 110 तथा सरकारी मिट्टी तेल की 28 फुटकर दुकानें कार्यरत हैं।

इनमें से कतिपय दुकानों के विरूद्ध शासन की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन पर जिलाधिकारी से जांच व कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हैं।

**उपनिदेशक समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया की घोटाला सम्बन्धी रिपोर्ट शासन को भेजा जाना एवं उस पर कार्यवाही**

144-श्री नन्द किशोर मिश्र-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपनिदेशक समाज कल्याण फैजाबाद मण्डल ने अक्टूबर/नवम्बर, 1990 में शासन को प्रेषित जांच रिपोर्ट में

देवरिया जनपद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन अनुदान भुगतान में लगभग बीस लाख रुपये घोटाले का उल्लेख किया है? क्या उक्त घोटाले में जिला समाज कल्याण अधिकारी देवरिया को जिम्मेदार ठहराया गया है? अगर हां, तो क्या सरकार समाज कल्याण अधिकारी, देवरिया को वित्तीय घोटाले के आरोप में निलम्बित करेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं। अपितु जनपद देवरिया में विभाग द्वारा अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के आवर्तक अनुदान के भुगतान के सम्बन्ध में उपनिदेशक, फैजाबाद मण्डल की माह नवम्बर 1990 में की गयी जांच आख्या शासन को प्राप्त हुई है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

145-श्री नन्द किशोर मिश्र-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

146-श्री सुधीर-

(1ले शुक्र0 अता0प्र0सं0 176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद महराजगंज तहसील नौतनवां के गांव सभा की कृषि योग्य भूमि पर पूर्व काबिज अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मालिकाना अधिकार की मांग**

147-अखिलेश-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह शासनादेश है कि वर्ष 1985 के पूर्व से अनुसूचित जाति के लोग जिन जमीनों पर काबिज हैं उस पर उन्हें मालिकाना अधिकार दे दिया जाय? यदि हां, तो वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में अब तक महराजगंज जनपद के नौतनवां तहसील के किन-किन गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर गाँवसभा की कृषि योग्य भूमि पर 30 जून 1985 से पूर्व काबिज अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को असंक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार दिये जाने का प्राविधान उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 (ख) 4 (च) में है, यदि अनाधिकृत अध्यासन वाली भूमि को मिलाकर उसके पास कुल भूमि 1.26 हेक्टेयर्स (3.125 एकड़ ) से अधिक न हो।

वर्ष 1990-91 में तहसील नौतनवां के ग्राम खनुआ में अनुसूचित जाति

के एक व्यक्ति श्री लालमन पुत्र श्री सुरजन को असंक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार दिया गया है। वर्ष 1991-92 में अभी तक किसी को उक्त प्राविधान के अन्तर्गत अधिकार नहीं दिया गया है।

पूर्व में ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया था। अब ग्राम लेखुवानी, हरदीडाली, मरजातपुर, सेमरहना, नई कोट तथा एकमा के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार के अध्यासन के मामले उठाये गये हैं, जिनके विषय में जाँच करायी जा रही है।

**जनपद महराजगंज के अन्तर्गत नौतनवा तहसील के अन्दर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर 122 बी0 के तहत तहसीलदार न्यायालय में मुकदमा चलाये जाने का कारण**

148-श्री अखिलेश-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज जनपद अंतर्गत नौतनवा तहसील के अन्दर वर्ष 1985 के पूर्व से कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों पर 122 बी0 के तहत तहसीलदार न्यायालयों में मुकदमें चलायें जा रहे हैं? क्या उन्हें संगत कानून में मालिकाना अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो उन पर मुकदमें चलाये जाने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

वर्ष 1985 से पूर्व गांव सभा की भूमि पर अनुसूचित जाति का एक ही व्यक्ति काबिज है। कब्जे के सम्बन्ध में दो-पक्षों के मध्य विवाद है। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया में है। अन्य 11 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध गांव सभा की भूमि में वर्ष 1990 व 1991 से काबिज होने के कारण उ0प्र0 जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहवा की ग्राम सभाओं में मत्स्य पालन हेतु पट्टा देने पर विचार**

149-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अंतर्गत तहसील धौरहरा में किस-किस ग्राम सभा में कितने तालाब है जिसका पट्टा अभी तक नहीं किया गया? क्या सरकार मत्स्य पालन हेतु तालाबों का पट्टा देने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा की गांव सभा कलुआपुर में 8, गनेशपुर में 2 एवं बेलतुआ में 3 तालाबों का पट्टा अभी नहीं किया गया है।

सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समितियों ने तालाबों के पट्टे करने हेतु प्रस्ताव किया था परन्तु कोई व्यक्ति सम्प्रति तालाब लेने हेतु तैयार नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

## जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं को पक्के मार्ग से जोड़ने की योजना

150-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में 1 जनवरी, 1980 से अक्टूबर, 91 तक 1500 आबादी वाले किन-किन ग्राम सभाओं को जिला योजना में/भूमिहीन गारन्टी योजना में पक्की सड़क से जोड़ा गया है और इस तहसील में कौन-कौन ग्राम सभाएं हैं जो 1000 की आबादी से 1500 आबादी वाली है? क्या उन्हे पक्के मार्ग से जोड़ने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद खीरी में तहसील धौरहरा के अन्तर्गत वर्ष 1971 की जनगणना अनुसार वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जिला योजना/भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम/अन्य योजनाओं में अक्टूबर, 1991 तक निम्नलिखित 1500 या 1500 से अधिक आबादी वाली 44 ग्राम सभाओं को पक्के मार्गों से जोड़ दिया गया है- अमेठी, अदलीसपुर, ईसानगर, ऐरा, कफारा, कल्लुआपुर, कविरहा, कुम्हैना, खरवहिया नं0 1, खमरिया पंडित, गुलरिया तालुके अमेठी, गुदरिया, गनेशपुर, घुरघुट्टा बुजुर्ग, जटपुरवा, जेठरा, डेहुआकला, दुलहीं, देवीपुरवा, नैनापुर, परोरी, बबुरी, बरारी, विरसिंहपुर, बेलागढ़ी, बेटी सहदेव, बिनौरा, मटेरा हौंकना, महराजनगर, मिर्जापुर मललापुर, मुखलिसपुर, रायपुर, (ईसानगर), रमियाबेहड, रामनगर बगहा, रामनगर लहबडी, लखाही, लौकाही मललापुर, लौकाही ईसानगर, सिसैया कला, सुजानपुर, सकंल्पा, सुजईकुन्डा, सिंगावर, हुसैनापुर कथौली।

धौरहरा तहसील में 1000 से 1499 तक आबादी वाली निम्नलिखित 33 ग्राम सभायें हैं:-

ऊँचागाव, केशवपुर कला, करोहा, कैरातीं-पुरवा, गौढ़ी, चन्द्रपुरा, चन्द्रसाकला, चपकहा, जंगलवाली, जम्हौरा, दरिगापुर, धुन्धकला, धौरहरा, नयागांव, पकरिया, फिरोजाबाद, भेदैंहिया, मडेवा, मोहम्मदापुर, मटेहनी, मिलिक, रुद्रपुर सलीम, लखनियापुर, लाखुन, बाली, शेखूपुर, सपरतहा, सधुवापुर समैसा, सरैयाकला, हरदी, हरसिंहपुर, हसनापुर।

1500 से अधिक आबादी की एक ग्राम सभा जंगल मटेरा को पक्के मार्ग से जोड़ जाने से पूर्व बहराइच जिले की सेन्ट्रल स्टैट फार्म के मार्ग का निर्माण पूरा किया जाना आवश्यक है। 1000 से 1499 तक की जनसंख्या वाली उपरोक्त लिखित 33 ग्राम सभाओं में से 17 ग्राम सभायें पक्के मार्गों से जुड़ी हैं। शेष 16 ग्राम सभायें जो निम्नवत् हैं:-

केशवरपुर कला, कैरातीपुरवा, गोढ़ी, चन्द्रसाकला, जंगलवाली, दरिगापुर, धुन्धकला, नयागांव, फिरोजाबाद, मोहम्मदापुर, मिलिक, वाली, शेखूपुर, सपरतहा,

सधवापुर, हरसिंहपुर को पक्के मार्गों से जोड़ा जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं वित्तीय संसाधनों की उपलबधता पर निर्भर है।

**जनपद सुल्तानपुर, तहसील-मुसाफिरखाना, ग्राम कचनाव के राजस्व अभिलेखों में श्री महमूददास पुत्र गुरु चरन के स्थान पर श्री महमूददास पुत्र शिवचरन लिखा जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

151-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि महमूददास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण गुरुवचन निवासी ग्राम-कचनाव, तहसील-मुसाफिरखाना जनपद-सुल्तानपुर, राजस्व अभिलेखों में अंकित है? यदि हां, तो श्री महमूददास पुत्र गुरुचरन के स्थान पर श्री महमूददास पुत्र शिवचरन किसके आदेश से अंकित किया गया है? उक्त गलत बरासत दर्ज करने वाले दोषी कर्मचारी एवं अधिकारी के विरूद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी और श्री महमूददास पुत्र श्री शिवचरन के स्थान पर श्री महमूददास पुत्र गुरुचरन राजस्व अभिलेखों में कब तक अंकित करा दिया जायेगा?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात 1397 फसली में चकबन्दी विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी के आदेश से महमूददास पुत्र शिवचरन दर्ज किया गया था।

उपसंचालक चकबन्दी, सुल्तानपुर को दायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है। राजस्व अभिलेखों में श्री महमूददास पुत्र श्री शिवचरन के स्थान पर श्री महमूददास पुत्र श्री गुरुचरन अंकित करा दिया गया है।

**जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिर खाना के ग्राम-कचनाव में भूमि पर अवैध कब्जें के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप वर्मा स0वि0स0 के पत्र पर कृत कार्यवाही**

152-श्री राम स्वरूप वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के प्रथम मंगलवार दिनांक 19 जून, 1990 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-25 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित सम्बन्धित आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सदर सुल्तानपुर के न्यायालय में दायर अपील का निस्तारण कर दिया गया है और श्री महमूददास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण गुरुचरन को उक्त भूमि पर मौके पर नाम कर कब्जा दिया गया है? यदि हां, तो कब?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवदी-

जी हाँ। चकबन्दी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सदर सुल्तानपुर के न्यायालय में दायर अपील का निस्तारण

कर दिया गया है और महमूददास तथा श्री सम्पत्ति पुत्रगण गुरुचरन को उक्त भूमि पर नाप कर कब्जा दिनांक 30-6-85 को दिला दिया गया है।

**निघासन तहसील, जनपद लखीमपुर खीरी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पट्टेदारों को सीलिंग सेक्टर का अनुदान न मिल पाना तथा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग**

153-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि निघासन तहसील जनपद लखीमपुर खीरी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण समस्त ग्रामों की सीलिंग पट्टेदारों की सूची अपर जिला अधिकारी (खीरी) के कार्यालय में गत वर्ष न भेजे जाने के कारण सीलिंग पट्टेदारों को सीलिंग सेक्टर का अनुमान नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन दोषी है और दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी शीघ्र ही उक्त तहसील के समस्त सीलिंग पट्टेदारों को अनुदान दिलाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

**जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत कोड़ागढ़ी मार्ग का निर्माण कार्य**

154-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहानाबाद बकेवर मार्ग जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत कोड़ागढ़ी मार्ग का निर्माण पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कितने कि0 मी0 पूर्ण हुआ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण होगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं।

कुल लम्बाई 32 कि0मी0 में से केवल 6 कि0मी0 का कार्य पूर्ण हुआ है। शेष 26 कि0मी0 का कार्य वर्तमान में किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

कार्य पूर्ण किया जाना स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जहानाबाद (फतेहपुर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुगलरोड से पाराधान खूंटा मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि की जानकारी**

155-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहानाबाद (फतेहपुर) विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुगल रोड से पाराधान खूटा मार्ग का निर्माण कब तक पूरा होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत मार्ग को स्वीकृत स्तर तक 31 मार्च, 1992 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद फतेहपुर में चाँदपुर-लहुरी मऊ रोड पर पुल निर्माण का आदेश निर्माण कार्य का विवरण की प्रगति व्यय की गयी धनराशि तथा वर्तमान में निर्माण कार्य रोके जाने का कारण**

156-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर में चांदपुर-लहुरी मऊ रोड पर दिनांक 17-1-89 को आदेश संख्या-219/(इ)/23 लो0 नि0 अनुभाग (2) द्वारा पुल बनने का आदेश हुआ था जिसका उद्घाटन 13-7-89 को हुआ था? यदि हां, तो अब तक उसका निर्माण कितना हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ। शासनादेश संख्या-215इ/23-सा0नि0अनुभाग-11-165इ/87 दिनांक 17-1-89 द्वारा रुपये 60 लाख की स्वीकृति दी गई थी एवं शिलान्यास 13-7-89 को हुआ था।

कार्य की प्रारम्भिक अवस्था में रु0 1.53 लाख कम हुए लेकिन संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण सेतु निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

157-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में चांदपुर लहुरी मऊ मार्ग पर नोन नदी पर पुल बनने की स्वीकृति धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी धनराशि शेष है? क्या उसका सम्पूर्ण उपयोग होगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण की कुल स्वीकृत लागत रु0 60.00 लाख में से पुल के अंश रु0 46.00 लाख के समक्ष उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा 1.53 लाख रु0 व्यय किये गये। स्वीकृत लागत के सापेक्ष शेष धनराशि 58.47 लाख रुपये है।

स्वीकृति अनुसार पुल एवं पहुंच मार्ग का पूर्ण किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

158-श्री छत्र पाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फतेहपुर में चांदपुर लहुरी मऊ रोड पर नोन नदी पर पुल बनने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे

क्यों रोका गया? कब तक पुनः उक्त निर्माण शुरू होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में राजस्व विभाग द्वारा ग्राम समाज की भूमि का अवैध पट्टा दिये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही**

159-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0 90 के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था ग्राम प्रधान, ग्राम सभा-सकरौली, विकास खण्ड गगहा, गोरखपुर के शिकायती-पत्र दिनांक 29-9-89 तथा 30-3-90 की जांच कराई गई है जिसमें ग्राम महानिया, तप्पा मजूरी, परगना धुरियापार, त0 गोला, गोरखपुर में कुल 11 भूखण्डों रकबा 4.66 एकड़ का अनियमित आवंटन उसी ग्राम के 16 व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है? यदि हां, तो क्या अवैधानिक रूप से किये गये उक्त पट्टों को रद्द कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पट्टे रद्द होंगे?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी नहीं।

वर्तमान में सभी 16 अनियमित पट्टों के निरस्तीकरण के बाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होन पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

160-श्री हरिशंकर तिवारी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नेवादा तप्पा मजूरी, परगना धुरियापार, त0 गोला, जि0 गोरखपुर में छः एकड़ ग्राम सभा की भूमि को, लेखपाल व कानूनगो द्वारा, ग्राम समाज की भूमि प्रबन्धक कमेटी के फर्जी प्रस्ताव को दर्शा कर ग्राम के हरिजनों एवं भूमिहीनों को पट्टा न देकर ग्राम सभा के बाहर के 5 व्यक्तियों को जो खेतिहार धनी तथा सवर्ण जाति के व्यक्ति है से पैसा लेकर बेचने के सम्बन्ध में उक्त ग्राम सभा के प्रधान का कोई शिकायती पत्र दिनांक 23-7-90 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस शिकायती पत्र की जांच करा ली गई है? यदि हां, तो जांच के अनुसार अवैधानिक रूप से किये गये पट्टे को निरस्त कराने तथा दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों और

कब तक कार्यवाही की जाएगी?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

जी हाँ।

तहसील स्तर से प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु दिनांक 23-9-91 को रिपोर्ट प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत प्रकरण में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद संख्या-95 श्री वीरेन्द्र बनाम मुखई विचाराधीन है। दोषी व्यक्ति के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बलिया जनपद में मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन एवं विधान सभा क्षेत्र सीयर के सम्बन्धित सीयर व नगरा में राज्य सेक्टर व जिला सेक्टर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य**

161-श्री रमाकान्त यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1990-91 व 1991-92 में शासन ने बलिया जनपद में कितने-कितने धन के, किन-किन मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया है? उनके लिए धन आवंटन करने की कौन-कौन सी राजाज्ञायें पारित की गई? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 1990 व 1991 में विधान सभा क्षेत्र सीयर के संबंधित विकास खण्ड सीयर व नगरा में राज्य सेक्टर व जिला सेक्टर के कौन-कौन से कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराने के लिए स्वीकृत किये गये थे? उनमें से कितनी योजनाओं पर, औपचारिकतायें पूर्ण करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा कितने पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? क्या सरकार समस्त स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण कराने के लिए निर्देश जारी करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद बलिया में वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में संलग्न सूचियों "अ" व "ब" अनुसार कार्य स्वीकृत किये गये। +

कार्यवार धन आवंटित नहीं किया जाता है। बजट पारित होने पर समस्त धनराशि प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर रख दी जाती है।

वर्ष 1990-91 व 1991-92 में सीयर विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड सीयर व नगरा में संलग्न सूचियों (4 सूचियाँ "स" "द" "क" एवं "ख") + अनुसार कार्य स्वीकृत किए गए।

उपरोक्त दोनों विकास खण्डों में कुल 28 मार्ग कार्यों में से 23 कार्यों पर कार्य प्रारम्भ हुआ एवं पांच मार्गों पर नहीं हो सका।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

---

+ छापी नहीं गई।

**श्री आर0 के0 सिंह, जूनियर इंजीनियर बी ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

162-श्री रमाकान्त यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 13-8-91 जनता पार्टी कार्यालय के पत्र संख्या-1328 जो कि श्री आर0 के0 सिंह, जूनियर इंजीनियर, बी ब्लाक, दारुलशफा, लखनऊ के भ्रष्टाचार के संबंध में था, उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पत्र पर सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही सुनिश्चित की है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हां। मा0 सदस्य से आरोपों के सम्बन्ध में संगत सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

**नगरपालिका व सिटी बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए सड़क के किनारे विज्ञापन बोर्डों का किराया वसूलने के अधिकार को लो0नि0वि0 के स्थान पर नगर बोर्ड को दिये जाने की मांग**

163-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या सरकार नगर क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सहारे की भूमि पर तहबाजारी वसूलने तथा विज्ञापन बोर्डों का किराया लेने का अधिकार लो0 नि0 वि0 के स्थान पर नगर बोर्ड को देने की कार्यवाही करेगी जिससे नगरपालिका व सिटी बोर्ड की आय बढ़ायी जा सके?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर क्षेत्र में स्थित मार्गों से सम्बद्ध अथवा निकटवर्ती भूमि पर न तो तहबाजारी वसूल की जाती है और न ही विज्ञापन बोर्डों का किराया ही लिया जाता है। यातायात का सुगम संचरण राजस्व प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण है।

**जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज की ग्राम सभा गौरवा उसमानपुर में अपात्र व्यक्तियों के नाम भूमि पट्टे किये जाने के प्रकरण की जांच की मांग**

164-श्री सुरेन्द्र नाथ-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी की तह0 हैदरगढ़ के विकास खण्ड-त्रिवेदीगंज की ग्राम सभा-गौरवा उसमानपुर में गैर लाभार्थी सीमा में आने वाले अपात्र व्यक्तियों को बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के अथवा ग्राम प्रधान की जानकारी के तहसील कर्मियों द्वारा पट्टे किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी?

श्री ब्रहमदत्त द्विवेदी-

जनपद बाराबंकी के प्रश्नगत ग्राम में पात्र व्यक्तियों को ही भूमि प्रबन्ध-

समिति के प्रस्ताव पर परगनाधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही पट्टे दिए गए हैं। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

165-श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**जिला कारागार बांदा के बैरक नं0 6 की लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई आदि का लेखा-जोखा एवं मानक से अधिक बन्दी रखने के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही**

166-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जिला कारागार बांदा के बैरक नं0 6 की लम्बाई, चौड़ाई, एवं ऊंचाई का लेखा-जोखा क्या है? क्या बैरक नं0 6 में मात्र 18 ओटा है तथा दो ओटाओं के मध्य एक फुट जगह है? यदि हां, तो इसमें अधिकतम कितने अपराधी रखे जा सकते हैं? क्या इस बैरक में प्रश्नकर्ता के 18 जून से जुलाई, 91 के जेल काल में 50 से 70 तक नियमित रूप से बन्दी बन्द किये जाते रहे हैं? क्या बैरक सं0 6 में कोई पंखा की व्यवस्था है? क्या बैरक नं0 6 में मानक से अधिक बन्दी बन्द किये जाते है? यदि हां, तो क्यों? क्या मानक से अधिक बन्दी रखने के लिए कोई अन्य व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसमें दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उमानाथ सिंह-

बैरक नं0 6 की लम्बाई 29 फुट 1 इंच, चौड़ाई, 16 फुट 2 इंच, ऊँचाई 12 फुट 8 इंच है।

जी हाँ।

नियमानुसार 18 बन्दी रखे जा सकते हैं।

स्थानाभाव के कारण निर्धारित क्षमता से अधिक अल्पवयस्क इस बैरक में बन्द किए जाते रहे हैं। जिला कारागार, बांदा में अब एक अल्पवयस्क कारागार का निर्माण हो चुका है जिसमें उनका स्थानांतरण कर दिया जायेगा।

जी नहीं। हाथ से डुलाने वाला पंखा दिया जाता है।

जी हाँ।

कारागार की क्षमता से अधिक बंदियों के निरूद्धीकरण के कारण।

जी नहीं। एक नये बैरक के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

न्यायालय के आदेशानुसार बंदियों को कारागार में रखा जाता है। अतः किसी अधिकारी का दोष नहीं है। अतएव कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कारागार बांदा में बन्दियों के मरने की घटनाएं एवं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच**

167-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कारागार-बांदा में वर्ष 1990-91 में बन्दियों के मरने की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो कितने बन्दियों की? क्या मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया गया है? यदि हां, तो मौतों का क्या कारण हैं? क्या इनके मर्ज लाइलाज रहे है? यदि नहीं, तो क्या जिला कारागार बांदा के अन्तर्गत अस्पताल की सुविधा है? क्या यह सही है कि जिला कारागार बांदा से सदर अस्पताल बांदा आधा किलोमीटर के अन्दर है? यदि हां, तो क्या इन्चार्ज डाक्टर कारागार बांदा एवं जेल अधिकारियों की ओर से पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई? क्या इनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हाँ। तीन बन्दियों की।

जी हाँ। दो बंदियों की प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण सुनिश्चित नहीं हो सका। एक बन्दी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अप्राप्त है। मौत का कारण बीमारी रही।

जिला कारागार, बांदा में अस्पताल की सुविधा है तथा उक्त बंदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जी नहीं। जिला सदर अस्पताल जिला कारागार, बांदा से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है। अधीक्षक की रिपोर्ट में कोई दोषी नहीं पाया गया। अतः मैजिस्टीरियल जांच में किसी के दोषी पाये जाने तक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

**जनपद बांदा के जिला कारागार का डी0 आई0 जी0 द्वारा निरीक्षण का औचित्य**

168-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के जिला कारागार-बांदा में 18 जून, 1991 से 30 जून, 1991 के बीच डी0 आई0 जी0 एवं अन्य उच्च अधिकारियों का निरीक्षण हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या सभी श्रेणी के बन्दियों से पूछताछ की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? इस निरीक्षण का क्या औचित्य था?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हाँ। दिनांक 21-6-91 को उप कारागार महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र तथा दिनांक 25-6-91 को मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के समय सभी श्रेणी के बन्दियों से पूछताछ की गयी। मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, बाँदा द्वारा

निरीक्षण विचाराधीन बन्दियों के लम्बित मामलों की स्थिति की जानकारी के लिए तथा उप कारागार महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र द्वारा रात्रि में निरीक्षण सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के अनुपालन की जानकारी के उद्देश्य से किया गया।

**जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कारागार बांदा के कृषि फार्म में उत्पादन एवं आय-व्यय का ब्यौरा**

169-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत जिला कारागार बांदा के कृषि फार्म में उत्पादन किया जाता है? यदि हां, तो 1985 से जून, 1991 तक आय एवं व्यय का ब्यौरा क्या है? क्या कारागार बांदा के बन्दियों के वर्षवार गल्ला, सब्जी एवं तेल के खर्चे की पूर्ति कृषि फार्म की पैदावार से हो जाती है? यदि नहीं, तो क्या इसकी पूर्ति टेन्डर से होती है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सब्जी की पैदावार जेल के उपभोग से अधिक होती है? यदि हां, तो कितने मूल्य की ?

श्री उमानाथ सिंह-

जी हाँ।

सूचना एकत्र की जा रही है।

**ग्राम सभा मानिकपुर, हरपुर पाठक, सिंहाभार, महरी घोड़हवा, गजरही-गजरहा तहसील नौतनवा, जिला महराजगंज में सीलिंग से प्रभावित जमीन एवं वितरण**

170-श्री श्याम नारायण-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा मनिकापुर, हरपुरपाठक, सिंहाभार, महरीघोड़हवा, गजरही-गजरहा, तहसील-नौतनवां, जिला-महराजगंज में सीलिंग से प्रभावित कितनी जमीनों को अतिरिक्त घोषित किया गया है? कितनी जमीनों पर पात्र व्यक्तियों का कब्जा वर्तमान में मौजूद है? शेष जमीनों को सरकार कब तक अतिरिक्त घोषित करके, पात्र व्यक्तियों में वितरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

ग्राम मनिकापुर, हरपुर पाठक, सोहाभार, महरीघोड़हवा, गजरही, गजरहा तहसील नौतनवा जनपद महराजगंज में कुल 48.57 एकड़ भूमि को सीलिंग से अतिरिक्त घोषित किया गया है। 29.475 एकड़ भूमि को पात्र व्यक्तियों में आवंटन की कार्यवाही की गयी है जिसमें से 8.11 एकड़ भूमि पर पात्र व्यक्तियों का कब्जा है। शेष अतिरिक्त घोषित भूमि न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित है। न्यायालय के निर्णय के बाद पात्र व्यक्तियों में वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

**अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड शाहजहाँपुर द्वारा बिना कोटेशन नोटिस के साइन बोर्ड एवं काशन बोर्ड की खरीद एवं इस अनियमितता के लिए कार्यवाही**

171-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1984 से जुलाई, 1985 तक अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खंड शाहजहांपुर ने लगभग तीन लाख रुपया के साइन बोर्ड एवं काशन बोर्ड शाहजहांपुर खंड हेतु एवं लगभग तीन लाख रुपये के साइन बोर्ड एवं काशन बोर्ड बरेली राष्ट्रीय मार्ग खंड हेतु जिसका चार्ज भी कुछ समय उनके पास रहा, बिना कुटेशन नोटिस के जारी किये एवं बिना समाचार पत्र में प्रकाशन कराये खरीदे? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिये क्या कार्यवाही की गई?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जुलाई, 1984 से जुलाई, 1985 के मध्य अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, शाहजहाँपुर ने शाहजहाँपुर खण्ड हेतु रुपया 1,78,025.00 तथा बरेली खण्ड हेतु रुपया 39,200.00 के विभिन्न प्रकार के बोर्ड क्रय किये। उक्त बोर्डो की आपूर्ति हेतु दैनिक समाचार पत्र "द पायनियर" लखनऊ के दिनांक 24-8-84 के अंक में निविदा सूचना का प्रकाशन कराया गया था, किन्तु निविदायें प्राप्त न होने पर कुटेशन पद्धति पर विभिन्न प्रकार के बोर्डो की आपूर्ति ली गई। कोई अनियमितता नहीं पायी गई।

**रा0 मार्ग-24 के कुछ भाग को बी0 एम0 ठेकेदार द्वारा कराया जाना एवं क्रस्ट की मोटाई की जांच एवं भुगतान**

172-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 मा0-24 के कि0मी0 472 से 474 तक का बी0 एम0 ठेकेदार द्वारा कराया गया है? यदि हां, तो इसकी कष्ट थिकनेस क्वालिटी प्रमोशन कन्ट्रोल द्वारा चेक कराने पर कितनी पायी गयी? यदि कम थी तो क्या अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार थे? सड़क की चौड़ाई कितनी थी और कितनी चौड़ाई का भुगतान किया गया? क्या एम0बी0 के पन्ने बदले या कटिंग करके भुगतान किया गया? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता, रा0 मा0 द्वारा एम0 बी0/आर0 एम0 आर0 एवं अन्य रिकार्ड सील करा करके जांच के आदेश दिये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बुकिएंजिग लगाते समय सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गयी? यदि हां, तो कितनी और उसकी क्रेस्ट थिकनेस क्या है? क्या इसके लिए तत्कालीन अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता दोषी है? यदि नहीं, तो कौन दोषी है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

क्रस्ट की मोटाई की जाँच राष्ट्रीय मार्ग सर्वेक्षण खण्ड-2 लखनऊ द्वारा

की गयी थी । क्रस्ट की मोटाई अनुमन्य सीमा के अन्दर थी । किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता है ।

7 मीटर ।

उक्त तीन किलोमीटरों में ठेकेदार को निम्नलिखित औसत चौड़ाई का भुगतान किया गया:-

| | |
|---|---|
| कि0मी0-472 | 6.68 मीटर |
| कि0मी0-473 | 6.87 मीटर |
| कि0मी0-474 | 6.76 मीटर |

जी नहीं ।

रिकार्ड सील कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई किन्तु अन्तिम भुगतान के पूर्व की गई मापों में विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता का स्पष्टीकरण लेकर उनकी वर्ष 1987-88 की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न करने के आदेश पारित किये गये ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

कोई दोषी नहीं है ।

**आई0 सी0 डी0 एस0 मिर्जापुर में पोषाहार क्रय पर हुआ व्यय एवं इस विषय में जिला कांग्रेस कमेटी के संयोजक शशिभूषण दूबे को शिकायती पत्र पर कार्यवाही**

173-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई0सी0डी0एस0 मिर्जापुर में वर्ष 1991-92 में पोषाहार क्रय किये जाने में कितना रुपया व्यय किया गया है? पोषाहार में क्या-क्या क्रय किया गया है और उसकी कैटेगरी क्या है? क्या जिला कांग्रेस कमेटी (ई) ग्राम्य विकास सेल के संयोजक श्री शशि भूषण दुबे ने कोई शिकायत की है और उनका आरोप क्या सच है कि पोषाहार रद्दी किस्म का क्रय करके, ज्यादा रुपया व्यय किया गया है और खिचड़ी में कंकरीट की मिलावट करके उसे वितरित किया गया है? क्या सरकार इस पोषाहार की शक्ति एवं किस्म परीक्षण तथा रेट परीक्षण सक्षम प्राधिकारी को भेजकर करायेगी? सरकार मिलावट हेतु जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित कब तक कर देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1991-92 में जनपद मिर्जापुर में पोषाहार क्रय में रु0 32,12,056.70 का व्यय किया गया । पोषाहार में चावल, मूंग की दाल, चना, गुड़, गेहूँ की दलिया तथा नमक का क्रय किया गया । पुष्टाहार का क्रय अच्छी गुणवत्ता के आधार पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के निर्णयानुसार किया गया । जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद उन्नाव के भगवंत नगर निर्वाचन क्षेत्र में मिनिमम नीड प्रोगाम के अन्तर्गत बने मार्गों की स्थिति एवं रख-रखाव की व्यवस्था**

174-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र में मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत कौन-कौन स मार्ग खड़ंजा स्तर तक और कौन-कौन से मार्ग मिट्टी स्तर तक बने है? इन मार्गों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद उन्नाव के भगवंतनगर निर्वाचन क्षेत्र में मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्ग खड़ंजा एवं मिट्टी स्तर तक निर्मित है:-

खड़ंजा स्तर तक

1- भगवंतनगर चैनपुर मार्ग
2- भगवंतनगर सरैनी मार्ग
3- कल्याणपुर टौडिया खेड़ा मार्ग
4- बरदहा कुम्भी अकबरपुर को पाटन धनुहीखेडा मार्ग से मिलाना।
5- डौडियाखेड़ा अहिरौरा मार्ग
6- आवपाही हरदो को बी0यू0ए0 मार्ग से मिलाना
7- सगवर लिंक मार्ग
8- पनई बुजुर्ग लिंक मार्ग
9- सिजनी सोहरामऊ को ममरेजपुर पुरवापाटन मार्ग से मिलाना।
10- चैनपुर जर्मीपुरु मार्ग
11- पुरई लिंक मार्ग का 2 कि0मी0 भाग
12- धनकौली लिंक मार्ग
13- ओसिया कटरा मार्ग
14- शिवगंज गिरिजानगर मार्ग का 1.50 कि0मी0 भाग।
15- गौरा लिंक मार्ग।
16- घाटमपुर लिंक मार्ग।
17- बरदहा लिंक मार्ग
18- अकबरपुर सम्पर्क मार्ग।

मिट्टी स्तर तक

1- पुरई लिंग मार्ग का 900 मीटर भाग
2- औसिया कटरा नसीरपुर टेढ़ा मार्ग का नसीरपुर तक विस्तार
3- शिवगंज गिरिजानगर मार्ग का 1.00 कि0मी0 भाग।
4- बिहार मौरावां मार्ग से मलौना

5- पकरा बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग

उक्त मार्गों का रख-रखाव वार्षिक मरम्मत एवं अनुरक्षण मद से किया जाता है।

**जनपद उन्नाव में पुरवा बिहार मार्ग की लम्बाई एवं निर्माण कार्य**

175-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड के अन्तर्गत पुरवा बिहार मार्ग की लम्बाई क्या है? उसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और अब तक कितना भाग डामरीकृत किया गया? कितना मार्ग-लेपन हेतु शेष है और इस भाग पर लेपन स्तर निर्माण कब तक कर दिया जायेगा?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद उन्नाव में पुरवा बिहार मार्ग की लम्बाई 9.00 कि0मी0 है।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण 1978 में प्रारम्भ किया गया और मार्ग के प्रथम 6.00 कि0मी0 डामरीकृत किये गये।

शेष 3.00 कि0मी0 में मात्र मिट्टी का कार्य हुआ है। यह मार्ग जिला योजना की परिधि में आता है। पुलिया निर्माण से लेपन स्तर तक का कार्य किया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

**जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड द्वारा निर्मित पुरवा बिहार मार्ग का क्षतिग्रस्त होना निर्माण काल से अब तक इसका निरीक्षण एवं रिपोर्ट एवं कार्यवाही**

176-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उन्नाव के प्रान्तीय खण्ड द्वारा निर्मित किए गये पुरवा बिहार मार्ग का डामरी कृत भाग बिल्कुल नष्ट हो गया है? यदि हां, तो इसका पुनर्निर्माण कब तक कर दिया जायेगा? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्माण काल से लेकर अब तक इस मार्ग का किस-किस अधिकारी ने कब-कब निरीक्षण किया और क्या-क्या रिपोर्ट अपने-अपने उच्च अधिकारी को दी? उन रिपोर्टों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी नहीं। मार्ग की अधिकांश लम्बाई क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के पुनः निर्माण की आवश्यकता न होकर विशेष मरम्मत की आवश्यकता है जिसे प्रारम्भ कर दिया गया है एवं धन की उपलब्धता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है। पिछले पांच वर्षों में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सहायक अभियन्ता द्वारा लगभग 60 बार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा 10 बार, तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 2 बार मार्ग का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान सामान्य रख-रखाव

व मार्ग की मरम्मत के निर्देश दिये गये। सीमित संसाधनों के अन्तर्गत मार्ग के रख-रखाव का कार्य किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

177-श्री भगवती सिंह विशारद-

(2 रे सोम0 में अता0प्र0सं0 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद उन्नाव में भूदान समिति की भूमि का आवंटन एवं पट्टों की वैधता की जांच**

178-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि भूदान की जमीन गरीबों को वितरित करने के नाम पर बड़े-बड़े लोगों के बीच भूदान समिति के संयोजक/अध्यक्षों/ट्रस्टी द्वारा अनियमित रूप से वितरित की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उन्नाव जिले के वर्ष 87, 88, 89, 90 व 91 के भूदान समिति द्वारा दिये गये पट्टों की वैधता की जांच करवाई है? क्या सरकार प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र की, मौरावां व पुरवा व असोहा परगनों की भूदान की जमीन के आवंटन की सूक्ष्म जांच करवाएगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं।

जनपद उन्नाव में भूदान समिति की 1767 एकड़ भूमि 1776 आवंटियों को आवंटित की गई है।

पट्टों की वैधता की जांच के निर्देश दे दिये गये हैं।

**प्रदेश राज्य सेतु निगम के श्री के0 बी0 श्रीवास्तव, उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई प्रथम लखनऊ द्वारा बाराबंकी में बनाये जा रहे पुलो में घपलों के किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**

179-श्री श्याम नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बताएंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 5-10-91, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के श्री के0 बी0 श्रीवास्तव, उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई प्रथम, लखनऊ द्वारा बाराबंकी में बनाये जा रहे पुलों के घपलों के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग

जी हाँ। प्रश्नगत पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को सम्बोधित था।

इस सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है।

**जनपद हरदोई में तहसील बिलग्राम के कोटेदारों को चीनी और मिट्टी तेल का आवंटन यूनिट के आधार पर न दिये जाने के कारण एवं कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही**

180-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई में तहसील बिलग्राम के कोटेदारों को चीनी और मिट्टी तेल का आवंटन राशन कार्डो की संख्या के आधार पर न किये जाने के कारण है? क्या यह सही है कि कार्ड धारकों की शिकायत पर कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही भी विगत वर्षों (1989-90 एवं 1990-91) सम्पन्न की गई? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

श्री एजाज रिजवी-

भारत सरकार से चीनी और मिट्टी का तेल का पर्याप्त आवंटन प्राप्त न होने के कारण विभिन्न जनपदों के आवंटन यूनिट अथवा राशन कार्डस की संख्या के आधार पर करना सम्भव नहीं है।

जी हाँ।

वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में कोटेदारों के विरुद्ध शिकायतों की जांच में अनियमिततायें पाये जाने एवं आरोपों की पुष्टि होने पर ही कार्यवाही की गयी है।

**अलीगढ़ जनपद में मिट्टी के तेल के फुटकर लाइसेन्स धारक विक्रेताओं को आवंटित मात्रा में मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने हेतु होलसेल डिपो हसायन, अकराबाद गौड़ा, गंगीरी आदि में स्थापित न करने के कारण एवं औचित्य**

181-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उचित मूल्य की दुकानों/सस्ते गल्ले, चीनी-मिट्टी का तेल आदि के फुटकर विक्रेताओं को वितरण हेतु उपभोक्ता सामग्री चीनी मिट्टी का तेल आदि ब्लाक मुख्यालयों पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा की गयी थी, ताकि उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण सुगमता पूर्वक समय से हो सके? क्या सरकार इस व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है? यदि नहीं, तो अलीगढ़ जनपद में मिट्टी के तेल के फुटकर लाइसेन्स धारक विक्रेताओं को आवंटित मात्रा में मिट्टी के तेल की आपूर्ति करने हेतु होलसेल डिपो ब्लाक मुख्यालय हसायन, अकराबाद गौड़ा, गंगीरी आदि में स्थापित न किये जाने का कारण व औचित्य क्या है? क्या इन विकास खण्डों में भी तेल के डिपो खुलवायेंगे?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

जी नहीं।

ब्लाक मुख्यालय हसायन, अकराबाद, गौड़ा तथा गंगीरी में मिट्टी के तेल के ब्लाक वितरकों की नियुक्ति की गयी थी किन्तु थोक विक्रेताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण कार्यवाही अवरुद्ध है।

प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

**जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में कतिपय मार्गों पर पुल स्वीकृत करने की मांग**

182-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में ऐसे कितने मार्ग हैं जिन पर सेतु के अभाव में आवागमन अवरुद्ध है? क्या सरकार सर्वेक्षण कराकर आगणन तैयार कराकर राज्य सेक्टर में पुल स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में ऐरा ईसानगर मार्ग पर कि0मी0 8 एवं 14 में लकड़ी के पुराने पुलों पर भारी यातायात अवरुद्ध है।

सीमित संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग पर सेतुओं के निर्माण/पुनर्निमाण के प्रस्ताव राज्य सेक्टर में विचाराधीन नहीं है।

**प्रान्तीय खण्ड/विभागीय निर्माण इकाई खण्ड लोक निर्माण विभाग गोण्डा में अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ताओं के जनपद के बाहर किये गये स्थानान्तरणों का विवरण**

183-श्री घनश्याम शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय खण्ड/विभागीय निर्माण इकाई खण्ड लोक निर्माण विभाग गोण्डा में 30 जून, 1991 से अक्टूबर, 91 तक कौन-कौन से अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया गया और उसमें कितने स्थानान्तरण आदेश स्थगित/निरस्त किये गये और उनका औचित्य क्या था? क्या सरकार भविष्य में स्थगित/निरस्त आदेशों को रद्द करके पुनः स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

प्रश्नगत खण्डों में कार्यरत सर्वश्री कृष्ण गोपाल गुप्ता, सलाउद्दीन खाँ, ज्ञान प्रकाश एवं रामीर कुमार (सभी अवर अभियन्ता) तथा श्री सूर्यकरन लाल श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता एवं श्री राम नरेश सिंह, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण जनपद से बाहर किया गया था। इनमें से श्री ज्ञान प्रकाश, अवर

अभियन्ता का स्थानान्तरण उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण तथा श्री राम नरेश सिंह, अधिशासी अभियन्ता का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया था। श्री सलाउद्दीन खाँ, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण केवल शिक्षा सत्र तक के लिए स्थगित किया गया था। आगामी स्थानान्तरण सत्र में परिस्थितियों के अनुसार इनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

**श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव बाल विकास परियोजना अधिकारी, फांट, पर कथित लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में कार्यवाही**

184-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमेश कुमार बाल विकास परियोजना अधिकारी, फांट, वर्ष 1989 में जनवरी से दिसम्बर, 89 तक के मध्य चना एवं बिस्कुट वितरण में लाखों रुपये के घपले के सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा की गई जांच में दोषी पाये गये? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रमापति शास्त्री-

श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, बाल विकास परियोजना अधिकारी, भावलखेड़ा के पद के अतिरिक्त फांट शाहजहाँपुर के भी उक्त अवधि में प्रभारी अधिकारी थे। चना एवं बिस्कुट के वितरण में उनके द्वारा की गयी कथित अनियमितता की जांच जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर से करायी, जिसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी जाने पर सम्पूर्ण प्रकरण का महालेखाकार से विशेष आडिट कराने की संस्तुति की गयी।

जांच अधिकारी की संस्तुति के आधार पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव बाल विकास परियोजना अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा चुका है और जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार मामले में महालेखाकार से विशेष आडिट कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद इलाहाबाद में तहसील मेजा के ऊँचडीह (उपरौध) गांव में चकरोड संख्या 1516 से अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की मांग**

185-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद में तहसील मेजा के ऊंचडीह (उपरौध) गांव में चकरोड संख्या 1516 को अनाधिकार रूप से पत्थर की दीवार बनाकर अवैध अतिक्रमण को जनहित में तुरन्त खाली किये जाने का निर्देश सक्षम प्राधिकारी को देगी? क्या अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

अतिक्रमण के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में

बेदखली हेतु वाद विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**राजकीय उद्योग आश्रम इण्टर कालेज, मटियारी, जनपद लखनऊ के अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 1989-90 में छात्रवृत्ति न दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही**

186-श्री राम आसरे वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उद्योग आश्रम इण्टर कालेज, मटियारी, जनपद लखनऊ के अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 1989-90 की छात्रवृत्ति न दिये जाने के संबंध में उक्त स्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों का प्रार्थना-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ को दिनांक 29-7-91 को प्राप्त हुआ है? क्या इसी विषय में इन्ही छात्रों का प्रार्थना पत्र समाज कल्याण मंत्री को दिनांक 16-8-91 को प्राप्त हुआ है? क्या इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या नियोजन 3885/91-92 दिनांक 22-8-91 द्वारा निदेशक समाज कल्याण विभाग से यह अनुरोध किया था कि उपरोक्त मामले की जांच कराकर अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाये जाने की कार्यवाही की जाये? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई? दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? उक्त स्कूल के अनुसूचित जाति के छात्रों को कब तक छात्रवृत्ति दिला दी जायेगी?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

परिक्षणोपरान्त छात्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान विद्यालय को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिलाधिकारी जनपद जालौन द्वारा राजस्व अधिष्ठान में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर सामान्य लोगों की नियुक्तियों को निरस्त करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति किये जाने की मांग**

187-श्री श्रीराम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा कार्मिक अनुभाग-2 दिनांक 17-7-91 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती/नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाया था? यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिबन्ध से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों की नियुक्तियों को मुक्त रखा गया था तथा सामान्य लोगों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी? यदि हां, तो क्या फिर भी जिलाधिकारी, जनपद जालौन ने राजस्व अधिष्ठान में कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त

पदों पर अनुसूचित जाति के लोगों के अलावा सामान्य लोगों की भी दिनांक 19-7-91 को नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त नियुक्तियां निरस्त कराके दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा तथा सामान्य लोगों के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी हाँ।

कोई नई नियुक्तियां नहीं की गई थी। निर्वाचन कार्य हेतु नियमानुसार नियुक्त कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य की समाप्ति पर आदेश दिनांक 19-7-91 के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट के अधिष्ठान में उपलबध रिक्तियों में मात्र समायोजित किया गया था शासनादेश दिनांक 17-7-91 में वर्णित प्रतिबन्ध का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। इसलिये किसी को दण्डित करने का कोई प्रश्न नहीं है। अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत अनुमन्य आरक्षण प्रतिशत से काफी अधिक है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**अधीक्षण अभियन्ताओं एवं मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच अधिकारी का पद एवं जांच हेतु लम्बित मामले की जानकारी की मांग**

188-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 6 वें मंगल का अता0प्र0सं0 27 के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-4-88 उन्हे प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या चार बिन्दुओं पर मांगी गयी आख्या सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 सरजीत सिंह डंग-

जी हाँ।

उपरोक्त पत्र में उठाये गये 4 बिन्दुओं की स्थिति निम्नवत् है:-

(1) विभागीय जांच हेतु समय-सारिणी सी0सी0ए0 रुल्स में प्राविधानित है। इस विषय पर शासन द्वारा भी दिनांक 31-10-91 को आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(2) शासकीय हानि की वसूली हेतु उपरोक्त नियमों में पर्याप्त प्राविधान हैं, अतः किसी नयी नीति को अपनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) विभागीय जांच में किसी न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है। इन जांचों में एक स्तर ऊपर के विभागीय अधिकारी ही जांच अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं।

(4) शिकायतों एवं प्रशासनिक मामलों हेतु आयुक्त (आई0ए0एस0) के

पद के सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इसके लिये पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर का कार्यालय वक्फ बोर्ड के भवन में स्थापित रहते हुए श्रीमती जानकी शुक्ला के नाम आवंटित होने के कारण**

189-श्री अखिलेश तथा श्री अकबर-

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला गन्ना अधिकारी गोरखपुर का कार्यालय गत पचास वर्षों से विन्ध्वासिनी नगर मुहल्ले में स्थित वक्फ, बोर्ड के भवन में स्थापित है? यदि हां, तो किराया नियंत्रण एवं निष्कासन अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने उक्त वक्फ बोर्ड के भवन में सरकारी कार्यालय के स्थापित रहते हुये किस नियम के तहत श्रीमती जानकी शुक्ला पत्नी श्री शिव प्रताप शुक्ल के नाम से उसे आवंटित कर दिया? क्या इस संबंध में संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष उ0प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्पसंख्यक समाज सुधार समिति का पत्र दिनांक 5-9-91 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एजाज रिजवी-

जी हाँ।

चूँकि उ0प्र0 गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र कूड़ाघाट, गोरखपुर द्वारा इस आशय की जानकारी दिये जाने पर कि प्रश्नगत जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय के लिए नव-निर्मित गन्ना भवन में कमरों का निर्माण हो गया है अतः उक्त कार्यालय को नव-निर्मित गन्ना भवन में स्थापित करने के आदेश जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा दे दिये गये और उक्त भवन को रिक्त घोषित करते हुए एक मात्र आवेदक श्रीमती जानकी शुक्ला पत्नी श्री शिव प्रताप शुक्ल को आवंटित कर दिया गया।

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र पर आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को जाँच कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का स्थगन**

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

(मद संख्या-3)

मा0 मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेतागण, जैसा आपको विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिये नियत किया गया है।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदन में आप कुछ कहें उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मा0 उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित कर दें कुछ दिनों के लिये और जब स्थगित हो जायेगा तो हमारा प्रयास होगा और शासन तथा आपकी जैसी मंशा है उसके अनुसार एक नाम उपाध्यक्ष के लिये प्रस्त कर दिया जायेगा जिससे इस पर चुनाव न हो, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो अभी इसकी सूचना दे रहा था कि उपाध्यक्ष पद के लिये आज का समय नियत हुआ, तिथि नियत हुई और इसमें कितने नामांकन हुये हैं.... ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसीलिये स्थगित करने के लिये मैंने कहा है और यह सूचना दिन आप दे देंगे जिस दिन चुनाव हो।

श्री अध्यक्ष-

मेरी इच्छा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्र हो जाये। लेकिन जो भी उपाध्यक्ष हों आपकी सहमति से, निर्विरोध हों तो सर्वोत्तम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मेरी, आपकी और सभी की इच्छा है कि उपाध्यक्ष पद पर जो आसीन हों वह सर्वसम्मति से और योग्यतम व्यक्ति हों, लेकिन शासन की इच्छा इसके प्रतिकूल है, इसलिये शासन के इस कदम को, विरोधी नीति को, हम पूरी तरह से नाकाम करना चाहते हैं, इसलिये आप इसको स्थगित कर दें।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)

श्रीमन् आपने जो भावना व्यक्त किया है उनका सम्मान करते हुए यह बहुत ही अच्छा रहेगा कि उपाध्यक्ष के सम्मानित पद पर मतदान की स्थिति न आवे। हमारी कठिनाई यह है कि विपक्ष के श्री प्रमोद तिवारी यह जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे और हम यह भी कोशिश करेंगे कि आपस में जो फूट पड़ी है वह दूर हो और विरोधी पक्ष एक बिन्दु पर आ जायें, हम यह भी कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ। उनके लाख प्रयास के बावजूद भी और संसदीय कार्य मंत्री भी प्रयास कर लें लेकिन उनकी भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ विपक्ष एक होकर सामना करेगा।

श्री राम लखन-

मान्यवर, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि साथ ही साथ सदन के सभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विपक्षी नेताओं से भी अनुरोध है कि ऐसे गरिमा पूर्ण पद का चुनाव हो जाना चाहिए और जैसे भी हो शीघ्र चुनाव हो जाना चाहिये।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, अभी नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी जी ने अपने सुझाव रखे हैं। मेरा मान्यवर, यह पूरा प्रयास हमेशा से रहा है और आज भी रहेगा कि विपक्ष एक होकर एक ही नाम दे। विपक्ष की तरफ से एक ही नाम आना चाहिए। जहां तक संसदीय परम्परा की बात रही है और इस सदन में भी माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह स्पष्ट घोषणा कर रखी है कि नेता विपक्ष जो नाम देंगे उसी को हम अंतिम रूप से मान लेंगे। मान्यवर, मैं यह जरूर चाहता हूँ कि विपक्ष की तरफ से एक नाम आये और हमारा प्रयास भी यही होगा कि एक हीं नाम आये लेकिन मैं आपसे यह भी चाहूँगा कि और दलों के जो माननीय नेता लोग बैठे हैं उनसे भी विचार किया जाये।

* श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, जो प्रस्ताव श्री तिवारी जी ने रखा है इस पर मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब पिछली बार उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु नामांकन हुआ तो उस समय मैं नेता विरोधी दल के पद पर आसीन था। मेरा यह पूरा प्रयास रहा था कि सारे विपक्ष की तरफ से एक नाम रखा जाय बड़ा दुर्भाग्य था किन्हीं कारणोंवश उस समय चुनाव नहीं हो सका था। उपाध्यक्ष का पद बड़े गरिमा का होता है। आज हम सब मिलकर एक हो रहे हैं। दलों में छोटे बँटवारे भले ही हों सिद्धान्तों में बँटवारा नहीं हुआ है। पद वही है, व्यक्ति वही हैं। मान्यवर, मैंने सत्ता पक्ष के साथ-साथ अपने विपक्ष के यदि मैं गलत नहीं हूँ तो सारे विपक्षी नेताओं ने भी श्री सुन्दर लाल का नामांकन कराया था। सबकी सहमति से, सबके हस्ताक्षरों से सुन्दर लाल जी का नामांकन कराया गया था। मैं समझता हूँ वह इस पद के योग्य हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी इस प्रश्न को यहाँ नहीं उठाना चाहता कि कौन योग्य है या नहीं। इसके लिये एक मीटिंग कर लेंगे उसमें इसकी चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

वह तो ठीक है। मैं आपसे यह माँग कर रहा हूँ कि सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए आपको चुनाव कराना चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। यह बजट सेशन है। हो सकता है हमें देर-देर रात तक बैठना पड़े। मैं चाहता हूँ कि चुनाव करायें और निर्वाचन लोकतांत्रिक परम्परा का एक अंग बने ताकि यहाँ के लोग भी जान सकें कि बड़े अच्छे तरीके से उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन हुआ। आज क्या बात है, कल तक कोई दूसरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बातें सामने आ जाये। 7 महीने हो गये कोई एक आधार पर नहीं पहुँच सका इसीलिये मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि चुनाव हो जाये और सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने जिस बात को अपनी कलम से अभिभूत किया था, मैं समझता हूँ उस तरफ मेरा इशारा है, वह पूरी हो जाय।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पहले सभी नेताओं को सुन लें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, यह उपाध्यक्ष जैसे गरिमामय पद के निर्वाचन के लिये मेरी राय शुरू से जो रही है, आज भी वही है। इस पद का निर्विवाद होना चाहिए। कैलाश नाथ यादव जी ने प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है। मुख्य विपक्षी दल रोज टूट रहे हैं। एक फैसला हो गया, तो क्या दल टूटने के बाद उस पर फिर फैसला होगा। पहले जो फैसला हुआ था वह सर्वसम्मति से हुआ था, जो फैसला हो वह माननीय नेता विरोधी दल की राय से हो। मान्यवर, जो कैलाश नाथ सिंह जी ने निर्वाचन की बात कही उससे सहमत हूँ। जिसको माननीय मुख्य मंत्री जी चाहेंगे वही जीत जाएगा। मान्यवर, एक नया प्रश्न उपस्थित हो गया है। माननीय नेता विरोधी दल जो वर्तमान समय में हैं वह किसी दूसरे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो पूर्व नेता विरोधी दल थे वह जिस व्यक्ति को चाहते थे उस व्यक्ति के नाम पर आम सहमति हो चुकी थी, तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में नाम बदलना सही होगा। जो परम्परायें हैं उनको टूटना नहीं चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे संकेत को समझते हैं। दोनों ही इस सदन के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं जो उपाध्यक्ष पद के चुनाव के साथ परम्परायें जुड़ी हैं उनको नहीं टूटना चाहिए मैं तो इस मत का हूँ।

(शोरगुल)

श्री ऊदल-

चुनाव होना कोई गलत बात नहीं है। यह उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। मैं समझता हूँ कि चुनाव इतना टल चुका है अब यह नहीं टलना चाहिए। हमें और प्रश्नों में नहीं जाना चाहिए। आज जो नेता विरोधी दल हैं वह जनता दल के हैं और जो पहले नेता विरोधी दल थे वह भी जनता दल के थे। उस समय क्या निश्चित हुआ था क्या नहीं हुआ था अब तो दल ही अलग हो गया। तो रजिस्ट्री तो हुई नहीं थी कि रजिस्ट्री हो गई थी तो वही होगा।

(हँसी)

इसका सर्वसम्मति से हल निकाल लेना चाहिए। माननीय नेता विरोधी दल हैं तथा अन्य विपक्षी दलों के नेता हैं, मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं इसमें निर्णय ले लिया जाना चाहिए। बनने बिगड़ने की तो हम लोगों की हैसियत है

आप जो निर्णय लेंगे उसको मान लिया जाय। इसलिए मेरा कहना है कि संसदीय प्रणाली में चुनाव आवश्यक है तो यह गलत बात नहीं है इसको मानना चाहिए।

(शोर)

* श्री राम लखन-

ऐसी परम्परा रही है कि नेता विरोधी दल से बैठकर तय कर लें एक नाम तय हो जाए उसको मान लें। मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव हो जाने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

रामस्वरूप वर्मा जी आप अगर कुछ कहना चाहें तो बोल लें।

* श्री राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ।

(एक साथ कई सदस्य बोलने पर कि मान्यवर, सुनाई नहीं दे रहा है।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आप बगल वाले माइक पर बोल लें।

राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, मेरी राय है कि विपक्ष के सभी माननीय नेताओं को और नेता सदन को अपने कक्ष में बुलाकर सबकी राय ले लें। और कोशिश करें कि सर्वसम्मति से चुनाव हो जाय। यदि फिर भी सर्वसम्मति न हो तो चुनाव करायें लेकिन उपाध्यक्ष की जगह को शीघ्र भरें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, सम्मानित सभी नेताओं के विचार आ गये हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में बहुमत से ही फैसले होते हैं और बड़ा दल और छोटा दल इसी आधार पर माना जाता है। कभी माननीय कल्याण सिंह जी इधर बैठते थे और हम उधर सत्तापक्ष में बैठते थे। तो बहुमत के आधार पर मान्यवर, यह फैसले होते हैं। आज जनता दल एक है लेकिन कुछ भ्रमित साथी जनता दल से अलग हो गये हैं। तो जनता दल का जो उम्मीदवार होगा वह मान्यवर, विरोधी पक्ष के सभी दलों की तरफ से वह उम्मीदवार माना जायेगा। ऐसी राय सभी सम्मानित नेताओं ने जाहिर की है। मैं एक स्वस्थ परंपरा बनाने के लिये सदन में चाहूँगा कि कब क्या हुआ इसका उल्लेख न करके आज क्या है उस पर हमको विचार करना चाहिये। भूत अतीत होता है। आज वर्तमान क्या है, वर्तमान को सोचना चाहिये और वर्तमान पर ही सब कुछ चलता है। मैं आग्रह करूँगा कि जो सम्मानित सभी नेताओं ने राय दी है अगर सबकी राय यही है तो मैं उनकी बातों को शिरोधार्य करूँगा लेकिन मेरा आग्रह है कि मैंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह भी देखा है कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव में 2-2 साल का समय लगा है। मैं ऐसी परंपरा के हक में नहीं हूँ। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कोई शीघ्र ही तारीख निश्चित कर दें और उसी तारीख पर इसका फैसला हो जाय।

(आज ही हो जाय की आवाजें।)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

आज ही हो जाय तो भी मान्यवर, अच्छा है।

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, यह बात सही है कि एक लम्बी अवधि व्यतीत हो गयी है और हम उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं कर सके, लगभग 7 महीने बीत गये। लेकिन यह भी सही है कि इस विलंब के लिये सत्तापक्ष बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अगर विरोध पक्ष की तरफ से एक नाम दे दिया गया होता तो उसी दिन चुनाव हो गया होता। उसी दिन मान लिया गया होता जिस दिन घोषणा की गयी थी। मैं यह जरूर चाहता हूँ, मैं जब माननीय नेताओं को सुन रहा था तो मैं समझ रहा था कि कोई न कोई एक राय आम सहमति हो जायेगी, लेकिन यहां पर सुनने के पश्चात् मुझे दो तरह के विचार सुनने को मिले। चूँकि 2 प्रत्याशी हैं, दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थन में अपने-अपने तर्क दिये गये हैं। स्थिति यहां तक आ गयी है कि मतदान हो जाय। यदि आप मान्यवर, उचित समझें तो मेरा एक सुझाव है कि एक मौका और दे दें, सभी माननीय विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक, मेरी सेवायें भी उनके साथ हैं, मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से, कि एक व्यक्ति तय हो जाय। एक मौका और दे दें। मुझे ऐसा विश्वास है कि सर्वसम्मति से तय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

निर्वाचन प्रजातंत्र की जान है। अगर एकता, सौहार्द्र सद्भावना के वातावरण में कोई आम सहमति से चयन हो जाय तो बहुत अच्छा होगा। इसमें मेरी व्यवस्था इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की ग्यारहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मैंने 13 फरवरी, 1992 की तिथि निर्धारित की थी। उसी के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इस बीच में सदन में व्यक्त हुई भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कि यह निर्वाचन स्थगित कर दिया जाय, मैं भी यह उचित समझता हूँ कि इस सदन में बैठे हुए जो तमाम नेतागण हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान मे रखते हुए आज 13 फरवरी, 1992 को होने वाला निर्वाचन स्थगित कर दूँ, इसलिये आज स्थगित करता हूँ और निर्वाचन की अगली तिथि अगले सप्ताह में निश्चित करूँगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, जो नामांकन प्राप्त हो चुके हैं, मेरी प्रार्थना है कि आज स्थगित करने के बाद नये नामांकन न हों।

श्री अध्यक्ष-

इसके पहले कि मैं कोई तिथि घोषित करूँ, यह आवश्यक हो जाता है कि जो नाम-निर्देशन प्राप्त हो चुके हैं, उनके बारे में घोषणा करूँ। मेरे पास जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है-(1) श्री राम आसरे वर्मा, प्रस्थापक श्री सोमांश प्रकाश, समर्थक श्री रेवती रमण सिंह, (2) श्री राम आसरे वर्मा, प्रस्थापक श्री ऊदल, समर्थक श्री राम लखन, (3) श्री सुन्दर लाल, प्रस्थापक श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, समर्थक श्री महक सिंह, (4) श्री सुन्दर लाल, प्रस्थापक श्री पूरन प्रकाश, समर्थक श्री अकबर हुसैन,(5) श्री सुन्दर लाल, प्रस्थापक श्री यदुनाथ सिंह, समर्थक श्री राम ललित चौधरी, (6) श्री सुन्दर लाल, प्रस्थापक श्री कटार सिंह, समर्थक श्री राम सरन, (7) श्री हरेन्द्र सिंह, प्रस्थापक श्री विजय सिंह राणा, समर्थक श्री जी0 एस0 विनोद।

उपर्युक्त अभ्यर्थियों में से श्री हरेन्द्र सिंह जी ने अपना निर्वाचन से वापस ले लिया है। अब मैं आप सबकी भावनाओं को देखते हुए यह व्यवस्था देता हूँ कि मैं केवल निर्वाचन स्थगित कर रहा हूँ और अगले सप्ताह निर्वाचन की कोई तिथि निर्धारित करूँगा। मैंने नामांकन स्थगित नहीं किया है, केवल निर्वाचन स्थगित किया है। यदि कोई विशेष परिस्थिति आती है और आम सहमति की स्थिति बनती है तो आम सहमति होने के बाद दूसरा निर्णय भी लिया जा सकता है। अभी मैंने नामांकन निरस्त नहीं किया है।

**विधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद आजम खाँ के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् जितने भी माननीय सदस्य हैं, हम लोगों की यह पहली जिम्मेदारी है कि सदस्यों पर अगर कोई गम्भीर आपत्ति आती है तो सदन के संज्ञान में लावें। रामपुर जनपद में पिछले एक महीने में 12 हत्यायें ऐसी हुई, गला काट कर, जिसमें नाम पूछा गया और उसके बाद वह एक धर्म का नहीं पाया गया तो हत्याएं हो गयीं। माननीय आजम खाँ वहां पर 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है (घोर व्यवधान) उनकी जान खतरे में है और सरकार उदासीन है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसका अवसर आने दीजिये।

* श्री राम कुमार शुक्ल-

मान्यवर, ये कौन सी व्यवस्था में बोल रहे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

(घोर व्यवधान के मध्य) आजम खाँ के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, मान्यवर, इसकी जानकारी करा लें। (घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, मेरे पास कुछ सूचनाएं आयी हैं मैं उनको ले लूँ।

(घोर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर सक्सेना)-

मान्यवर, माननीय आजम खाँ, परसों यहां पर मौजूद थे....(व्यवधान) यह जो 4 दिन की बात कह रहे हैं, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**मंत्रि-परिषद के सदस्यों से परिचय कराने का अनुरोध**

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, सदन की यह परम्परा है, बहुत से ऐसे विधान परिषद् के माननीय सदस्य मंत्रि परिषद् में हैं; माननीय नेता सदन कम से कम उनका परिचय करा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन, माननीय यदुनाथ सिंह का यह आग्रह है कि मंत्रि परिषद् में अनेक ऐसे माननीय सदस्य विधान परिषद् के हैं, उनका परिचय नहीं हुआ है, उनका किसी उचित अवसर पर परिचय करा दें।

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

ठीक है मान्यवर, परिचय करा देंगे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, केवल विधान परिषद के ही नहीं, बल्कि जितने मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, सबका परिचय करा दें।

श्री कल्याण सिंह-

ठीक है मान्यवर, परिचय करा देंगे।

**नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 13 फरवरी, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं:-

पहली सूचना श्री अफजाल अंसारी की, गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुखपुरा में अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के भूमिहीन रोजमर्रा के रिहायसी घरों को प्रशासन द्वारा अनियमित ढंग से गिराकर उजाड़ने के संबंध में है।

दूसरी सूचना डा0 दिनेश जौहरी की, वन्य जीव विहारों एवं राष्ट्रीय पार्कों में वन उपज के विदोहन एवं सदुपयोग को प्रतिबंध से मुक्त करने के संबंध में है।

तीसरी सूचना श्री बलराम यादव की, आजमगढ़ के विकास खण्ड कोयलसा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 132 के0वी0 सब स्टेशन को पूर्ण कराने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री राम लखन की फैजाबाद जनपद के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री श्याम नारायण की प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में है।

छठीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की, फैजाबाद जनपद में कीटनाशक दवाओं के अभाव से खरीफ एवं आलू की फसल नष्ट हो जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री शिवलाल मित्तल की, जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी को सिंचित क्षेत्र बनाने के संबंध में है।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैंने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी, मेरी सूचना नहीं ली गयी।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए शलाका डाली जाती है।

ये सात सूचनाएं स्वीकार की गयीं और पढ़ी हुई मान ली गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

**गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम सुखपूरा में भूमिहीन परिवारों के घरों को उजाड़ने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अफजाल अंसारी-

(महोदय, सुखपूरा ग्राम सभा में भूमिहीन परिवारों की संख्या सौ (100) से अधिक है। किन्तु लगभग चालीस बीघा ग्राम समाज की भूमि अपात्र व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है। ग्राम सभा सुखपूरा की एक बंजर आराजी पर पचासों भूमिहीन परिवार लगभग 20 वर्ष पूर्व से घर बनाकर स्थाई रूप से आबाद हैं। उसी आराजी के दो बीघा रकबे पर बृजवासी प्रधान नामक एक बड़े कास्तकार ने वर्ग-4 इन्द्राज कराके 239 बी के माध्यम से वर्ष 1991 में अपना नाम दर्ज कराया और राजस्व अधिकारियों की मदद से उसी नम्बर में बटा भी करा लिया। फिर परगना-अधिकारी ने पुलिस बल के साथ जाकर निरीह गरीबों के बारह घरों के गिरवा दिया।

मान्यवर, इस घटना से क्षेत्र के गरीबों में भय एवं असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है इस लिए मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाकर उजाड़ दिये गये परिवारों को पुनर्स्थापित करने की मांग करता हूँ।)

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

**आदिवासियों को वन्य जीव विहारों एवं राष्ट्रीय पार्कों में वन उपज के विदोहन एवं सदुपयोग के प्रतिबंध से मुक्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

डा0 दिनेश जौहरी-

(महोदय, लखीमपुर खीरी, नैनीताल, ललितपुर, गोण्डा सोनभद्र मिर्जापुर, आदि जनपदों में स्थित वन्य जीव विहारों एवं राष्ट्रीय पार्कों में या आस-पास रहने वाले आदिवासियों, जनजातियों व गरीब मजदूर जो वन से अपना भरण-पोषण कर रहे थे, को वन उपज के विदोहन एवं सदुपयोग के प्रतिबन्ध से मुक्त न करने के कारण वे लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी का एक मात्र साधन समाप्त हो गया है।

अतः सरकार से मांग करता हूँ कि प्रदेश से लगभग एक लाख वनवासी गरीब आदिवासियों, जनजातियों एवं गरीब मजदूरों को विदोहन प्रतिबन्ध से मुक्त किया जाये।)

**आजमगढ़ के विकास खण्ड कोयलसा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन 132 के0वी0 एवं स्टेशन को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री बलराम यादव-

(मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड कोयलसा के ग्राम रायपुर खुरासिन 132 के0वी0 का सब स्टेशन वर्ष 1984-85 में स्वीकृत किया गया है। इसके निर्माण हेतु जमीन भी प्राप्त कर ली गई तथा काफी धन व्यय करके मेन लाइन आदि का कार्य पूर्ण करा लिया गया है मात्र सब-स्टेशन ही स्थापित करना शेष रह गया है। विद्युत परिषद धनाभाव का बहाना लेकर इस महत्वपूर्ण जनहित के निर्माणाधीन कार्य को कई वर्षों से रोक रखा है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसके बाद के स्वीकृत ऐसे कार्य पूर्ण कराये गये हैं। सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति गम्भीर रूप से वाधित है, जिसके कारण जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतएव इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब निर्माणाधीन सब स्टेशन को पूर्ण कराने की मांग करता हूँ।)

**फैजाबाद जनपद के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम लखन-

(महोदय, फैजाबाद जनपद में पुलिस द्वारा की गयी हत्याओं में दोषी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने से पुलिस निरंकुश हो गयी है और आम जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। वर्ष 81 में पिरखौली-सौरी निवासी असगर की रौनाही पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दी। जांच में 12 लोग दोषी पाये गये अदालत से उनके नाम वारंट जारी हुआ लेकिन कोई गिरफ्तारी या अन्य कार्यवाही नहीं हुई।

मालीपुर थाने में लालबहादुर वर्मा को जिंदा जलाकर पुलिस ने मार डाला दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई कैंट पुलिस ने लालचंद निषाद युवक को पकड़कर मार डाला। जांच में पुलिस कर्मी दोषी पाये गये। रिपोर्ट दर्ज हुई दोषियों के ऊपर मुकदमा नहीं चला न गिरफ्तारी हुई।

इससे पुलिस निरंकुश हो गयी। अभी इसी माह पुलिस ने जलालपुर वाजिपुर निवासी युवक आफताब आलम को मार डाला। दोषी अभी तक बंदी नहीं बनाये गये।

आपकी अनुमति से यह तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी की मांग करता हूँ।)

**प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री श्याम नारायण-

(महोदय, आज उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आतंक कायम हो गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है विद्युत चोरी रोकने के नाम पर सभी उपभोक्ताओं को अपने पुराने कनेक्शनों को पुनः ठीक कराने के नाम पर भारी वसूली की जा रही है। लोड बढ़वाने, कनेक्शन व स्विचों की संख्या आदि बँटवाने के नाम पर वसूली हो रही है। एक ही मकान में ऊपर और नीचे के मंजिलों का अलग-अलग चार्ज लगवाने का आदेश हुआ है। उसे ठीक भी नहीं किया जा रहा है। उल्टे उपभोक्ताओं को पकड़कर परेशान व अपमानित किया जा रहा है।

इस प्रकार आज विद्युत ने पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व तरीके से आतंक का राज्य कायम कर दिया है तथा छः माह पहले तक जुर्माना लगाकर वसूल किया जा रहा है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस निश्चित घटना को ध्यान में रखकर आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की अनुज्ञा दी जाये।)

**फैजाबाद जनपद में कीट नाशक दवाओं के अभाव से खरीफ एवं आलू की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री लाल जी वर्मा-

(महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा कीट नाशक दवाओं की बिक्री एग्रो से

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लेकर पी0सी0एफ0 के द्वारा कराने के कारण फैजाबाद जनपद में कीट नाशक दवाओं का अभाव पैदा हो गया जिसके कारण खरीफ की फसल तथा आलू के फसल 50% रोग लगने के कारण नष्ट हो गयी एक तरफ जहां पी0सी0एफ0 के लोगों को दवाओं के प्रयोग की तकनीकी जानकारी नहीं है वहीं दूसरी तरफ फैजाबाद मण्डल में बड़े पैमाने पर चोर बाजारी के कारण कृषकों को काफी कठिनाई हो रही है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कीट नाशक दवाओं का वितरण एग्रो के माध्यम से कराये जाने तथा जनपद फैजाबाद में पी0सी0एफ0 द्वारा कीट नाशक दवाओं की चोरबाजारी किये जाने की जांच कराये जाने की मांग करता हूँ।)

**जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बढ़नी में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री शिवलाल मित्तल-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-बढ़नी के असिंचित होने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, यह क्षेत्र पूरब से पश्चिम को लगभग 15 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण को लगभग 14 किलोमीटर नेपाल सीमा से सटा हुआ ऐसा क्षेत्र है जहां की मुख्य पैदावार मात्र एक धान की फसल ही है यहां की खेती केवल वर्षा के होने पर ही निर्भर है कम वर्षा वाले वर्ष में सूखे की भयावह स्थिति हो जाती है। सिंचाई के लिए इस क्षेत्र को सिंचित बनाने हेतु जनता शासन काल में बनी सरयू नहर परियोजना अब तक खटाई में पड़ी है उस पर इस क्षेत्र में काम ही नहीं शुरू हो सका है। यहां ट्यूबवेलों की संख्या भी नाम मात्र को ही है। नहर में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भी कृषकों को अभी नहीं मिल पाया है। ऐसी परिस्थिति में आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करता हूँ कि सरयू नहर की खुदाई तत्काल प्रारम्भ करें जिससे यह क्षेत्र शस्य-श्यामला हो सके।

मान्यवर, इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए जनता शासन काल में उक्त सरयू नहर परियोजना की खुदाई भी प्रारम्भ कर दी गई थी किन्तु उक्त शासन काल के बाद यह कार्य अधर में डाल दिया गया है। मैं इस सरकार से मांग करता हूँ कि सरयू नहर परियोजना का कार्य सरकार पूरा करावे जिससे इस क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य पूरा हो सके।)

**बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विज्ञापित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन में आरक्षित कोटे तथा महिलाओं की आयु सीमा में छूट न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आपने कहा था कि मुझे मौका देंगे।

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम 300 की सूचनाओं को ले लिया है।

नियम 300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है माननीय ऊदल जी की है जिसमें उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा विज्ञापित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन में अभ्यर्थियों की आयु सीमा 27 वर्ष रखे जाने के सम्बन्ध में प्रश्न किया है और यह कहा है कि पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति तथा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गयी है। महिलाओं को सामान्य रूप से 5 वर्ष की छूट दी गयी है। विज्ञापन में उल्लेख तो है कि अधिकतम छूट 5 वर्ष की होगी परन्तु प्रश्न यह है कि परन्तु इस प्रकार महिलाओं को पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति तथा अन्य आरिक्षत कोटे के अन्तर्गत होते हुए भी आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिल पा रही है। तो यह नियम 300 में सूचना आती नहीं है क्योंकि नियम 300 आप सबको मालूम है।

श्री ऊदल-

मान्यवर, आप सरकार को निर्देशित तो कर दें कि जाँच पड़ताल करके कोई कार्यवाई करे।

**30 जनवरी, 1992 को महात्मा गाँधी के निर्वाण दिवस पर पुलिस अधीक्षक, जौनपुर द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

इसको सरकार के संज्ञान में लाने के लिए दूसरी सूचना दे दें तो सरकार के संज्ञान में ला देंगे। इसको निरस्त करता हूँ।

दूसरी सूचना श्री काशी राम, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री राज नारायण बिन्द तथा श्री किशोरी लाल जी यादव की है कि 30 जनवरी सन् 1992 को जब सम्पूर्ण राष्ट्र महात्मा गाँधी का निर्वाण दिवस मना रहा था, उसी दिन जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक द्वारा रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा खाने का आयोजन करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों व सिद्धान्तों का घनघोर अपमान किया है। महात्मा गाँधी के प्रति हम सब सम्मान रखते हैं परन्तु किसी भी कारण से यह नियम 300 में आता नहीं है क्योंकि विधान सभा की प्रक्रिया एवं नियमावली में यह नहीं है।

(श्री राज नारायण बिन्द तथा श्री किशोरी लाल यादव द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री किशोरी लाल यादव-

मान्यवर, इसमें गाँधी जी के अपमान की बात है मैं इसकी सूचना दूसरे नियम में दे दूँगा, इसे शासन के संज्ञान में ला दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे शासन के संज्ञान में ला दूँगा, नियम 300 में इसे निरस्त करता हूँ।

**टेलीफोन की खराबी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

एक सूचना माननीय श्याम नारायण ने दी है जो विधान सभा सचिवालय के सम्बन्ध में है टेलीफोन खराबी के संबंध में तो इसको देख लेंगे नियम 300 में नही आता है।

**विधान सभा का सत्र आहूत होने के बाद अध्यादेशों को जारी किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की एक सूचना है कि विधान सभा सत्र आहूत होने के बाद अध्यादेशों का जारी किया जाना और अध्यादेशों के सदन के पटल पर विचारार्थ होने के बावजूद उनका लागू हो जाना। माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने संविधान के अनुच्छेद 213 का उल्लेख किया है उसमें है उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में है। तो सत्र आहूत हो तो इसका मतलब यह नही है कि सत्र हो गया। यह नियम 300 में नहीं आता है जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है उसमें है कि जब दोनों सदन सत्र में हो तो आपकी स्वयं सूचना के अनुसार सत्र नहीं था, सत्र आहूत था। सत्र का आहूत किया जाना और सत्र चालू रहना दोनों में अन्तर है, इसको निरस्त करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन लें। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 की मूल भावना यह है कि जब सदन न चल रहा हो और न आगे चलने वाला हो तो सरकार को अध्यादेश लाने पर विचार करना चाहिए था। संसदीय कार्यमंत्री जब इधर बैठते रहे हैं तो इसी तरह के प्रश्न आपके सामने लाये हैं। संविधान का अनुच्छेद 213 मैं पढ़े देता हूँ इसमें कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की "विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है..

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में हो इन्हीं दो लाइनों को ले लें और इसे ही देख लें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, ऐसी कौन सी परिस्थितियां राज्य के सामने विद्यमान थी जिसके कारण अध्यादेश लाने का कार्य तुरन्त करना सरकार के लिए आवश्यक हो गया है।

संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय सदस्य को मैंने गम्भीरता से सुना। सत्र के आहूत पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं रह गयी, आपत्ति इस बात पर है कि वह कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, जिसका समाधान भी महामहिम राज्यपाल को हो गया। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल के विवेक को, किन परिस्थितियों में किया, क्या इस आदरणीय सदन में चुनौती दी जा सकती है। मेरा मत है कि चुनौती नहीं दी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष-

चुनौती नहीं दी जा सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, यदि पूर्व परिपाटियों को भी देखा जाये, हमारे यहां दो सदन हैं, मात्र अध्यादेश लाने के लिये एक सदन को एक दिन के लिये प्रोरोग किया गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

पुरानी व्यवस्थाओं से माननीय सदस्य अवगत हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जहां तक सत्र की बात है, सदन का अधिवेशन वास्तव में प्रारम्भ हो, अधिवेशन प्रारम्भ नहीं था। मात्र आहूत करके, अध्यादेश को जारी करना प्रतिबंधित नहीं करता है। मान्यवर, कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी जिसकी आलोचना की गयी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा यह सही है कि ऐसे भी उदाहरण है। क्या यह स्वस्थ परम्परा है, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इन्हीं परम्पराओं की दुहाई देते थे। सत्र आहूत होने के बाद कोई भी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर की जाय, क्या यह स्वस्थ परम्परा है। इस तरह से अध्यादेश लाना कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है। आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार को यह निर्देश दें कि यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। जो अपवाद हैं उनको परम्परा न बनाया जाय। ऐसे अवसर जो हैं उनको अपवादस्वरूप ही लिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आप निर्देश दें या न दें, हम माननीय वर्मा जी के निर्देश का भी पूरा सम्मान करते हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद-

मान्यवर, जिस कारण यह अध्यादेश जारी किये गये। माननीय संसदीय

कार्य मंत्री जी ने यह बताया कि महामहिम राज्यपाल के विवेक पर किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्यपाल के विवेक अलग-अलग है। एक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में और दूसरे प्रदेश में एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में महामहिम राज्यपाल मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य करता है। क्या मंत्रि-परिषद् ने राज्यपाल महोदय को इस तरह की सलाह दी कि अध्यादेश जारी किया जाय? अगर दी गयी तो जो प्रश्न माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी का है वह अपनी जगह बनता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने की कृपा करें जिसके कारण इस अध्यादेश को और तमाम अध्यादेशों को जारी करने की आवश्यकता पड़ी।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को मैं इधर भी सुनता था और यहां भी सुन रहा हूँ। मान्यवर, मान्यतायें इतनी बदल जाती है कुर्सी परिवर्तन होने पर, इसका अंदाजा मुझे अभी लगा जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बात कही। नेता सजपा बेनी प्रसाद वर्मा जी और माननीय दीक्षित जी ने जो बात कही है, यह ठीक है कि जब आप वहां से बोलते थे तो दूसरी भाषा बोलते थे आज यहां आकर दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वहां से जोर से बोलते थे कि 90 दिन का सदन होना चाहिये जनतंत्र की हत्या हो रही है लेकिन आज आपने 90 दिन के सदन की बात तो दूर रही, सदन उस समय बुलाया जब 6 महीने का समय खत्म हो रहा था, बाध्यता आ गयी थी।

मान्यवर, एक दो अध्यादेश जारी किये होते, या दो चार जारी किये होते तो हम यह समझते कि अपरिहार्य कारणों से जारी किये गये हैं परन्तु 24 अध्यादेश एक साथ जारी कर दिये कुछ काल के अन्तराल में। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस सदन को एक तो 90 दिन तक चलाया जाये और दूसरा अध्यादेशों की सरकार मत बनाइये। अध्यादेश इसलिए करना पड़ता है कि सदन को बुलाया नहीं जाता जब सदन नहीं बुलाया जायेगा तो मजबूरी में अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। तो ऐसी परम्परा मत बनाइये। कुछ स्वस्थ परम्परायें बनाइये जो कि भविष्य के लिए उदाहरण बन सके।

श्री अध्यक्ष-

मैं आप सबके विचारों से लाभान्वित हुआ। प्रक्रिया नियमावली के नियम 3 (ब) में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गयी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि "सत्र" का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद 174 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन से उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो, तो प्रथम अधिवेशन जिस दिन अध्यादेश हुआ था आपकी सूचना के अनुसार नहीं था,

इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूँ। एक और सूचना माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी की है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 1992 की जो डायरी माननीय विधान सभा सदस्यों को सूचना विभाग से प्राप्त हुई है उसकी छपाई में कुछ त्रुटियां हैं। इसमें संविधान की उद्देशिका को गलत छापा गया है तथा एक दो जगह कुछ और त्रुटियां है। यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है। वैसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान मैंने इस ओर आकृष्ट कर दिया है।

**सूचना विभाग द्वारा मुद्रित डायरी में त्रुटियों के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

वित्त, संस्थागत वित्त संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ दूसरे वे इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं ओर हमने इस चीज को स्वीकारा है कि इसमें एक दो जगह त्रुटियां हुई हैं। ये त्रुटियां छपाई की है। इसमें एक जगह "करने" को "कराने" छप गया है तथा एक जगह 31 दिन की बात गलत छप गयी है। सरकार ने इस पर निर्णय लिया है कि इसमें किसका उत्तरदायित्व है और जिसका भी उत्तरदायित्व पाया जायेगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही कीं जायेगी और इसकी सूचना भी बाद में दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को भी निरस्त करता हूँ। मुझे नियम 311 के अंतर्गत कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा।

**विधान सभा सदस्य श्री मोहम्मद आजम खाँ के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)**

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मुझे आश्वासन दिया था कि आपको बाद में सुनेंगे। हम जो प्रश्न कर रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीमन वह परम्परा रही है कि जब किसी सदस्य की जान खतरे में हो तो उसे इस सदन में सुना जाता रहा है। आज माननीय आजम खाँ जी जो इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमें इसकी सूचना आज मिली है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। दो तीन कारण है जिस कारण वे आमरण अनशन पर बैठे हैं। श्रीमन मुझे मालूम हुआ है कि पिछले एक माह से रामपुर में गला काटकर हत्याएं की जा रही हैं....

श्री अध्यक्ष-

किस तारीख से बैठे हैं?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, आज हमको सूचना मिली है। 10, 11 तारीख से वे बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

10 तारीख को तो वे सदन में उपस्थित थे।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

10 तारीख को वे यहाँ पर थे। हमको भी मिले थे। आज तारीख है 13 और 11 तारीख से वे संभवतः इस अनशन पर बैठे हैं।

मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। 11 तरीख से वह अनशन पर बैठे है और आज 3 दिन हो गये हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। रामपुर में साम्प्रदायिक हिंसा का तांडव हो रहा है, वहां नृशंस हत्यायें हो रही हैं, इसी विषय को लेकर वह अनशन पर बैठे हैं (* * * )

श्री अध्यक्ष-

यह बात रिकार्ड नहीं की जायेगी। मुझे पहले ऐसी सूचना का आधार मंगाना पड़ेगा। (* * * ) यह बात कार्यवाही में लिखी नहीं जायेगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

अगर हमारी सूचना में कोई कमी है, तो यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, वह स्थिति की जानकारी मंगवा लें।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, माननीय वर्मा जी इस सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से भली प्रकार परिचित हैं और हम सभी उनके सुझावों का आदर करते हैं। माननीय वर्मा जी ने जो बात यहां पर उठाई है, उसी सूचना को अगर वह यथासमय मेरी जानकारी में ले आते, या पहले से यह बात मेरे संज्ञान में आ जाती, तो मैं अवश्य पूरी यथास्थिति की जानकारी देने में सफल होता। इन्होंने दो बातें बताई, एक आजम खाँ के बारे में और दूसरी वहाँ की स्थिति के बारे में। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इस आरोप का प्रतिवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ सम्प्रदाय विशेष के लोगो का नाम पूछ-पूछ कर हत्यायें की जा रही हैं, इसकी कोई जानकारी किसी स्तर पर शासन के पास नहीं है। हाँ यह बात सही है कि कुछ घटनायें घटी हैं, इन घटनाओं के पीछे घटना करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में यह सरकार पूरी तरह से क्रियाशील है। जहां तक माननीय मोहम्मद आजम खाँ का सवाल है, इस संबंध में मैं माननीय वर्मा जी से बात कर लूँगा और मोहम्मद आजम खाँ के सम्मान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं होने दिया जायेगा, जो उचित न हो।

**प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगो के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

श्री अध्यक्ष-

कुछ 311 की सूचनायें प्राप्त हुई हैं।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि सत्ता पक्ष के लोगो को थोड़ा

---

( * * * ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समझा दीजिये । बहुत से नये सदस्य चुनकर आये हैं, वह ऐसा समझते हैं कि हुल्लड़ करके ही वह अपनी बात यहाँ कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस की टीका-टिप्पणी बंद कर दें ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के रोकने पर भी यह उनकी बात नहीं सुनते हैं । जब एक अनुशासनबद्ध पार्टी में ऐसी बात हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो सीधे नागपुर से आये हैं, वह मुख्य मंत्री की बात भी नहीं सुनते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, नियम-311 के माध्यम से जो सूचना मैंने सदन को दी है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है ।

मान्यवर, लगभग आठ महीने पहले जब माननीय श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री के रूप में यहां पदस्थ हुए थे और उसके पूर्व में चुनाव के समय उन्होंने जो घोषणा की थी कि हम भयमुक्त व दंगा रहित समाज की संरचना करेंगे इस प्रदेश में । मान्यवर, शक आपको नहीं है, शक उन लोगों के ऊपर है, जिन लोगों के ऊपर कहर बरसाया जा रहा है । मान्यवर, आज जो कुछ भी इस प्रदेश में हो रहा है वह केवल प्रतिपक्ष के लिए ही नहीं अपितु सत्ता पक्ष के लिए भी एक चिन्ता का विषय है । मान्यवर, मैं केवल उल्लेख करना चाहूँगा । बनारस में जो कुछ हुआ वह इन्सानियत के नाम पर एक ऐसा धब्बा है जो मिटाया नहीं जा सका है । जिस प्रदेश में प्रशासन और पुलिस दरिन्दगी पर उतर आयेगी उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा ? यह एक सोचने का विषय है और साथ ही चिन्ता का भी विषय है । जब मैं बनारस गया, तो मैंने पहले गृह सचिव को इसकी सूचना दी थी । जब मैं बनारस स्टेशन पर उतरा तो मुझे आपके दल के लोगों ने वी0आई0पी0 पास लगाकर काले झण्डे दिखाये और वापस जाने के नारे लगाये । मैं तो वहाँ शान्ति बनाने के लिए गया था और तनाव कम करने के लिए गया था ।

**नेता विरोधी दल के भाषण के मध्य अव्यवस्था उत्पन्न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

(इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से कई सदस्यों के द्वारा एक साथ खड़े होकर शोर करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे कृपापूर्वक अपने-अपने आसन पर बैठ जायें । माननीय नेता विरोधी दल का उत्तर देने के लिए माननीय संसदीय

कार्य मंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं।

श्री स्वामीनाथ यादव-

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से इतना हंगामा मचाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं और ( * * * ।)

श्री अध्यक्ष-

आप स्वयं अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। मैं तो व्यवस्था बनाये रखना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस सदन की यह सर्वमान्य व्यवस्था रही है कि जब नेता सदन व नेता विरोधी दल बोल रहे हों तो उन्हें बहुत ही धैर्य व संयम भाव से सुना जाय। हो सकता है नेता सदन के किसी बात से हम सहमत न हों और उसी प्रकार नेता विरोधी दल के किसी बात से सत्ता पक्ष सहमत न हो। परन्तु मान्यता यही रही है कि नेता विरोधी दल व नेता सदन को बहुत ही धैर्य से सुना जाता है। अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन में नया चुनकर आया हो और वह नियमों का जानकार न हो तो उस समय संसदीय कार्यमंत्री जी का यह दायित्व हो जाता है कि वह अपने दल के लोगों को समझायें। माननीय नेता रेवती रमण सिंह जी बहुत ही अत्यन्त गम्भीर विषय पर बोल रहे थे। मैं आपसे इस बात पर व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या नेता विरोधी दल के बोलते वक्त सदन को इस तरह से अव्यवस्थित किया जायेगा, तो क्या जब नेता सदन बोलेंगे तो क्या उनके साथ ऐसा नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मेरा प्रयास है कि पूरा सदन व्यवस्थित रहें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

संयम और धैर्य की अपेक्षा संतुलित लोगों से की जाती है जब यह स्वयं संतुलित नहीं है, तो इनसे संयम और धैर्य की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

**प्रदेश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगो के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

**(क्रमागत)**

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मैं कह रहा था कि स्टेशन पर वापस जाओ और 'मुर्दाबाद' के नारे लगाये गये, वी0आई0पी0 पास लगाकर और मुझे और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री

---

नोट:- ( * * * ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई पास नहीं दिया गया। हमें दंगाग्रस्त क्षेत्र में जाने नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की इतनी भी अहमियत नहीं थी कि वहां पर जाने दिया जाता, जबकि लोगों को वी0आई0पी0 पास दिया गया और उन लोगों ने काला झंडा दिखाया। हम लोगों को जहां पर घटना घटी वहां पर जाने तक नहीं दिया गया। मैं तीन दिन बनारस रहा। मैं कोई बात अतिरंजित या बढ़ा-चढ़ा कर करने का आदी नहीं हूं, लेकिन वहां पर पुलिस ने, 8 तारीख को जब 4 लोगो की निर्मम हत्या हुई थी, 12 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की और गोदौलिया चौराहे पर शराब डालकर उनको जलाया गया और वहां पर एस0पी0 सिटी मौजूद थे यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह जरूर है कि वह भी हिंसा पर उतर आये और इस तरह की घटना हुई। यह क्यों हुआ क्या उसके लिये सरकार ने किसी को जिम्मेदार माना है? मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि बनारस में नजीर बनारसी जैसे राष्ट्रीय कवि रहते हैं, उनकी उम्र 80-85 साल की है, उनके घर में घुस कर उनको पीटा गया और उनके भतीजे अनीस अंसारी को पीटा गया, मारा गया, लेकिन मामले की रिपोर्ट, एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं की गयी। उनको पुलिस ने लाकअप में मार डाला, मैं बनारस गया था डा0 मोहसिन की रीढ़ की हड्डी टूट गयी है। आप जानते हैं कि रोज यात्रायें निकलती हैं उनमें पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया जाता है। उस दिन भी पुलिस का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये था, लेकिन 4 सिपाही और एक दरोगा था जहां पर जुलूस निकला था। मदनपुरा में वह घटना नहीं घटी, एक अफवाह पैदा की गयी। हमारी पार्टी के लोगो को जान से मारने की कोशिश की गयी, चुनाव के बाद हत्या का प्रयास किया गया। रिपोर्ट वहां से नहीं आ पाती है, डी0एम0 और एस0एस0पी0 की रिपोर्ट नहीं आती है। क्या आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की? अतहर जमाल लारी का क्या कसूर था। वह एक विशेष सम्प्रदाय से आते हैं, यही उनका कसूर है। इस तरह से जो राजनीतिक लोगों की हत्यायें हो रही हैं, जो एक सिलसिला जारी है और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, मुझे स्मरण है कि यह कलेक्टर बनारस ने कहा, लेकिन 6 महीने हो गये, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है। आज भय का वातावरण बना है। मदनपुरा में जितनी बड़ी-बड़ी दुकानें थी जला दी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रेवती रमण सिंह जी ग्रामीणता के बारे में बोलने के लिये मैंने आपसे कहा था।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, पडरौना में 5 घंटे तक अकलियतों के घरों को लूटा गया। उसके बाद अभी जलालपुर फैजाबाद में जो घटना घटी है मैं स्वयं वहां गया था मैं माननीय प्रदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं अफसोस की बात यह है कि

शासन और प्रशासन पर से जनता का विश्वास उठ जायेगा तो प्रदेश का क्या होगा ? पुलिस और प्रशासन के बल पर प्रदेश को नहीं चला सकते । जनता के विश्वास को कायम रखना होगा । जलालपुर में मैंने देखा एक धार्मिक स्थल की दीवार को गिरा दिया गया । मैंने कलेक्टर से पूछा किस बात का झगड़ा है तो कलेक्टर ने कहा दिवाल का झगड़ा है । उसमें आपने एक एस0ओ0 को लाइन हाजिर कर दिया है । मुझे अफसोस है लाइन हाजिर करने की प्रक्रिया बड़ी पुरानी है जिसे दंड नहीं देना होता है उसे लाइन हाजिर कर दिया जाता है उसके बाद एक दो महीने बाद उसकी फिर पोस्टिंग हो जाती है । जलालपुर पावरलूम का बहुत बड़ा गढ़ है वहां पर 3 घंटे तक लूट हुई और लूट का सामान वहीं मौजूद है । मुझे अफसोस इस बात का है जब मैं वहां से फैजाबाद पहुंचा तो अखबार वालों ने मुझे बताया कि आपके लौटते ही दीवाल गिरा दी गयी । आप इस बात की तहकीकात कर सकते हैं जब शासन इस प्रकार कार्य करेगा प्रदेश कहां जायेगा, आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं । आप इस बात को मत भूलिये कि अकालियत के लोग भी उतने ही वफादार हैं जितने हम इस देश के लिये हैं । उन्होंने भी इस देश के लिये खून बहाया है । केवल यह कहना है कि एक संप्रदाय विशेष के लोग देशभक्त नहीं हैं सही नहीं है यह सरासर गलत है कि उनकी देश में कोई भागीदारी नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष-**

आप विस्तार में जा रहे हैं आपको ग्राह्यता पर बोलने के लिये कहा था ।(व्यवधान) अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

इसी तरह से किसनपुरा, बढ़ौत में एक मस्जिद में आग लगा दी गयी एक अकलियत के आदमी को दौड़ा-दौड़ा कर मार दिया कहा जाता है कि मरने वाला कौन था मालूम नहीं है । वहां पर लाखो रुपये का नुकसान हुआ है । आज पूरे प्रदेश में अकलियत के लोग दहशत में हैं, डरे हुये हैं उनके भय के निवारण का दायित्व आप पर है । आज सत्ता आपके हाथ में है । बनारस में ( * * * ) एम0 पी0 हैं उन्होंने खड़े होकर राइट कराये, गोण्डा में आपके लोगो ने कब्रिस्तान पर कब्जा किया (व्यवधान)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकांत मर्ग)-

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं जो व्यक्ति इस सदन में न हो क्या उसका इस प्रकार नाम ले सकते हैं?(व्यवधान) यह अपने शब्द वापस लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

क्या यह सही है कि कार्यकर्ता इस तरह का कार्य करेंगे, इनके कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगना चाहिये । वह इस तरह

---

नोट:- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की हरकतों से बाज आयें वर्ना ऐसी आग भड़केगी जिसमें यह देश और प्रदेश डूब जायेगा।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

(श्री ऊदल के खड़े होने पर) आप किस सूचना पर बोलना चाहते हैं? क्या कोई सूचना आपने दी है?

श्री राम कुमार शुक्ल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर ही आप बोलें, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री या मुख्य मंत्री का उत्तर सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल-

व्यवस्था का प्रश्न है कि लखनऊ में विरोध पक्ष के लोग (व्यवधान) लोगों की हत्या करवा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप शुक्ल जी बैठ जायं, आपका यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आप बैठ जायं। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर आप दूसरे नेताओं को बैठने के लिये नहीं कहेंगे। नेता सदन खड़े हो तो मैं बैठ जाऊंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, सभी नेताओं के हस्ताक्षर से लिखकर दिया है, इसलिये आग्रह है कि सभी नेताओं को सुनने के बाद मा0 संसदीय कार्य मंत्री या मुख्य मंत्री जी को आप बुलायें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष-

व्यवस्था का प्रश्न उठा तो मैं उनकी बात सुन सकता हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

वह बात दूसरी है।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, आप सभी नेताओं को सुने मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं नियम 311 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नियम 311 का ज्ञान सभी को और आपको भी है, ( * * * ) पुस्तक से जो वह बोलेंगे वह पुस्तक आपके पास भी है या इनकी पुस्तक सीतापुर से अलग से छपकर आयी है, तो यह अलग बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है आपको यह बात न पता हो।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं अपना अपमान तो सह सकता हूं लेकिन आपका अपमान नहीं सह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मेरा अपमान नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मा0 तिवारी जी एक अच्छे एडवोकेट हैं, इसलिये उनके तर्क सुनकर मुझे भौचक्का इसलिये होना पड़ रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय में तर्क देते समय नियमों का हवाला देते होंगे तो जज को क्या वह अज्ञानी समझते हैं?

मान्यवर, नियम 311 में आपको पूरा अधिकार है कि आप बात सुनकर अपनी अनुज्ञा दें। आपकी सहमति से प्रस्ताव रखा जा सकता है। मैं आपका ध्यान कौल एण्ड शकधर के प्रथम संस्करण के पृष्ठ संख्या-931 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री, नेता सदन और मा0 नेता विरोधी दल जब खड़े हों तो आप लोगों को चाहिये कि उनकी बात को शांत होकर सुनें। संसदीय कार्य मंत्री के बाद आप वर्मा जी अपना प्रश्न उठा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, कौल और शकधर पुस्तक के पृष्ठ संख्या -931 देखने की कृपा करें। इसमें नियम-311 के बारे में लिखा हुआ है। अभी नियम-311 की

---

नोट:- (* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बात आई थी। मान्यवर, इसमें नियमों के निलम्बन के बारे में लिखा है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को मान्यवर जो कार्यसूची में हैं, आगे आने वाला है, समय की दृष्टि से जल्दी लेना है, कार्यस्थगन का प्रस्ताव आया उसे आगे लिया जा सकता है। किसी प्रदेश की परिस्थिति के बारे में चर्चा की जाती है, यदि यह मद संख्या-8 पर लगा होता और प्रस्ताव यह होता कि उसे तीन पर सुन लिया जाय तो नियमों का निलम्बन करके उसे सुना जाता। मान्यवर, मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये आपका समय लिया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का अगर रिकार्ड निकलवाकर देख लिया जाय तो पिछले सदन में जब वह विपक्ष में बैठते थे तो सबसे ज्यादा इन्हीं की 31। में सूचनायें स्वीकार हुई हैं। 31। में जितना यह बोलते थे उतना कोई नहीं बोला होगा। आज यह दूसरा तर्क दे रहे हैं तर्क दीजिए कुतर्क न दीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, श्री गुप्त जी विद्वान एवं वरिष्ठ हैं। अभी वह नियमों के निलम्बन के बारे में बता रहे थे। मान्यवर, जब माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे तब तो उन्होंने कहा नहीं। जब और सदस्य बोलने लगे तो वह नियमों का उदाहरण दे रहे हैं। मान्यवर, यह आपके विवेक को चुनौती है।

श्री प्रमोद तिवारी

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे सुनने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के ज्ञान में उल्लेख नहीं करूँगा कि यह सदन दो विधियों से चलता है। नियम और परम्पराओं के अनुसार। तीसरी एक विधि यह है कि आपके कक्ष में कोई सहमति हो जाय तो उस सहमति के आधार पर परम्परा का निर्वाह होना चाहिए। मान्यवर, भारत के संविधान में स्पष्ट है कि किसी लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर किसी से भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि मौजूदा सरकार मजहब के आधार पर भेद-भाव कर रही है। मान्यवर, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष उन लोगों का है जो भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं उसका सही ढंग से निर्वहन करते हैं।

मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सरकारें आई हैं और चली गई हैं। यह सरकार भी आई है और यह भी चली जाएगी, लेकिन यह प्रदेश रहेगा, इसका इतिहास रहेगा। मैं समझता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह सरकार पांच साल चले, लेकिन सात महीनों में इस सरकार ने जितने कुकर्म किए हैं उसकी वजह से यह सरकार ज्यादा नहीं चलेगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को मुक्ति मिलेगी।

(शोर)

पिछले सात महीनों के अन्दर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक

दंगे हुए। साम्प्रदायिक दंगे होते रहे हैं। किसी भी सरकार का यह दायित्व रहा है कि अगर दंगे हुए हैं तो तत्परता के साथ उनसे निपटे।

(व्यवधान)

शान्ति व्यवस्था कायम करे। सब जगह निश्चित रूप से पिछले सात महीनों के अन्दर जितने दंगे हुए है उनमें कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में सरकार का हाथ रहा है।

(व्यवधान)

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि जिस दिन दंगे हुए उस दिन वाराणसी जिले के महान नेता मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में दंगे प्रारम्भ हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता और विषय वस्तु पर आप बोलें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ग्राह्यता पर तभी आ सकता हूँ जब सदन को जानकारी दे दूँ कि किस विषय पर बोलना चाहता हूँ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

यह किस विषय पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा-

मान्यवर, विषय वस्तु पर ही बोल रहे है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ग्राह्यता पर तो तभी बोल सकता हूँ जब बताऊँ कि किस विषय पर बोल रहा हूँ?

श्री अध्यक्ष-

आप तो विषय के गहन विस्तार में बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

गृह राज्यमंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

यह तो चर्चा कर रहे हैं। विषय वस्तु से अलग बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

चोर की दाढ़ी में तिनका, यह तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। संविधान की 14वीं धारा का उल्लघन करते हुए जाति के आधार पर, मजहब के आधार

पर, इस सरकार ने लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। संविधान में यह है कि मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

सब लोग शान्त रहें।

श्री रामकुमार शुक्ल-

मान्यवर, तय यह हुआ था कि जितना उधर समय देंगे उतना इधर भी समय दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संविधान का उल्लंघन हुआ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि नियम 311 में चर्चा करायें।

श्री रविकांत गर्ग-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री प्रमोद तिवारी-

क्या मान्यवर, आपने इन्हें इजाजत दे दी।

श्री रविकांत गर्ग-

नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा है कि नियम-114 के अन्तर्गत बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो समझता था कि विभाग में ही हड़ताल है लेकिन इनके तो दिमाग में भी हड़ताल है यह सब नहीं मालूम था।

(व्यवधान)

स्पष्ट शब्दों कहना चाहता हूँ बनारस में और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए हैं यह सुनियोजित ढंग से हुए हैं। उप चुनाव हो रहे थे इसलिए साजिश करके दंगे कराये गये।

(व्यवधान)

इसीलिये एक जाति विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्यायें करायी जा रही हैं। बनारस का एक-एक बच्चा गवाह है कि वहां एक भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक ने और एक सांसद ने (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप विषयांतर हो रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने दीक्षित जी का नाम नहीं लिया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दीक्षित जी का नाम नहीं लूँगा।

मान्यवर, एक अनुरोध है कि यह सदन इसलिये बैठा है कि अगर सरकार के पक्ष की तरफ से गलती होती है तो हम उस पर विचार करें और उस पर चर्चा करें और सरकार का मार्गदर्शन करें कि वह गलत काम न करे। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चाहे जलालपुर हो, मऊ हो, मरेठ हो, बनारस हो या सीतापुर हो इस सरकार ने भारतवर्ष की धरती पर, उत्तर प्रदेश में जहां पर इस सरकार का शासन है, अलपसंख्यकों को समाप्त करने के लिये एक विधिवत् कार्यक्रम तैयार किया है और उसके आधार पर कार्य कर रही है। (शेम-शेम की आवाजें) मान्यवर, पूरी ताकत से अल्पसंख्यकों की सुनियोजित तरीके से हत्यायें करायी जा रही हैं मैं चुनौती देना चाहता हूँ सदन में जिस समय संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों वह एक बात का जवाब दें कि बनारस की जेलों में जो लोग बंद थे, मजहब के आधार पर उनकी जातियों की संख्या बता दें। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि वहां जो लोग बंद थे उनके कितनी चोटें हैं। शर्म करना चाहिये कि 80-90 साल के बूढ़ों को मारा गया, पीटा गया। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप रोकेगें नियमों के विपरीत रोकेंगे तो आज परंपरायें तोड़ी जायेंगी। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

परंपरा यह है कि 311 की नोटिस पढ़कर स्वीकार या निरस्त कर दिया जाय। ग्राह्यता पर, परंपरा जल्दी समाप्त करने की है। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

( × × × )

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात कार्यवाही में नहीं लिखी जायेगी। भाषण का यह अंश नहीं लिखा जायेगा। आप कृपया बैठिये।

---

नोट:- ( × × × ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

( × × × )

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

( × × × )

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था वह समाप्त हो गया है। आप बैठिये।

**श्री प्रमोद तिवारी-**

( × × × )

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय नेता विरोधी दल से एक चीज जानना चाहता हूँ मेरे पास एक नोटिस आयी है जिसमें प्रदेश के कई स्थानों पर बढ़ रही साम्प्रदायिक हिंसा के संदर्भ में कहा गया है कि नियमों का उल्लघंन करूं। इसमें मैंने माननीय तिवारी जी को सुना। इस नोटिस में माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय तिवारी जी और अन्य अनेक माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। क्या मैं बाध्य हूं कि इन सबको सुनूँ? मैं सदन में उत्तेजना का वातावरण नहीं पैदा करना चाहता।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि हम लोगों ने विपक्ष की ओर से यह प्रयास किया है कि हम लोग प्रत्येक दिन केवल एक नोटिस देंगे नियम 56 में। अन्यथा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाएगी। इसलिये हम लोगों ने यह सोचा है कि रोज केवल एक ही नोटिस देंगे जिसमें सभी दलों के सम्मानित नेतागण उसमें अपने विचार रखेंगे। मान्यवर, इसीलिये हम लोगों ने किया है कि जिससे कि सदन सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल सके और जो बात पूरे प्रदेश के अहम पर कहनी हो, सब नेतागण कह लें। जिन्होंने नोटिस पर दस्तखत किया हो, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस सदन को चलते रहने के लिये, ठीक ढंग से, इसमें सभी सम्मानित नेताओं को या उनकी जगह जिनको नेता कहें, उसको सुन लें और माननीय नेता सदन को सुन लें और निर्णय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

इस नोटिस पर इतने सारे हस्ताक्षर हैं।

---

नोट:- (× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

सबको नहीं सुनना है ।

श्री अध्यक्ष-

तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त विचार आ गये हैं । मैं बाध्य नहीं हूँ कि सबको सुनूँ ।

* श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग मत हो सकते हैं, उनको सदन के फ्लोर पर आये बिना मान्यवर, आपको भी निर्णय करने में परेशानी हो सकती है । इसलिये, जिनके हस्ताक्षर नोटिस पर हैं, या अन्य कोई विधायक बोलना चाहते हैं, उनको सुनने के बाद निर्णय दें तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष-

अगर एक ही नोटिस पर सब लोगों के दस्तखत हों, सारे सदन के दस्तखत हों तो क्या मैं सुनने के लिये बाध्य हूँ ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, जो परम्परा है उससे माननीय मुख्य मंत्री जी भी अवगत हैं । सभी सदस्यों को सुनना सम्भव नहीं है लेकिन कम से कम हर दल से एक व्यक्ति को अवश्य सुना जाता है ।

श्री अध्यक्ष-

अपने भाषण में ग्राह्यता के सम्बन्ध में काल्पनिक बातें की जा रहीं हैं मैं अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, सही बात कही जानी चाहिये, लेकिन हर दल से एक माननीय सदस्य को अवश्य सुना जाता रहा है अपने माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, माननीय नेता विरोधी दल को सुन लिया, और भी दल हैं । हमारे दल से माननीय मुलायम सिंह यादव जी बोलेंगे, हमको तो बोलना भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

इसलिये मैंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या परम्परा रही है? क्या सदैव एक से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं तो क्या सबको अनुमति दी जाती है?

श्री ऊदल-

श्रीमन् पिछली बार विधान सभा के सत्र में आपको याद होगा कि जितने माननीय सदस्यों या नेताओं के हस्ताक्षर होते थे किसी भी विषय पर, तो सबको सुनते थे, चाहे ग्राह्यता हो या न हो । मैं समझता हूँ कि वह परम्परा ठीक है और उससे सदन को चलाने में आसानी होगी । यह मेरा निवेदन है ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, संसदीय प्रक्रिया के

---

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिलसिले में मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन मान्यवर, अगर कोई माननीय सदस्य अपना यहां पर विचार व्यक्त करता है और अगर उस पीठ से यह बात कही जाती है कि काल्पनिक है, जैसे मान्यवर, अभी आपने यह बात कही थी कि काल्पनिक है, तो मान्यवर, उस काल्पनिक शब्द के ऊपर मैं आपत्ति उठा रहा हूँ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

किसी विषय पर चर्चा का विषय क्या रहे, यह मान्यवर, हमारे नियमों में और परिपाटी में पूरा अधिकार आपको है। जैसे माननीय वर्मा जी ने कहा कि मुझे भी इस आदरणीय सदन में काफी समय से रहने का अवसर मिला है। उस समय जब कभी एक ही कार्य-स्थगन प्रस्ताव आ जाता है, कभी दो लोग सुने जाते रहे हैं, मान्यवर, नियम 311 की भी चर्चा हुई, इसमें न परिपाटी काम करेगी, न कुछ, आप ग्राह्यता पर किसको सुनें, किस विधि से सुनें उसमें यह भी लिखा है कि जिसके कारण प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मैं अभी इस पर नहीं सुन रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

किसी भी परम्परा और परिपाटी को बनाने के लिए फोरम नहीं है, अच्छा होगा कि इसके लिए आप माननीय नेताओं को अलग-अलग से बुला लें। इस समय मेरा निवेदन यह है कि आपका जो विवेक नियमों और संविधान के अन्तर्गत सूझे, उसके अनुसार आप सदन का संचालन करें।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, मेरा यह कहना है, मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, जो भी हस्ताक्षर हों, नियम 311 के अन्तर्गत आपको सूचना दी गयी है, मैं तो यह आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षेप में इन सबके विचार सुन लीजिए। माननीय नेता विरोधी दल का एक विशिष्ट स्थान है। मैं यह समझता हूं कि उनके बाद आपने यह कहा था कि मैं प्रमोद तिवारी जी को सुनूं या न सुनूं। मान्यवर, आपका अधिकार तो सर्वोपरि है। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हस्ताक्षर है, मेरा भी हस्ताक्षर है। मान्यवर, यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि 13 अगस्त के बाद विधान सभा का सत्र नहीं रहा, अगर यह कानूनी बन्धन न होता तो आप अभी विधान सभा का सत्र न बुलवाते। कानूनी बन्धन के कारण 10 फरवरी से आपने सत्र बुलाया। जो घटनाएं अक्टूबर में हुई हैं, उसे हम कहां उठायें? 6 महीने की बाध्यता में दो ही दिन बाकी रह गये थे 12 फरवरी में। तब सत्र आहूत किया गया मान्यवर, बनारस का दंगा हो, महराजगंज का हो, बुलन्दशहर का हो, अलीगढ़ का हो, मेरठ का हो, लेकिन इस सरकार ने यह कहा था कि हम इस प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश बनायेंगे। मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। मान्यवर, बनारस का दंगा हुआ, मैंने तो बड़ी

निष्पक्ष मांग उस समय की थी। मान्यवर, इसकी जूडिशियल इन्क्वायरी करवा दें। कोई कह भी नहीं पायेगा कि कौन दोषी था या कौन दोषी नहीं था। केस में जहां पर एक ओर 18-20 साल का लड़का था, वहीं पर 80-90 साल का बूढ़ा था, जो लकड़ी पकड़ कर चलता रहा होगा। मदनपुरा का इलाका था, ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि जुलूस के बाद लोग मारे गये, लेकिन क्या दूसरे दिन 11 मिनट के अन्दर 11 हत्यायें नहीं हो गयीं? जिस दिन अभी मुगलसराय का काण्ड हो गया, यहां पर नाम लेना उचित नहीं होगा, स्वयं वह सर्किट हाउस में मौजूद थे। जो सत्य है, उसको स्वीकार करना चाहिए। बनारस का दंगा भड़का, मदनपुरा में काण्ड हुआ। यह हो सकता है कि किसी एक सम्प्रदाय ने किया। मान्यवर, यह सब कर्फ्यू में ढील मिली, 5-7 मिनट में 11 व्यक्ति गलियों से निकलते हुए मार दिये गये।

मान्यवर, दोनों बातों पर विचार होना चाहिए आपकी निष्पक्षता तभी साबित होगी। मैं यह मांग करता हूँ कि यह समस्या अविलम्बनीय लोक महत्व की है इसलिए सारे नियमों को निलम्बित करके इस पर चर्चा करायी जाय, यही मेरा अनुरोध है।

* श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप बहुत ही इस सदन के विद्वान अध्यक्ष हैं। प्रदेश की सबसे गम्भीर समस्या है उस पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे गम्भीरता से लें। सरकार हमेशा निरंकुश होती है और आपके माध्यम से विपक्ष निरकुशता पर अंकुश लगाता है।

अभी उधर के साथी इसको भले गम्भीरता से न लें लेकिन कुछ समय बाद वह हमारे साथी उसे गम्भीरता से लेंगे और मान्यवर, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो हमारे नेताओं ने कहीं। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों से समाहित देश है इसलिए हमारे देश की सांस्कृतिक एकता कायम रही है। जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है वह आज ताडव और हिंसा का वातावरण जानबूझकर इस प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं। सबसे अफसोस की बात है कि आज देश की सबसे गम्भीर समस्या है चाहे गरीबी हो, बेरोजगारी हो, चाहे पानी की समस्या हो, इन समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए, जिसमें सरकार पूरी तरह से विफल रही है, आज पूरे प्रदेश में सरकार ही दंगा कराने का कार्य कर रही है। यह मेरा आरोप है।

(शोर)

इस तरह का शोर रोकने के लिए 5 लोग ही काफी हैं (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब संयम नहीं बरता जाता है तो और लोग नहीं आयेंगे शांति के लिए, हम लोग ही काफी हैं शांत वातावरण बना देंगे सदन में। मान्यवर, इस बात को मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर, आप भी बैठे हैं, साथ-साथ

---

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम किये है, सदन में हम भी रहे हैं। (व्यवधान) जितना बचाव कर सकते हैं कर लेगें अभी मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री को मिलेगा, संसदीय कार्यमंत्री को मिलेगा लेकिन हमारा खुला आरोप है कि जब सरकार स्वयं दंगा करायेगी तो इसका प्रमाण जलालपुर से बड़ा क्या हो सकता है ? एक मंत्री दीवाल को गिरवाते हैं अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी को गुरेज है तो तत्काल उस मंत्री को इस सदन के अन्दर बरखास्त करने की घोषणा करनी चाहिए और दूसरी तरफ जो सांसद हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं जो सम्पर्क में रहे, इससे ज्यादा ग्राह्यता का सवाल और क्या हो सकता है कि एक नेता और एक सांसद सम्पर्क बनाये निर्देश देते हैं और उनके निर्देशों का प्रशासन जब पालन करेगा तो मान्यवर, अल्पसंख्यकों को कहां मदद मिलेगी। मान्यवर, नजीर बनारसी के बारे में कौन नहीं जानता जिन्होंने अपना सारा जीवन इस देश के प्रति अर्पित किया है, जिन्होंने शायरी लिखी है, किताबें लिखी है। (व्यवधान) मान्यवर, शायर अनीस अन्सारी को पकड़ लाया जाता है और पेट्रोल नहीं मिलता है तो उसको शराब छिड़क कर जला देते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है हजारों लोगों के सामने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी 12 हड्डियां टूटी निकलती हैं, प्रमोद तिवारी जी ने कहा है, लोग मौके पर गये है आप देखें कि अन्य सम्प्रदाय के लोग कितने पकड़े गये ?

आपसे मान्यवर मेरी प्रार्थना है कि बहुमत के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साम्प्रदायिकता में, जब बहुमत साम्प्रदायिक हो जायेगा तो उससे कठिन स्थिति दूसरी कोई नहीं हो सकती देश के लिये। जिन छः लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको 2 दिन में निकाल दिया गया, जेल से बाहर किया गया और एक सम्प्रदाय के लोगों को 2 दिन से ज्यादा रखा गया। बनारस में जो बनारसी साड़ी बनाने में आगे निकल गये, उनको बंद कर दिया गया, उनके व्यापार को ठप्प करने की कोशिश की गयी, इस तरह से उनके व्यापार को ठप्प करने की कोशिश की जायेगी? यही जलालपुर में हुआ। बनारस में जो पढ़ा, देखा, लिखा, 1947 से इस तरह का आज तक अत्याचार वहां नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

जो पुलिस ने वहां किया, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जलालपुर में कोई विवाद नहीं है। शिया सुन्नी के ताजिये निकलते रहे हैं। केवल एक बहाना लेकर अल्पसंख्यकों को लूटना शुरू किया। एक नौजवान जो था, पुलिस ने उसको पकड़कर उसकी हत्या की। पूरा जिला प्रशासन वहां की घटना के लिये जिम्मेदार है। एक दरोगा को निलम्बित कराना या लाइन हाजिर करना यह कोई दंड नहीं है। सरकार का पूरा हाथ है इसमें।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि यह जो सम्प्रदाय की बात है, हिन्दू धर्म को हम मानते हैं, जब हिन्दू धर्म की बात आयी तो उस समय केवल

शैव और वैष्णव सम्प्रदाय थे, उस समय ईसाई नहीं आये थे, मुस्लिम नहीं आये थे तो उस तरह की शक्तियों से बौद्ध धर्म का प्रार्दुभाव प्रारम्भ हुआ। वह ऐसी शक्तियां थी, उन शक्तियों ने सिर उठाकर क्या किया, नालन्दा जैसे ज्ञान मंदिर को किसने तोड़ा, आग किसने लगायी थी, लेकिन ऐसी शक्तियां हमेशा नेस्तानाबूत हुई हैं और होंगी इस देश के अंदर। (व्यवधान) लेकिन मान्यवर, मस्जिद तोड़ी जा रही है बुलन्दशहर में, प्रहार होता है यह कैसी साम्प्रदायिकता है, किसी भी सम्प्रदाय का अपराधी हो उसको सजा मिलनी चाहिये। सवाल यह है कि एक ओर तो 14 साल से 90 साल के लोगों को जेलों में रखा गया और दूसरी तरफ बहुमत के लोगों को जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको छुड़वा दिया गया, उनको नहीं निकाला जाना था। जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, वह अगर ऐसे ही करेंगे, तो जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं हो सकेगी, इन हरकतों के कारण, अध्यक्ष महोदय मानें या न मानें समाज में न्याय नहीं मिलेगा, जलालपुर के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली जायेगी, सरकार बदले से कार्यवाही करेगी तो क्या होगा? पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब के लोगों को न्याय मिल गया होता तो यह नौबत नही आती आज पंजाब के हाथ से फिसलने की नौबत आ गयी है।

समाज में हर तरह के लोग न्याय लेने के लिये मजबूर होंगे, तब देश की स्थिति गम्भीर होगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा? आज आजाद कश्मीर की समस्या है। तमाम आतंकवाद बढ़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुलायम सिंह जी ग्राह्यता पर बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तो मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर इसी तरह की कोशिश की जायेगी, अल्पसंख्यकों को मारने की कोशिश की जायेगी तो इससे देश कमजोर हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक लोगों में सद्भावना नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, करोड़ों रुपयों की हानि होगी, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहेंगे और हम जब तक विपक्ष में बैठे हैं तब तक हम यह नहीं होने देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई है, उसका मुआवजा दिया जाय और जो मंत्री इससे सम्बन्धित है उसे तत्काल बर्खास्त किया जाये।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, वाराणसी में जिस दिन यह दुःखद घटना घटित हुई थी, जिसका उल्लेख इस आदरणीय सदन में

माननीय सदस्यगण कर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मैं उस दिन उस क्षेत्र में था। मैं वहीं का जनप्रतिनिधि हूँ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, यह खुद दंगा करवाते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री श्याम देवराय चौधरी-

मान्यवर, मेरी पूरी बात सुन लीजिये। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तब तक मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो दंगा रहित प्रशासन और भय मुक्त समाज का वायदा किया था उसे पूरा करने में यह सरकार पूरी तरह से सफल रही है। उसे असफल करने के लिए यह लोग बनारस में जाकर दंगा करवाए हैं। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ। यह लोग गुप्त बैठक करके अल्पसंख्यकों पर अपने ही लोगों द्वारा हमला करवा रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की छवि नष्ट हो। इस प्रकार सरकार को बदनाम करने का निन्दनीय प्रयास कर रहे हैं। मैं इन लोगों की नंगी तस्वीर को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया जाये, मैं चुपचाप नहीं सुन सकता हूँ। यह सारे लोग अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये लोग गुप्त बैठक करके दंगे की योजना बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम कर रहे हैं।

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यगण खड़े हो गये)

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले मुझे सुने लें। ये लोग दंगा कराने की लगातार साजिश करा रहे हैं, जिस पर चर्चा होनी आवश्यक है।

(विरोध पक्ष के माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(तत्पश्चात श्री श्याद अली, श्री जी0 एस0 विनोद, श्री अगंद सिंह यादव, श्री पूरन प्रकाश, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद सहित कई माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और वह कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़कर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

यह व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं सदन को आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूँ।

(इसके बाद 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित कर दी। 2 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन आधे घण्टे के लिए और बढ़ा दिया है। तदोपरान्त 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व

में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(3 बजकर 15 पर सदन के पुनः बैठने पर)

**नियम 311 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर मा0 मुख्यमंत्री द्वारा शासनपक्ष को भी सुनने का अनुरोध**

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

मान्यवर, यद्यपि अपने-अपने निर्णय में नियम 311 की सूचनाओं को निरस्त कर दिया है, फिर भी यदि आप उचित समझें तो मेरा अनुरोध है कि उस नोटिस पर जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह जो कुछ बोलना चाहते हैं, वह बोल लें और शासन पक्ष को भी मौका देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मेरा सदैव से प्रयास रहा है और चेष्टा रही है कि जिस बिन्दु पर आवश्यकता हो, उस पर माननीय सदस्य बोलें और जब विषय का विस्तार करेंगे तो सदन का समय अनावश्यक रूप से व्यय होगा। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सदस्यों के विचार आयें, लेकिन मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अगर वह ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, तो ग्राह्यता पर ही बोलें और अगर किसी विषय पर बोल रहे हैं, तो विषय पर बोलें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने को विषय तक सीमित रखे। सूचना पर श्री ऊदल और श्री राम लखन के हस्ताक्षर हैं, वह बोल लें और फिर माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री ऊदल-

मान्यवर, यह विषय बहुत ही गम्भीर है। श्रीमन् बनारस में 8 तारीख को जो दंगा हुआ, वह बहुत ही शर्मनाक है। जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, वह एक पक्षीय था और गोदौलिया के चौराहे पर लाकर तेल डालकर जला दिया गया और दूसर दंगा भड़का 13 तारीख को। अगर यह प्रशासन 8 तारीख के बाद मुस्तैद होता तो 13 तारीख को जो दंगा हुआ वह न होता। 13 तारीख को जो दंगा हुआ उसमें दूसरे सम्प्रदाय हिन्दुओं को मारा गया, कई लोग मारे गये। वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वाराणसी में जो महीनों कर्फ्यू रहा, जिससे वहां की जनता परेशान हुई, वह बहुत ही शर्मनाक है। अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम लेता, सरकार मुस्तैदी से काम लेती तो इस तरह का दर्दनाक काण्ड न होता और यह दुर्दिन बनारस को न देखने पड़ते। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जब चुनाव हो रहे थे, तब भी बनारस में दगा भड़का था और उसमें एक वर्ग विशेष को परेशान किया गया था। ठीक से पोलिंग भी नहीं हो पायी, कर्फ्यू लगा हुआ था। आज कर्फ्यू है और कल चुनाव है। मैं समझता हूँ कि यह उचित बात नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काली जी की प्रतिमा के विर्सजन का जहां तक सवाल है, उस स्थान पर पहले भी दंगे हो चुके हैं। अगर सरकार और प्रशासन उसके प्रति सजग रहता तो मैं समझता हूँ

कि जो दंगा हो गया वह न होता।

श्रीमन् इस दंगे में बहुत बड़ी तोड़फोड़ पुलिस और पी0ए0सी0 के लोगों ने की जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसकी भी जांच नहीं की गयी। सबसे शर्मनाक बात यह हुई कि डा0 अनीस को इतना मारा गया कि उनकी मृत्यु हो गयी और पोस्टमार्टम के बाद उनकी लाश उनके परिवारजनों को नहीं दी गयी। यह बहुत ही गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। इतना ही नहीं उनको ले जाकर पुलिस के साये में दूसरे कब्रिस्तान में दफना दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद भी लाश न देना यह समझ में नहीं आता है। जो लोग इनकाउंटर में मारे जाते हैं उनकी लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों को दी जाती है यह कानूनी अधिकार है। लाश को परिवारवालों को क्रियाकर्म करने के लिये दिया जाना चाहिये। यह दुर्भाग्य है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विचारणीय प्रश्न है। श्रीमन बनारस में अल्पसंख्यकों की तादात बहुत जयादा नहीं है उसमें कुछ सांप्रदायिक हो सकते हैं, बहुसंख्यकों में भी सभी सांप्रदायिक नहीं है। शासन का काम यही होना चाहिये कि गुण दोष के आधार पर विचार हो। विधान सभा का सत्र अगस्त में न होने के कारण आज यह बात यहां उठानी पड़ी 6 महीने के अंतराल के बाद जब सदन चला तो यह बात आज यहां पर लाई गयी। यहां के अलावा भी जगह-जगह दंगे भड़क रहे हैं। यह सरकार और मुख्य मंत्री जी ऐलान करते फिरते हैं कि हम दंगा रहित प्रदेश बनाना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बीच में दसियों जगह दंगे हो गये हैं चाहे उसमें किसी की गलती रही हो। सरकार को देखना चाहिये कि किसकी गलती है, कौन लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुमत की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है। डा0 हैडगेवार ने भी कहा है कि बहुमत के लोग सांप्रदायिक होंगे तो देश धू-धू कर जल जायेगा। अल्पसंख्यकों के सांप्रदायिक होने से देश में दंगे हो सकते हैं लेकिन बहुसंख्यकों के सांप्रदायिक होने से देश धू-धू कर जल जायेगा। इसलिये सरकार को इस पर विचार करना चाहिये। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है और औचित्य का प्रश्न है इस पर चर्चा करने की जरूरत है ताकि इस विषय पर सभी लोगों के विचार और उनके दृष्टिकोण सामने आ जायें। मैं समझता हूँ कि प्रदेश को दंगा रहित करने और समाज को भयमुक्त बनाने की बात आपने कही है। अगर आप भविष्य में प्रदेश को दंगा रहित और भयमुक्त समाज बनाने के लिये कोई योजना बनायेंगे तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूँगा कि आप इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें।

श्री राम लखन-

मान्यवर, जनपद फैजाबाद, तहसील जलालपुर में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है, वहां के दंगे पर आपने मुझे सुनने का मौका दिया इसके लिये मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आभारी हूँ।

श्रीमन् यह जलालपुर का दंगा साम्प्रदायिक दंगा नहीं है। हिन्दू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है। मेरा आरोप है कि यह दंगा शासन और प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। जो जमीन विवादित है उसको हिन्दू समाज के लोग कहते हैं कि हमारी है और मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमारी है इस प्रकार 20 सालों से यह विवाद चल रहा है। श्रीमन् 14 जनवरी को कीर्तन मंडल दल की ओर से एक प्रोग्राम था जिसका सुन्नी सम्प्रदाय के लोगों ने विरोध किया और प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर 26 जनवरी को वहां हिन्दू जागरण की तरफ से प्रोग्राम कराया जा रहा था तो भी अल्पसंख्यकों के शिया लोगों ने विरोध किया ओर प्रोग्राम नहीं हुआ।

श्रीमन् यह प्रक्रिया चलती रही। थाने को सूचना थी लेकिन उन्होंने बुलाकर पंचायत कर दी जिसकी जिला प्रशासन को सूचना नही दी। पुलिस ने 4 तारीख को मुस्लिम समाज के लोगों को इजाजत दी कि आप दिवाल बना लें, तो 400 शिया मुसलमान लोगो ने रात में दिवाल बनाया जिसकी पुलिस को सूचना नही थी जबकि यह विवादित स्थान थाने से 200 मीटर की दूरी पर है और वहां चौराहे पर रात में पुलिस रहती थी लेकिन पुलिस की मिलीभगत से यह काम हुआ इसलिये पुलिस ने इसका विरोध नहीं किया। जब प्रातः हिन्दू समाज के लोगों को दिवाल खड़ी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने कह दिया कि दिवाल गिरा दें। मुसलमान जब थाने आये तो उनसे कहा गया कि आप लोग दिवाल की रक्षा करें। इस प्रकार जान-बूझकर स्थानीय पुलिस ने इस मामले को बढ़ावा दिया। इसलिये दंगे का यह रूप वहां सामने आया।

5 तारीख को प्रातः साढ़े 9 बजे यह घटना घटी कि 32 दुकानें लूटी गयीं और 24 घर जला दिये गये तथा करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई। लेकिन फिर दूसरे दिन दोनों सम्प्रदाय के लोग थाने में बैठकर अमन चैन की शपथ ली और कस्बे में बताया गया कि आपस में कोई बात नहीं है और हम लोगों को मेल-जोल से रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर आप कहें, विस्तार में न जाएं।

श्री राम लखन-

श्रीमन् पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से यह इतना बड़ा कांड वहां हुआ जिससे करोड़ो रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसमें जो कार्यवाही अभी तक किया है उसमें वहां की पुलिस को निलम्बित किया है। मेरा सदन

से और आपसे अनुरोध है कि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए जिन्होंने यह कांड कराया है। इसके साथ ही जुडीशियल इंक्वारी करायी जाये और दोषी लोगों को जेल भेजा जाएं और आप इस मामले में चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष-

सूचना पर अंतिम हस्ताक्षरकर्ता हैं, सूचना पर, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, यदि वह कुछ कहना चाहते हों तो कहें।

* श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश इस साम्प्रदायिक सरकार के कारनामों से प्रताड़ित है।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि आज प्रदेश के अन्दर चाहे वह बनारस में दंगा रहा हो, चाहे अभी मेरठ में बड़ौत में एक घटना घटी है, उसका मसला रहा हो। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व जलालपुर, फैजाबाद में एक घटना घटी। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि साम्प्रदायिक दंगों के आधार पर जनता को बरगलाकर जो वोट माँगने का काम पिछले चुनाव में हुआ है उसी तरह की घटनाएं पुनः की जा रही है। साम्प्रदायिक दंगो को भड़काकर पूरे प्रदेश को दंगे से ग्रस्त कर दिया जाय। दंगा रहित समाज बनाने की परिकल्पना के अन्तर्गत यदि हम ध्यान दें तो हमें कुछ और दिखाई दे रहा है। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आपसे अनुरोध करूँगा कि यह बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण विषय है, गम्भीरता पूर्वक विचार करने के लिये, शासन को मार्ग-दर्शन देने की जरूरत है कि इस पर सही रीति से चर्चा की जाय।

श्री कल्याण सिंह-

श्रीमन् मैंने सभी माननीय नेताओं को बड़े ध्यान से सुना। मैं ब्यौरेवार एक-एक घटना के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ परन्तु कुछ मोटी-मोटी मुख्य-मुख्य बातें इस सदन में रखना चाहता हूँ। हमने पहले दिन से यह संकल्प लिया है कि इस प्रदेश को दंगा रहित प्रदेश और भय मुक्त समाज बनायेंगे। दंगा रहित प्रदेश और भयमुक्त प्रदेश हमारे नारे का विषय नहीं है, हमारी निष्ठा का विषय है। जिन कठिन परिस्थितियों में हमको शासन के सूत्र सम्भालने को मिले हैं। उस सन्दर्भ में यदि विचार किया जायेगा, निष्पक्षता के साथ तो सभी को इस सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करनी पड़ेगी। हम कल्पना क्यों नहीं करते हैं कि जलता हुआ प्रदेश दंगा ग्रस्त प्रदेश, मार-काट वाला प्रदेश, 40-40 जिलों में कर्फ्यूग्रस्त प्रदेश हमको मिला था। कितनी ही ललनाओं की माँग सूनी हो गयीं? कितनी बहिनों के भाइयों की जानें गयीं? अराजकता वाला प्रदेश हमको मिला जहाँ दंगों की श्रृंखलाएं मिली, अराजकता

---

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का साम्राज्य मिला । मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि बनारस में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी । इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि उसके ज्यूडीशियल इन्क्वायरी के आदेश शासन की ओर से दे दिये गये हैं । हमको एकतरफा न्याय नहीं करना चाहिए । कुसूर किसी का भी हो उसकी सजा मिलनी चाहिए । दुर्भाग्य की बात है, बनारस में दंगा हो गया । इसका जितना दुःख आपको है मुझे भी उतना ही दुःख है । सात महीने बीत गये हैं जब हिन्दु मुसलमानों के चार-चार पाँच-पाँच महत्वपूर्ण त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए हैं ।

इस सरकार की उपलब्धियों में वृद्धि मानी जानी चाहिए । कुछ लोगों को यह दंगारहित प्रदेश और हमारी निष्ठा रास नहीं आ रही है वह चाहते हैं कि कैसे यह सरकार बदनाम हो ? इस सरकार की नजरों में दंगाई, दंगाई है । हमारी नजरों में अपराधी, अपराधी है हमारी नजरों में माफिया, माफिया है । उसका कोई मजहब नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई पंथ नही, उसका कोई सम्प्रदाय नहीं है । उसका कोई वर्ग नहीं उसका कोई दल नहीं है । चाहे वह दंगाई हो, चाहे वह माफिया हो, दंगाई से दंगाई की तरह और माफिया से माफिया की तरह यह सरकार सख्ती से निपटेगी ।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मैं एक बुनियादी बात कहना चाहता हूँ । जलालपुर की बात आपने कही थी, तो दरोगा सस्पेंड हो गया है । उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है । मैजिस्ट्रीरियल जाँच की मांग कर रहे हैं मैं इसे स्वीकार करता हूँ ।

(व्यवधान)

**कई सदस्य-**

जुडीशियल जांच की मांग की है ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि बनारस की न्यायिक जाँच हो रही है । निष्पक्ष जांच होगी । इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ । आप बहुत ब्यौरे में चले गए मैं ब्यौरे में चला गया तो जाँच प्रभावित हो सकती है । जाँच निष्पक्ष होगी । जाँच के दौरान जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करेगी ।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जलालपुर के मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

कौन सी जांच करा रहे हैं ?

(घोर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह-

बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ । समस्या का निदान सोचना होगा ।

जब तक इस देश के अन्दर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा देते रहेंगे यह समाज बंटता रहेगा। अगर एक राष्ट्र एक जन की भाषा बोलना चाहते हैं तो हमें मजहब और जाति से ऊपर उठना होगा। मस्जिद मंदिर, गुरूद्वारे हम अपनी आस्था के अनुसार जो भी इबादत करने का तरी का है, उसके लिए स्वतन्त्र हैं। हमारी मानसिकता समाज को बांटने की बनी हुई है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक यह सम्प्रदायवाद की जननी है। इससे साम्प्रदायवाद की मानसिकता उत्पन्न होती है। एक बार हम इस धरातल से ऊपर उठकर सोंचे, मजहब कोई क्यों न हों, हमारी लिये सब एक राष्ट्र के सपूत हैं। कुछ लोग हैं, जब दंगे होते हैं तब गिनती करते हैं कि हिंदू इतने मारे गये और मुसलमान इतने मारे गये। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यह गिनती करते हैं कि कितने हिंदू मारे गये या कितने मुसलमान मारे गये। जान एक हिंदू में होती है और जान् एक मुसलमान में होती है और एक इंसान मरता है। यहां पर मैं भाषण सुनता हूँ। इस प्रकार की गंधे आती है। वह गंध हो सकता है कि कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाती होगी। लेकिन कुल मिलाकर वह समाज में एकता और समरसता पैदा नहीं कर सकती है। जहां पर आप अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बातें करते हैं, मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने कहा है कि हर एक नागरिक की जान-माल, इज्जत की सुरक्षा की गांरटी हमारी सरकार की है उसमें हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, हमने हर नागरिक की जान की बात कही है, हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की गांरटी की बात हमने कही है। मैं जानता हूँ कि कुछ ताकतें हैं, कुछ तत्व हैं जो प्रदेश के अंदर सांप्रदायिकता की आग भड़काकर, जो 7 महीने में कंट्रोल किया गया है, एक बार फिर प्रदेश की शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार मजबूत है, सरकार किसी भी ऐसी ताकत तत्व और साजिश को सफल नहीं होने देगी। (मेजों की थपथपाहट)

शांति और व्यवस्था कायम होकर रहेगी यह हमारी जिम्मेदारी है। मान्यवर, एक सवाल यह आया कि दंगा सरकार ने कराया। मैं जिन्हें बहुत जिम्मेदार मानता हूँ, अगर कोई नया सदस्य इस प्रकार की भाषा बोले तो समझ में आ सकता है कि वह समझ न पाये होंगे कि सदन में क्या भाषा बोलनी है, लेकिन जब यहां पर पुराने, अनुभवी, योग्य नेता के मुंह से सुनता हूँ कि दंगा सरकार करा रही है तो मुझे उनकी समझ पर तरस आता आता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। सरकार दंगों को रोकने की कोशिश में है, हम कोई दंगा नहीं होने देंगे। श्रीमन् मैं तो समूचे सदन से प्रार्थना करूँगा कि प्रदेश की शांति व्यवस्था का प्रश्न है, प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का प्रश्न है, यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है, हमारा और आपका, सबका है। मैं जानता हूँ कि जब दंगे होंगे तो प्रदेश की प्रगति में बाधा पैदा होगी और हम प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। इस माननीय सदन में निर्वाचित होकर

आने वाले हर माननीय सदस्य का, हम सभी का यह दायित्व है कि शांति और व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। सत्ता पक्ष में बैठने के नाते हमारा दायित्व ज्यादा है लेकिन आपका दायित्व भी कम नहीं बनता है। सबका समान रूप से दायित्व है कि हम सब मिलकर इस प्रदेश में अमन-चैन कायम करने की कोशिश करें। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिये कि प्रदेश के अंदर भाई-चारा बना रहे, सब मिलकर रहें ताकि विकास के काम आगे बढ़ सकें। इसमें अपने-अपने स्तर से हम सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। मैं अपनी सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर पिछले 44 सालों से दंगों की राजनीति की जाती रही है।

**श्री नरेश अग्रवाल-**

किसने की।

(शोर)

**श्री कल्याण सिंह-**

जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर रही है उन लोगों ने दंगों की राजनीति की, चुनाव आने के पहले दंगा कराने की कोशिश की है क्यों कहलवाते हो? (घोर व्यवधान के मध्य) मेरी सरकार का विश्वास दंगों की राजनीति में नहीं है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विश्वास दंगों में नहीं है। लोगों के जीवन का उत्थान करने के बजाय (घोर व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष-**

इसकी अनुमति नहीं दूँगा (घोर व्यवधान)

**श्री कल्याण सिंह-**

लोगों के जीवन में बदलाव लाने के बजाय, लोगों का विकास करने के बजाय, रोजी, रोटी, दवा, कपड़ा, मकान का इन्तजाम करने के बजाय इस देश में राजनीति इसके आधार पर बनायी जाती रही है कि समाज बंटता रहे और रोजी, रोटी, दवा ओर मकान जैसी बुनियादी चीजों पर कोई विचार न हो। मैं चाहता हूँ आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ कर प्रदेश के विकास में आगे आएं, मिल कर आगे आएं। शांति कैसे आएगी, मिलकर आएगी। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण नहीं देंगे, दंगों को संरक्षण नहीं देंगे, आज सदन यह संकल्प कर ले तो प्रदेश दंगा मुक्त हो जायेगा। मान्यवर, इस नाते से मैंने ब्यौरे में सारी बातें नहीं रखीं और कुछ उत्तर देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि यदि उचित समझें तो कोई भी एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब तक कि आप खुद न थक जायं कि अब चर्चा समाप्त हो, हम चर्चा कराने के लिये तैयार हैं। क्योंकि, जो कुछ आपने कह दिया, जवाब में मेरे पास आपसे 10 गुना मैटर तैयार है। एक-एक बिन्दु पर 10 गुना

जवाब देने के लिये है। मैं आप पर छोड़ता हूँ चर्चा के लिये समय निर्धारित कर दीजिये। नियम 311 में इसका कोई औचित्य नहीं है। इसको नहीं होना चाहिये। (घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से 2-3 सवाल एक-एक वाक्य का करना चाहता हूँ (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। नेता विरोधी दल स्वयं बैठ चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस विषय पर अब चर्चा की जरूरत नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य) अगर आप चाहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के व्यवहार के कारण इस सदन को स्थगित कर दूं, तो मैं कर दूंगा।

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर)

नियम 311 की नोटिस के माध्यम से नियम निलंबित किये जायं या न किये जायं, इसकी ग्राह्यता पर बात सुनी गयी। मैंने जितने लोगों के नोटिस पर हस्ताक्षर थे, उनकी सुनवाई का अवसर दिया। विषय संवेदनशील है। मैंने शासन के विचार भी इस विषय पर जान लिया। निर्णय मैंने सदन को स्थगित करने से पहले दे दिया था। लेकिन जिन लोगों को भी सुनने का अवसर दे दिया था, शासन की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एक दिन दो दिन, तीन दिन जब चाहें, इस विषय चर्चा हो जायं। अभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। यह विषय भी उसमें आयेगा। मांग होगी, तो इस विषय पर चर्चा के लिए दिन और तिथि निर्धारित हो सकती है। इसलिए मेरा माननीय मुलायम सिंह यादव जी से आग्रह है कि इस विषय को समाप्त होने दें। जब आगे अवसर आयेगा, और इस पर आवश्यक होगा, तो चर्चा हो जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैंने सभी सदस्यों का आदर करना सीखा है। अभी दंगों पर चर्चा नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, संविधान में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या संविधान के प्रतिकूल मुख्य मंत्री जी स्वयं बोलेंगे, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, तो फिर दूसरा सवाल भी उठेगा, तो क्या आप अनुसूचित

जाति और पिछड़ी जाति को अलग-अलग मानने के लिए तैयार नहीं है? तीसरी बात जलालपुर के जांच आप किस एजेंसी के द्वारा करायेंगे? चौथी बात, 12 मार्च, 1991 को मेरे चैम्बर में आपने कहा, जिनको मैंने दंगा के आरोप में बंद किया था, उनको छोड़ दीजिये, तो फिर मैं दंगा अब नहीं होने दूंगा, यह वचन दिया था। तो सबसे ज्यादा दंगा, कराने वाला कौन रहा?

श्री कल्याण सिंह-

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि यह मानसिकता अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद जब तक बना रहेगा, तब तक इस देश के अन्दर समता लाना कठिन रहेगा, क्योंकि आपने समाज को बांट दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो बात कही है, मैं उसके बारे में और कुछ न कह कर इतना जरूर कहूंगा कि मैंने इस तरह की बात कभी नहीं कही है। पिछले जमाने में 800 बड़े अपराधी पेरोल पर छोड़ दिये गये थे? उनकी धर-पकड़ कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपनी बात बताई, मैं दो बिन्दु पर उनसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ, उसी पर प्रकाश डाल दें। एक तो यह है कि जलालपुर में और विराल मेरठ में जो मस्जिद जलाई गई है, जो नुकसान हुआ किशनपुरमें जलालपुर में (शोर)

मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ कि इन लोगों को प्रशिक्षण दिलवा दीजिए कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है। यह तो (* * *) की तरह यहाँ हैं, यह (* * *) का स्थान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

( * * * ) यह आपत्तिजनक शब्द निकाल दिया जाय।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

किशनपुर और जलालपुर में क्या न्यायिक जांच करवायेंगे और जो बनारस के दंगो में नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करेगें और आफताब जो जलालपुर में मरे हैं और लोग जो बनारस में मरे हैं दोनों पक्षों के तो उनको एक-एक लाख रुपया क्षतिपूर्ति में देगें या नहीं?

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ यह नियम 311 के बाहर की बात है।

---

नोट:- ( * * * ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह

मान्यवर, इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूँ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री कैलाश नाथ सिंह यादव श्री ऊदल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री मुलायम सिंह यादव आदि द्वारा नियम 311 प्रदेश की साम्प्रदायिक स्थिति पर जो नियम को निलम्बित करने की सूचना दी गयी । उसको खारिज करता हूँ।

**प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना**

नियम 311 में दूसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल जी की आई है।

श्री नरेश अग्रवाल

श्रीमन् इस सरकार की हठधर्मिता, अदूरदर्शिता अर्कमण्यता से (शोर)

मुख्यमंत्री (श्री कल्याण सिंह)-

जो कोई अपनी बात कह रहा है उसकी बात को आप लोग धैर्यपूर्वक सुने, उनका सटीक उत्तर देने की क्षमता हम लोगों की है।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन्, आज आधा उत्तर प्रदेश विद्युत न होने के कारण अंधेरे में पड़ा हुआ है, सारे उद्योग बन्द होने लगे हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है इस कारण उनकी फसल सूख रही है और मैंने हठधर्मिता इस मारे कहा कि परिवार के बड़े सदस्य का यह दायित्व होता है कि अगर परिवार का कोई छोटा सदस्य जिद कर रहा है तो उसकी बात को सुने और उसका समाधान निकाले। 6 फरवरी, 1992 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के करीब 80 हजार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर चले गये हैं और इस हड़ताल के कारण इस प्रदेश को प्रतिदिन 400 मेगावाट बिजली की कमी हो गयी है जिससे 400 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों की हड़ताल के कारण राजस्व की वसूली बन्द हो गयी है जिससे 1500 करोड़ रुपया इस सरकार का नुकसान हो रहा है।

श्री नरेश अग्रवाल-

और मैं पिछले कई दिनों से देखता चला आ रहा हूँ कि यह सरकार अपनी सारी असफलता का दोषी केन्द्र सरकार को ठहराने लगती है या ऐसे बयान ऐसे आकंड़े प्रस्तुत करती है जो सत्यता से बहुत परे हैं। माननीय विद्युत मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर राज्य विद्युत कर्मचारियों की मांगे मान लें तो राज्य विद्युत परिषद् पर तीन सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त अधिभार आयेगा जबकि मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् के पूरे कर्मचारियों की तनख्वाह साढ़े तीन सौ करोड़ रु0 प्रतिमाह है। अगर कर्मचारी अपनी कुछ तनख्वाह, सुविधा बढ़ाने

की बात करते हैं तो सरकार की तरफ से बयान आता है कि 300 करोड़ रु0 का अतिरिक्त अधिभार आयेगा जबकि सत्यता यह है कि मात्र 10 करोड़ रु0 का अतिरिक्त अधिभार विद्युत परिषद् पर पड़ेगा। उसके साथ-साथ कर्मचारियों ने सरकार को दो सुझाव भी दिये हैं अगर सरकार उन सुझावों को मान लें तो सरकार को 700 करोड़ रु0 प्रति माह का फायदा भी हो रहा है लेकिन दलालों से घिरी यह सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी सरकार अगर विद्युत परिषद् कर्मचारियों के उन सुझावों को मान लें तो वे लोग जो इन्हें सरकार में लाये हैं उन लोगों का भविष्य क्या होगा? मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देने के लिये तैयार हो रहे हैं वे आंकड़ों के परिपक्व हैं। श्रीमन्, विद्युत कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि यदि 50 करोड़ रुपये यह सरकार खर्च करके ताप गृहों का नीवीनकरण कराया जाय तो उससे प्रतिमाह 600 मेगावाट बिजली मिलेगी। जबकि श्रीमन् 600 मेगावाट बिजली का नया प्रोजेक्ट लगाया जायें तो करीब हमको 2000 करोड़ रु0 की आवश्यकता होगी। यह बहुत उपयुक्त सुझाव है लेकिन सरकार उस सुझाव को नहीं उचित पा रही है। दूसरा श्रीमन् सुझाव यह है कि आज से 15 साल पहले राज्य विद्युत परिषद् के ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग एक लाख थी आज भी उनके हिसाब से संख्या एक लाख के लगभग है जबकि 13 हजार कर्मचारी या तो रिटायर हो चुके हैं या मृत हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर बोलें, सुझाव न दें।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, अगर 13 हजार कर्मचारियों को रखा जाय तो 100 करोड़ रु0 प्रतिमाह देना पड़ेगा, ठेकेदारी प्रथा विभाग से खत्म कर दी जाय उनको लगाने के बाद तो उससे जो 400 करोड़ रु0 का व्यय है, उसमें 300 करोड़ रु0 की बचत होगी। सरकार की तरफ से जो टकराव के बयान आते जा रहे हैं, इन्होंने डेलीवेजेज कर्मचारियों को निकलने की घोषणा कर दी, कोई भभ सरकार का मंत्री कोई भी अधिकारी बाहर करने की स्थिति में नहीं है। उस स्थिति में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश अंधेरे की स्थिति में चला जायेगा। उस भयानक स्थिति में प्रदेश में श्रमिकों का किसानों का आंदोलन खड़ा हो सकता है। श्रीमन् अनुरोध है कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर अविलम्ब महत्व के विषय पर, चर्चा करायी जाय। सरकार स्थिति स्पष्ट कर दें ताकि प्रदेश अंधकार की स्थिति में न जाये।

श्री अध्यक्ष-

इसके आधार पर मैं नियमों को निलम्बित करके शेष कार्यवाही को रोकना उचित नहीं समझता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा होगी तो उस दौरान भी इसे कहा जा सकता है।

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, जवाब दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ।

**कु0 मुन्नी शर्मा के साथ लखनऊ सदर थाने के दरोगा द्वारा बलात्कार किये जाने विषयक नियम 311 के अंतर्गत सूचना**

श्री स्वामी नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल पंगु सी हो गयी है। पुलिस का जुर्म इस कदर बढ़ गया है कि सारी जनता कराह उठी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने लम्बे भाषण में अलंकारिक बातें कही हैं लेकिन आज सीता और सावित्री की इज्जत करने वाले देश में महिलाओं का चीर हरण थानों में हो रहा है यह बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि लखनऊ में जहा पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वहाँ पर केण्ट थाने में कु0 मुन्नी शर्मा नामक 18 वर्षीय कन्या के साथ पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा बलात्कार किया गया। उसे एक तफ्तीस के लिए बुलाया गया अपनत्व दिखाकर पढ़ाई की व्यवस्था के नाम पर बंथरा फर्म हाउस पर ले जाकर उसे रात भर रखा गया, तथा रात भर वासना का गंदा खेल खेला गया। उसे पढ़ाई का लालच दिया गया और अभी तक उस पुलिस इंन्सपेक्टर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी हमारे जनपद के हैं उनके देवरिया रहने पर पडरौना की घटना हुई। उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए था क्योंकि इनके चलते आज सीता सावित्री के नाम पर, राम के नाम पर चलने वाली इस सरकार में आज उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, इस घटना का समाचार-पत्रों में भी उल्लेख किया गया। केवल समाचार-पत्र में ही नहीं एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी धारा 336 और 376 पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। परन्तु पुलिस इन्सपेक्टर मस्ती से घूम रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आज महिलाओं, छात्राओं के सम्मान की रक्षा किस प्रकार होगी। आज आप जो भय मुक्त समाज की घोषणा कर रहे हैं, इन्सानियत का जो नाम ले रहे हैं अगर यही स्थिति रही तथा यही कानून व्यवस्था रही तो किस प्रकार हमारे सम्मान की रक्षा हो पायेगी। आज आप जो राम के नाम पर आये हैं उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। थाने में महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, मैं चाहूँगा कि आप इस पर ध्यान दें।

गृहराज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय विधायक जी ने जो नियम-311 के अंतर्गत सूचना दी है वह कदापि नियम-311 के अंतर्गत नहीं आती है। फिर भी सरकार किसी भी प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने की मन्शा नहीं रखती और जब यह शिकायत प्राप्त हुई थी उस समय श्री पाल सिंह चौहान नामक इंस्पेक्टर को उसी समय

निलम्बित कर दिया गया था, उस पर धारा 363 और 376 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यह शिकायत 8 फरवरी को मिली थी आज 12 तारीख है। चार दिन के भीतर पहली बार यह सरकार आयी है जिसने उसके निलम्बन की कार्यवाही की है। चाहे जलालपुर की घटना हो या लखनऊ कैण्ट की। किसी भी घटना को छिपाया नहीं जायेगा और उसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी यह मैं आपके माध्यम से सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य ने जो नियम-311 के अंतर्गत सूचना दी है कि वह इसकी शब्दावली में नहीं आती इसलिए मैं इसे निरस्त करता हूँ। बाकी का उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने दे दिया है।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित नवीन ध्वनि नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण एवं उसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु गठित समिति (दशम विधान सभा) का प्रतिवेदन +**

सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में स्थापित नवीन ध्वनि नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण एवं उसमें अपेक्षित सुधार लाने हेतु गठित समिति (दशम विधान सभा)का प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (नवम संस्करण) के निदेश संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन मा0 अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, की प्रति निदेश संख्या 68 (3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

**उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति का दशम प्रतिवेदन +**

सचिव, विधान सभा-

मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति का दशम् प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (नवम् संस्करण) के निदेश संख्या 68 (1) के अन्तर्गत तत्कालीन मा0 अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, निदेश संख्या 68 (3) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

नोट:- + छापा नहीं गया।

## श्री रमाकान्त यादव तथा श्री कृष्ण किंकर सिंह, सदस्य विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष-

सदन को एक सूचना देनी है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जालौन से दिनांक 10 फरवरी, 1992 को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमाकान्त यादव, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) को थाना सिरसाकलां में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 65/92 भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420/506 के अन्तर्गत दिनांक 7-2-1992 को अपराह्न 1.15 बजे अभिरक्षा में लिया गया और सम्प्रति उन्हें जिला कारागार,जालौन स्थित उरई में रखा गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती से दिनांक 12-2-1992 को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृष्ण किंकर सिंह, सदस्य विधान सभा, बस्ती को अपराधांक 43/92 अन्तर्गत धारा 143/186/384/427 सपठित धारा 149 भारतीय दंड संहिता थाना कोतवाली, जिला बस्ती के मामले में दिनांक 7-2-1992 से 20-2-1992 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का निर्देश जिला कारागार, बस्ती भेजा गया है, और वर्तमान में वह भावी आदेश तक जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध रहेंगे।

उक्त माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना इस सचिवालय के बुलेटिन संख्या 14 द्वारा पूर्व में प्रसारित की जा चुकी है।

## कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 11 फरवरी, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 12 फरवरी, 1992 से 23 फरवरी, 1992 तक के उपवेशनों के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:-

(1) सदन का दिनांक 12 फरवरी, 1992 से 23 फरवरी, 1992 तक का तिथिवार अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय:-

फरवरी, 1992

| | |
|---|---|
| 12 बुधवार | बैठक नहीं होगी। |
| 13 गुरूवार | श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (प्रथम एवं द्वितीय दिन) |
| 14 शुक्रवार | |
| 15 शनिवार | |
| 16 रविवार | बैठक नहीं होगी |
| 17 सोमवार | विधायी कार्य |
| 18 मंगलवार | |

19 बुधवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तृतीय दिन)
20 गुरूवार श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (चतुर्थ एवं अन्तिम दिन)
21 शुक्रवार 1- असरकारी कार्य (आधा दिन)
2- विधायी कार्य (आधा दिन)।
अपराह्न 5.00 बजे

---

3- नियम 103 के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, सदस्य विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर आधे घन्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद इलाहाबाद के निर्वाचन क्षेत्र चायल एवं द्वाबा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु इस क्षेत्र में वृहद रूप से उद्दयोगों की स्थापना की जाय।"

22 शनिवार
23 रविवार
बैठक नहीं होगी।

(2) दिनांक 14 फरवरी, 1992 को पड़ने वाले शुक्रवार को असरकारी कार्य न लिया जाय।

(3) दिनांक 20 फरवरी, 1992 को विधायी कार्य न लिया जाय।

(4) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि 18 तारीख को रविदास जयन्ती है, इसलिये मेरा आग्रह है कि 18 तारीख को भी सदन सम्मानित रविदास जयन्ती के उपलक्ष्य में बंद रखा जाय।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन, संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस संबंध में संभवतः मैंने भी एक लिखित रूप से एक प्रार्थना की थी कि इस पर भी कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर लिया जायगा

श्री इम्तियाज अहमद-

मान्यवर, 19 तारीख को शबेबरात का त्यौहार है, इसलिये उस दिन भी सदन को न चलाया जाय, इस पर भी कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो सुझाव आ रहे हैं, उन पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर लेगें।

जहां तक रविदास जयन्ती का मामला है, उसमें कोई विमति नहीं है। अब मैं प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा जो सूचना इस सदन को दी गयी है, उससे यह सदन सहमत है?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में इस सदन में रखा है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

**उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 ***

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूँ।

**उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 +**

उच्च शिक्षा, श्रम तथा सेवायोजन मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूँ।

---

* दिनांक 20 फरवरी, 1992 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

\+ दिनांक 20 फरवरी, 1992 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

## श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री बसन्त लाल गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह "सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 10 फरवरी, 1992 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राम प्यारे शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस अल्पकालिक प्रगति के विषय में और उसकी नीतियों के विषय में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। यह पहली सरकार है जो अपने प्रकार की अकेली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर हम पिछली सरकारों को देखें तो हम पायेंगे कि उन सरकारों की जितनी भी नीतियाँ हुआ करती थी वह केवल सत्ता हासिल करने के लिए होती थी और उसी के आधार पर वह काम करते थे। वह काम करते थे, केवल अपने दल के लोगों का, अपने चहेतों का और अपने व्यक्तियों का। वह देश, समाज व जनता का ख्याल नहीं करते थे। आज उन्हे बड़ा कष्ट होता है। जब समाज के अन्दर इस सरकार की जड़ें मजबूत हो रही हैं और समाज में इस सरकार की वाह-वाही हो रही है। इस सरकार की इतनी वाह-वाही क्यों हो रही है, इसका इन्हें आश्चर्य हो रहा है। इसलिए ये लोग सोच रहे हैं कि जनता को किस तरह से भ्रमित किया जाय ताकि वह नजर इनकी तरफ मोड़ ले। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जनता ने वास्तव में परख करके ऐसी अनोखी सरकार को बनाया है जो अपने आप में अकेली है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की अपनी सरकार है। यह किसी दल की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी परिवार की नहीं है और किसी जाति की नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, डकैत की कोई पंचायत नहीं होती और दंगाईयों की कोई जाति नहीं होती। इसलिए हमारी सरकार ने एक नारा दिया दंगा रहित समाज व प्रदेश बनाने का। मैं उन विपक्षी सदस्यों का बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने दंगा आदि के बारे में यहां पर चर्चा की।

मैंने उनकी बातों को बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने तर्कों के साथ अपनी बात कहने की कोशिश की। यह सदन है ही इसलिए कि सरकार की जो कमियां हैं, उन्हें हम तर्कसंगत माध्यम से उजागर करें ताकि जनहित की बात हो सके। मुझे इस बात की खुशी होगी विपक्ष के माननीय सदस्य भी मेरी बातों को धैर्य से सुनेंगे, जितने धैर्य से मैंने उनकी बातें सुनी हैं। विरोध पक्ष में कई ऐसे लोग हैं, जो शासन में भी बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल अवसरवादी हैं। जो कभी कॉंग्रेस में रहे तो कभी उससे निकलकर दूसरी पार्टी में चले गये। क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वह केवल शासन में ही रहने की विचाराधारा है। इसलिये वह पार्टियां बदलते रहे,

दल बदलते रहे । बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर सरकार में आये ओर जब उनका व्यक्तित्व समाप्त हो गया, तो सरकार उनकी चली गयी । इस समय सदन में पूर्व मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हैं, मैंने उनकी बात को सुना । उन्होंने कहा था कि इस सरकार को वह 6 महीने में गिरा देंगे । 6 महीने का समय वह दे रहे हैं । उनकी इस घोषणा को सुन चुका हूँ । मैंने देखा कि पिछली बार जब वह मुख्यमंत्री थे, तो मैं यह सोंच रहा हूँ कि उनके शासन की क्या संज्ञा दूं ? पिछली सरकार को हमने हटाया है और जनता का विश्वास प्राप्त किया है और आज सरकार बनायी है । उस सरकार को क्या कहा जाये ? मैंने बहुत खोजा तो यह पाया कि उसे अगर कबीला संस्कृति की सरकार कहा जाये तो अनुपयुक्त न होगा । कबीलों की सरकार इसलिये मैंने कहा, क्योंकि उनके यहां पर केवल जो मुखिया ने कहा दिया वह ही कानून बन गया । इसी प्रकार से उनकी सरकार में भी था, जो मुख्य मंत्री ने कह दिया, वही कानून बन गया । मान्यवर, वह एकता की बात करते हैं, 1947 में देश का विभाजन किया । उस विचारधार के यह लोग हैं, मुझे दुख होता है । मैं कहना चाहता हूं कि बी0जे0पी0 का उस समय जन्म नहीं हुआ था और अगर उस समय जन्म हो गया होता तो आज भारत देश का विभाजन न हुआ होता । गांधी जी ने कहा था कि राम राज का सपना साकार करेंगे । लेकिन जब हम राम का नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि साम्प्रदायिक हैं । मुझे उनकी इस बात पर आश्चर्य होता है जब वह कहते हैं कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक है ।

मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय शब्द है । जो यह कहते हैं कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक है, या तो वह स्वयं साम्प्रदायिक हैं या वह साम्प्रदायिकता कीपरिभाषा को नहीं जानते हैं । अगर हिन्दुस्तान से कोई मुसलमान हज के लिये जाता है, तो उसे वहां पर कहा जाता है कि यह हिन्दू मुसलमान है, हिन्दुस्तान से आया है । मैं कह रहा हूं कि जो पहले के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने 65 लाख रुपया दो महीने में खर्च किया अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच दंगा भड़काने में । इस उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने इस प्रकार से खर्च किया, विज्ञापन देकर । मैं जानना चाहता हूँ कि उनके शासन काल में कौन सा ऐसा जिला था जहां पर कर्फ्यू नहीं था और कौन सा ऐसा जिला था जहां पर दंगा नहीं हुआ, कौन सा ऐसा प्रदेश था जहां पर आग नहीं लगी, क्या वह इस को भूल गये । मैं कहना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है, कितने दंगे हुये ।

मान्यवर, आज हमारी ईमानदारी पर शंका की जाती है पिछली बार जब वाराणसी में दंगा हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय क्या हुआ था, वह खुद देखें । हमारी सरकार ने दंगे को शीघ्रता से काबू किया है । हिन्दू और मुसलमानों ने अपने-अपने त्यौहार मनाये हैं और कहीं पर कोई दंगा नहीं हुआ है । यह परेशान है कि अगर दंगा नहीं होगा तो क्या करेंगे ? जो विपक्ष में

बैठे हैं, उन्होंने हिन्दुस्तान को 1947 की स्थिति में पहुंचा दिया है और उस समय की स्थिति आज पैदा कर दी है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह घटना बतायें, तथ्यों को सामने रखें कि बी0जे0पी0 के किस आदमी ने क्या किया है? यहां पर कहा गया कि घटनास्थल पर एक मंत्री उपस्थित थे उसे निकाल देना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं उस मंत्री को इनाम देना चाहिये जिन्होंने तत्परता से उस घटना को संभाला और जागरूकता से और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया। आज यही परेशानी उधर के लोगों को है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो जातिवाद, धर्मवाद या किसी तरह से नातेदार और रिश्तेदारों को आधार मानकर शासन कर रहा हो। वह अनुभव कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन बहुत अच्छा चल रहा है। अभी बिहार से कुछ लोग आये थे वह कह रहे थे कि हमारे यहां लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शासन अच्छा है वहां पर उत्तर प्रदेश के भयमुक्त समाज की चर्चा है। इसी तरह से दूसरे बहुत से प्रदेशों में चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज कायम है। पहले आप लखनऊ में देखते होंगे रात में बारात में लोग जाने में डरते थे। गुण्डों का एक आतंक था कहीं पर गुण्डा टैक्स लिया जाता था तो कहीं पर मंडी टैक्स के नाम से लोगों को परेशान किया जाता था यह बात लखनऊ में ही नहीं उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुण्डा टैक्स वसूल होता था। आज हमारी सरकार ने गुण्डा टैक्स बंद करवा दिया है वह डरे हैं कि अब कहां जायं जहां उनको पनाह मिले वह जान गये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वह रह नहीं पायेंगे दूसरी जगह जा रहे हैं। विपक्षी दलों के माननीय सदस्यों को यह बात देखनी चाहिये कि हमारी सरकार में किसी भी गुण्डे को राजनीतिक शैलटर नहीं है।

आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज है जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि गुण्डे की कोई जाति नहीं होती उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती उसकी जाति, उसका धर्म गुंडयी होती है हम उनको बता देगें कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में सभ्य नागरिक बन कर रह सकते हैं। गुण्डों को राजनीति पनाह यहां नहीं मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। इससे पहले कबीला सरकार जिसका मैंने जिक्र किया उसमें 1990 में 104 व्यक्तियों को नियमों के विरूद्ध जो हिस्ट्रीशीटर थे उनको लाइसेंस दिये गये मैनपुरी में 242 लोगों को जो अपराधी तत्व थे बिना किसी आधार के लाइसेंस दे दिये गये। इसी के साथ-साथ इस कबीला सरकार में 18 सौ लोगों को अंगरक्षक दिये गये जो हिस्ट्रीशटर और अपराधी तत्व थे उनको अंगरक्षक दिये गये (शेम-शेम) और जो कोई गुंडई नहीं करते थे उनको जेल में बंद किया गया। आज आप बता दें कोई भी चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक निरपराधी जेल में बंद है। उस समय निरपराधी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया मैंने कौन सा अपराध किया था जो जेल में बंद किया गया उस समय राम का नाम लेने वाले को जेल में बंद कर दिया गया उस समय राम का

नाम लेना अपराध था। उनके समय में राम का नाम लेना अपराध था और हम राम का नाम लेकर राम की जै बोलकर सत्ता में आये हैं उनको अब इस बात का पता लग जाना चाहिये। मैं ललकार कर कहना चाहता हूं उन माननीय सदस्यों से कि वह भारती की वास्तविकता को पहचाने, असलियत को देखें अन्यथा उनको सदन में आने के लाले पड़ जायेंगे क्योंकि यह वास्तविकता है। हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है उस राष्ट्र का अपमान कोई बरदास्त नहीं कर सकता है। बहुत खेल उन्होंने खेल लिया है, बहुत खिलवाड़ उन्होंने कर लिया है अब उसे जनता बरदास्त नहीं करेगी। अंग्रेजों की संस्कृति को अपनाकर वह राज कर गये जैसा अंग्रेज पहले किया करते थे मास्टरों के द्वारा हिन्दू मुसलमानों को लड़ाया करते थे। मुझे याद है 1938 में जब मैं स्कूल में जाता था तो मास्टरजी जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था किस तरह से हमको बताते थे कि हिन्दू और मुसलमान की पहचान क्या होती है? उन्होंने बताया था कि जिन दिनों हिन्दू अपना त्यौहार मनाते हैं मुसलमान उन दिनों को खराब बताते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हिन्दुओं के खिलाफ काम करें वह मुसलमान है, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन अब मुसलमान हिन्दुस्तान में रहकर हिन्दुओं के गले से गला मिलाकर रहना चाहता है। (व्यवधान)

मान्यवर, इसी तरीके से हमने देखा है कि बैंड बाजे के साथ ट्वीस्ट करते हुए मुसलमानों में आज शादियां होती हैं जैसे कि हिन्दुओं में शादियां बैंड बाजे के साथ होती हैं जबकि उनके वहां पहले ऐसा नहीं होता था। हिन्दुओं के यहां रामायण को मुसलमान महिलायें रात में आकर 12-12 बजे तक सुनती और देखती है। जैसे कि टी0वी0 पर रामायण के सीरियल को देखती थी। इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हिन्दुओं की विचाराधारा से अलग उनको करने का जो चक्कर विपक्ष ने निभाया था और अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों से लड़ाने की जो कोशिश किया था उसमें वह सफल नहीं हुए चूंकि मुसलमान अब चालाक हो गये हैं। मान्यवर, पिछले चुनाव में यही किया गया कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री को वोट मिलें या पूर्व मुख्य मंत्री को यहां वोट मिलें, इसके चक्कर में मुसलमान भ्रमित हो गये थे और जिससे इन लोगों को मुसलामनों के वोट नहीं मिले थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जायं, व्यवधान न पैदा करें।

श्री बसन्त लाल गुप्ता-

मान्यवर, पूर्व मुख्य मंत्री अभी तैश में बोल रहे थे कि जैसा पंजाब में हुआ है वैसा ही उत्तर प्रदेश में करेंगे, तो जिनकी भावनायें ऐसी हैं, और उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलायेंगे तो वह कोशिश करके देख लें, मैं उनको चुनौती

देता हूं और बता देना चाहता हूं कि उनकी कोशिश को सरकार नाकाम कर देगी और उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई अराजकता और दंगा सरकार बढ़ने नहीं देगी।

मान्यवर, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चारों तरफ विकास किया है। सारे बकायों की जोरदार वसूली किया है। बिक्रीकर की वसूली किया है और बिक्रीकर का सरलीकरण किया है। किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराया है। जबकि केन्द्र सरकार ने खाद के दाम बढ़ा दिये थे लेकिन हमारी सरकार ने उस पर सब्सिडी देकर किसानों को खाद में राहत पहुंचाने का काम किया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतने अल्प समय में काफी अच्छे-अच्छे काम किये हैं। उत्तर प्रदेश में दो महीने के अन्दर 65 लाख रुपये दान कर दिये उत्तर प्रदेश के विकास के नाम पर। एक गांव में, जिसकी कि आबादी एक हजार से पन्द्रह सौ के बीच में है, एक अस्पताल साठ शैय्या का बनाया गया, एक थाना खोला गया, एक इण्टर कालेज खोला गया, एक विश्राम इन्सपेंक्शन हाउस जिसकी लागत 75 लाख रुपये थे उसकी स्वीकृति कर दी गई। यह सरकार था जिसने गांव के विकास के नाम पर कितने रुपये खर्च किये? इन्होंने अपने-अपने गांव की अपने-अपने क्षेत्रों की भले ही प्रगति की हो। ऐसा कौन सा गांव रहा होगा जहां के लोग क्या ज्यादातर बीमार रहते रहे होंगे या उन्हें बिस्तर पर रहना अच्छा लगता रहा होगा या वहाँ के सभी लोग ऐसे ही रहे होंगे। यह सब कार्य हुआ है उस समय। आज कुछ लोग कहते हैं कि आज की सरकार ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। यह स्वतंत्र प्रजातंत्र की सरकार है। इसमें हर जिलाधिकारी, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, को अपने कर्तव्य पालन करने की सख्त आदेश दिये हैं, जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उसे दण्ड दिया जायेगा। इसके दो पहलू हैं, एक कर्तव्य और दूसरा अधिकार। अभी तक अधिकार का प्रयोग किया जाता था क्योंकि मंत्री जब अपने अधिकारों का प्रयोग करता था तो उसके प्रशासनिक अधिकारी, अधिकारी भी अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग करते थे। आज प्रत्येक अधिकारी अपने-अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है क्योंकि उसकी सरकार ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिये है।

मैं ही नहीं कह रहा हूँ आज सब लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में हमारे प्रदेश की चर्चा हो रही है, उनके कामों की चर्चा हो रही है। इसी का नतीजा है कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिये गये हैं जिनके कार्य में जरा भी गड़बड़ी होगी उन्हें वहाँ से हटा दिया जायेगा या निकाल दिया जायेगा। इसीलिये उनकी तैनातियों में फेर बदल की गई है। पिछली सरकार ने 1990 में 740 लोगों को पैरोल दी थी जिसके बारे में पैरोल नहीं दी जानी चाहिए थी। उसी तरह से 28-29 लोगों को जेल से मुक्त कर दिया था। इन लोगों के बारे में प्रशासन ने संस्तुति नहीं दी थी बल्कि विरोध किया था। उप चुनाव के दौरान हमारी सरकार ने सब जगह ऐसे प्रबन्ध किए

थे कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो सकी । निष्पक्ष चुनाव हुआ और इस तरह से सारे देश में एक मिसाल दी । यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतने अल्पकाल में हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग में तमाम ऐसे कर्मचारी थे, जो अंशकालिक थे, सबको अच्छा वेतन देकर स्थायी कर दिया, सबके वेतनमान बढ़ा दिये, इस तरह का काम किया है । हर विभाग में कम पूंजी के साथ आर्थिक स्थिरता को देखते हुए प्रशंसनीय कार्य किये हैं । आज पूरे प्रदेश की जनता इसकी प्रशंसा कर रही है आज कुछ अज्ञानी लोग इन उपलब्धियों को नहीं देख रहे हैं । यह तो वही है-जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी । मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे विचार रखकर सरकार को देखें और उसकी गलतियों की आलोचना करें । यह सरकार गलत कर सकती है परन्तु नीयत खराब नहीं कर सकती है ।

मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुशल प्रशासन देगी । इस सरकार में भेदभाव पूर्ण शासन नहीं होगा । यह सरकार राष्ट्रीयता को बचायेगी । हमारे देश के अन्दर सबसे बड़े पहलवान है । हमारे देश के अन्दर सबसे बड़े धनी आदमी है । बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं । राधाकृष्णन जैसे विद्वान आदमी है । फिर हमारा देश इतना पिछड़ा क्यों है? हमारे देश में मंहगाई बढ़ रही है हर चीज की कीमतें बढ़ रही है । अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट आई है, माननीय नेता विरोधी दल की यह बहुत अच्छी बात है कि जो शंका होती है वह कह देते हैं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चरित्र गिर रहा है । लार्ड मैकाले ने कहा था कि अंग्रेज चले जाएंगे लेकिन अंग्रेजियत रह जाएगी । तो राष्ट्रीय चरित्र गिर रहा है अगर कोई भी राष्ट्रीय चरित्र वाला व्यक्ति है वह कोई गलत काम नहीं करेगा राष्ट्रीय चरित्र वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएगा । मैंने आन्दोलनों में देखा है बहुत से लोग आन्दोलन को प्रभावित करने के लिए टेलीविजन के तार काट देते हैं, बसें फूँक देते हैं तो यह राष्ट्रीय चरित्र नहीं है । जब राष्ट्रीय चरित्र अच्छा होगा तभी राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा हो सकती है । जहां तक राम मंदिर निर्माण की बात है राम मंदिर निर्माण की बात पर यह लोग परेशान होने लगते हैं । आपको यह सोचना चाहिए कि राम का नाम एकता ला सकता है । राम ही ऐसे महापुरूष हैं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी रामराज्य की कल्पना की थी ।

उत्तर प्रदेश की जनता रामराज्य चाहती है । इस सरकार का लक्ष्य है इस सरकार का कर्तव्य है कि महापुरूष की प्रतिमा का निर्माण कराये । राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत बातें उठती है । महापुरूष राम भगवान हैं यह सभी जानते हैं । उन्होंने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया वह जानते थे कि सीता जी को कौन ले गया है, लेकिन फिर भी रोये और सीताजी को ढूँढा । तो भाई के साथ क्या कर्तव्य होने चाहिए माँ के साथ क्या कर्तव्य होना चाहिए उन्होंने इन सब मर्यादाओं को स्थापित किया ।

(शोरगुल)

डा० बृजभाने यादव-

मान्यवर, बहुत समय दे रहे हैं।

श्री बसन्त लाल गुप्ता-

आप अपने कान बन्द कर लें डाट लगा लें तो सुनाई नहीं पड़ेगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल बोल रहे थे तो नारे लगाए गये, लेकिन अब रामराज्य की स्थापना हो रही है। जनता का सरकार में विश्वास बढ़ा है और इतना बढ़ा है, मैं कई जगह गया लोगों का कहना है कि यह सरकार कुछ कर दिखायेगी। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की है कि जनता के अंदर सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जनता का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके अंदर सरकार के प्रति किसी प्रकार का अविश्वास हो। हमारी सरकार ने अल्प समय में अनेक काम किये हैं। बिक्री कर को सरलीकृत किया है जिससे कि छोटे-छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा पहुंचा है। मान्यवर, बिक्रीकर के संबंध में कहना चाहता हूँ कि 15 हजार से अधिक जमानत अब नहीं मांगी जायेगी, 15 हजार से ज्यादा जमानत पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे छोटे व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से ठेकेदारी के मामले में पंजीकरण से छुट्टी दे दी गयी है जिससे कि छोटे आदमी भी ठेकेदारी का काम कर सकेंगे। समरी डिस्पोजल योजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है, इसको 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से सकल वार्षिक विक्रय धन को 2 लाख के स्थान पर ढ़ाई लाख वार्षिक कर दिया गया है। तो यह जो बिक्रीकर में सरलीकरण किया गया है इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा बिक्रीकर सरलीकरण कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है हो सकता है कि बजट सेशन में कुछ चीजें आ जायें। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन करता है। उसमे विस्तार से सभी चीजों का समावेश नहीं हो सकता है। जो बजट आयेगा उसमें अधिक तथ्य आपके सामने आयेगें। सरकार ने बहुत से उपलब्धिपूर्ण कार्य किये हैं। गन्ने का मूल्य बढ़ाया है और गन्ना किसानों को गन्ना बकाये का भुगतान कराया है। इसी तरह से खलिहान दुर्घटना बीमा के जरिये किसानों को सहायता देने का काम किया है। इस योजना के अंतर्गत 600 रुपये से लेकर 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्राविधान किया गया है। इसके अंतर्गत अब तक 3 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। इसी प्रकार से 70 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गयी हैं जिसमें 9 हजार हेक्टेयर की सिंचाई नहरों द्वारा की गयी और 61 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई नलकूपों द्वारा की गयी है। 10 जून

से 15 जून तक नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

सरकार ने गांवों पर 60 प्रतिशत बजट रखा है। जब यह व्यय होगा तो गांवों की उन्नति होगी। अभी तक हमने देखा है कि गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया जिससे गांवों की उन्नति नहीं हो सकी है। इस सरकार ने गांवों की तरफ ध्यान दिया है। जिससे ग्रामीण विकास हो रहा है। सरकार ने संकट के समय चाहे वह भूकम्प हो या चाहे वह सूखा हो, हर संकट से निपटने की कोशिश सरकार ने की है। भूंकप में जिन लोगों के घर गिर गये थे या जो लोग मारे गये थे उससे प्रभावित लोगों को पैसा दिलाया गया है। किसी को 15 हजार और किसी को 20 हजार दिया गया है। हर तरह से लोगों की सहायता की गयी है और अनुदान दिया गया है। हर तरह से लोगों की सहायता की गयी है और अनुदान दिया गया है। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको हर तरह से सहायता पहुंचायी जा रही है ताकि वह अपना घर बना सकें। हमारी सरकार का मत है कि समाज में समता होनी चाहिये, भेदभाव नहीं होना चाहिये। इसीलिये हरिजन शब्द को खत्म कर दिया गया है, अब कोई हरिजन नहीं है। हरिजन शब्द हटा दिया गया है। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया है। इसके पीछे आपसी सद्भाव बढ़ाने और भेदभाव को खत्म करने की मंशा है। हमारी सरकार ने गांवों में और शहरों में लोगों की घर-घर में काम देने के लिये बहुत सी योजनायें बनायी हैं और उस तरफ काम शुरू कर दिया गया है।

इस तरह से घर-घर में बेकारों को रोजगार देने के लिये व्यवस्था कर हे हैं। इसी प्रकार से सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि लोगों को छोटे उद्योग लगाने में कठिनाई होती थी। उनको सब प्रकार की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हों, इसके लिये सरकार कार्यवाही कर रही है। इसके परिणाम सामने आएंगे। यह सरकार उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ रही है। जनता के हितों के लिये राम को आदर्श मानकर अपने एक परिवार की तरह से काम करते हुए प्रदेश की जनता के लिये चिंता करने के लिये सरकार समर्पित है और काम कर रही है। मुझे विश्वास है। आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, आप हमारी कमियों को, हमारी योजनाओं में कमियों को, खराबियों को यहां पर सदन में सामने रखें और उन पर विचार किया जाय और देश और प्रदेश के विकास में सबका सहयोग रहे तो अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली की ओर बढ़ रही है। हम राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत हैं। हमारी सरकार गलतियां कर सकती है, लेकिन उसकी नीयत साफ है। हमारे प्रदेश की जनता गलतियों को तो माफ कर सकती है लेकिन नीयत खराब हो तो क्षमा नहीं करती। वर्ष 1975 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने आपातकाल की स्थिति लागू कर दी थी। उत्तर प्रदेश की

जनता ने सोचा कि कांग्रेस सीट नहीं छोड़ेगी तो उसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया क्योंकि जनता को लगा कि उसकी नीयत खराब है और अपनी सरकार रखने के लिये आपातकाल लगाया है । इसलिये उत्तर प्रदेश की नेता की भावनाओं समझें । पिछली बार क्या हुआ ? उस समय के मुख्य मंत्री ने तमाम रैलियां कीं, उनके ऊपर कांग्रेसी भाइयों ने हाथ रख दिया और भस्मासुर की तरह से दोनों समाप्त हो गये । विघटन की बात करते हैं, यह खत्म कब होगा, जब राष्ट्रीय भावना होगी तो देश का और राष्ट्र का विकास होगा । आप अखण्डता की बात करते हैं, जो अपना विघटन नहीं रोक पाएं वे हमसे एकता की बात करते हैं । मैं कहना चाहता हूँ कि यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाकर रहेगी । इसका निश्चय है कि किसी प्रकार भी प्रदेश में कोई गुण्डागर्दी या अपराध नहीं होने देगी, साथ ही उत्तरप्रदेश की जनता के कष्टों को दूर करेंगे । किसी भी व्यक्ति को बेकार नहीं रहने देंगे, यह हमारा संकल्प है । अगले पांच साल में आप देखेंगे कि स्थिति अच्छी होगी । लोगों को रोजगार मिले, इस प्रकार की योजनाएं विचाराधीन है, जो सामने आएंगी । तमाम छात्र आन्दोलन होते है, श्रमिक आन्दोलन होते हैं, मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे देश में श्रमिकों को वह सम्मान नहीं मिल रहा है जो श्रमिकों को मिलना चाहिये । यह पहली सरकार है जो श्रमिकों को हर तरह से सम्मान देकर उनकी भावनाओं, इज्जत, तरक्की, आर्थिक स्थिति सब पहलुओं पर विचार कर रही है और उनके लिये काम कर रही है । इसी तरह से अभी तक जो कारखाने बन्द होते थे और इन्सपेक्टर मौज करते थे वहां पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि मजदूरों का फायदा हो और उत्पादन भी बढ़ सकें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यह घोषणा की है वह अपने संकल्प को पूरा करेगी । हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां और कार्य दिये हैं, वे बिल्कुल पूर्ण होंगे । उसमें किसी प्रकार की आशंका की गुजांइश नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि वे हमारी कमियों को सामने रखें, हम उनको पूरा करने के लिये कृतसंकल्प है । और अगर कोई कमी ऐसी होगी और सरकार के समझने लायक होगी, उस पर सरकार विचार करेगी । मान्यवर, मैं अधिक न कहकर इतना कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी चीजें कहीं हैं, वे सभी चीजें पूरी होंगी । इसमें किसी प्रकार के शंका करना अपने ऊपर अविश्वास प्रकट करना है ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय बसन्त लाल जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करती हूँ । यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि अत्यन्त जर्जर आर्थिक अव्यवस्था, सामाजिक कुव्यवस्था और

राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति में हमारी सरकार ने सत्ता की बागडोर अभी केवल सात माह पूर्व सम्भाली है। परन्तु इस अल्पावधि में सरकार ने प्रदेश को दंगारहित प्रदेश तथा भयमुक्त समाज बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। इसके परिणाम सामने हैं कि सात महीनों में 4 बड़े त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में बीता है। वाराणसी में दंगा को प्रारम्भिक स्टेज में ही दबा दिया गया। वह बढ़ने और फैलने नहीं पाया। वह केवल वाराणसी में और वह भी एक मुहल्ले में सीमित रहा। हमें याद है कि पिछले दंगों में सारा उ0प्र0 जल उठता था, जो इस बार सीमित रहा, दंगा में पकड़े जाने वाले लोगों में हिन्दू-मुस्लिम देखने की आदत गलत है। दंगाई केवल दंगाई होता है, उसे कड़ाई से निपटना चाहिए। यही कारण है कि आज उ0प्र0 में शांति व सुख है। यही कारण है कि अल्पसंख्यक वर्ग में भी भा0ज0पा0 सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है और प्रदेश में शांति है। आतंकवाद से निपटने के लिए हमारी सरकार ने स्थायी व दीर्घकालीन कदम के रूप में नई चौकियों की स्थापना, थानों का सुदृढ़ीकरण, वाहन तथा संचार सुविधा का प्रसार, पुलिस बलों को आधुनिक अस्त्र-शास्त्र से सुसज्जित किया जाना प्रमुख है। जनता आतंकवाद के विरूद्ध है। कश्मीर की एकता यात्रा को, पंजाब में भी जिस प्रकार से आम जनता ने स्वागत किया, वह बड़ा उत्साहवर्धक तथा दिशा निर्देशक है। यह जरूरी है कि अर्द्धसैनिक बल को आधुनिक शास्त्रों से सुसज्जित किया जाय। इस महती आवश्यकता को केन्द्र के द्वारा अनदेखी करना दुखद है।

सरकार के सामने एक प्रमुख विषय था कि अवांछनीय तत्वों और माफिया गिरोहों से लोगों के प्राणों की रक्षा किया जाय। इस दिशा में बड़े प्रशंसनीय कदम उठाये गये। अनेक माफिया सरगना गिरफ्तार हुए, उनका वर्चस्व समाप्त किया गया। इस सरकार के द्वारा यह स्पष्ट आदेश है कि दंगाई को केवल दंगाई माना जाय। जाति, धर्म या वर्ग से जोड़कर दंगाइयों में भेद न किया जाय तथा उनसे कड़ाई से निपटा जाय, यह स्वतंत्र भारत में प्रथम बार उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है।

पिछले राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में हमारे मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि राम जन्म भूमि प्रकरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है इसको अधिक समय तक लटकाये रखना देशहित के विपरीत होगा। प्रसन्नता की बात है कि सरकार इस मामले में भी सजग है और इसमें शीघ्रताशीघ्र हल ढूँढ़ने में प्रयत्नशील है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद प्रदेश के विकास को प्रमुखता से लिया है। उत्तर प्रदेश के प्रति केन्द्रीय सरकार की उपेक्षा इस प्रदेश की नियति बन गयी है। इसके निवारण हेतु हमारे मुख्यमंत्री का संघर्ष सराहनीय है। मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने केन्द्र में जाकर इस बात की प्रबल मांग की है कि प्रदेश के लिये वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत

प्राप्त होने वाला धन तथा केन्द्रीय सहायता का आधार प्रदेशों की जनसंख्या और उसका पिछड़ापन होना चाहिए परन्तु अब भी केन्द्र सरकार की नीति में कोई परिवर्तन न होना खेदजनक है, जब कि संघीय ढांचे में प्रदेश के विकास का दायित्व केन्द्रीय सरकार का भी है।

केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग के कार्यकारी दल के द्वारा वर्ष 1992-93 के लिये योजना का आकार 45.42 करोड़ रुपये करने की संस्तुति करने के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 25.59 करोड़ रुपये निर्धारित किया जाना राज्य के साथ भारी अन्याय है। 16 प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य में केन्द्र का अपने विभागीय उपक्रमों द्वारा विनियोग 8.6 प्रतिशत है इसमें भी उसने कोई वृद्धि नहीं की है।

सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि केन्द्र इस राज्य को 600-700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से खाद्य का आवंटन कर रहा है। जबकि अन्य राज्यों को 2000 से 7083 ग्राम आवंटित कर रहा है। केन्द्र के ही द्वारा निर्धारित प्रति इकाई मात्रा के अनुसार जहाँ हमें 2.50 लाख टन गेहूँ तथा दो लाख टन चावल मिलना चाहिए, वहाँ हमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ तथा 30,000 मीट्रिक टन चावल मिल रहा है और यह उस स्थिति में जबकि हम एक बड़ा व कृषि प्रधान राज्य के नाते केन्द्रीय आपूर्ति पूल में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं। यह उ0प्र0 की जनता के साथ भारी अन्याय है। हमारे सुयोग्य मुख्यमंत्री ने केन्द्र में बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से इस बात को उठाकर जहाँ एक ओर सारे हिन्दुस्तान का ध्यान इस पक्षपात रवैये की ओर आकर्षित किया है, वहीं दूसरी ओर केन्द्र व राज्य के संबंध पर पुर्नविचार की महती आवश्यकता पर ध्यान दिलाया है। यहाँ हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं। अपने प्रदेश की जनता के हित में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर अपने मुख्यमंत्री के साथ अपनी आवाज मिलाकर केन्द्र का सबल विरोध करना चाहिए।

हमारी सरकार ने जनहित में कई योजनाएं ली है। सभी सरकारें गाँव के विकास की बात करती रही हैं। लेकिन यह पहली सरकार है जिसने गाँव के विकास के लिए बजट में 60 प्रतिशत परिव्यय आवंटित करने का संकल्प किया है। न्यायपंचायत स्तर पर किसान सेवाकेन्द्र की स्थापना, उर्वरक, बीज, ऋण आदि कृषि सुविधाओं में जनवरी, 92 तक 20,000 नलकूपों के उर्जीकरण के लक्ष्य के पास पहुँच जाना, 70,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई, सिचाई बन्धु' की स्थापना द्वारा अधिकारी व जनप्रतिनिधि की आमने सामने वार्ता द्वारा समस्याओं का निराकरण प्रमुख है।

ब्लाक स्तर पर नई सरकार जनता के द्वार' के द्वारा बिना किसी खर्च के ग्रामीण जनता को अपनी समस्याओं को हल करने की सुविधा प्रदान करना एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमारी सरकार ने स्वरोजगार में वृद्धि के लक्ष्य को ध्यान

में रखते हुए सरकारी नीतियों में मौलिक परिवर्तन किया है। स्वदेशी मनोवृत्ति उत्पन्न कर स्वदेशी तकनीक के आधार पर स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने का संकल्प किया है।

उद्योगों की स्थापना, उसके स्वचालन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना, विद्युत व्यवस्था की प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निजी जनरेटर लगाने के लिये पूर्व स्वीकृति की अनिवार्यता को समाप्त करना अत्यन्त प्रशंसनीय कदम हैं। बिक्रीकर कर सरलीकरण करना, अनेक करों की समाप्ति या करों को कम करना इसके महत्वपूर्ण कार्य है। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने बिक्रीकर के सरलीकरण की दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाया है। गन्ने का मूल्य 4 रु0 प्रति क्विंटल बढ़ाकर 150 करोड़ रु0 का अतिरिक्त धनराशि अपने किसानों को दिलाया है। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) महिलाओं को विशेषकर निर्बल वर्ग की महिलाओं को स्वरोजगार के लिये न केवल प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं व खोले जा रहे हैं बल्कि उनके द्वारा उत्पादित माल को विशेष लाभ बिक्री की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह से यह प्रदेश के औद्योगीकरण और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में प्रशंसनीय कदम है। समाज के समन्वित विकास हेतु डा0 अम्बेदकर जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में एक विशेष निधि स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें जनजाति और अनुसूचित जाति के हाईस्कूल और इंटर के मेधावी छात्रों के लिये, जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे, छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाने का संकल्प लेकर शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने की कोशिश हो रही है। बालिकाओं के शिक्षा के प्रसार हेतु ध्यान दिया जा रहा है। विज्ञान की प्रयोगशलाओं की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्चीकृत शिक्षा के संबंध में परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है। शासकीय महाविद्यालयों में तदर्थ नियुक्तियों का विनियमतीकरण तथा अन्य नियुक्तियों का नियमन एक बहुत उचित कदम है। अन्त में मैं कहना चाहूँगी कि जिस जर्जर अवस्था में प्रदेश है, उसको आगे उठाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा संकल्प एक स्थिर कदम है। केन्द्र से अपने हक के लिये लड़ना, भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में सक्रियता, संसाधनों को बढ़ाना इस सरकार के प्रशंसनीय कदम हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपने महामहिम राज्यपाल के उपस्थित धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन कर रही हूँ। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

एक सदस्य-

मान्य , मुझे भी बोलना है।

श्री अधिष्ठाता

आप गे बोल लीजियेगा। इस पर बहस जारी रहेगी।

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 13 फरवरी, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 2 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री बरखू राम वर्मा की प्रदेश में पी0ए0सी0 की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित का जनपद उन्नाव में पुलिस पर किये जा रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। माननीय अध्यक्ष ने श्री बरखू राम वर्मा की सूचना को वक्तव्य के लिये तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11-00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
13 फरवरी, 1992

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

विधान सभा क्षेत्र गोकुल में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूचना वर्ष 1989-90

| क्र0सं0 | स्वीकृति का संदर्भ शासनादेश सं0 व दिनांक | कार्य का नाम | लम्बाई (कि0मी0) | चौड़ाई (मीटर) | माह 10/91 तक पेन्टेड मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 1414 ई-23 सा0नि0 अनु0-11/162ई/88 दिनांक 24-3-90 | मथुरा-हाथरस से आयराखेड़ा होते हुये रायानीवगांव मार्ग का का निर्माण (खड़न्जा से लेपन स्तर तक) | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| | तदेव | राया-मांट से नगला तिरिया होते हुये रायानीवगांव मार्ग का निर्माण। (खड़न्जा से लेपन स्तर तक) | 5.10 | 3.00 | 5.10 |
| | तदेव | राया-मांट से नगला तिरिया होते हुये रायानीवगांव मार्ग का खरन्जा तक निर्माण (शेष भाग)-खंड़ज्जा स्तर तक स्वीकृत | 3.00 | 3.00 | - |
| | योग वर्ष | 1989-90- | 13.10 | 9.10 | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## निर्माण खण्ड क्षेत्र गोकुल जिला मथुरा में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूचना (वर्ष 1990-91)

| क्र0सं0 | स्वीकृत का संदर्भ शासनादेश सं0 व दिनांक | कार्य का नाम | लम्बाई (कि0मी0) | चौड़ाई माह 10/90 तक (मीटर में) | पेन्टेड मार्ग की लम्बाई (कि0मी0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | 4426 ई/23लो0नि0 अनु0-11/90 दिनांक 7-11-90 | महावन से जवदीशपुर-कानपुर नकला लोका होते हुए पचावर मार्ग का भाग। (नव निर्माण से लेपन स्तर तक) | 3.50 | 3.00 | 1.00 |
| 2- | तदैव | बरौली से कचनाऊ मार्ग (खड़न्जा से लेपन स्तर तक) | 3.00 | 3.00 | - |
| 3- | तदैव | मथुरा-बल्देव मार्ग से बसई हरदशा मार्ग का भाग। (खड़न्जा से लेपन स्तर तक) | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| 4- | तदैव | महावन जवदीशपुर मार्ग से मनोहरपुर किशनपुर होते हुये कारब मार्ग (खड़न्जा से लेपन) | 3.00 | 3.00 | - |
| 5- | तदैव | मथुरा-खादाबाद प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 6,7, 8 व 11 को 3.70 मी0 से 5.50 मीटर तक चौड़ा करना। | 4.00 | 5.50 | - |
| | योग वर्ष | 1990-90 | 16.50 | | 2.00 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

अनुसूचित जाति कल्याण
जनपद बरेली

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरूवार हेतु निर्धारित श्री रामेश्वर नाथ चौबे, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न सं0-27 उत्तरार्थ वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक वर्षवार व मदवार आवंटन व्यय तथा लाभार्थियों की सूचना

(रुपया लाखों में)

| क्र0सं0 | मद/योजना का नाम | 1987-88 | | | 1988-89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | लाभार्थी | आवंटन | व्यय | लाभार्थी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति | 89.34 | 30.93 | 17805 | 89.005 | 55.20 | 31310 |
| 2- | पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति | 21.29 | 12.86 | 6308 | 17.15 | 13.61 | 6307 |
| 3- | आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग | 0.40 | - | - | 0.09 | - | - |
| 4- | शुल्क क्षतिपूर्ति कक्षा 7 व 8 | 5.10 | 5.10 | 3000 | 6.50 | 6.32 | 3600 |
| 5- | विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं छात्रावास/पुस्तकालय तथा पाठशालाओं को अनुदान | 5.11 | 4.05 | 10 | 2.04 | 2.04 | 10 |
| 6- | विमुक्त जाति छात्रवृत्ति | 1.62 | - | - | 3.395 | | - |
| 7- | शादी बीमारी पर अनुदान | 0.40 | 0.26 | 26 | 0.40 | 0.10 | 10 |
| 8- | अत्याचार/उत्पीड़न अनुदान | 0.40 | 0.30 | 40 | 0.40 | 0.40 | 53 |
| 9- | कक्षा 10 व 12 में विशेष | - | - | - | 0.11 | 0.11 | 2 |
| 10- | आश्रम टाइप स्कूल पर व्यय | 0.70 | 0.54 | 14 | 1.58 | 1.48 | 60 |
| 11- | अस्पृष्यता निवारण | 0.0025 | - | - | - | - | - |
| 12- | दहेज उत्पीड़न | - | - | - | - | - | - |
| 13- | अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास | - | - | - | - | - | - |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| क्र0सं0 | मद/योजना का नाम | 1989-90 | | | 1990-91 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | लाभार्थी | आवंटन | व्यय | लाभार्थी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति | 104.25 | 64.82 | 37109 | 61.65 | 41.10 | 16395 |
| 2- | पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति | 19.73 | 13.25 | 6710 | 18.71 | 18.59 | 7876 |
| 3- | आय के आधार पर पिछड़ा वर्ग | 0.20 | - | - | 0.20 | - | - |
| 4- | शुल्क क्षतिपूर्ति कक्षा 7 व 8 | 6.00 | 5.84 | 3300 | 3.50 | 0.34 | 307 |
| 5- | विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं छात्रावास/ पुस्तकालय तथा पाठशालाओं को अनुदान | 3.00 | 3.00 | 10 | 3.00 | 3.00 | 10 |
| 6- | विमुक्त जाति छात्रवृत्ति | 3.75 | - | - | 2.85 | - | - |
| 7- | शादी बीमारी पर अनुदान | 0.80 | 0.80 | 80 | 0.63 | 0.63 | 63 |
| 8- | अत्याचार/उत्पीड़न अनुदान | 0.50 | 0.50 | 19 | 2.80 | 2.34 | 61 |
| 9- | कक्षा 10 व 12 में विशेष कोचिंग | 0.625 | 0.099 | 1 | 0.634 | - | - |
| 10- | आश्रम टाइम स्कूल पर व्यय | 2.97 | 2.95 | 60 | 3.13 | 3.517 | 60 |
| 11- | अस्पृष्यता निवारण | - | - | - | 0.002 | - | - |
| 12- | दहेज उत्पीड़न | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 5 |
| 13- | अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास | 0.66 | 0.66 | 1 | 0.997 | 0.997 | 1 |

अनुपूरक विधान सभा

विधान सभा प्रश्न संख्या-27 के उत्तरार्थ वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक आवंटन व्यय तथा लाभान्वितों की सूचना

समाज कल्याण योजनाएं

| क्र0सं0 | मद का नाम | 1987-88 | | | 1988-89 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | लाभार्थी | आवंटन | व्यय | लाभार्थी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | निराश्रित विधवाओं को अनुदान | 24.26 | 14.53 | 1922 | 25.19 | 18.99 | 2511 |
| 2- | विकलांगों को अनुदान | 8.968 | 8.176 | 1081 | 8.978 | 8.086 | 1082 |
| 3- | विकलांग छात्रों एवं विकलांग | 0.308 | 0.01 | 4 | 0.128 | 0.128 | 46 |
| 4- | श्रवण यंत्र/कृत्रिम अंग क्रय | 0.04 | 0.04 | 8 | 0.05 | 0.05 | 10 |
| 5- | अंकिचन मृतकों का दाह/दफन संस्कार | - | - | - | - | - | - |
| 6- | बाल दिवस समारोह | 0.01 | - | - | - | - | - |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

समाज कल्याण योजनाएं

विधान सभा प्रश्न संख्या-27 के उत्तरार्थ वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक आवंटन व्यय तथा लाभान्वितों की सूचना

| क्र0सं0 | मद का नाम | 1989-90 | | | 1990-91 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटन | व्यय | लाभार्थी | आवंटन | व्यय | लाभार्थी |
| 1- | निराश्रित विधवाओं को अनुदान | 40.00 | 40.00 | 4566 | 72.55 | 68.46 | 5505 |
| 2- | विकलांगों को अनुदान | 8.978 | 8.978 | 1068 | 23.74 | 20.64 | 1650 |
| 3- | विकलांग छात्रों एवं विकलांग व्यक्तियों के बच्चों की छात्रवृत्ति | 0.11 | 0.11 | 45 | 0.138 | 0.138 | 53 |
| 4- | श्रवण यंत्र/कृत्रिम अंग क्रय हेतु अनुदान | 0.05 | 0.05 | 10 | 0.20 | 0.20 | 20 |
| 5- | अकिंचन मृतकों का दाह/दफन संस्कार | - | - | - | 0.31 | 0.31 | 207 |
| 6 | बाल दिवस समारोह | - | - | - | - | - | - |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**प्रारूप-1**

शिशुशाला बालवाड़ी केन्द्रों (2) बरेली। आवंटित उपभोग की गयी धनराशि

| क्रमांक | मद का नाम/ व्यय की इकाई | 1987-88 | | 1988-89 | | 1989-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आवंटित धनराशि | उपभोग धनराशि | आवंटित धनराशि | उपभोग धनराशि | आवंटित धनराशि | उपभोग धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | शिशु बाला एवं बालवाड़ी | - | - | - | - | 86996 | 69482 |

| 1990-91 | | योग 1987 से 91 | | अन्य विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|
| आवंटित धनराशि | उपभोग धनराशि | आवंटित धनराशि | | उपभोग धनराशि | |
| 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 114600 | 62382 | 201596 | | 131864 | |

नोट- 1, वर्ष 89-90 में 36729-60 बचत पत्र संख्या-42/90-91 दिनांक 10-4-90 के द्वारा वापिस किया गया। वर्ष 90-91 में 52030-00 पत्र संख्या-3996-98 दिनांक 26-3-91 द्वारा वापिस किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**प्रारूप-2**

शिशुबाला बालवाड़ी केन्द्रों (2) बरेली । आवंटित उपभोग की गयी धनराशि

| क्रमांक | मद का नाम | 1987-88 | | 1988-89 | | 1989-90 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दी गई धनराशि | लाभार्थियों की संख्या | दी गई धनराशि | लाभार्थियों की संख्या | दी गई धनराशि | लाभार्थियों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | शिशुशाला एवं बालवाड़ी | | | | 18 | 69482 | 42 |

| 1990-91 | | योग 1987 से 91 | | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| दी गई धनराशि | लाभार्थियों की संख्या | दी गई धनराशि | लाभार्थियों की संख्या | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62382 | 38 | 131864 | 80 | |

नोट: वर्ष 87-88 व 88-89 की सूचना इस कारण नहीं दर्ज की गई है कि इन वर्षों का रिकार्ड श्री टोडर मल सागर, व0लि0 (निलम्बित) के चार्ज में है और उन्होंने अभी तक चार्ज नहीं दिया है । कालम नं0 12 पर दर्शायी गई धनराशि औसर के आधार पर है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**नत्थी 'ब'**

(देखिये अता0प्र0सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

संलग्न सूची

अतिवृष्टि वर्ष 1990-91 में क्षतिग्रस्त मार्गों में 11/90 तक किये गये व्यय का विवरण

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाँदा

| क्र0सं0 | कार्य का विवरण | 11/90 तक व्यय (रु0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1- | लामा-पचनेही मार्ग | 0.10 |
| 2- | फतेहपुर बबेरू-अतरा मार्ग | 0.26 |
| 3- | राम नगर सम्पर्क मार्ग | 0.27 |
| 4- | बाँदा हमीरपुर मार्ग | 0.03 |
| 5- | गिरवां खुरहण्ड मार्ग | 0.16 |
| 6- | बाँदा-नरैनी-कालींजर मार्ग | 0.87 |
| 7- | अल्लोना खपाटेहा कलां मार्ग | 0.19 |
| 8- | तिन्दुवारी-जौरही मार्ग | 0.56 |
| 9- | बाँदा-तिन्दुवारी फतेहपुर मार्ग | 2.35 |
| 10- | पपरेन्दा-तिन्दुवारी मार्ग | 1.26 |
| 11- | बाँदा-बबेरू मार्ग | 1.36 |
| 12- | मटौध गौरिहार मार्ग | 0.15 |
| 13- | हथौड़ा छिनेहरा-कुलकुम्हारी मार्ग | 0.18 |
| 14- | बबेरू-कमासिन-राजापुर मार्ग | 0.55 |
| 15- | विसन्डी सम्पर्क मार्ग | 0.11 |
| 16- | कमासिन-औरन मार्ग | 0.88 |
| 17- | कमासिन-दादो मार्ग | 0.10 |
| 18- | बबेरू-ओरन मार्ग | 0.84 |
| 19- | अतरा-नरैनी-करतल मार्ग | 0.09 |
| 20- | गौखिया सम्पर्क मार्ग | 0.17 |
| 21- | पल्हरी सम्पर्क मार्ग | 0.10 |
| 22- | नसेनी सम्पर्क मार्ग | 0.12 |
| 23- | खलारी सम्पर्क मार्ग | 0.28 |
| 24- | साथी मिलाथू मार्ग | 1.25 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25- | तिन्दुवारी सम्पर्क मार्ग | 0.06 |
| 26- | बबेरू-तिन्दुवारी मार्ग | 0.41 |
| 27- | पलरा-पैलानी मार्ग | 0.33 |
| 28- | परैंदा-पैलानी मार्ग | 0.18 |
| 29- | पड़ई सम्पर्क मार्ग | 0.15 |
| 30- | मलेहरा निवादा मार्ग | 0.16 |
| 31- | अनथुआ-देवरार मार्ग | 0.17 |
| 32- | ममसी खुर्द-सम्पर्क मार्ग | 0.22 |
| 33- | अतर्रा-चौसढ़ मार्ग | 0.29 |
| 34- | ओरन चौसढ़ मार्ग | 0.15 |
| 35- | झांसी-मिर्जापुर मार्ग कि0मी0 213 से 244 | 0.70 |
| 36- | विसण्डा औरन पहाड़ी मार्ग | 0.35 |
| 37- | बिल्हरका सम्पर्क मार्ग | 0.05 |
| 38- | रियान सम्पर्क मार्ग | 0.45 |
| 39- | तिलौसा सम्पर्क मार्ग | 0.15 |
| 40- | रानीपुर सम्पर्क मार्ग | 0.38 |
| 41- | बगैहटा सम्पर्क मार्ग | 0.27 |
| 42- | जमलोहरा सम्पर्क मार्ग | 0.18 |
| 43- | दूरेडी सम्पर्क मार्ग | 0.27 |
| 44- | झांसी-मिर्जापुर मार्ग 1.92 से 212 | 1.00 |
| 45- | पलानी-गुलौली से तसड़ा मार्ग | 0.49 |
| 46- | लामा-लुकतरा मार्ग | 0.60 |
| 47- | चिल्ला-लोमर वाया गौरी किशनपुर मार्ग | 0.31 |
| 48- | बांदा-बिसंडा मार्ग | 0.52 |
| 49- | हरदौली सम्पर्क मार्ग | 0.23 |
| 50- | विविध (मार्गों पर व्यय) लमसम | 1.10 |
| | योग | 22.40 |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**नत्थी 'घ'**

(देखिये अता0प्र0सं0 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 57 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरूवार के लिए निर्धारित श्री स्वामी नाथ यादव एवम् श्री हरिवंश सहाय द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का संलग्नक ।

---

जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील के 44 ग्रामों की सूची जिनमें सीलिंग भूमि निकली है ।

1- महालमंझरिया
2- पैसा वागर
3- सिसवनियां
4- मोतीपुर भुवाल
5- बलुआफगान
6- महुराव
7- भरहैचौरा
8- परसिया देवार
9- तालढोना
10- छितरौली
11- कुकुरघाटी
12- मईल खादर
13- हरनाडीह
14- छितरपुर खादर
15- परसिया कुरह
16- बकूची
17- हाटा
18- पडौली
19- सल्लहपुर
20- विशुनपुरा देवार
21- खोरी वारी
22- लक्ष्मीपुर
23- राजपुर
24- अलावरपुर
25- चकिया
26- महुई पाण्डेय
27- अटहर
28- कसिली
29- पिपरा
30- वरठा बाबू
31- नरायनपुर तिवारी
32- बड़कागाँव
33- छोटकागाँव
34- धनौती
35- बनटा मिश्र
36- मल्हनी
37- नवापार
38- मोरखुआ
39- रायपुर बकलाला
40- फुलवरिया
41- बहियारी बघेल
42- परड़ी उमन
43- मझौली
44- खामपार

---

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 10 वि0 सभा-3-6-92-(901)-572-(इले0/आ0) ।

विधान सभा